मंगलवार, 24 फ़रवरी 1981

5 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 7, मंगलवार, 24 फरवरी, 1981/5 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 103 ... 2-15

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या 104 से 106 और 108 से 120 ... 15-32

अतारांकित प्रश्न संख्या 1001, 1002, 1004 से 1045, 1047 से 1096, 1098 से 1118 और 1120 से 1200 ... 32-176

गुजरात की स्थिति के बारे में ... 177.178

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... 178180

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चितरंजन नेशनल कैन्सर रिसर्च सेंटर और चितरंजन कैंसर हस्पताल, कलकत्ता का विलय

डा० सरदीश राय ... 180

(दो) बिहार की कुछ भूमि पर उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा कथित कब्जा किये जाने पर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के बीच विवाद

प्रो० के० के० तिवारी ... 180-181

(तीन) तमिलनाडू में कोलाचेल पत्तन का विकास

श्री एन० डेनिस ... 181

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(चार) हिमाचल प्रदेश में कतिपय छावनी क्षेत्रों का विकास

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी ... 181-182

(पांच) किसानों को जल तथा बिजली की अपर्याप्त सप्लाई तथा उसकी दरों में वृद्धि

श्री मनीराम बागड़ी ... 188

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ... 182, 190 198, 199, 204

श्री ए० के० सेन ... 190-201

श्री अमृत पटेल ... 201-205

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ... 202-214

श्री संतोष मोहन देव ... 214, 215, 220

श्री बी० वी० देसाई ... 220-223

डा० कर्णसिंह ... 223-228

श्री जमीलुर्रहमान ... 228-233

श्री जैनुल बशर ... 233-236

श्री राम जेठमलानी ... 236-243

श्री ए० सी० दास ... 243-245

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 245-248

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार ... 248-250

गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में वक्तव्य

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या ... 216-218

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

लोक सभा

मंगलवार, 24 फरवरी, 1981/5 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बज कर एक मिनट पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमान् जी गुजरात के मामले पर चर्चा होनी चाहिए । हमने नियम 388 के अन्तर्गत नोटिस दिये हैं । (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, नियम 388 के तहत हम लोगों ने नोटिस दिया है । आप आज क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कीजिए और पहले गुजरात पर चर्चा कराइए ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मान्यवर, गुजरात का मामला बहुत गंभीर है । ऐसी स्थिति मे गुजरात की बात सुनना बहुत जरूरी है । हम निवेदन करेंगे कि इसको आप एलाऊ करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको लिख कर दिया है ।

श्री मनीराम बागड़ी : नोटिस देने के बाद मैं आप से चेम्बर में मिला भी हूँ कि नियम 388 के अन्तर्गत इसको लिया जाए । अहमदाबाद और गुजरात का मामला कोई मामूली मामला नहीं है । सारे देश के अन्दर एनार्की और सिविल वार फैलाने का एक रास्ता अपनाया जा रहा है । ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मनीराम जी, आपका नोटिस आया था लेकिन प्रेसीडेंट एड्रेस पर बहस चल रही है और उसमें आप इसको उठा सकते हैं ।...(व्यवधान)

उसमें आपका नाम है और आप सब का नाम है लेकिन उसके लिए मैंने इजाजत नहीं दी है ।

श्री राम विलास पासवान : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि कानून एलाऊ नहीं करता है । इस वक्त प्रेसीडेंट एड्रेस पर बहस चल रही है । मुझे पता है कि मामला गंभीर है । आगे भी मैंने कहा है कि अगर देश को जीना है, तो मिल कर जीना है । यह सारी बात सही है लेकिन अब क्योंकि प्रेसीडेंट एड्रेस के प्रस्ताव पर बहस चल रही है, आप सारे के सारे अपने भावों की अभिव्यक्ति उसमें कर सकते हैं । यह हो सकता है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : प्रेसीडेंट एड्रेस के साथ इसको मत जोड़िये। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 101, श्री डी. पी. यादव (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री राम विलास पासवान : आप नियम के अनुसार चलेगें या नहीं ?···(व्यवधान)··· आप सुन तो लीजिए। नियम 388 में यह लिखा हुआ है :—

"कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्पति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस सभा के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा।"

अध्यक्ष महोदय : अगर 'हो जाये तो'। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 'कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाए···'

इसमें कहा गया है : 'अध्यक्ष की सम्मति से।' अध्यक्ष की सम्मति नहीं दी गई है।

श्री यादव : (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होने वाला है। यह मेरा स्थायी आदेश है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह गलत बात है, आप बैठिये।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

फरक्का और कहलगांव के लिए कोयला निकालने की परियोजना

*101. **श्री डी. पी. यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का और कहलगांव सुपर तापीय बिजली घरों के लिए हुर्रा, लालमटिया और रसमहल पहाड़ियों के कोयला वाले अन्य क्षेत्रों से कोयला निकालने की परियोजना शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या ऊर्जा मंत्री ने कार्य की प्रगति देखने के लिए हाल ही में इस स्थल का दौरा किया है; और

(घ) फरक्का तथा कहलगांव सुपर तापीय बिजली घरों के लिए 'आपरेशन कोल एक्सट्रक्शन' हेतु कुल कितना क्षेत्र अधिगृहीत किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) फरक्का सुपर ताप बिजलीघर को कोयले की सप्लाई के लिये ललमटिया में राजमहल कोयला परियोजना

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

कार्य शुरू हो गया है। कहलगांव सुपर ताप बिजलीघर को कोयले की सप्लाई के लिए अन्वेषण सम्बधी कार्य चल रहा है।

सरकार ने राजमहल परियोजना को रु. 87.43 करोड़ की अनुमानित लागत से 2-8-1980 को मंजूर किया था और इसका उत्पादन लक्ष्य 1987-88 तक 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष होना था। धरातल के ऊपर बिजली की सप्लाई, जलपूर्ति, क्षेत्र कार्यालय आदि आधारभूत निर्माण कार्य चल रहा है और अपेक्षित कर्मचारी तैनात कर दिये गये हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अधिग्रहण के लिए लगभग 1932 एकड़ जमीन अधिसूचित की गई है। जब आवश्यकता पड़ेगी तब और भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

हमने पहले ही इसकी अनुमति दे दी है। उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद जारी है। (व्यवधान)*

आप सदन का समय क्यों बेकार करने की कोशिश कर रहे हो। (व्यवधान)*

आप अगर हाउस में क्वेश्चन आवर नहीं चाहते हैं और इसी तरह से टाइम······ (व्यवधान)* वह तो मैंने पहले भी कह दिया।

कुछ नहीं, कुछ नहीं (व्यवधान)*

प्रो मधु दंडवते : कृपया आप अपना निर्णय दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। यह अच्छा नहीं लगता। कोई प्रश्न नहीं है। मैं पहले ही अपना निर्णय दे चुका हूं। (व्यवधान)*

जब मैं खड़ा हूँ तो आपसे बोलने की अपेक्षा नहीं की जाती है। कृपया बैठ जाइए। मैं भी खुश हूँ कि उन मुद्दों पर चर्चा की जाए जिन्हें आप यहां उठाना चाहते हैं। (व्यवधान)* मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। यह आपका हाउस है, जैसे मर्जी हो चलाइये। (व्यवधान)* आपका अकेले का नहीं है। (व्यवधान)*

मैं यह करने जा रहा हूँ। (व्यवधान)*

मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : पिछले सप्ताह शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री तथा गृह राज्य मंत्री इस मामले के बारे में बड़े चिन्तित थे।

अध्यक्ष महोदय : हमने इसकी अनुमति दे दी थी।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम यह जानना चाहेंगे कि क्या इस मामले पर वाद-विवाद करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव किया गया है। हमें इस सभा की भावना को समझना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने भी हस्तक्षेप किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बात की अनुमति दी थी। (व्यवधान)

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. मधु दंडवते : अब आप इस पर अपना निर्णय नहीं देते हो ? हम प्रश्न काल पर आपका निर्णय मानते हैं। हम प्रश्न काल में गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं । परन्तु अन्तिम निर्णय मत दीजिये कि आप बिल्कुल भी किसी वाद-विवाद की अनुमति नहीं देंगे ।

अध्यक्ष महोदय · मैंने यह नहीं कहा कि किसी विषय पर चर्चा नहीं होगी—मैं पहले ही इसकी अनुमति दे चुका हूँ ।

श्री मनीराम बागड़ी *

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा । (व्यवधान) आप हमको करने दीजिये । आप बैठ जाइए । बस-बस अब हो गया । आप बैठ जाइए । अति सर्वत्र वर्जयेत । (व्यवधान)* मैंने अनुमति नहीं दी है । इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)* आप उत्तेजित होकर बात करते हैं । पहले तो आप प्रेसीडेंट एड्रेस पर बोलिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं गम्भीरता से ले रहा हूँ । अब आप बैठ जाइए, हम बात कर लेंगे । बहुत हो गया । (व्यवधान)* बाद में करेंगे । और आपको मेरी मजबूरी का पता हो कि हमको क्या-क्या करना है और कितना समय हमारे पास है तो आप ऐसे नहीं करेंगे । (व्यवधान)* आइए, बात करेंगे । (व्यवधान)* कई दफा 388 में आया है । (व्यवधान)* मैं गम्भीरता को समझता हूँ और इसका समाधान भी करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । (व्यवधान) हम करेंगे आप बैठ जाइये ।

श्री राम विलास पासवान : आप 12 बजे इस पर कुछ कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से सलाह करूँगा बुला करके । मैं आपसे बात करूँगा । (व्यवधान) आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो कैसे काम चलेगा ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपको दूसरा दिन याद है जब दल के नेताओं की बैठक हुई थी, यह मामला आया था । आपने स्वयं चिन्ता व्यक्त की थी और मंत्री महोदय ने भी चिन्ता व्यक्त की थी । क्या आप दल के नेताओं की एक बैठक बुलायेंगे और इस मामले का समाधान करोगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने उसी दिन इसकी अनुमति नहीं दी ? कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा सुझाव है कि आप दल के नेताओं की एक बैठक बुलाइये और कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिसमें सारा सदन इस मामले पर अपना मत व्यक्त कर सके । यह ध्यानाकर्षण का मामला या राष्ट्रपति के अभिभाषण के वाद-विवाद का मामला नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप कुछ तो कहिये अध्यक्ष जी ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप दल के नेताओं की एक बैठक बुलाइये और इस मामले का समाधान कराइये । यदि यह सभा गुजरात के बारे में चिंतित नहीं है तो कौन है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले कह लें फिर मैं कह लूंगा । जब आप पूरा कह लेंगे तब मैं कहूँगा । देखिये ऐसी बात है कि बात की गम्भीरता को मेरे ख्याल में ध्यान में रखना चाहिये । अगर थोड़ा सा भी किसी के दिमाग में होश है तो यह देश की समस्या का समाधान निकलेगा ।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

और नहीं निकलेगा तो हम सब जो बैठे हैं निकालेंगे। आप हर एक बात उत्तेजना से करते हैं। मैंने जिस दिन, पहले दिन बिजनेस ऐड्वाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कस हुआ था, लीडर्स आफ दी ग्रुप्स और पार्टीज़ के लीडर्स थे सारे के सारे। हमने पहले दिन ही इसको अलाऊ किया था। अब भी मैं इसकी गम्भीरता को समझता हूं। इस बात को आज भी समझता हूं कि यह एक घातक कैंसर साबित हो सकता है, देश की सारी की सारी समस्या बिगाड़ सकता है। बापू के देश में, उसके अपने प्रदेश में एक ऐसी बात हो यह जंचने वाली नहीं है। आप जिस तरीके से इसको करना चाहते हैं, मैं चाहता था कि आप पूरा-पूरा अपना जोर इस बात पर देते और गवर्नमैंट भी रिप्लाई इस एड्रेस में आपको देती, उसके बाद कुछ बात रह जाती, आपका मन नहीं भरता तो मैं कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात कर लूंगा और हम एक रास्ता निकालेंगे तो सारी बात हो सकती है। (व्यवधान) इस तरह से आप करेंगे सारे के सारे तो इसका कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा। आपका भी मन उतना ही करता है, जितना उनका करता है, कौन चाहेगा कि देश में आग लगे ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चाहता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन चाहता है ? (व्यवधान) ऐसा मत करिये, सारे मिलकर इसका समाधान निकालेंगे, तो सारी बातें होंगी। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सरकार स्वयं क्यों नहीं करती है ?

अध्यक्ष महोदय : उस दिन मि. मकवाना यहीं थे, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। (व्यवधान) अब हम कल मीटिंग करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है।

श्री हरिकेश बहादुर : हम स्थगन प्रस्ताव या निन्दा प्रस्ताव चाहते हैं। इसी लिये हम इस पर दबाव देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, (व्यवधान) मैं खड़ा हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों खड़े हैं ? (व्यवधान) यह सारी बातें विचाराधीन हैं। मेरा चैम्बर आपका है, बात करिये सारे मेम्बर्स, पार्टी के लीडर्स कल मेरे पास आयेंगे, हम इसका समाधान निकालेंगे।

श्री राम विलास पासवान : हमने पहले दिन आपको कहा था कि इस पर कालिंग अटैंशन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : 377 लिया है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : 377 का कोई मोशन होता है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। आप मेरे पास आकर बात कीजिये। (व्यवधान) मैं खड़ा हूँ, फिर आप क्यों खड़े हैं ? (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : एडजार्नमैंट मोशन के मुकाबले में कालिंग अटैंशन कोई चीज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : एडजार्नमैंट मोशन नहीं हो सकता है। आप पढ़ें सारे रूल्स, आप मेरी जगह पर होते तो आप भी वही फैसला देते, जो मैं दे रहा हू। आप भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इसका समाधान निकालेंगे, आप मेरे पास आइये, हम कल देखेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसमें आने की क्या बात है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जवाब तो सुनिये कल।

एक माननीय सदस्य : वह जवाब कहां दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय . देंगे । (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : आज आप बयान निकलवा दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप बोल लेंगे तो जवाब देंगे । आप कुछ तो कहिये, बाकी रहेगा तो फिर देखेंगे । (व्यवधान) लीडर्स यहां हैं, समझते क्यों नहीं हैं सारे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्यों नहीं आज क्वेश्चन अवर के बाद बुला लेते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आज आप बोलिये, जो कुछ बोलना चाहते हैं और कल उनको जवाब देने दीजिये, फिर देखेंगे, कल हम बात करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : आज हमको मौका दीजिये बोलने का ।

अध्यक्ष महोदय : आज बोल तो रहे हैं, प्रेजीडेंट एड्रेस पर । (व्यवधान) किसे रोका, क्यों नहीं बोलते ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसको उसके साथ क्लब मत करिये, अध्यक्ष जी ।

अध्यक्ष महोदय : आप बात कह नहीं सकते, अपनी चलाते हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप डायरेक्ट कीजिये । (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं इसका निदान, आप सरकार से जवाब दिलवाइये ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे उठायेंगे, तभी तो जवाब देंगे ।

श्री रशीद मसूद : कोई तरीका छोड़ा नहीं गया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होना चाहिये । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आज आप बोलिये, फिर मैं आपसे बात करूंगा । (व्यवधान) आप इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते हैं ? आप इस तरह से करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं ? सारा समय इस तरह से बरबाद हो जाएगा । (व्यवधान) अब कोई प्रश्न नहीं ।

श्री रतन सिंह राजदा : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में एक स्थिति पैदा हो गई है । यह कहा जाता है कि श्री मकवाना तथा मुख्य मंत्री के बीच सबन्ध खराब होने के कारण वे एक दूसरे के शत्रु हैं । (व्यवधान) सरकार स्थिति को नियत्रण में ला सकती है । यदि प्रधान मत्री महोदय, इन दोनों मंत्रियों को जिनमें से एक केन्द्र में हैं तथा दूसरे मुख्य मंत्री हैं, को सारी गड़बड़ समाप्त करने के लिए एक साथ ला देती है, तो यह अच्छा होगा । हर रोज बहुत से युवक मारे जाते हैं । यह बहुत गंभीर मामला है । अध्यक्ष की हैसियत से वे अपने पद का प्रयोग कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को स्थिति नियत्रण में लाने के लिये कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने मेरी बात नहीं सुनी कि मैंने क्या कहा है । हम सब बैठेंगे और इस बारे में बात करेंगे । मैं चाहता हूँ कि आप इस समस्या को हाई लाइट करें । फिर मैं आपका समाधान करूंगा ।गवर्नमेंट की तरफ से कल जवाब दिया जायेगा । क्या गुजरात का जिक्र नहीं किया गया है ?

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री रतन सिंह राजदा : यह बहुत ही विचित्र स्थिति है। वहाँ पर हर रोज लोग मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा प्रश्न है कि गुजरात की स्थिति के सम्बन्ध में इस सभा में सर्व सम्मति होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिलकुल यही चाहता हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान्, राष्ट्रपति का अभिभाषण इस प्रकार का विषय है जिस पर सर्व सम्मति नहीं होगी। हमारे बीच में झगड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर भी होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नहीं श्रीमान्, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया है। विषय मुख्य मंत्री तथा गृह राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के बीच संघर्ष का है। सरकार ने कुछ पहल की है।

श्री रतन सिंह राजदा : उस स्थिति के कारण गुजरात में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है, और लोग मर रहे हैं और वहाँ वर्ग संघर्ष तथा जाति संघर्ष हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं।

श्री रतन सिंह राजदा : इस स्थिति का उपचार शुरू में किया जाना चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सरकार को इसमें अवश्य पहल करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप काम चलने दीजिए, हम बैठेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसलिये आप सर्व दलीय नेताओं की बैठक बुलाइये।

अध्यक्ष महोदय : कल मीटिंग हो रही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप आज मीटिंग बुलाइये। मेरी प्रार्थना है कि आप सर्व दलीय बैठक बुलाइये और मामले को सुलझाइये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाये। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय इस तरह से धींगा-मुश्ती से काम नहीं चलेगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बिल्कूल नहीं है कि विपक्ष असहयोग करने का प्रयास कर रहा हो। वास्तव में एक नियम है और यदि हम उस नियम का प्रयोग करते हैं तो आपको हमें समय देना पड़ेगा और यह अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का नियम है। पचास सदस्य इसे आपको दे रहे हैं। आपको हमें समय देना पड़ेगा। परन्तु हम सभा के कार्य को रोकना नहीं चाहते हैं। हम इसके लिये निश्चित समय चाहते हैं क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिस पर सम्पूर्ण देश यह जानना चाहता है कि ससद क्या सोच रही है और हम हरिजनों के संरक्षक हैं। इसलिए मैं इसे प्राथमिकता देना चाहता हू। मुझे मालूम है कि आप इस विषय पर चर्चा के लिए बड़े उत्सुक हैं।...

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है कि पहले आप इस पर बहस कर लीजिए। अगर बात नहीं बनती है तो मैं आपकी बात सुनूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आधे घटे से अधिक का समय बीत चुका है। (व्यवधान)

प्रो. मधुदण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ।

उन्होंने बड़ा रचनात्मक सुझाव दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि 12 बजे के बाद या अब आप वास्तव में सरकार को वक्तव्य देने के लिये निदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में गुजरात की स्थिति के बारे में बिलकुल भी कोई हवाला नहीं है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप सरकार से एक वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं। पिछले दिनों आपने ऐसा किया था। मैं स्वयं आपका पूर्वोदाहरण पेश कर रहा हूँ। आपने शासक दल से भी संवेदनशील विषयों पर भी वक्तव्य देने के लिए निदेश दे चुके हैं ताकि तनाव से छुटकारा मिल सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : परसों बैठे थे तो आपने करवाया था न ?

प्रो मधु दंडवते : मुझे अपना निवेदन आधा मिनट में पूरा कर लेने दें।

आपने स्वयं अभी कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसका सम्बन्ध सभा के पक्ष और विपक्ष दोनों से है। इसका सम्बन्ध सम्पूर्ण देश है। इसलिए आप शासक दल से गुजरात की स्थिति पर वक्तव्य देने के लिए, तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि तनाव समाप्त हो जाए कह सकते हैं। मैं मानता हूँ कि यदि ऐसा कर दिया जाता है तो विपक्ष के सदस्यों के बाद · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। मैंने बार-बार कहा है कि कल हम बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कर रहें है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चालीस मिनट जाया हो गये। (व्यवधान) आप मेरे पास आकर बातचीत् क्यों नहीं करते हैं ? (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय जब कभी गंभीर रेल दुर्घटना हुई तो रेल मंत्री ने स्वत: वक्तव्य दिया है। जब कभी विदेशी मामलों में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि हुई तो विदेश मंत्री ने स्वत: वक्तव्य दिया है। यह सभा के पक्ष व विपक्ष दोनों से संबंधित है. गृहमंत्री एक वक्तव्य दें जिसमें गुजरात की स्थिति को स्पष्ट करें और यह बतायें कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं कि तनाव समाप्त हो जाए। यदि यह हो जाता है तो तनाव समाप्त हो सकता है। (व्यवधान)

श्री भीष्म नारायण सिंह : मुझे गृहमंत्री से परामर्श करने दें। मैं आपको शून्यकाल में जानकारी दूंगा।

श्री डी. पी. यादव : कोयले को निकालना कहलगाँव स्थिति सुपर थर्मल पावर स्टेशन को कोयला सप्लाई करने से सम्बन्धित है। पिछले सप्ताह मंत्री महोदय ने कहा था कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन की तकनीकी आर्थिक समिक्षा का कार्य चार महीने बीतने पर भी पूरा नहीं हुआ है और चूंकि.कोयले की सप्लाई तकनीकी—आर्थिक समीक्षा से जुड़ी है, इसलिए मैं स्पष्टरूप से जानना चाहूंगा कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन की तकनीकी—आर्थिक समीक्षा कब तक पूरी होगी ताकि कोयले निकालने का काम कार्यक्रम के अनुसार चले।

श्री विक्रम महाजन : हमें आशा है कि कहलगांव पावर स्टेशन का पहला यूनिट 1986-87

तक चालू होकर काम करना शुरू कर देगा और बहुत जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। केवल अब सी. ई. ए. ने इसे स्वीकृति प्रदान करनी है। दो अथवा तीन महीनों के अंदर स्पष्ट काम हो जायेंगे।

श्री डी. पी. यादव : यह एक अस्पष्ट उत्तर है। मैं विशेषरूप से जानना चाहता हूँ कि तकनिकी—आर्थिक समीक्षा कब तक पूरी होगी।

श्री विक्रम महाजन : मैं निश्चित तिथि नहीं दे सकता। जब मैंने दो, तीन महीने कहा है तो इसका अर्थ बहुत जल्दी से है।

श्री डी. पी. यादव : चूंकि लालमटिया क्षेत्र के लिए बहुत मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी, एक या दो क्युसेक नहीं, बल्कि हजारों क्यूसेक, अतः सरकार ने नदी जल अथवा भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है और इस परियोजना के पानी उपलब्ध करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है ?

श्री विक्रम महाजन : जल समस्या की जांच की जा रही है और इसी कारण कुछ देर हुई है। अन्यथा इसके लिए अब तक स्वीकृति मिल जानी थी।

श्री डी. पी. यादव : जल समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है।

श्री विक्रम महाजन : इसकी जांच हो रही है।

श्री डी. पी. यादव : आपने लालमटिया क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है। जल समस्या को हल किये बिना, आपने कैसे काम शुरू कर दिया है।

श्री विक्रम महाजन : माननीय सदस्य को यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जब हम खान का काम शुरू करते हैं तो खान को चालू करने का असली काम तीन या चार वर्ष के बाद शुरू किया जाता है। हम समस्याओं का पता लगा रहे हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हम पता नहीं लगा सकते। मैं केवल इतना ही कहता हूं कि इसकी जांच की जा रही है और इसका पता लगाया जा रहा है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूँ कि बरौनी और मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन में रसमहल से कोयला सप्लाई होना है तो उस कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या इन्होंने रेल मंत्रालय से विचार-विमर्श किया है कि किस तरह से रेल की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि ललमटिया से कहलगांव और बरौनी मुजफ्फरपुर में कोयले की सप्लाई की जा सके ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूं कि कितने कोयले की सप्लाई की जाएगी ? (व्यवधान) बरौनी मुजफ्फरपुर में कितने कोयले की सप्लाई होगी और दूसरी बात यह कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा—यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री विक्रम महाजन : जहां तक राजमहल खानों का सम्बन्ध है, यहां की खानों मुख्यतः फरक्का तथा कहलगांव के लिए बनी हैं। जहाँ तक बरौनी का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न पूछें तो मैं सूचना दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, मंत्री जी के जवाब से ऐसा लगता है कि इस प्रश्न की गम्भीरता का उन्हें भान नहीं है। आप देखेंगे, इसीलिए उन्होंने कज्यूअल जवाब दिया है। लाल बटिया की तो बात की है, लेकिन प्रश्न के एक पार्ट में हुररों की बात कही गई है,

जिसके बारे में उन्होंने जिक्र तक नहीं किया है। अध्यक्ष जी, मैं इस संदर्भ में जानना चाहता हूं कि बिहार में कितनी बिजली की जरूरत है और क्या मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि उसको कितनी बिजली मिल पाता है ? बिहार एक ऐसा बदकिस्मत प्रदेश है, जहाँ पर प्रतिव्यक्ति कम से कम बिजली मिलती है। क्या मंत्री जी यह भी देखेंगे कि वहाँ के जो पावर प्रोजेक्ट्स हों, उसको प्रायोरिटी दी जाए और उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ?

श्री विक्रम महाजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने कहा ठीक है कि बिहार में बिजली का संकट है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि बिहार को ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए और यह उम्मीद की जा रही है कि अगले छः-सात सालों में बिहार की जो बिजली की प्रेजेंट कपैसिटी है, उसको थ्री-टाइम्स ज्यादा बढ़ाया जाए। यह जो डवेलपमेंट है, उसमें बिहार को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि कहलगांव थर्मल पावर के लिए किसानों से कुल कितनी जमीन अर्जित की गई है और क्या किसानों को जो मुआवजा मिलना था, वह पूरा का पूरा मिल गया है ? अगर मिला है, तो किस रेट में और अगर अभी तक बाकी है, तो सरकार पूरा चुकता कब तक कर देना चाहती है ?

श्री विक्रम महाजन : जहाँ तक कहलगांव पावर स्टेशन का ताल्लुक है, वहाँ अभी जमीन का एक्वोजिशन शुरू नहीं हुआ है। जहाँ तक राजमहल के माइन का सवाल है, वहाँ पर एक्वीजिशन शुरू हो गया है और सरकार को पालिसी है कि उनको मार्केट वैल्यू दी जाएगी और जिन जमींदारों या किसानों से हम जमीन एक्वायर करेंगे, कोशिश की जाएगी कि उनको कोल-माइन में नौकरी भी दी जाए।

भू-तापीय ऊर्जा पर आधारित तापीय विद्युत् केन्द्र की स्थापना

*102. **श्री दौलत राम सारण :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सोवियत रूस में स्टैवरोपोल क्षेत्र में भू-तापीय ऊर्जा की सहायता से 10,000 कि० वाट क्षमता वाले एक तापीय विद्युत् केन्द्र की स्थापना की जा रही है और टर्बाइन को चलाने के लिए 4-5 किलोमीटर की गहराई पर 170°-180° सेंटीग्रेड उच्च दाब वाली गर्म पानी की भाप का प्रयोग किया जाएगा।

(ख) क्या इस प्रकार का परीक्षण भारत में भी करने की कोई योजना है और क्या इसके लिए भारत में काफी क्षमता उपलब्ध है; और

(ग) विद्युत उत्पादन का किस पद्धति पर अनुसंधान किया जा रहा है ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, नहीं। सोवियत रूस में स्टैवरोपोल क्षेत्र में भू-तापीय परियोजना की स्थापना के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) भू-तापीय विद्युत क्षमता के वर्तमान मूल्यांकन को ध्यान में रखते

हुए भू-तापीय क्षमता का विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए पार्वती और पूगा घाटियों में दो पायलट अन्वेषण परियोजनायें इस देश में कार्यान्वित की जा रही हैं। पार्वती घाटी में भू-तापीय क्षमता के वर्तमान लक्षणों से, विद्युत शक्ति के उत्पादन हेतु क्षमता वहां दिखाई नहीं देती है क्योंकि भू-तापीय भाप में तापमान अपेक्षाकृत कम है। पूगा घाटी में किए जाने वाले अन्वेषण क्षमता का मूल्यांकन विश्वासनीय ढग से करने की स्थिति में नहीं पहुँचे हैं। तापीय ऊर्जा की संभावनाओं का पता लगाने और उसका विकास करने के लिये जो अनुसंधान और विकास कार्य किये जा रहे हैं उन्हें कोल्ड स्टोरेज संयत्रों और अन्य औद्योगिक उपयोगों जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए उष्मा ऊर्जा को उपयोग में लाने की दिशा में विकास करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भू-तापीय ऊर्जा के अन्वेषणों को ऐसे आशाजनक जल तापीय भण्डारों का पता लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, जिनमें विद्युत् उत्पादन के लिए भावी क्षमता हो।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष जी, मुझे आश्चर्य है कि मैंने अपने प्रश्न के "क" में पूछा है कि रूस में स्टैंवरोपोल क्षेत्र में भू-तापीय ऊर्जा के लिए एक बड़ा प्रोजैक्ट लगा रहे हैं, क्या इस संबंध मे सरकार को जानकारी है? यदि नहीं है, तो यह प्रश्न जाने के बाद जानकारी की जा सकती थी। लेकिन इन्होने इसका उत्तर न में दिया है। दूसरे पार्ट में मैंने पूछा है कि क्या इसके लिए भारत में काफी क्षमता उपलब्ध है? लेकिन उसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। तीसरे पार्ट "ग" में मैंने पूछा है कि विद्युत उत्पादन का किस पद्धति पर अनुसंधान किया जा रहा है? इस सम्बन्ध में भी थोड़ी सी बात कही गई है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत के अन्दर भू-तापीय विद्युत उत्पादन की विशेष क्षमता है, इसको क्या सरकार स्वीकार करती है? और इस सम्बन्ध में क्या जानकारी की गई है? जो दो परियोजनायें आपने प्रारम्भ की हैं उनमें आपने कहे दिया कि वहाँ क्षमता नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उन दो के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर क्या क्षमता है?

श्री विक्रम महाजन : मैंने जो जवाब दिया है, उसमें मैंने कहा है कि पार्वती और पूगा वैली, दोनों में इन्वैस्टीगेशन चले हुये हैं, लेकिन अभी तक हमें पार्वती वैली में कुछ नहीं मिला है, जिससे यह कहा जा सके, वहाँ पर बिजली पैदा हो सकती है। पूगा वैली और पार्वती वैली, जो कि कश्मीर में है, वहाँ पर अभी तक इन्वैस्टीगेशन जारी है, लेकिन अभी तक कोई कन्क्रीट रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। जहां तक बाकी एरियाज का ताल्लुक है, जी. एस. आई. और भी कई इलाकों में कोशिश कर रहा है जैसे ब्यास वैली हिमाचल प्रदेश में है, अलखनन्दा यू. पी. में है, सोना वैली हरियाणा में है और वेस्ट कोस्ट महाराष्ट्र में है। इन सब जगहों पर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए जिससे बिजली पैदा कर सकें लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक एविडेंस हमारे पास नहीं आई है।

श्री दौलत राम सारण : मैंने यह पूछा था कि विद्युत उत्पादन का किस पद्धति पर अनुसंधान किया जा रहा है, जिससे विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नई ऊर्जा उपलब्ध हो और किन-किन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य चालू हैं।

श्री विक्रम महाजन : जहाँ तक नई सोर्सेज आफ इनर्जी का ताल्लुक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि टाइडल वेव्ज से बिजली पैदा कर सकें, हम कोशिश कर रहे हैं कि बायो-गैस से बिजली और फ्यूल दोनों पैदा कर सकें लेकिन जहाँ तक अगले पाँच, सात सालों का सवाल है, हमें रिलाई

करना पड़ेगा पानी और कोयले पर बिजली पैदा करने के लिए। नये तौर पर हम जियो-थर्मल पावर और टाइडल पावर के लिए, द: हमने फ्रांस से बातचीत शुरू की है। सोलर इनर्जी का जहां तक सवाल है उसके लिए सोलर कमीशन भी बनाता जा रहा है।

श्री दौलत राम सारण : कोई नई खोज की है, मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।···(व्यवधान)···बिल्कुल नई खोज के बारे में मैंने प्रश्न पूछा है हाइडल पावर पहले से चालू है, तापीय बिजली पहले से चालू है। नई खोज के बारे में कोई जवाब नहीं दिया है।

श्री विक्रम महाजन : टाइडल पावर एक नई सोर्स है। बायो-गैस और सोलर इनर्जी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ये तीनों नई हैं लेकिन अगले पाँच, सात साल तक हमे हाइडल और थर्मल पावर पर निर्भर रहना पड़ेगा।

श्री वीरभद्र सिंह : कुछ विशेषज्ञों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पर्वती घाटी के मणिकरण क्षेत्र के गर्म जल झरनों में पूतायर्थ शक्ति से बिजली उत्पादन की सम्भवनाये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इसकी जांच करने के लिये कदम उठाये हैं।

श्री विक्रम महाजन : मैं अपने मूल उत्तर में कह चुका हूँ कि पार्वती घाटी में, हमने जाँच कर ली है; हम लगभग एक करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं लेकिन अभी तक ऐसे कोई सावूत नहीं मिले हैं जिससे पता चल सके कि वहाँ बिजली उत्पादन की सम्भावनायें ह।

श्री पी. नामग्याल : दो वर्ष पहले पूगा घाटी में पूतायार्थ बिजली के लिये जाँच की गयी थी और मेरी सूचना के अनुसार यह जाँच पूरी की गयी और विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रत्येक छेद से एक मेगावाट बिजली की सम्भावना है। लेकिन माननीय मंत्री कहते हैं कि जांच अब भी चल रही है। कौन सी बात ठीक है ?

श्री विक्रम महाजन : जहाँ तक लद्दाख, जम्मू-काश्मीर की पूगा घाटी का सम्बन्ध है, हम पहले ही 5 लाख रुपये व्यय कर चुके हैं और अब तक 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं। यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वाणिज्यिक आधार पर बिजली उत्पादन के लिये इसका उपयोग किया जा सकता है।

डालमिया समूह की कम्पनियों द्वारा कम्पनी कानूनों का उल्लंघन

***103. श्री एच. एन. गौडा :**

श्री के. लकप्पा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डालमिया समूह के स्वामित्व वाली अनेक कम्पनियाँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सांविधिक रूप से निर्धारित अवधि के भीतर तुलन-पत्र पेश करने के बारे में कम्पनी कानून विनियमों का उल्लंघन कर रही है और यदि हाँ, तो उक्त कम्पनियों के ब्यौरे क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस कम्पनी समूह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

(ख) तथा (ग) : मैं. उड़ीसा सीमेन्ट लिमिटेड के मामले में, 31-12-74 के वर्ष के तुलन पत्र के प्रस्तुत करने में देरी के लिए अतिरिक्त (अभिसंविदित) शुल्क लगाया गया था। शेष मामलों में देरिया सीमान्त थीं, अतः दोष मार्जित कर दिया गया।

विवरण

डालमिया समूह की 12 कम्पनियों ने सांविधिक अवधि के अन्दर अपने तुलन-पत्र प्रस्तुत करने के मामले में चुकें की। ब्यौरा नीचे प्रस्तुत हैं :—

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष	देय तारीख	प्रस्तुत करने की तारीख	देरी	की गई कार्यवाही
1.	रघु ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमैंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	30-6-74	16-12-74	19-12-74	3 दिन	दोष मार्जित
2.	पुनीत ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमैंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	30-6-74	16-12-74	19-12-74	3 दिन	दोष मार्जित
3.	अर्चना ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमैंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	30-6-74	16-12-74	19-12-74	3 दिन	दोष मार्जित
4.	अभिषेक ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमैंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	30-6-74	15-12-74	19-12-74	4 दिन	दोष मार्जित
5.	आभा ट्रेडिंग एण्ड इनवेंस्टमैंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	30-6-74	15-12-74	19-12-74	4 दिन	दोष मार्जित
6.	अनुराग ट्रेडिंग एण्ड इनवैस्टमैंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	30-6-74	1[illegible]-12-74	19-12-74	4 दिन	दोष मार्जित
7.	कविता ट्रेडिंग एण्ड इनवैस्टमैंट कम्पनी प्राइवेट लि.	30-6-74	15-12-74	19-12-74	4 दिन	दोष मार्जित
8.	उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड	31-12-74	31-7-75	30-10-76	लगभग 1 वर्ष 3 माह	60 रु. अतिरिक्त शुल्क दिया।
9.	उत्कल इनवैस्टमैंट लि.	30-6-75	27-1-76	1(-2-76	20 दिन	दोष मार्जित
10.	सोड़े इनवैस्टमैंट लि.	31-10-75	12-2-76	16-2-76	4 दिन	दोष मार्जित
11.	श्री रगम इनवैस्टमैंट कम्पनी लिमिटेड	30-9-76	30-4-77	30-5-77	1 माह	दोष मार्जित
12.	चिड़ावा इनवैस्टमैंट लि.	31-5-79	14-2-80	21-2-80	7 दिन	दोष मार्जित
		31-5-80	25-10-80	3-11-80	9 दिन	दोष मार्जित

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : विवरण के अनुसार एक कम्पनी ने वर्ष 1974 के दौरान केवल एक ही गलती की थी। क्या मैं यह समझू कि क्या 1974 के बाद हर कम्पनी के विरुद्ध कोई भी दोष का मामला नहीं है।

डालमियाँ जैन एयरवेज, एडवर्ड बवेन्तर्ज लिमिटेड और डालमियाँ सीमेंट फैक्टरी आदि आदि कुछ और कम्पनियां भी हैं। लेकिन विवरण में इनका कोई भी जिक्र नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये कम्पनियाँ नियमित रूप से तुलन पत्र भेज रही हैं। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री पी. शिव शंकर : माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि क्या 1974 के बाद कोई दोष के मामले नहीं हुये। जैसा कि विवरण से प्रतीत होता है कि क्रम संख्या 9 से 12 तक 4 मामलों में 1974 के बाद भी कानून का उल्लंघन हुआ है। ये उल्लंघन 1976, 1977 तथा 1980 में भी हुये हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि उल्लंघन केवल 1974 तक हुये हैं और उसके बाद कोई उल्लघन नहीं हुए। यहाँ प्रश्न निश्चित तिथि के बाद तुलन पत्र प्रस्तुत करने का है। जिस कम्पनी ने उल्लंघन किया है। उसका नाम विवरण की सूची में दिया गया है। जिन कम्पनियों का नाम नहीं है, उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या यह सच नहीं है कि जिन कम्पनियों का मैंने जिक्र किया है वे परिसमापन अधीन हैं। उन्होंने श्रमिकों की मंजूरी तक नहीं दी और उन्होंने सारे श्रमिक नौकरी से निकाल दिये हैं। अधिकारियों तथा सरकार की साठ-गाँठ से ये कम्पनियां चला रहे हैं और राशि का दुरुपयोग तथा गबन कर रहे हैं और उनके कारण कम्पनियों की सम्पत्तियों के मूल्य घटते जा रहे हैं लेकिन डालमियां की व्यक्तिगत सम्पत्ति में वृद्धि हो रही है। अतः आरोप यह है कि राशि के दुरुपयोग तथा गबन के कारण इन कम्पनियों का परिसमापन हुआ है। अतः मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या डालमियाँ के सारे कारोबार के बारे में क्या जांच की जाएगी ?

श्री पी. शिव शंकर : जी नहीं, वास्तव में, मैं इस सभा को सूचना देना चाहता हूँ कि हमने धारा 209क के अन्तर्गत डालमियाँ एजेन्सीज (प्राईवेट) लिमिटेड, हरि ब्रादर्स (प्राईवेट) लिमिटेड, हिंद सर्विस लिमिटेड, गोमान ब्रदर्स (कानपुर) प्राईवेट लिमिटेड, डालमियाँ सीमेंट भारत लिमिटेड और उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड, नामक छः कम्पनियों के विरुद्ध जाँच की है। यही कम्पनियाँ धारा 209क के अन्तर्गत आती हैं, जहां विभाग ने स्वयं निरीक्षण कार्य किया है। इन्होंने कहा है कि कुछ कम्पनियों का परिसमापन हो गया है। इसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। मैं यह नहीं जानता कि क्या उन्होंने अपनी इच्छा से परिसमापन किया है या इन्हें बंद करने के लिये वे न्यायालय में गये हैं। प्रश्न तुलन पत्र तक सीमित है। यदि ये इन कम्पनियों के परिसमापन सम्बन्धी विवरण चाहते हैं तो इन्हें एक पृथक प्रश्न की सूचना देनी पड़ेगी।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : तुलनपत्र लेने का क्या लाभ है यदि आप यह नहीं देखते कि इनका परिसमापन हो रहा है और इनकी सम्पत्ति तथा दायित्व क्या हैं ?

श्री गुलाम रसूल कोचक : माननीय मंत्री इस बात को मान गये हैं कि कम से कम एक मामले में गलती हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस दोष के मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री पी. शिव शकर : कौन सी कम्पनियाँ ?

श्री गुलाम रसूल कोचक : आप डालमियां कम्पनियों के दोषों के मामलों की चर्चा कर

रहे थे । हमारे विचार में इन कम्पनियों को घाटा हो रहा है । लेकिन जैसे कि आपने कहा, दोष का एक मामला हुआ है, तो मैं जानना चाहूँगा कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री पी. शिव शंकर : मुझे खेद है । मैंने विवरण दिया है । विवरण में यह स्पष्ट है कि 12 कम्पनियों के विरुद्ध कानून के अनुसार निश्चित समय पर तुलनपत्र प्रस्तुत न करने सम्बन्धी दोष के मामले हैं । मैंने कहा कि जहाँ तक 11 कम्पनियों का सम्बन्ध है, विलम्ब बहुत कम हुआ है । अतः कम्पनीज रजिस्ट्रार ने अनुभव किया कि चूंकि विलम्ब थोड़ा है, इसलिये इस विलम्ब को क्षमा किया जाये । जिस कम्पनी के मामले में विलम्ब एक वर्ष से अधिक था उस पर 60/- रुपये का अतिरिक्त दंड लगाया गया । मैंने यही कहा है, मैंने उत्तर में इसी स्थिति को स्पष्ट किया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति

*104. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री ए. टी. पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) राज्यों/संघ क्षेत्रों तथा केन्द्र द्वारा यह नीति अब तक कितनी क्रियान्वित की गई है;

(ग) उनके मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों को क्या मार्गदर्शी निर्देश दिए हैं; और

(घ) ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग और कमी को देखते हुए उनके मंत्रालय और राज्यों ने ऊर्जा नीति के अनुमोदन और स्वीकृति के बाद से क्या योजनाएँ और परियोजनायें आरंभ की हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) भारत सरकार की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

(1) ऊर्जा के परम्परागत स्वदेशी स्रोतों का तेजी से विकास करना ।

(2) ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों का विकास करना ।

(3) जहाँ तक संभव हो सके तेल का सीमित उपभोग करना ।

(4) ऊर्जा के उपभोग की कार्य कुशलता को बढ़ाकर ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा देना ।

सरकार की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के अनुरूप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग मंत्रिमण्डलीय ऊर्जा समिति द्वारा नियमित आधार पर की जाती है । प्रधान मंत्री इस समिति की अध्यक्ष हैं । इसकी सहायता के लिए सचिवों की एक समिति है । ऊर्जा के क्षेत्र से जो विभिन्न विभाग/मंत्रालय संबन्धित हैं उन्हें ऊर्जा नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गए हैं ।

ऊर्जा की भावी मांग को पूरा करने के लिए तथा ऊर्जा के नए स्रोतों के विकास के लिए

विशिष्ट कार्यक्रम तथा परियोजनायें छठी योजना के प्रस्तावों में शामिल कर ली गई हैं। हर प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। ये प्रस्ताव भारत सरकार के विभिन्न संबन्धित विभागों/मंत्रालयों के साथ तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तैयार किए गए हैं और इन प्रस्तावों का अनुमादन राष्ट्रीय विकास परिषद ने कर दिया है।

ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों से छठी योजना के प्रारंभ में प्राप्त उत्पादन स्तर और इसकी तुलना में छठी योजना के अन्त में प्रत्याशित स्तर नीचे की तालिका में दिये गये हैं :

	1979-80	1984-85
विद्युत (बिलियन यूनिट)	112	191
कोयला (मिलियन टन)	104	165
लिगनाइट (मिलियन टन)	3	8
कच्चा पैट्रोल (मिलियन टन)	11.8	21.6

इस निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से छठी योजना में विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिव्ययों की व्यवस्था की गई है। विद्युत विकास के मामले में परिव्यय के अधिकाँश भाग को राज्य सरकारों तथा राज्य बिजली बोर्डों के माध्यम से काम में लिया जाएगा। ऊर्जा से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए परिव्यय तालिका में दिए गए अनुसार हैं :

	करोड़ रुपये में
*विद्युत	19,265
ऊर्जा के नए नवीकरणीय स्रोत	100
पैट्रोलियम	4,300
कोयला	2,870

*इस परिव्यय में से 14,294 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में होगा तथा 247.00 करोड़ रुपये संघ राज्य क्षेत्रों में होगा।

केन्द्र के पास लम्बित उत्तर प्रदेश की बिजली योजनायें

*105. **श्री राम प्यारे पनिका :**

श्री चिरजी लाल शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र के पास लम्बित पड़ी हुई उत्तर प्रदेश की बिजली योजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) अब तक मंजूर की गई योजनाओं की संख्या क्या है;

(ग) लम्बित योजनाओं को मंजूरी न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) ये योजनायें कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित विद्युत परियोजनायें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं :

जल विद्युत	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
खारा	81
किशाऊ बांध बहुद्देश्यीय परियोजना	600
लोहारी नाग पाला	282
ताप विद्युत	
अनपारा "ख"	1000
अनपारा "ग"	1500
दोहरी घाट	420
रोसा	620
परीक्षा विस्तार	420
जवाहरपुर	630

उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई पाला मानेरी जल विद्युत परियोजना (3×47.5 मेगावाट) के लिए निवेश निर्णय की प्रतीक्षा है।

(ख) उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 3376 मेगावाट है। इसमें 2192 मेगावाट ताप विद्युत और 1184 मेगावाट जल विद्युत क्षमता शामिल है। अन्य स्वीकृत तथा निर्माणाधीन स्कीमें विवरण में दी गई हैं।

(ग) तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए पड़ी स्कीमों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

खारा जल विद्युत परियोजना तथा किशाऊ बांध बहुद्देशीय परियोजना

इस स्कीम में अंतर्राज्यीय पहलू निहित है जिनका अभी समाधान किया जाना है।

लोहारी नाग पाला : स्कीम की जाँच कर ली गई है तथा स्पष्टीकरणों की राज्य प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है।

अनपारा "ख"

अनपारा "ग"

जवाहरपुर

उपरोक्त तीन ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए अपेक्षित समय अवधि में कोयला लिंक अभी स्थापित नहीं हुए हैं।

दोहरी घाट

राज्य प्राधिकारियों से कुछ तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया गया है जिनकी प्रतीक्षा है।

रोसा

परीक्षा विस्तार

1988-89 की समय-अवधि में परीक्षा या रोसा में 210-1210 मेगावाट की दो यूनिटों के

लिए कोयले की उपलब्धता की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के प्राधिकारियों ने रोसा को उच्च प्राथमिकता देने की इच्छा जाहिर की है। राज्य प्राधिकारियों को कुछ स्पष्टीकरण भेजने के लिए अनुरोध किया है जिनकी प्रतीक्षा है।

(घ) जब अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान हो जाएगा, अपेक्षित समयावधि में कोयला लिंकेज स्थापित हो जायेंगे तथा अपेक्षित स्पष्टीकरण राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त हो जायेंगे तब ये परियोजनायें तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए तैयार हो जायेंगी।

विवरण

उत्तर प्रदेश में स्वीकृत तथा निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन स्कीमों की सूची

स्कीम का नाम	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अवधि के दौरान लाभ 1980-85 (मेगावाट)	अवधि के दौरान लाभ 1985-90 (मेगावाट)
1. ऋषिकेश हरिद्वार (ज. वि.)	144	72	—
2. यमुना-II (खादरी) (ज. वि.)	120	120	—
3. मानेरी-I (ज. वि.)	90	90	—
4. विष्णु प्रयाग (ज. वि.)	262	—	262
5. तेहरी (ज. वि.)	1000	—	500
6. मानेरी-II (ज. वि.)	156	—	156
7. ओबरा विस्तार (ता. वि.)	400	400	—
8. परीक्षा (ता. वि.)	220	220	—
9. अनपारा "क" (ता. वि.)	630	630	—
10. टांडा (ता. वि.)	440	440	—
11. ऊंचाहार (ता. वि.)	420	—	420
जोड़	3882	1972	13.8

दामोदर घाटी निगम में बिजली उत्पादन की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति

*106. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा दामोदर घाटी निगम में बिजली उत्पादन की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) क्या इस समिति ने एक प्रतिवेदन दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस समिति के निष्कर्ष लागू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से लिये गये विशेषज्ञों तथा ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल से लिए गए सलाहकारों सहित सलाहकारों से युक्त कई दल, दामोदर घाटी निगम के विद्युत केन्द्रों पर बिजली उत्पादन की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए समय-समय पर भेजे गए हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विशेषज्ञों के अभी हाल के दल को तथा ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल के विशेषज्ञों के एक अन्य दल को दोनों ही दलों को जून 1980 में भेजा गया था।

इन सभी दलों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। दामोदर घाटी निगम के विद्युत केन्द्रों के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के मुख्य कारणों को, (क) तकनीकी तथा (ख) श्रमिक और औद्योगिक संबंधों संबंधी समस्याओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

तकनीकी समस्याओं में बायलरों तथा ट्यूबों का लम्बी अवधि तक साफ न किया जाने, जल रसायन (वाटर केमिस्ट्री), इन्स्ट्रमेन्टेशन तथा नियंत्रण की ओर अपर्याप्त ध्यान दिये जाने, खनिज रहित पानी तथा कोल हैण्डलिंग सुविधायें अपर्याप्त उपलब्ध होने, भट्टी-प्रणाली में अधिक वायु-लीकेज, एच. पी. हीटरों का प्रचालन न होने से ताप विद्युत कार्य कुशलता घटिया होने, लो- न्डेंसर वैक्यूम तथा फुटकर पुर्जे उपलब्ध न होने का पता लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह माना गया था कि डब्ल्यू. टी. (जल ट्रीटमेंट) संयंत्र में वृद्धि करने, कोल हैंडलिंग सुविधाओं को बढ़ाने, शीतलन जल सप्लाई में सुधार करने और जल ट्रीटमेंट संयंत्र, प्रयं.गश लाम्रो तथा अन्य ग्राम लाइन इन्स्ट्रमेंट में सुधार करने तथा इनका ग्रेड उन्नत करने की आवश्यकता है।

गैर तकनीकी कारणों में, औद्योगिक संबन्धों तथा अनुशासन संबन्धी समस्याओं का पता लगाया है।

इन समितियों के निष्कर्षो को क्रियान्वित करने लिए प्रस्ताविक कदमों के रूप में दामोदर घाटी निगम की ताप विद्युत यूनिटों के संयन्त्र सुधार के लिये एक समयबद्ध कार्यवाई सबन्धी कार्यक्रम दामोदर घाटी निगम द्वारा तैयार किया गया है और इस समय क्रियान्वयनाधीन है। इन प्रयासों के परिणाम सामने आने शुरू हो गये हैं और यह आशा की जाती है कि इनसे निकट भविष्य में, ताप विद्युत केन्द्रों का उत्पादन दीर्घकालीन आधार पर बढ़ाकर 650 मेगावाट किया जा सकेगा। सयन्त्र और मशीनरी के पुन: स्थापन के लिए तथा कार्यान्वियन की जोरदार मानीटरिंग के लिए समयबद्ध कार्यवाही योजनाएं तैयार की गई हैं। अनुशासन में सुधार लाने तथा उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। शिकायतें दूर करने सम्बन्धी मशीनरी को क्रियाशील बनाया गया है तथा काफी सख्या में कल्याण सम्बन्धी उपाय भी आरंभ किए गए हैं।

प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों को गैस कनेक्शन का आवंटन

*108. **आचार्य भगवान देव :**

श्री सुभाष यादव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पिछले सत्र के दौरान यह आश्वासन दिया था कि प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों को गैस कनेक्शन देने का कार्य 1 जनवरी, 1981 से शुरू किया जाएगा;

कर्नाटक	7353
केरल	2757
तमिलनाडु	2786
जोड़	26018
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	3273
दामोदर घाटी निगम	4846
उड़ीसा	2788
पश्चिम बंगाल	5840
सिक्किम	24
जोड़	16771
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
जोड़ अखिल भारत	104952

उपाबन्ध-2

सकल ऊर्जा उत्पादन का श्रेणी-वार, राज्य वार ब्यौरा
1980-81 : अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981

क्रम सं.	राज्य/प्रणाली	उत्पादन की किस्म	विद्युत उत्पादन* (मिलियन यूनिट में) अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 तक
1	2	3	4
1.	**उत्तरी क्षेत्र जोड़**		25373
1.	भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड	जल विद्युत	4979
2.	ब्यास निर्माण बोर्ड	जल विद्युत	3361
3.	हिमाचल प्रदेश	जल विद्युत	193
4.	जम्मू और कश्मीर	ताप विद्युत	6
		जल विद्युत	601
		जोड़	607
5.	दिल्ली	ताप विद्युत	3054
6.	हरियाणा	ताप विद्युत	834
7.	पंजाब	ताप विद्युत	1218
		जल विद्युत	482
		जोड़	1700

1 2	3	4
8. राजस्थान	न्यूकलीय	953
	जल विद्युत	589
	जोड़	1542
9. उत्तर प्रदेश	ताप विद्युत	6266
	जल विद्युत	2837
	जोड़	9103
(II) पश्चिमी क्षेत्र जोड़		29258
1. गुजरात	ताप विद्युत	6819
	जल विद्युत	802
	जोड़	7621
2. मध्य प्रदेश	ताप विद्युत	5104
	जल विद्युत	249
	जोड़	5353
3. महाराष्ट्र	ताप विद्युत	9259
	न्यूक्लीय	1594
	न्यूक्लीय सहित ताप विद्युत	10853
	जल विद्युत	5431
	जोड़	16284
(III) दक्षिण क्षेत्र जोड़		24314
1. आंध्र प्रदेश	ताप विद्युत	2717
	जल विद्युत	3380
	जोड़	6097
2. कर्नाटक	जल विद्युत	5200
3. केरल	जल विद्युत	4370
4. तमिलनाडु	ताप विद्युत	4398
	जल विद्युत	4349
	जोड़	8747
(IV) पूर्वी क्षेत्र जोड़		12292
1. बिहार	ताप विद्युत	1726
	जल विद्युत	131
	जोड़	1857
2. दामोदर घाटी निगम	ताप विद्युत	3230
	जल विद्युत	311
	जोड़	3541

1	2	3	4
3. उड़ीसा		ताप विद्युत	605
		जल विद्युत	1803
		जोड़	2408
4. पश्चिम बगाल		ताप विद्युत	4450
		जल विद्युत	25
		जोड़	4475
5. सिक्किम		जल विद्युत	11
(V) उत्तर पूर्वी क्षेत्र जोड़			396
(VI) अखिल भारत		जोड़	92033

* इसमें शामिल जनवरी, 1981 के आंकड़े वास्तविक तथा निर्धारित उत्पादन पर आधारित हैं।

कोयले के मूल्य में वृद्धि करना

***111. श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयले के मूल्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : कोल इण्डिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड द्वारा उत्तपादित कोयले की औसत खान मुहाना कीमतें सरकार ने हाल ही में 14 फरवरी, 1981 से कमश: रु. 128-02 और रु. 136.85 प्रति टन निश्चित की हैं।

प्रसारण माध्यम के कार्यकरण के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत

***112. श्री रशीद मसूद :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय प्रसारण माध्यम के कार्यकरण में बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत समय-समय पर जारी किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रसारण माध्यमों में विकास को देखते हुए, क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय संचार नीति तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया है, जिससे कि इसकी भूमिका को ज्यादा लाभदायक बनाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसी कोई नीति तैयार करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) : जी, हाँ।

(ख) से (घ) : छठी योजना के दस्तावेज में हमारी संचार नीति के मूल तत्व शामिल हैं और सरकार के अधीन विभिन्न माध्यम एककों के लिए सापेक्ष प्राथमिकताओं और विस्तार के लक्ष्य निर्धारित हैं। इसके अलावा, इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन माध्यम एककों की नीतियों और कार्यक्रमों से संबधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर इस मंत्रालय को सलाह देने के लिए सरकार ने हाल ही में एक सलाहकार समिति का गठन किया है।

उर्वरकों में आत्म निर्भरता

*113 **श्री जी. वाई. कृष्णन** :

श्री सुभाष चन्द्र बोस : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों की माँग को पूरा करने के लिये भारत उर्वरकों के उत्पादन में आत्म-निर्भर है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया था कि भारत इस वर्ष उर्वरकों के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जायेगा;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(घ) प्रत्येक संयंत्र में कितनी वृद्धि की जानी है; और

(ङ) उर्वरकों की कितनी मात्रा का आयात किया जाता है और इसको किस प्रकार कम करने का विचार है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) : जी नहीं। नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेट उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन इस समय माँग को पूरा करने में अपर्याप्त है। पोटासिक उर्वरकों का देश में उत्पादन नहीं किया जाता।

(ख) : जी नहीं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) : कच्चे माल और सम्भरण सामग्री की सप्लाई में वृद्धि करके, संयत्र सुधार कार्यक्रमों और कठिनाइयों को दूर करने की योजनाओं द्वारा आन्तरिक बाधाओं को दूर करना और कैप्टिव (निजी) विद्युत जनन सुविधाओं की स्थापना द्वारा चालू संयंत्रों में उत्पादन को अधिकतम करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ङ) : वर्ष 1980-81 में लगभग 15.17 लाख टन नाइट्रोजन, 4.58 लाख टन पी$_2$ ओ$_5$ और 7.82 लाख टन पोटाश (के$_2$ ओ) उर्वरकों का आयात होने का अनुमान है।

छठी पचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं और पहले से ही हाथ में ली गई परियोजनाओं के कार्यान्वियन से नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटिक उर्वरकों की माँग और उत्पादन के बीच अन्तराल की प्रतिशतता में महत्वपूर्ण कमी होने की आशा है।

केरल के मुख्य मन्त्री को रेडियो पर बोलने की अनुमति न देने का कारण

*114. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री को राज्य सरकार की वर्षगाँठ के अवसर पर रेडियो पर बोलने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो मंत्रालय ने किन कारणों से मुख्य मन्त्री को बोलने की अनुमति नहीं दी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) : अनुमति न दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मुख्य मंत्रियों का प्रसारण के लिए सदा स्वागत है।

केरल के मुख्य मन्त्री ने केरल राज्य के जन संपर्क निदेशक के माध्यम से केन्द्र निदेशक, त्रिवेन्द्रम् से यह अनुरोध किया था कि वे 24-1-1981 को अपनी सरकार की वर्षगाँठ के अवसर पर प्रसारण करना चाहेंगे और इसके पश्चात् सप्ताह के दौरान उनके मन्त्रिमण्डल के 6 मन्त्री प्रसारण करेंगे। सामान्यतया: इस प्रकार के अनुरोधों को केन्द्रों के स्तर पर निपटाया जाता है। तथापि, इस अनुरोध, कि मुख्य मन्त्री के मन्त्रिमण्डल के छ: मन्त्री भी वर्षगाँठ के अवसर पर प्रसारण करेंगे, को देखते हुए मामले को मुख्यालय को भेजा गया। जबकि सामान्य प्रश्न विचाराधीन ही था, आकाशवाणी महानिदेशक से कहा गया कि वे मुख्य मन्त्री को यह सूचित करें कि प्रसारण करने के लिए उनका स्वागत है। दुर्भाग्य से ऐसा करने में कुछ विलम्ब हुआ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गई है कि इस प्रकार का विलम्ब फिर न हो। आकाशवाणी महानिदेशक ने भी आकाशवाणी के केन्द्रों को पहले के अपने ये अनुदेश दोहराए हैं कि मुख्य मन्त्रियों का प्रसारण के लिए सदा स्वागत है।

राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग का पुनर्गठन

*115. श्री चित्त बसु :

श्री बी बी देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) : राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग के पुनर्गठन पर सरकार विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की संभावना है।

अखबारी कागज के आयात में कमी

*116. श्री के. मालन्ना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष अप्रैल-नवम्बर के दौरान विदेशों से अखबारी कागज के आने में कमी हुई है;

(ख) क्या देश में अखबारी कागज की कमी के कारण कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के मूल्य बढ़ गये हैं और उनमें से कुछ ने पृष्ठों की संख्या में अत्याधिक कटौती कर दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी हाँ। मुख्य मिलों में हड़तालों और पोत लदान में परिणामी विलम्बों के कारण गत वर्ष अप्रैल और नवम्बर के बीच अखबारी कागज की वास्तविक आमद में कुछ कमी हुई थी। तथापि, समाचारपत्रों को उनका आवटन मिल गया है।

(ख) कुछ प्रमुख समाचार पत्रों ने हाल ही में अपना मूल्य बढ़ाया है किन्तु यह अखबारी कागज की कमी के कारण नहीं है। पृष्ठों की संख्या में अत्याधिक कटौती सरकार के ध्यान में नहीं आई है। 1976-77 से पिछले तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज प्राप्त करने वाले समाचार पत्रों की संख्या 865 से बढ़कर 2,000 से अधिक हो गई है। आयातित अखबारी कागज की हकदारी 1976-77 में 1.5 लाख मीट्रिक टन (लगभग 55 करोड़ रुपये) से बढ़कर 1980-81 मे 3.2 लाख मेट्रिक टन (लगभग 55 करोड़ रुए) हो गई है। राज्य व्यापार निगम को समाचार पत्रों की अखबारी कागज की आवश्यकता को पूर्णतया पूरा करने का भरोसा है।

(ग) जैसाकि पहले कहा गया है, समाचार पत्रों के मूल्य में वृद्धि अखबारी कागज की कमी के कारण नहीं की गई है, किन्तु जैसाकि समाचारपत्रों ने दावा किया है कि यह अन्य निर्माण लागतों के बढ़ जाने के कारण की गई है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विपक्षी सदस्यों के भाषणों में से केवल असंगत बातों को ही चुनकर प्रसारित किये जाने की प्रवृत्ति

*117. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के महानिदेशक ने विपक्षी दलों के सदस्यों के भाषणों में से केवल असगत बातों को ही चुन कर प्रसारित करने और इस तरह प्रसारण के प्रयोजन को पूरा हुआ मान लेने की प्रवृत्ति की निन्दा की थी (इण्डियन एक्सप्रेस, दिनांक 30 जनवरी, 1981) है; और

(ख) क्या मंत्रालय के दोनों मंत्रियों और आकाशवाणी के महानिदेशक ने भी दोनों समाचार माध्यमों को सोद्देश्यता के साथ और "सम्पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और यथार्थता से" कार्य करने तथा विपक्ष के दृष्टिकोण को विश्वासनीय ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जोर दिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी नहीं। प्रकाशित समाचार में आकाशवाणी महानिदेशक का न केवल गलत हवाला दिया गया था अपितु, उनका संदर्भ से बाहर भी हवाला दिया गया था। 30-1-81 के एक प्रेस रिलीज के माध्यम से एक सरकारी प्रवक्ता द्वारा सही स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

(ख) जी, हाँ। सरकार की यह घोषित नीति रही है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन

द्वारा समाचारों का प्रसारण निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और संतुलित होना चाहिए और उनके प्रसारणों में विपक्ष के दृष्टिकोणों सहित विपरीत दृष्टिकोण शामिल किए जाने चाहिए।

अल्कोहल की सप्लाई और उत्पादन

*118. डा. बसन्त कुमार पंडित : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अल्कोहल की सप्लाई और उत्पादन पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्ष 1981-82 के लिए विभिन्न उपयोगों हेतु अल्कोहल की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ग) अल्कोहल उत्पादन संबंधी कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और वर्ष 1981-82 में कितने अल्कोहल का उत्पादन होगा; और

(घ) देश में अल्कोहल के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं तथा उत्पादन सम्बन्धी क्या योजनायें बनाई गई हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सीरा बोर्ड ने यह अनुमान लगाया था कि चालू अल्कोहल वर्ष 1980-81 (दिसम्बर-नवम्बर) के दौरान 5716.79 लाख लिटर की अनुमानित माँग की तुलना में 4200 लाख लिटर अल्कोहल उपलब्ध होगा। 5716.79 लाख लिटर की माँग में से 2144.96 लाख लिटर पेय प्रयोजन के लिए, 3342.83 लाख लिटर औद्योगिक प्रयोग के लिए और 229 लाख लिटर अन्य प्रयोगों के लिए हैं।

(ग) कुल स्थापित क्षमता 7319 लाख लिटर है। अल्कोहल वर्ष 1980-81 (दिसम्बर-नवम्बर) के दौरान 4200 लाख लिटर का उत्पादन होने की आशा है। अल्कोहल वर्ष 1981-82 के लिए अभी से अनुमान लगाना सभव नहीं है।

(घ) अभी तक माँग को पूरा करने के लिये विद्यमान स्थापित क्षमता पर्याप्त है। स्थापित क्षमता का उपयोग आसवनियों को शीरे की उपलब्धता पर निर्भर करता है जो गन्ने के उत्पादन और उसकी पेराई पर निर्भर है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि (I) वे चीनी कारखानों द्वारा शीरे के भंडारण की उचित सुविधाएँ जुटायें जाने की व्यवस्था करें, और (II) चीनी उत्पादन के लिए खांडसारी शीरे के प्रयोग को प्रोत्साहन दें।

देश में गांवों का विद्युतीकरण

*119. श्री पी. के. कोडियन : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक, राज्यवार, कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) इस बारे में केन्द्र द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या देश में शेष गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) राज्य बिजली बोर्डों आदि से

प्राप्त अद्यतन प्रगति रिपोर्टों के अनुसार 30-11-1980 तक लगभग 2.60 लाख गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) योजना काल के प्रारम्भ से लेकर 1979-80 के अन्त तक ग्राम विद्युतीकरण पर किया गया कुल व्यय लगभग 2,600 करोड़ रुपये हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान कार्यक्रम की वित्त व्यवस्था करने के लिए 285.22 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त हुए, संदर्शी योजना संबंधी अनन्तिम प्रस्तावों के अनुसार दसवें दशक के मध्य तक देश के सभी गाँवों के विद्युतीकृत हो जाने की संभावना है जिसके लिए इस बीच की अवधि में 3,500 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय की आवश्यकता है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। हरियाणा, केरल और पंजाब राज्यों तथा चण्डीगढ़, दिल्ली और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने सभी गाँवों को विद्युतीकृत कर दिया है। तमिलनाडु राज्य ने 99% गाँव विद्युतीकृत कर लिए हैं।

जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम राज्यों और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक अपने संदर्शी योजना सम्बन्धी प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले भेजे गए अपने प्रस्तावों में संशोधन भी करना पड़ सकता है।

विवरण-1

विद्युतीकृत आबाद गाँव-1971 की जनगणना के अनुसार

क्र. सं.	राज्य	30-11-1980 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	30-11-1980 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गाँवों की प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17,250(*)	63.6
2.	असम	4,658	21.2
3.	बिहार	20,628 (ख)	30.5
4.	गुजरात	11,709	64.1
5.	हरियाणा	6,731	100.0
6.	हिमाचल प्रदेश	9,582	56.6
7.	जम्मू और कश्मीर	4,552(*)(क)	70.0
8.	कर्नाटक	16,468	61.4
9.	केरल	1,268	100.0
10.	मध्य प्रदेश	23,623	33.3
11.	महाराष्ट्र	26,422	73.8

12.	मणिपुर	322(ख)	16.5
13.	मेघालय	618(घ)	13.5
14.	नागालैंड	359	37.4
15.	उड़ीसा	17,510	37.3
16.	पंजाब	12,126(+)	100.0
17.	राजस्थान	14,421(*)	43.3
18.	सिक्किम	75(ग)	34.9
19.	तमिलनाडु	15,575	99.0
20.	त्रिपुरा	823	17.4
21.	उत्तर प्रदेश	40,159	35.7
22.	पश्चिम बंगाल	13,478	35.4
	जोड़ (राज्य)	2,58,357	45.2
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1,443	30.8
	जोड़ (अखिल-भारत)	2,59,800	45.1

(*) आंकड़े अनन्तिम हैं।

(+) 62 गांव गैर आबाद घोषित कर दिए गए हैं।

(क) 31-12-79 की स्थिति के अनुसार

(ख) 30-6-80 की स्थिति के अनुसार

(ग) 31-8-80 की स्थिति के अनुसार

(घ) 30-9-80 की स्थिति के अनुसार

विवरण-2

राज्य बिजली बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विस्तृत संदर्शी योजना प्रस्तावों के अनुसार निधियों की आवश्यकता, गांवों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का सम्भावित वर्ष दिखाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निधियों की आवश्यकता (करोड़ रुपए में)	100% गाँवों का विद्युतीकरण प्राप्त करने का सम्भावित वर्ष
1.	आंध्र प्रदेश	238.57	1985-86
2.	असम	177.69	1988-89(%)
3.	बिहार	497.00	1994-95

1	2	3	4
4.	गुजरात	107.00	1987-88(%)
5.	हिमाचल प्रदेश	46.90	1987-88
6.	कर्नाटक	95.55	1983-84(*)
7.	मध्य प्रदेश	655.43	1994-95(%)
8.	महाराष्ट्र	144.09	1984-85
9.	मणिपुर	12.76	1994-95
10.	मेघालय	46.22	1993-94(%)
11.	नागालैण्ड	21.14	1994-95(%)
12.	उड़ीसा	347.21	1994-95(%)
13.	राजस्थान	366.78	1988-89
14.	त्रिपुरा	35.26	1989-90(%)
15.	उत्तर प्रदेश	641.80	1984-85(*)
16.	पश्चिम बंगाल	142.96	1992-93(%)
	संघ राज्य क्षेत्र		
17.	गोवा, दमन और दिव	0.31	1983-84

(%)—संशोधित संदर्शी योजनाओं के अनुसार

(*)—इस समय संशोधित योजनायें तैयार करने में इन्होंने असमर्थता व्यक्त की है।

नोट:—कुछ राज्यों से संशोधित प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

तेल के उत्पादन और खोज के लिए नार्वे के साथ करार

*120. **श्री डी. पी. जादेजा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज और उसके उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने के लिए नार्वे के साथ कोई करार किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता

1001. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में विद्युत प्रजनन में वृद्धि करने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) गुजरात में वर्तमान प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 2221 मेगावाट है जिसमें 300 मेगावाट जल विद्युत तथा 1921

मेगावाट ताप विद्युत क्षमता शामिल है। 420 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाले तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र में राज्य का 50% हिस्सा है। राज्य में इस समय 1830 मेगावाट की कुल क्षमता की कई परियोजनायें निर्माणाधीन हैं।

गुजरात सरकार/गुजरात बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उनकी स्वीकृति के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन परियोजना प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति नीचे दी जाती है :

स्कीम	वर्तमान स्थिति
1. गांधी सागर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार-210 मेगावाट की तीसरी यूनिट	इन परियोजनाओं के लिए कोयले की उपलब्धता की अभी पुष्टि नहीं हुई है।
2. पेथापुर ताप विद्युत केन्द्र 110 मेगावाट का एक यूनिट	
3. सरदार सरोवर बहुद्देशीय अन्तर्राज्यीय परियोजना 6×75 मेगावाट—5×150 मेगावाट	यह परियोजना एक बहुद्देश्यीय परियोजना होने के कारण, सर्वप्रथम योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित की जानी है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियाँ केन्द्रीय जल आयोग को भेज दी गई हैं जो तकनीकी जाँच कार्य का समन्वय करता है।

इण्डिया सीमेंट्स लिमिटेड, मद्रास में रिक्त स्थान

1002 **श्री एन. डेनिस : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया सीमेंट्स लिमिटेड, मद्रास में चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक के पद अभी तक नहीं भरे गये हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई पहल की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) कम्पनी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, एक नवीन अध्यक्ष 18 फरवरी 1981 को नियुक्त किया गया था। अप्रैल 1980 से 17 फरवरी 1981 के मध्य, कोई नियमित अध्यक्ष नहीं था। एक अध्यक्ष, जो केवल एक अंश-कालिक निदेशक होता है, को नियुक्ति के लिये सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

कम्पनी ने श्री टी. एम. थामस की, सरकार के अनुमोदन के अधीन, 19 फरवरी 1981 से पांच वर्ष की अवधि के लिये, अपने प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। श्री थामस की नियुक्ति तथा उनके प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्य करने के, पारिश्रमिक के अनुमोदन के

प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन हैं। कम्पनी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 1 जनवरी 1980 से 18 फरवरी, 1981 तक के मध्य, कोई प्रबन्ध निदेशक नहीं था।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले में कोई पहल नहीं की गई है। वास्तव में, कम्पनी कानून के अन्तर्गत, इस बाबत कार्यवाही करना तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करना, कंपनियों का कार्य है।

खान मालिकों द्वारा बिना सोचे समझे कोयला निकाला जाना

1004. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान मालिकों द्वारा बिना सोचे समझे तथा गलत ढंग से कोयला निकाले जाने के कारण आसनसोल के आसपास असुरक्षित कालोनियों तथा इलाकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा सरकार का ध्यान इन तथ्यों की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) आसनसोल के निकट कुछ नगरों के नीचे पिछले 200 से भी अधिक वर्षों से भूमिगत खनन हो रहा है और सभी परित्यक्त खानों की दशा के बारे में सही स्थिति मालूम नहीं है। परित्यक्त खानों के ऊपर स्थित भवन और अन्य निर्माण आदि सुरक्षित नहीं समझे जाते हैं। यद्यपि ऐसे स्थानों पर अचानक धंसाव का संकट हो सकने की बात सब लोगों को मालूम है और पश्चिम बंगाल सरकार, खान सुरक्षा महानिदेशक तथा कोयला कंपनी ने इस संबंध में चेतावनी भी जारी की है फिर भी इन स्थानों में धरातल पर निर्माण कार्य लगातार चल रहा है।

(ख) जी, हाँ ?

(ग) खान सुरक्षा महानिदेशक इस सकट के प्रति सजग हैं और वह 1956 से ही धंसाव के खतरे की ओर स्थानीय प्राधिकारियों का ध्यान प्राधिकरण तथा ऐसे निर्माण कार्य का विनियमन करने के लिए प्राधिकरण स्थापित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस उद्देश्य से पश्चिम बंगाल असुरक्षित स्थानों में निर्माण पर प्रतिबन्ध अधिनियम, 1979 भी पारित किया है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. जहाँ कहीं संभव है वहाँ संबंधित स्थानों को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से रेत भराई का काम बढ़ा रही है।

कम्पनियों के खातों में विदेशी मुद्रा के ऋणों का दिखाया जाना

1005. **श्री चिन्तामणि जैन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब कंपनी को विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त होता है जिसका भुगतान उसके बराबर रुपयों में करना होता है तब विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तन को दिखाने की प्रक्रिया क्या होती है;

(ख) जब भारतीय रुपये की तुलना में विदेशी मुद्रा की दर में वृद्धि होती है तो क्या उसे तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि विवरण में हर वर्ष दिखाना होता है यद्यपि ऋण का भुगतान बाद में करना होता है; और

(ग) यदि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के तुलन-पत्र में विदेशी मुद्रा की दर में परिवर्तन को नहीं दिखाया जाता तो उसके लिए क्या दंड है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) तथा (ख) भारत के बाहर विदेश से 'निश्चित परिसम्पत्ति' प्राप्त करने के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों की गणना करने की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची (ii) के भाग (i) में 'निश्चित परिसम्पत्ति' शीर्षक के सम्मुख उल्लिखित अनुदेशों में सम्मिलित की गई है। इन अनुदेशों के अनुसार, इस प्रकार की परिसम्पत्ति को प्राप्त करने के पश्चात, जब किसी भी समय पर मुद्रा की दर में परिवर्तन होता है, जिसका परिणाम कम्पनी की देयता में बढ़ोत्तरी या कमी होती है और वह राशि जिसके द्वारा वर्षावधि में देयता में ऐसी बढ़ोत्तरी या कमी हुई हो, वह उसमें जोड़ी जायेगी या जैसा भी मामला हो, उसको लागत से कम किया जाए और इस प्रकार योग या कमी के पश्चात जो भी राशि बने, उसको निश्चित परिसम्पति की लागत मान लिया जायेगा।

(ग) अगर कम्पनी का तुलन पत्र उपरोक्तानुसार निश्चित परिसम्पत्तियों की लागत नहीं दिखलाता है तो वह अधिनियम की धारा 21 (1) के उपबन्धों के अनुरूप नहीं होगा अत: उप-धारा (7) में उल्लिखित दडनीय उपबन्धों की आकृष्ट करेगा, जिसमें छः माह का कारावास तक बढ़ाया जा सकता है या दंडराशि जो 1000 रु० तक हो सकती है या दोनों ही हो सकती हैं।

कटक दूरदर्शन के 'बेस प्रोडक्शन यूनिट' का पूरा किया जाना

1006. **श्री के. प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास, 1980 के दौरान कटक दूरदर्शन के 'बेस प्रोडक्शन यूनिट' को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव था;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या कटक दूरदर्शन के उपरोक्त प्रोडक्शन यूनिट को आदेशों पर शेष उपकरणों की प्राप्ति और स्थापना द्वारा सुदृढ़ किया गया है; और

(घ) कटक स्थित बेस प्रोडक्शन यूनिट के पूरा करने की संभावित तारीख का ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) से (ग) कटक का बेस प्रोडक्शन सेंटर पहले से ही पूरे उपकरणों के साथ काम कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"बल्क" औषधियों का निर्माण

1007. **श्री जी. एम. बनातवाला** :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एन्टी-बायोटिक्स विटामिन्स तथा बायोलाजिकल उत्पादों सहित अनेक बल्क औषधियों का निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन औषधियों का निर्माण करने का विचार है;

(ग) क्या इनका निर्माण सरकारी क्षेत्र में किया जाएगा और क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को भी इनके निर्माण में हिस्सा दिया जाएगा; और

(घ) सरकार को अनुमानतः कितना पूंजी निवेश करना पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औषध उद्योग से विभिन्न बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के लिए औद्योगिकी अनुमोदनों के प्रस्ताव लगातार प्राप्त हो रहे हैं और इन्हें समय बद्ध कार्यक्रमें के अनुसार निपटाया जाता है। सरकारी क्षेत्र के माध्यम से सरकार काफी बल्क औषधों का निर्माण कर रही है और वे छठी योजना के अन्तर्गत अपने कार्यकलाप को बढ़ाने का विचार रखते हैं।

(ख) और (ग) (i) सरकारी क्षेत्र (ii) भारतीय क्षेत्र और (iii) विदेशी कम्पनियों समेत सभी क्षेत्रों का लाइसेंस के लिए बल्क औषधों की विस्तृत सूची दिनांक 29 मार्च 1978 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत औषध नीति वक्तव्य के अनुबन्ध एक में संलग्न की गई थी।

(घ) औषधों और भेषजों पर कार्यकारी दल ने उक्त अवधि सरकारी क्षेत्र के लिए 160 करोड़ रुपये के निदेश का अनुमान लगाया है।

संवाददाता/कैमरामैन के प्रत्यय पत्र के लिए आवेदन

1008. **श्री डी. एस. ए. शिव प्रकाशम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान केन्द्रीय समाचार पत्र प्रत्यय पत्र समिति के पास संवाददाता/कैमरामैन के रूप में नियमित प्रत्यय पत्र प्राप्त करने के लिए आज तक कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है; और

(ख) कितने आवेदन पत्रों की सिफारिश की गई है और कितने रद्द कर दिए गए हैं तथा उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) 136.

(ख) 116 आवेदन-पत्रों की सिफारिश की गई थी और केवल एक को नामंजूर किया गया था। शेष 19 मामले प्रत्यायन सम्बन्धी नियमों के अनुरूप नहीं थे और इसलिए उनको केन्द्रीय प्रेम प्रत्यायन समिति के विचारार्थ रखने के बारे में कार्रवाई नहीं की गई। केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति द्वारा विचार किए जाने पर जिन आवेदकों की सिफारिश की गई/जिनको नामंजूर किया गया उनके नाम और जिन आवेदन पत्रों पर तकनीकी आधार पर केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति के विचारार्थ रखने के लिए कार्रवाई नहीं की गई, उनके बारे मे विस्तृत सूचना परिशिष्ट-1 और 2 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी. 1932/81]।

केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पन बिजली परियोजनाओं की संख्या

1009. **श्री रामचन्द्र रथ :**

श्री हरिहर सौरन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पन बिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने वर्ष 1980-81 के दौरान मंजूरी दी है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं की पूरी तरह जाँच कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब क्रियान्वित किया जाएगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी क्षमता कितनी होगी तथा उन पर कितना पूंजीगत परिव्यय होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) 1980-81 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गइ परियोजनाओं की संख्या दिखाने वाला विवरण सलग्न है। प्रतिष्ठापित क्षमता, पूंजीगत परिव्यय तथा इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा भी विवरण में दिया गया है।

विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई जल विद्युत स्कीमों की परियोजना रिपोर्टों की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञता प्राप्त निदेशालयों में जांच की जाती है। किसी परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने से पहले विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण किए जाते हैं।

विवरण

1980-81 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई जल विद्युत परियोजनायें।

क्रम सं०	स्कीम/राज्य का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	के. वि. प्रा. की स्वीकृति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
नई स्कीमें					
1.	पाला मानेरी उत्तर प्रदेश	3×47.5=142.5	12616	अगस्त, 80	परियोजना की योजना आयोग को सिफारिश कर दी गई है तथा योजना आयोग की निवेश संबन्धी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
2.	घाटा प्रभा (कर्नाटक)	2×16=32	1882	अगस्त, 80	—वही—
3.	अपर कोलाब विस्तार (उड़ीसा)	1×80=80	1861.73	दिसम्बर, 80	पर्यावरण की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
4.	हीराकुण्ड चरण-3(उड़ीसा)	1×37.5=37.5	1596.88	दिसम्बर, 80	—वही—

1	2	3	4	5	6
5.	घनसिरी (असम)	15×1.33=19.95	1053.39	दिसम्बर, 80	निवेश निर्णय के लिए स्कीम की योजना आयोग को सिफारिश की जा रही है।
6.	मुकेरियाँ (पंजाब)	6×15—+6× 19.5=207	11558	दिसम्बर, 80	के. वि. प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई है। तथापि यह स्कीम अन्तर्राज्यीय दृष्टि से अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, इस परियोजना का निर्माण पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है।
7.	लोअर मेत्तर (तमिलनाडु)	8×15=120	8360	मई, 80	स्कीम योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 80 में स्वीकृत कर दी गई है। परियोजना के सिविल कार्य चल रहे हैं।
संशोधित अनुमान					
1.	उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम (असम) द्वारा कोपीली	2×25+2×50= 150	11865.28	अगस्त, 80	ये स्कीमें निर्माणाधीन हैं तथा लागत के संशोधित अनुमानों के लिए के. वि. प्रा. की स्वीकृति दे दी गई है।
2.	केन्द्रीय क्षेत्र में बैरा स्यूल (हिमाचल प्रदेश)	3×60=180	12512	अगस्त 80	
3.	चक्र व्यपवर्तन (कर्नाटक)	—	6315	सितम्बर, 80	वही
4.	कोइल कारो (बिहार)	1×20+6× 115=710	39182.74	दिसम्बर, 80	सरकारी निवेश बोर्ड द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। निर्माण कार्य मंत्रिमण्डल की स्वीकृति मिलने के पश्चात आरंभ किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय में श्रम सम्बन्धी लम्बित मामले

1010. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में श्रम सम्बन्धी लम्बित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) इन लम्बित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तारीख 2-1-1981 को उच्चतम न्यायालय में श्रम सम्बन्धी लम्बित मामलों की संख्या 503 थी ।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने सूचित किया है कि औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित अपीलों की सुनवाई के लिए आवश्यकतानुसार एक बेंच गठित की जाती है ।

कम्पनियों के कार्यकारियों की परिलब्धियाँ

1011. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों के कार्यकारियों को परिलब्धियों तथा अन्य विशेष सुविधाओं के बारे में अब तक कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समय उक्त मामला विचार के किस चरण में है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) तथा (ख) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा उन प्राईवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध निदेशकों/पूर्ण-कालिक निदेशकों/प्रबन्धकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिये, कम्पनी अधिनियम की धारा 198/309/387 तथा 637 क के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होता है । तथापि, कंपनी कार्यकारियों के पारिश्रमिक के लिए केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होती, जब तक कि इस प्रकार के कार्यकारी इस अधिनियम की धारा 314 (1ख) के अर्थान्तर्गत नहीं आते हों । अधिनियम की धारा 314 (1ख) के अन्तर्गत आने वाले, व 3000 रुपए प्रतिमास या इससे अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कार्यकारियों के लिये, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक है ।

यह प्रश्न, कि क्या कम्पनी अधिनियम के सीमान्तर्गत कार्यकारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को भी लाने के लिए, इसे संशोधित किया जाना चाहिए, अभी सरकार के विचाराधीन है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रसारण

1012. **श्री हरिसर सोरन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हाँ, तो 1979-80 और 1980-81 के दौरान प्रसारित किए गए कार्यक्रमों की संख्या क्या है;

(ग) क्या इन परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रसारण देश के सभी रेडियो स्टेशनों से किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी : (क) जी हाँ।

(ख) : 1979 और 1980 के दौरान आकाशवाणी के केन्द्रों से प्रसारित कार्यक्रमों की संख्या इस प्रकार है : —

वर्ष	प्रसारित कार्यक्रमों की संख्या
1979	55,998
1980	62,000

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम देश के सभी रेडियो स्टेशनों से प्रसारित किए गए हैं।

(घ) आकाशवाणी के सभी केन्द्र परिवार नियोजन और कल्याण से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी के केन्द्रों में 22 पूर्णरूपेण परिवार कल्याण यूनिटें (हर एक में एक विस्तार अधिकारी, एक फील्ड रिपोर्टर और एक स्क्रिप्ट लेखक शामिल हैं।) इसके अलावा, आकाशवाणी के 14 केन्द्रों में परिवार कल्याण प्रसारणों से सम्बन्धित एक-एक फील्ड रिपोर्टर है।

प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में वार्ताएं, परिचर्चाएं, संगोष्ठियाँ, कथोपकथन, नेताओं तथा लाभान्वित व्यक्तियों से भेंट वार्ताएं, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, लघु कथाएं, नाटक. व्यंग रूपक, फीचर, परिवार-सीरियल, काव्य पाठ, आमंत्रित श्रोताओं के सम्मुख कार्यक्रम, न्यूजरीलें, रेडियो रिपोर्टें, नारे, स्पाट, झंकारें, स्क्रिप्ट और परम्परागत लोग रूप शामिल हैं।

मुर्शिदाबाद, मिदनापुर और आसनसोल टेलीविजन रिले-केन्द्रों की स्थिति

1013. **श्री सुधीर गिरि :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुर्शिदाबाद, मिदनापुर और आसनसोल टेलीविजन रिले-केन्द्रों की क्या स्थिति है;

(ख) इस कार्य के लिए अब तक केन्द्रवार कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) आसनसोल और मुर्शिदाबाद "योजना" अवधि 1980-85 के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्वीकृत परियोजनाएं हैं। इस "योजना" अवधि के दौरान मिदनापुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आसनसोल में दूरदर्शन रिले-केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थान कब्जे में ले लिया गया है और प्रेषण उपकरणों के लिए आर्डर दे दिये गए हैं। टावर आंकित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है और सिविल निर्माण कार्यों के लिए प्राक्कलन मंजूर कर दिये गए हैं।

मुर्शिदाबाद में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थान चुन लिया गया है। परियोजना सम्बन्धी मंजूरियों के बारे में कार्यवाई चल रही है।

(ख) अब तक केन्द्रवार हुआ कुल व्यय इस प्रकार है :—

आसनसोल	राशि (लाख रुपयों में)	
	3.03	1978-79
	12.66	1979-80
	11.83	1980-81 (प्रत्याशित)
	27.52	
मुर्शिदाबाद	शून्य	

(ग) आसनसोल : प्रत्याशित 1983-84

मुर्शिदाबाद : 1984-85

असम आन्दोलन के कारण तेल प्रतिष्ठानों को हुई क्षति

1014. **श्री सतोष मोहन देव** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्दोलन के कारए असम में तेल शोधक कारखानों, पाइपलाइनों और अन्य पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों को कितनी क्षति हुई है; और

(ख) इन प्रतिष्ठानों को और आगे क्षति से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्थिति संलग्न विवरए में दी गई है।

(ख) : राज्य सरकार की परामर्श से सभी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं।

विवरण

इण्डियन आयल कारपोरेशन, बोगईगांव रिफाइन्रीज एवं पेट्टोकेमिकल्स लि., तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लि. जिससे पेट्रोलियम विभाग सम्बन्धित है और एक निजी कम्पनी अर्थात् असम आयल कम्पनी असम में काम कर रही है। कम्पनी वार सूचना निम्न प्रकार है —

(1) इण्डियन आयल कारपोरेशन : असम आन्दोलन के कारए गोहाटी और बरौनी शोधनशालाओं, गोहाटी-सिलीगुरी पाइपलाइन और अन्य पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

(2) **बोगईगांव रिफाइन्रीज एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** : असम में बोगईगांव शोधनशाला को कोई अधिक क्षति नहीं पहुँची है। तथापि प्रणाली को प्रयोग में न लाने से फजूल का जंग लग गया था। इसकी मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

(3) **तेल एव प्राकृतिक गैस श्रायोग :** असम में आन्दोलन के फलस्वरूप ओ. एन. जी सी की किसी पाइपलाइन अथवा तेल क्षेत्र के प्रतिष्ठान को कोई क्षति नहीं पहुँची है । तथापि कुओं के लम्बे अरसे से बंद रहने के कारण कुछ कुएं जो पहले जल की उच्च प्रतिशतता से प्रवाह दे रहे थे, बद हो गये होंगे, कुछ कुओं की टयूबें मोम के जमा हो जाने से बंद हो गई होंगी और दुबारा खुल जाने पर अपना प्रवाह न दे पायें । ऐसी प्रभावी कुओं की वास्तविक संख्या का पता स्थिति के सामान्य हो जाने पर तथा कुओं के प्रवाह लक्षणों के माप करने के लिए कुओं के खुल जाने पर ही लग सकेगा । इस प्रकार जलाशयों की असामान निकासी के कारण तेल की अन्तिम प्राप्ति पर बुरा प्रभाव हो सकता है ।

(4) **असम आयल कम्पनी :** शोधनशाला को अचानक विद्युत की खराबी के कारण बंद होने तथा तेल प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में क्षति का सही मूल्यांकन करना इस सम्बन्ध में प्रयोग करने में निरन्तर रुकावटों को ध्यान में रखते हुए, व्यवहार्य नहीं है ।

(5) **आयल इण्डिया लिमिटेड :** जलाशयों और प्रवाह देने वाले कुओं को हुई क्षति की मात्रा तथा मूल्य सम्बन्धी उपयुक्त अनुमान तभी दिया जा सकता है जबकि इन तेल क्षेत्रों में निर्धारित उत्पादन शुरू हो जायेगा । परन्तु यह संदेह है कि 13 फरवरी 1981 की प्रात: काल को एक विस्फोट के होने के कारण नवगांव जिले में 3 मीटर की पाइपलाइन को क्षति पहुँची थी । लगभग 12 घंटे में ही पाइपलाइन द्वारा कच्चे तेल का प्रवाह दुबारा शुरू हो गया था । सुरक्षा सम्बन्धी उपाय और कडे किये गये हैं ।

पजाब में बिजली की गंभीर कमी से प्रभावित हुए उद्योग ।

1015. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पजाब में बिजली की गंभीर कमी से उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या हाल की वर्षा से भाखड़ा—गोविन्द सागर बांध के जल स्तर में वृद्धि हुई है; और

(ग) पंजाब में उद्योगों को बिजली की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने और उनके बंद होने अथवा उत्पादन में कमी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मत्री श्री विक्रम महाजन : (क) पंजाब में विद्युत की कमी है जिसका उद्योगों पर कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ा हैं । तथापि, चीनी मिलों, वनस्पति मिलों, डिलेक्टलरी तथा ब्रुअरीज, दुग्ध संयत्रों तथा दुग्ध संसाधन संयंत्रों जैसे अनिवार्य उद्योगों को बिना किसी प्रतिबन्ध के विद्युत सप्लाई की गई । सतत् प्रक्रियावाले उद्योगों को भी उनकी आवश्यकता के अनुसार विद्युत की सप्लाई की गई ताकि प्रक्रिया अधीन कच्ची सामग्री को तथा इन औद्योगिक यूनिटों द्वारा प्रतिष्ठापित किये गये उपस्कर को क्षति न पहुँचे । सामान्य उद्योगों को भी विद्युत की सप्लाई इस रूप से की गई कि प्रभावी विद्युत कटौती/नियत्रण के होते हुए भी कम-से-कम एक पारी चलाई जा सके । सदैव ही 8 घंटे से अधिक सप्लाई देने के प्रयत्न किए गये ।

(ख) : जी नहीं ।

(ग) : राज्य में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(1) भटिंडा, ताप विद्युत केन्द्र से उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(2) नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना।

जीवन-रक्षक औषधियों की कमी

1016. श्री मनमोहन टुडु :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री धर्मवीर सिंह :

श्री राम चन्द्र रथ : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जीवन-रक्षक औषधियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी औषधियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) ऐसी औषधियों का पर्याप्त स्टाक रखने के लिये सरकार का विस्तृत कार्यक्रम क्या है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं। कुछ विशिष्ट ब्राण्डों की कमी के बारे में अलग-अलग स्थानों से समय-समय पर रिपोर्ट मिली है। तथापि इनमें से अधिकाँश मामलों में उन्हीं के समान दूसरे ब्राण्ड उपलब्ध हैं।

(ख) जब किसी विशिष्ट मामले में उत्पादन की कठिनाई के बारे में सरकार का ध्यान दिलाया जाता है तो सरकार उनमें सुधार करने के लिये हर सम्भव उपाय अपनाती है। सरकार ने कुछ जीवन-रक्षक बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों में भी संशोधन कर दिया है ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके। औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र/कारोबार जारी रखने का लाइसेंस दिये जाने के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों को भी शीघ्र निपटाया जाता है उदाहरणार्थ इस वर्ष 55 औद्योगिक लाइसेंस, 69 आशय पत्र और 3 सी. ओ. बी. लाइसेंस जारी किये गये हैं।

(ग) सरकार स्वदेशी उत्पादन को पूरा करने के लिये सरणीबद्ध बल्क औषधों के आयात की भी व्यवस्था करती है।

दण्ड कारण्य परियोजना में कर्मचारियों को नियमित करना

1017. श्री समर मुखर्जी : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दण्ड कारण्य परियोजना में इस समय (एक) 1 दिन से 1 वर्ष तक (दो) एक से दो वर्ष तक (3) तीन से चार वर्ष तक (4) पाँच से सात वर्ष तक (5) सात वर्ष से अधिक की अवधि तक से कुल कितने-कितने कर्मचारी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं और क्या उन्हें उनकी नियुक्ति की तारीख से नियमित नहीं किया जा रहा है, जब कि वे अन्यथा अस्थायी सरकारी कर्मचारी हैं और उन पर सी. सी. एस. (टी. एस.) नियम, 1965 लागू होते हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : 110, जिनका ब्यौरा निम्न है :

(1) 74

(2) 26

(3) 8
(4) शून्य
(5) 2

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए 60 कर्मचारियों को छोड़कर, शेष सभी निम्न ग्रेडों में नियमित पदों पर हैं।

अशोधित तेल की मौके पर खरीद

1018. **श्री एम. वी. चन्द्र शेखर मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उत्पादक देशों के साथ समझौते को अन्तिम रूप दिए जाने तक भारत अशोधित तेल की मौके पर खरीद करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या जनवरी, 1981 में अशोधित तेल की मौके पर खरीद के मूल्य कम थे; और

(ग) यदि हां, तो जनवरी, 1981 में भारत द्वारा मौके पर कितना तेल खरीदा गया था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हम खनिज तेल की मौके पर खरीद केवल उपलब्धता में अस्थाई कमी को पूरा करने के लिए करते हैं।

(ख) कुछ बाजार पत्रिकाओं ने जनवरी, 1·81 के दौरान मौके पर खनिज तेल की खरीद के मूल्यों में कमी के बारे में खबर दी है।

(ग) हमने कुछ खनिज तेल की खरीद की है, परन्तु पूरा विवरण देना जनहित में न होगा।

दामोदर घाटी निगम की बिजली की औसत दैनिक उत्पादन क्षमता

1019 **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष दामोदर घाटी निगम की बिजली की औसत दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ख) दामोदर घाटी निगम ने गत वर्ष प्रतिदिन औसतन कितनी बिजली का उत्पादन किया;

(ग) दामोदर घाटी निगम से गत पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के लिए बिजली का औसत दैनिक कोटा कितना था; और

(घ) गत वर्ष दामोदर घाटी निगम ने पश्चिम बगाल राज्य बिजली बोर्ड को प्रतिदिन औसतन कितनी बिजली सप्लाई की ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान दामोदर घाटी निगम में प्रतिष्ठापित क्षमता 1361.5 मेगावाट थी, जिसमें 1257.5 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता थी तथा 104 मेगावाट जल विद्युत क्षमता थी।

(ख) अप्रैल 1979 से मार्च 1980 तक दैनिक औसत विद्युत उत्पादन 12.62 मिलियन यूनिट था।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के साथ दामोदर घाटी निगम का अधिकतम संविदात्मक दायित्व 87 एम. वी. ए. है ।

(घ) अप्रैल, 1979 से मार्च, 1980 तक दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को विद्युत की दैनिक औसत सप्लाई 1.04 मिलियन यूनिट थी ।

मद्रास फर्टिलाइजर्स का विस्तार कार्यक्रम

1020. **श्री माधव राव सिंधिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1981 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार क्या मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम. एफ. एल.) के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत का विस्तार-कार्यक्रम, उक्त कारखाने में एक अल्प संख्यक शेयर होल्डर अमरीका स्थित एक तेल कम्पनी द्वार वस्तुत: "वीटो" कर दिये जाने के कारण खटाई में पड़ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) विवादों को हल करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गये हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के विस्तार का कोई कार्यक्रम नहीं है । दिनांक 1 जनवरी, 1981 के इकोनोमिक टाइम्स में दी गई सूचना का सम्बन्ध पारादीप, उड़ीसा में प्रस्तावित फास्फेटिक उर्वरक परियोजना से है । इस सम्बन्ध में मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और निवेश निर्णय के लिये सरकार द्वारा रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है । परियोजना क्षेत्र इसकी लागत और इसको कार्यान्वित करने वाली एजेंसी आदि के विषय में पक्की जानकारी, सरकार द्वारा निवेश निर्णय लिये जाने के पश्चात उपलब्ध होगी ।

ठेकेदार के श्रमिकों के आन्दोलन के कारण संथालदीह से बिजली उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना

1021. **श्री ए. के. राय : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जनवरी, 1981 से ठेकेदार के श्रमिकों के आन्दोलन की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप संथालदीह से बिजली उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि यह आन्दोलन ठेकेदार-श्रमिक संयुक्त संग्राम समिति और संथालदीह ताप बिजलीघर के प्रबन्धकों के बीच दिनांक 7 जुलाई, 1980 के एक करार को कार्यान्वित न करने के कारण था; यदि हाँ, तो इस करार का मूल पाठ क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस आन्दोलन से बिजली की सप्लाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

फिल्म समारोह के दौरान आयोजित फिल्मों के प्रदर्शनों का रद्द किया जाना

1022. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोगों और आठवें अन्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह के प्रतिनिधियों के लिए विज्ञान भवन और अन्य सिनेमाघरों में आयोजित बहुत प्रदर्शनों को रद्द कर दिया गया था;

(ख) क्या फिल्म समारोह के निदेशक ने सिनेमाघरों/विज्ञान भवन को खाली करवाने के लिए पुलिस बुलाए जाने की धमकी दी थी;

(ग) क्या इन प्रदर्शनों को देखने वाले प्रतिनिधियों ने वहाँ पर उपस्थित मंत्री महोदय से इसके बारे में विरोध किया था;

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) फिल्म समारोह के निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) जी, नहीं। शीला पर 7-1-81 को एक फिल्म के केवल तीन शो को तथा अर्चना पर 9-1-81 को एक फिल्म के एक शो को छोड़ देना पड़ा था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उन प्रतिनिधियों और पत्रकारों, जो विज्ञान भवन में 7-1-81 को सायं 6.30 बजे के शो की फिल्म देखना चाहते थे, की सख्या उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक हो गई थी। इससे कुछ भ्रांति हो गई। कुछ प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया और फिल्म के प्रदर्शन में कुछ समय के लिए बाधा पड़ी। अतः उसी फिल्म का अगले दिन प्रातः विशेष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इससे समस्या का सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के संतोष के अनुसार समाधान हो गया। तब फिल्म को पूरा दिखाया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पुणे से आये छात्रों को विज्ञान भवन में से बाहर निकाला जाना

1023. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म इन्स्टीट्यूट, पुणे के छात्रों को नई दिल्ली में आठवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उनको विज्ञान भवन में फिल्म शो से बाहर निकाल दिया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कुप्रबंध के लिए समारोह के निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) फिल्म संस्थान, पुणे के छात्रों और कर्मचारियों को भारत के आठवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान फिल्में देखने की सुविधाएं दी गई थी;

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रतिनिधियों और पत्रकारों सहित इन छात्रों के लिये सीटों की व्यवस्था 'पहले आवे सो पहले पावे' के आधार पर की गई थी। उनमें से कुछ व्यक्ति 7-1-8 को सायं 6.30 बजे के शो में सीटें प्राप्त नहीं कर पाये, क्योंकि फिल्म प्रतिनिधियों, फिल्म आलोचकों और फिल्म छात्रों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक व्यक्ति फिल्म देखने आ गए थे। उसी फिल्म का विशेष शो अगले दिन प्रातः विज्ञान भवन में आयोजित किया गया जहां फिल्म प्रतिनिधियों और पत्रकारों सहित छात्रों ने फिल्म को देखा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चन्द्रपुर महाराष्ट्र में सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना

1024. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना करने की योजना पर स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आएगी, इसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी और उक्त संयंत्र में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ऊर्जा मंत्री, महाराष्ट्र में चन्द्रपुर में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए, सिद्धांत रूप में सहमत हो गए हैं बशर्ते कोयला विकसित किए जाने योग्य हो और इस प्रकार के केन्द्र के लिए उपलब्ध हो। कोयले की उपलब्धता के संबन्ध में अध्ययन किए जा रहे हैं।

कोयले की खानों के मुहानों के निकट लघु तापीय विद्युत केन्द्र

1025 **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

श्री कमल नाथ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कोयला-खानों के मुहानों के निकट लघु तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) अर्थ व्यवस्था के हित में जहां कोयला पिट हैडों के समीप वृहत् ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना को सामान्यतः प्राथमिकता दी जाती है वहां सघन-भार वाले क्षेत्रों में तथा प्रणाली की स्थिरता जैसी अन्य तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार, लघु ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना की सम्भाव्यता से इंकार नहीं किया जा सकता।

एरोमेटिक समूह की स्थापना करना

1026. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित एरोमेटिक समूह की नवीनतम स्थिति क्या है और इसकी अनुमानतः लागत कितनी है;

(ख) क्या इसके स्थान का अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया गया है; यदि हाँ, तो कहाँ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) एरोमेटिक्स के उत्पादन हेतु संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थल चयन समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, जिसके प्राप्त होने पर लागत अनुमानों आदि को तैयार किया जाएगा ।

गिरीडीह, बिहार में इस्पात ग्रेड के कोयले का गैर-कानूनी खनन

1027. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए. आई. टी. यू. सी. से सम्बद्ध तथा अन्य यूनियनों ने बिहार में गिरीडीह में इस्पात ग्रेड कोयले के गैर-कानूनी खनन के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त गैर-कानूनी खनन कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों की सांठगांठ और अवप्रेरणा से किया जाता है; और

(ग) बिहार तथा देश के अन्य भागों में किस प्रकार का तथा किस सीमा तक गैर-कानूनी खनन होता है और उसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सबद्ध यूनियनों और अन्य यूनियनों से गिरीडीह इलाके में गैर-कानूनी खनन के बारे में अथवा कोल इण्डिया लिमिटेड के अधिकारियों की सांठ-गाँठ और मिली भगत से गैर कानूनी खनन के बारे में कोई आरोप नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ग) सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिनांक 11-4-1980 और 7-5-1980 के निर्णय द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 1976 की व्यवस्थाओं को पहले ही वैध घोषित कर दिया है । इन व्यवस्थाओं के द्वारा अधिनियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को भारत में किसी भी रूप में कोयले का खनन करने से मना कर दिया गया है और लोहा और इस्पात के उत्पादन में लगी कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी गैर सरकारी कंपनियों को कोयला निकालने या कोयले के खनन के संबन्ध में दिये गये सारे पट्टे समाप्त कर दिये गये हैं । इन निर्णयों के बाद—कोयले के गैर-कानूनी खनन की शरारत एक बड़ी सीमा तक रोक दी गई है । फिर भी कुछ लोग कभी कभी इन कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और कोयले का गैर कानूनी खनन करते हैं । जब कभी इन अपराधों का पता चलता है तो कोयला कंपनियाँ और राज्य सरकारें गैर कानूनी खनन रोकने और दंड देने की कार्रवाई करती है ।

पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के एजेन्टों की नियुक्ति

1028. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार तेल निगमों ने एजेंटों की नियुक्ति हेतु हाल ही में पेट्रोल, डीजल तथा एल. पी. जी. की कितनी एजेंसियों के लिए विज्ञापन दिया था;

(ख) कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और क्या साक्षात्कार हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितने उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पिछले कुछ महीनों में सम्बद्ध तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापित की गई रिटेल आउटलेट डीलरशिपों (पेट्रोल डीजल पम्पों) तथा तरल पेट्रोलियम गैस एजेंसियों की संख्या क्रमश: 345 तथा 234 है ।

(ख) एवं (ग) साक्षात्कार अभी पूरे किये जाने हैं। प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा साक्षात्कार किये गए उम्मीदवारों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

लोक सभा के रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन

1029. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
स्वामी इन्द्रवेश :
श्री राम विलास पासवान :
श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा में अनेक स्थान रिक्त पड़े हैं;

(क) यदि हां, तो लोक सभा के कौन-कौन से निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान रिक्त पड़े हैं और कब से रिक्त पड़े हैं तथा उनके लिए निर्वाचन न करवाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इन रिक्त स्थानों को कब तक भरने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) (असम राज्य के मामले में छोड़कर) उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहाँ आकस्मिक रिक्तियाँ हैं, निर्वाचक नामावलियाँ पुनरीक्षित की जा रही हैं। यह पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार तारीख 1 जनवरी, 1981 की अर्हता की तारीख मानकर किया जा रहा है। उपनिर्वाचन कराने का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तब तय करेगा जब निर्वाचक नामावलियाँ अंतिम रूप से प्रकाशित हो जाएँगी।

विवरण

लोक सभा में रिक्त स्थानों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या और उसका नाम	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	रिक्त होने की तारीख और उसका कारण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	असम	12	3-स्वशासी जिला (अ. ज. जा.)	10-1-1980	सरकारी कर्मचारियों के असहयोग के कारण मतदान कर्त्तव्यों पर कर्मचारियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण निर्वाचन नहीं कराया जा सका।

1	2	3	4	5	6
			6-बारपेटा	10-1-80	विधिमान्य रूप से नाम निर्देशित सभी अभ्यार्थियों ने अपनी अभ्यार्थिता वापस ले ली और इस प्रकार निर्वाचन के लिए कोई भी अभ्यार्थी नहीं रहा।
			4-धुब्री 5-कोक्राझाड़ (अ. ज. जा.) 7-गोहाटी 8-मंगलदाई 9-तेजपुर 10-नौगोंग 11-कलियाबोर 12-जोरहट 13-डिब्रूगढ़ 14-लखीमपुर	—यथोक्त—	जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के समय इन निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी नाम-निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया।
2.	मेघालय	1	1-शिलांग	—यथोक्त—	विधिमान्य रूप से नाम-निर्देशित सभी अभ्यर्थियों ने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली और इस प्रकार निर्वाचन के लिये कोई भी अभ्यर्थी नहीं रहा।
3.	उड़ीसा	1	6-कटक	29-11-80 (त्याग पत्र)	आयोग ने 1-1-1981 को अर्हता की तारीख मानकर इन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए आदेश दे दिए हैं।
4.	राजस्थान	1	10-बयाना (अ. जा.)	3-12-80 (त्याग पत्र)	
5.	उत्तर प्रदेश	5	54-मिर्जापुर	30-4-80 (मृत्यु)	आयोग ने 1-1-1981 को अर्हता की तारीख मानकर इन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए आदेश दे दिए हैं।
			2-गढ़वाल	19-5-80 (त्याग पत्र)	
			25-अमेठी	23-6-80 (मृत्यु)	

1	2	3	4	5	6
			56-इलाहाबाद	28-7-80 (त्याग पत्र)	
			12-बरेली	18-9-80 (मृत्यु)	
6.	पश्चिम बंगाल	1	26-सेरामपोर	14 7-80 (मृत्यु)	
7.	गुजरात	1	21-छोटा उदयपुर	28-1-81 (निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया)	

बड़े व्यापारिक गृहों की परिसम्पत्तियों और लाभ में वृद्धि

1030 **श्री सुनील मैत्रा :**

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री बड़े व्यापारि गृहों की पिछले दस वर्षों में परिसम्पत्तियां और लाभ दर्शाने वाला (वर्ष-वार, गृह-वार) विवर सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : सरकार द्वारा फरव 1973 में घोषित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसरण में, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारि व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रम, जिनकी स्वयं अथवा अ अन्त सम्बन्धित उपक्रम सहित, 20 करोड़ रुपयों से कम नहीं, की परिसम्पत्तियाँ हों, बृ औद्योगिक घराने समझे जाते हैं, जो संभवत: प्रश्न में बड़े व्यापारिक गृहों के रूप में निर्दिष्ट कि गये हैं। संलग्न विवरण पत्र में, इन घरानों में से प्रत्येक को, 1972, 1975, 1976, 1977 त 1978 के वर्ष में परिसम्पत्तियो तथा कर पूर्व लाभ के आँकड़े प्रदर्शित किये गए हैं। इस प्रक की सूचना 1973 व 1974 को उपलब्ध नहीं है, जबकि 1979 को अभी संकलित की जानी है [ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी.-1933/81]।

अप्रयुक्त तेल कुओं की मरम्मत करने के लिये सोवियत रूस द्वारा सहायता

1031. **श्री पी. एम. सईद :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस भारत में उन छिद्रण किए गए तेल कुओं की मरम्मत और उ चालू करने में भारत की सहायता करने पर सहमत हो गया है जिनसे तेल नहीं निकाला रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने तेल कुएँ हैं और उनसे कितना अतिरिक्त तेल उत्पा होगा;

(ग) यदि हाँ, तो क्या गत वर्ष दिसम्बर में हुए भारत-रूस समझौते में चालू तेल क्षे से तेल उत्पादन में वृद्धि होगी;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में दिसम्बर, में हुए समझौते को कार्यान्वित किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) 1-4-1980 को तटीय क्षेत्रों में 422 बंद कुएँ थे। इनमें से 235 कुओं में उत्पादन शुरू किए जाने की आशा है। इस समय बंद कुओं के चालू किए जाने पर, इनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले तेल की वार्षिक मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) 10 दिसम्बर, 1980 को हुए आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग पर करार के अनुसार, सोवियत संघ भारत को बंद तथा कम उत्पादन देने वाले कुओं की मरम्मत करके तथा उत्पादन के नये तरीके आरम्भ करके तेल के उत्पादन को बढ़ाने सम्बन्धी कार्य के कार्यान्वयन में सहयोग देगा।

(घ) गत दिसम्वर, में हुए भारत-रूस समझौते के अनुसरण में जनवरी 12-19, 1981 के दौरान भारत में सोवियत शिष्ट मण्डल और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के बीच बात-चीत हुई थी। यह समझौता हुआ था कि दोनों तरफ के संगठन इस संबंध में ठेकों संबंधी बात-चीत 1981 की प्रथम तिमाही में करेंगे।

लीबिया द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई

1032. **श्री के. पी. सिंह देव :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने लीबिया से प्राप्त कच्चे तेल की सप्लाई की एक पेशकश को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो किस आधार पर;

(ग) अन्य देशों से आयातीत कच्चे तेल (देशवार) में अवशिष्ट अंश (नई रेजीड्यू) की क्या प्रतिशतता है; और

(घ) क्या उक्त पेशकश को अस्वीकार करने से हमारे देश के लिए कोई विशिष्ट कठिनाई पैदा हो जाएगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कच्चे तेल में अवशिष्ट अंश नामक कोई चीज नहीं है। तथापि, अगर सूचना कच्चे तेल के तलछटे अथवा अवशिष्ट अंश के सम्बन्ध में अपेक्षित है, तब स्थिति यह है कि आयातित कच्चे तेल से कोई ऐसी सामग्री उत्पन्न नहीं होती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मूल रसायनों का उत्पादन और आयात

1033 **श्री गुफरान आजम :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश मूल रसायनों के लिए मुख्यत: अन्य देशों पर निर्भर करता है;

(ख) यदि हां, तो आयात किये जाने वाले रसायनों का ब्यौरा क्या है, उन पर कुल

कितनी राशि और विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है और रसायनों का आयात करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनका मंत्रालय इनकी मांग को पूरा करने हेतु उपर्युक्त रसायनों का उत्पादन देश में ही करने के लिए क्या उपाय कर रहा है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) मेथानोल, फिनोल, बैन्जीन और एक्सीलीन्स को छोड़कर शेष उत्पादों की स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थापित क्षमता विद्यमान है। मैंनानोल, फिनोल, बैन्जीन और एक्सीलीन्स के अलावा अन्य मूलभूत रसायनों का आयात केवल तभी आवश्यक है जब उत्पादन में कमी हों।

(ख) आयात किये जा रहे रसायनों के ब्यौरे, कुल राशि और निहित विदेशी मुद्रा, महानिदेशक, वाणिज्यांक समाचार एवं सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी (आयात के लिए खण्ड II)' 'नामक अपने मासिक प्रकाशन में प्रकाशित किये जाते है जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। रसायनों का आयात करने वाली कम्पनियों की संख्या काफी बड़ी है और नामों को एकत्रित करने में किये गये प्रबल परिणामों के अनुरूप नहीं होगें।

(ग) जहां आवश्यक है वहां क्षमता उपयोग में सुधार करने और जहां स्थापित क्षमता अपर्याप्त है वहां पर्याप्त क्षमतायें लाइसेंसीकृत करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

फिल्म समारोह का विदेशी फिल्मों से उद्घाटन और समापन

1034. **श्री आर. एन. राकेश :**

श्री एन. ई. होरो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में हाल ही के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन और समापन विदेशी फिल्मों के साथ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व के अन्य देशों में भी इस प्रकार के पूर्व उदाहरण मिलते है; और

(ग) विदेशी प्रतिनिधि जो भारतीय चलचित्रों को देखने के अत्यन्त इच्छुक थे उन्हें भारतीय चलचित्र न दिखाए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (श्री कुमारी कुमुद एम. बेन जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय फिल्में विदेशी प्रतिनिधियों और विदेशी पत्रकारों को दिखाई गई थीं। एक अन्य थियेटर-मावलंकर हाल-को भारतीयों और विदेशी प्रतिनिधियों, पत्रकारों और जनता के लिए भारतीय फिल्में दिखाने के लिए आरक्षित किया गया था। प्रातःकालीन शो में, मृणाल सेन की 15 पुरानी फिल्में दिखाई गई थी। अपरान्ह और सायकालीन शो में, भारतीय पैनोरमा वर्ग के लिए चुनी गई 21 फिल्में दिखाई गई थी। इसके अतिरिक्त, उन विदेशी प्रतिनिधियों और पत्रकारों, जो कुछ फिल्में नहीं देख गए थे, के लिए इम्पीरियल होटल, जहां अधिकांश प्रतिनिधि ठहरे हुए थे, में विशेष प्रदर्शनों की भी व्यवस्था की गई थी।

प्रयोगशालाओं द्वारा गैर-कानूनी प्रदर्शनों के लिए फिल्मों का निर्माण

1035. **श्री छीगुंर राम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रयोगशालाओं को रद्दी के नाम पर दिये जाने वाले कच्ची फिल्मों के अतिरिक्त स्टाक का उपयोग ऐसी फिल्मों के प्रिंट तैयार करने के लिए किया जाता है, जिनका प्रदर्शन गैर-कानूनी होता है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रयोगशालाओं को पिछले एक वर्ष में रद्दी के नाम पर अतिरिक्त कच्ची फिल्मों का कितना स्टाक दिया गया तथा सम्बन्धित/द्वारा यह अधिकारियों सुनिश्चित करने के लिये, कि प्रयोगशालाओं को दिये जाने वाले कच्ची फिल्मों के स्टाक का दुरुपयोग न किया जाये, किस प्रकार की रोक लगाई जा रही है; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद एम. बेन जोशी) : (क) से (ग) कोरी फिल्मों के निर्माता अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करते हैं, जिसमें छीजन भत्ता भी शामिल है। एक अक्तूबर, 1974 से पहले छीजन भत्ता 35 मि. मी. तथा 16 मि.मी. की सादी फिल्मों के लिये 5 प्रतिशत की दर से रंगीन प्रिंटों के लिए 10 प्रतिशत की दर से तथा इण्टरमीडियेट फिल्में तैयार करने के लिये 20 प्रतिशत की दर से दिया जाता था। लोक लेखा समिति ने 1975-76 में प्रस्तुत अपनी 182वीं रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया कि वर्तमान छीजन भत्ता असामान्य रूप से अधिक है, जिससे प्रयोगशाला के पास कोरी फिल्में बच जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन प्रयोगशालाओं के पास बची कोरी फिल्मों से चोरी छिपे प्रिंटें बनाई जा सकती हैं। अतः छीजन भत्ते के प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया तथा छीजन भत्ता 1-10.74 से रंगीन तथा सादी फिल्मों के लिये 3 प्रतिशत निर्धारित किया गया। प्रयोगशालाओं द्वारा इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया और तदनुसार इस समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल बनाने का निर्णय किया गया। इस अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर 1-4-77 से छीजन भत्ते की निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई :—

(क) सादी	2.5%
(ख) रंगीन फिल्मों के लिए	
(1) कलर करेक्ट रश और पहली प्रति या आन्सर प्रिंट	20%
(2) अन्य काफी वर्क	5%
(ग) 35 मि.मी. नेगेटिव वर्क से 16 मि.मी. रंगीन प्रिंट की पहली रिडक्शन काफी	20%

कोरी फिल्मों को अब उपर्युक्त दरों के अनुसार ही दिया जाता है। चूंकि उक्त दरें एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित की गई थीं, अतः प्रयोगशालाओं में कोरी फिल्मों के बच जाने की संभावनाएं न्यून हैं। तथापि, ऐसे भी मामले हो सकते हैं कि प्रयोगशालाए उन कोरी फिल्मों में से कुछ बचा लेती हों, जो उनको दी जाती है।

2. इस मामले की ओर राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य दल का भी ध्यान गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि प्रयोगशाला क्षेत्र को अन्य बातों के साथ-साथ

कोरी फिल्मों के उपयुक्त प्रबंध की दृष्टि से विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। छीज भत्ते की मात्रा निर्धारित करने के प्रश्न का सरकार सदा पुनरावलोकन करती रही है।

कच्ची फिल्मों के आबंटन के लिए मानदण्ड

1036. **प्रो अजित कुमार मेहता :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि प्रयोगशालाओं को छीजन के रूप में दिये जाने वाली कच्ची फिल्मों के अतिरिक्त भण्डार का फिल्मों के प्रिंट बनाकर और फिर उन्हें अवैध रूप से दिखाने के लिए देश से चोरी छिपे बाहर भेजने में दुरुपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो छीजन के लिए कच्ची फिल्मों का आबंटन करने के लिए यदि कोई मानदण्ड है, तो वह क्या है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयोगशालाओं द्वारा कच्ची फिल्मों के अतिरिक्त भण्डार का दुरुपयोग न किया जाए, कोई प्रक्रिया निश्चित की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रयोगशालाओं को छीजन के लिए आबंटित कच्ची फिल्मों के भण्डार का दुरुपयोग तथा फिल्मी के अवैध रूप से प्रदर्शन की प्रभावी ढग से रोकथाम के विचार से, इसमें त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) से (घ) कोरी फिल्मों को निर्माता अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करते हैं जिसमें छीजन-भत्ता भी शामिल है। 1 अक्तूबर, 1974 से पहले छीजन-भत्ता 35 मिलीमीटर तथा 16 मिली मीटर की सादी फिल्मों के लिए 5% की दर से रंगीन प्रिंटों के लिए 10% की दर से तथा इन्टर-मीडिएट फिल्में तैयार करने के लिये 20% की दर से दिया जाता था। लोक लेखा समिति के 1975-76/ में प्रस्तुत अपनी 182वीं रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया कि वर्तमान छीजन-भत्ता असामान्य रूप से अधिक है जिससे प्रयोगशालाओं के पास कोरी फिल्में बच जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप इन प्रयोगशालाओं के पास बची कोरी फिल्मों से चोरी-छिपे प्रिंटें बनाई जा सकती हैं। अतः छीजन-भत्ते के प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया तथा छीजन-भत्ता 1-10-74 से रंगीन तथा सादी फिल्मों के लिए तीन प्रतिशत निर्धारित किया गया। प्रयोगशालाओं द्वारा इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया और तदानुसार इस समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन-दल बनाने का निर्णय किया गया। इस अध्ययन-दल की सिफारिशों के आधार पर 1-4-77 से छीजन-भत्ते की निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई :

(क) सादी	2.5%
(ख) रंगीन फिल्मों के लिए	
(1) कलर करेक्ट रश और पहली प्रति या आंसर प्रिंट	20%
(2) अन्य कापी वर्क	5%
(ग) 35 मिली मीटर नैगेटिव वर्क से 16 मिली मीटर रंगीन प्रिन्ट की पहली रिडक्शन कापी	20%

कोरी फिल्मों को अब उपर्युक्त दरों के अनुसार ही दिया जाता है। चूंकि उक्त दरें एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित की गई थी, अतः प्रयोगशालाओं में कोरी फिल्में के बच जाने की संभावनायें न्यून हैं। तथापि, ऐसे भी मामले हो सकते हैं कि प्रयोगशालायें उन कोरी फिल्मों में से कुछ बचा लेती हों जो उनको दी जाती हैं।

(2) इस मामले की ओर राष्ट्रीय फिल्म नीति सबंधी कार्य दल का भी ध्यान गया था जिसमें अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि प्रयोगशाला क्षेत्र को अन्य बातों के साथ-साथ कोरी फिल्मों के उपयुक्य प्रबंध की दृष्टि से विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। छीजन-भत्तें की मात्रा निर्धारित करने के प्रश्न का सरकार सदा पुर्नविलोकन करती रही है।

उर्वरकों के उत्पादन को स्थिर करने के लिए की गई कार्यवाही

1037. **श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी नियंत्रण वाले कारखानों के उन विभिन्न एककों के उत्पादन को स्थिर करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है जहाँ कम स्तर पर उत्पादन हो रहा है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन एककों से उत्पादन की कितनी हानि होने की सम्भावना है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यूनिटवार अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :

नगल (विस्तार)—ईंधन तेल/एल. एस. एच. एल. और कोयले की सप्लाई में वृद्धि की गई है।

भटिण्डा—ईंधन तेल/एल. एस. एच. एस. और कोयले की सप्लाई में वृद्धि की गई है।

पानीपत—ईंधन तेल/एल. एस. एच. एस. और कोयले की सप्लाई में वृद्धि भी की गई है।

गोरखपुर—नैप्था की सप्लाई में वृद्धि की गई है, नैप्था की सप्लाई में और वृद्धि करने के उपाय किये जा रहे हैं जिससे प्लांट उच्चतम स्तर पर चलने में समर्थ हो सके।

सिन्दरी (आधुनीकीकरण)—ईंधन तेल/एल. एस. एच. एस. की सप्लाई में वृद्धि की गई है।

सिन्दरी (सुव्यवस्थीकरण)—प्लांट के पाइराइट्स पर आधारित संचालन में हो रही समस्याओं का समायोजन किया जा रहा है, सल्फर के प्रयोग के लिए कुछ परिवर्तन शीघ्र ही पूरे होने की आशा है।

तालचर और रामगण्डम—बिजली कटौती उठने के बाद 7 नवम्बर, 1980 में प्लांट के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

बरौनी—नैप्था की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था की गई है, प्लांट संतोषप्रद स्तर पर संचालन कर रहा है। बिजली सप्लाई में अस्थिरता के कारण प्लांट को हो रही कठिनाइयों को हटाने के कारण कैप्टिव पावर जेनेरेशन सुविधा लगाने का प्रस्ताव है।

दुर्गापुर—उपकरण समस्याओं को दूर करने के लिये पहले ही परिवर्धन किए गए हैं। एक कैप्टिव पावर जेनरेशन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है।

कामरूप-1 और 2—असम स्थिति के सामान्य होने से प्लांट के सामान्य संचालन करने की आशा है।

कोचीन-1—पहले के किए परिवर्धन के परिणामस्वरूप प्लांट ने अपने संचालन में काफ़ी सुधार किया है और अब लगभग निर्धारित क्षमता के मुताबिक संचालन कर रहा है।

कोचीन-2—इस प्लांट में उत्पादन को सुस्थिर करने के लिए कुछ परिवर्धन किए जा रहे हैं।

ट्राम्बे-4—प्लांट के कुछ सेक्शनों में अन्डर डिजाइन की समस्याओं को दूर कर दिया गया है और इन्हें वर्ष 1981-82 के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

(ख) सरकारी क्षेत्र की उर्वरक यूनिटों में वर्ष 1980-81 के लिए नियत लक्ष्य की तुलना में उत्पादन हानि नाइट्रोजन का 5.0 लाख टन और पी-2 ओ-5 का 0.5 लाख टन का अनुमान है जो मुख्य रूप से फीडस्टाक और निवेशों की कमी, बिजली समस्याओं और प्लांट को हो रही कुछ उपकरण समस्याओं के कारण है।

"करप्शन इन ई. सी. एल. रिगार्डिंग दी एपांइन्टमेंट" शीर्षक से समाचार

1038. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसनसोल से प्रकाशित होने वाले दिनांक 17-1-81 के "पर्यवेक्षक वीकली" में "करप्शन इन ई. सी. एल. रिगार्डिंग दी एपाँइन्टमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ई. सी. एल. में व्याप्त इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फ्यूल पम्पों और रसोई गैस की एजेंसियों के आबंटन के लिए मानदण्ड

1039. **श्री जी. एस. निहारसिंह वाला** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्यूल पम्पों और रसोई गैस की एजेंसियों के आबंटन के लिए मानदंड क्या हैं; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कितने फ्यूल पम्प और रसोई गैस की एजेंसियां आबंटित की गई हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) 1980-81 के लिए नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों की सभी प्रकार की एजेंसियों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित है, 25 प्रतिशत बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरों, 10 प्रतिशत युद्ध में विकलाँग हुए रक्ष कर्मचारियों तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं के लिए, 10 प्रतिशत शारीरिक दृष्टि से विकलाँग व्यक्तियों के

लिए तथा बाकी का 30 प्रतिशत अन्य लोगों को व्यापारिक आधार पर प्रदान किया जाना होता है।

ऐसे किसी भी व्यक्ति को नई गैस एजेंसी प्रदान नहीं की जायेगी अगर उसके पास या इसके निकट सम्बन्धी जैसे पति/पत्नी, पिता, भाई या पुत्र के पास किसी भी तेल कम्पनी की एजेंसी पहले से दी हो। सभी नियुक्तियाँ उस क्षेत्र के प्रसार में समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करके दी जानी होती है। सम्बद्ध तेल कम्पनी द्वारा इस कार्य के लिए विधिवत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना होता है।

(ख) 31-12- 980 से आरक्षण नीति के लागू किये जाने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी गई रिटेल आउटलेट डिलरशिपों (पेट्रोल/डीजल) तथा खाना पकाने की गैस एजेन्सियों की संख्या नीचे दी गई है :

	रिटेल आउटलेट	खाना पकाने की गैस
अनुसूचित जाति	107	42
अनुसूचित जनजाति	:2	8

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को हुआ घाटा

1040. **श्री के. लकप्पा :**

श्री डी. एम. पुत्ते गौडा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अपने गठन से ही भारी घाटा हो रहा है;

(ख) क्या उपरोक्त निगम का विचार विदेशों में अपने विभिन्न कार्यालयों की स्थापना करने का है और यदि हाँ, तो इसके आधार क्या है; और

(ग) निगम को लाभप्रद बनाने के लिये मंत्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना मई, 1975 में की गई थी, परन्तु इसने 11-4-1980 तक जब फिल्म वित्त निगम और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का इसके साथ समामेलन किया गया था, कोई कार्य हाथ में नहीं लिया था। 11-4-80 को इसके सक्रिय होने से पहले इसको कोई हानि नहीं हुई। 11-4-80 के बाद इसके कार्यों को देखने से इसको 31-3-1981 को समाप्त होने वाली अवधि में लाभ होने की संभावना है।

(ख) जी, हां। निगम ने (1) महत्वपूर्ण मार्केट आसूचना मानिटर करने; (2) भारतीय फिल्मों का निर्यात बढ़ाने; (3) भारतीय फिल्मों के वीडियो कैसेटों सहित भारतीय फिल्मों की चोरी की रोकथाम करने और (4) भारतीय फिल्म उद्योग के लाभ के लिए विदेशों की व्यापार नीतियां और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं सम्बन्धी सूचना एकत्र करने और उसकी तुलनात्मक जाँच करने के लिए लन्दन, न्यूयार्क और हाँगकांग में एक-एक कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

1041. **श्री रामजी भाई मावणि : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975 से 1977 और 1977 से 1979 के दौरान कुछ न्यायाधीशों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उन न्यायाधीशों के नाम क्या हैं और उनका किन-किन राज्यों में स्थानाँतरण किया गया।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी हाँ।

(ख) अपेक्षित जानकारी सलग्न विवरण I और II में दी जा रही है।

विवरण I

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

1975-1977 के दौरान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों के स्थानाँतरण किए गए थे उनके नाम दर्शित करने वाला विवरण।

क्र. सं.	न्यायाधीश का नाम	उच्च न्यायालय का नाम जिसको और जिससे स्थानान्तरण किया गया
1	2	3
1.	न्यायमूर्ति श्री शिव नारायण शंकर	दिल्ली उच्च न्यायालय से उड़ीसा उच्च न्यायालय को।
2.	न्यायमूर्ति श्री राजिन्दर सच्चर	मई, 1975 में दिल्ली उच्च न्यायालय से सिक्किम उच्च न्यायालय को और मई, 1976 में सिक्किम उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय को स्थानाँतरण किया गया।
3.	न्यायमूर्ति श्री ए. पी. सेन	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय को स्थानान्तरण किया गया।
4.	न्यायमूर्ति श्री एस. आई. रंगाराजन	दिल्ली उच्च न्यायालय से गौहाटी उच्च न्यायालय को स्थानाँतरण किया गया।
5.	न्यायमूर्ति श्री सी. कोंडेया	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानाँतरण किया गया।
6.	न्यायमूर्ति श्री एम. सदानन्द स्वामी	कर्नाटक उच्च न्यायालय से गौहाटी उच्च न्यायालय में स्थानाँतरण किया गया।
7.	न्यायमूर्ति श्री विमद लाल	मुम्बई उच्च न्यायालय से आँध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
8.	न्यायमूर्ति श्री डी. एम. चन्द्रशेखर	कर्नाटक उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया गया।

1	2	3
9.	न्यायमूर्ति श्री ए. डी. कौशल	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
10.	न्यायमूर्ति श्री डी. बी. लाल	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
11.	न्यायमूर्ति श्री एम. एस. गुजराल	पजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से सिक्किम उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
12.	न्यायमूर्ति श्री एम. आर. ए. असारी	दिल्ली उच्च न्यायालय से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
13.	न्यायमूर्ति श्री ओ. चिन्नप्पा रेड्डी	आँध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया गया।
14.	न्यायमूर्ति श्री एस. एच. सेठ	गुजरात उच्च न्यायालय से आँध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
15.	न्यायमूर्ति श्री डी. एस. टेबटिया	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
16.	न्यायमूर्ति श्री टी. यू. मेहता	गुजरात उच्च न्यायालय से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
17.	न्यायमूर्ति श्री सी. एम. लोधा	राजस्थान उच्च न्यायालय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
18.	न्यायमूर्ति श्री एस. आबुल रेड्डी, मुख्य न्यायाधिपति	आँध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
19.	न्यायमूर्ति श्री बी. जे. दिवान, मुख्य न्यायाधिपति	गुजरात उच्च न्यायालय से आँध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में स्थानान्तरण किया गया।
20.	न्यायमूर्ति श्री मुफ्ती बाहनुद्दीन	जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
21.	न्यायमूर्ति श्री पी. गोबिन्दन नायर, मुख्य न्यायाधिपति	केरल उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में स्थानान्तरण किया गया।

टिप्पणी :—क्रम सं. 21 में न्यायमूर्ति पी. गोबिन्दन नायर का स्थानान्तरण तारीख 3-1-1977 को किया गया। अन्य सभी न्यायधीशों के स्थानान्तरण उस तारीख से पहले किए गये थे।

विवरण 2

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

1977-1979 के दौरान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों के स्थानान्तरण किए गए थे उनके नाम दर्शित करने वाला विवरण ।

क्र. सं.	न्यायाधीश का नाम	उच्च न्यायालय का नाम जिसको और जिससे स्थानान्तरण किया गया
1	2	3
1.	न्यायमूर्ति श्री राजिन्दर सच्चर	राजस्थान उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्यरण किया गया ।
2.	न्यायमूर्ति श्री एस. आई. रंगा राजन	गौहाटी उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया ।
3.	न्यायमूर्ति श्री डी. एस. टेवटिया	कर्नाटक उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया ।
4.	न्यायमूर्ति श्री ए डी. कौशल	मद्रास उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया ।
5.	न्यायमूर्ति श्री एस. ओबुल रेड्डी मुख्य न्यायाधिपति	गुजरात उच्च न्यायालय से आँध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया ।
6.	न्यायमूर्ति श्री बी. जे. दीवान मुख्य न्यायाधिपति	आँध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया ।
7.	न्यायमूर्ति श्री ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से आँध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया ।
8.	न्यायमूर्ति श्री एम. एच. सेठ	आँध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया ।
9.	न्यायमूर्ति श्री सी. जवाहर	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया ।
10.	न्यायमूर्ति श्री डी. बी. लाल	कर्नाटक उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया ।
11.	न्यायमूर्ति श्री ए. पी. सेन	राजस्थान उच्च न्यायालय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया ।

1	2	3
12.	न्यायमूर्ति श्री डी. एम. चन्द्रशेखर मुख्य न्यायाधिपति	इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
13.	न्यायमूर्ति श्री सी. होनिह	कर्नाटक उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
14.	न्यायमूर्ति श्री सी. एम. लोधा	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से गौहाटी उच्च न्यायालय को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में स्थानान्तरण किया गया।
15.	न्यायमूर्ति श्री एम. एल. जैन	राजस्थान उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया गया।
16.	न्यायमूर्ति श्री डी. बी. लाल	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया गया।
17.	न्यायमूर्ति श्री मुफ्ती बाहउद्दीन	इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया गया।
18.	न्यायमूर्ति श्री सी. एम. लोधा, मुख्य न्यायाधिपति	गौहाटी उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में स्थानांतरण किया गया।
19.	न्यायमूर्ति श्री वी. डी. मिश्रा	दिल्ली उच्च न्यायालय से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया गया।

टिप्पणी :—ये सभी स्थानान्तरण जुलाई, 1977 में या इसके पश्चात् किए गए थे।

देश में तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता

1042. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने मेगावाट तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता है और वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान इसमें से क्रमशः कितनी क्षमता का उपयोग हुआ; और

(ख) इतनी कम क्षमता के उपयोग के क्या कारण हैं और इसके परिणाम स्वरूप देश को कितनी हानि हुई ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1879-80 के दौरान प्रतिष्ठापित ताप विद्युत उत्पादन क्षमता और इसका प्रतिशत समुपयोजन नीचे दिया गया है :

वर्ष	क्षमता* (मेगावाट)	संयंत्र भार अनुपात (क्षमता समुपयोजन) (%)
1977-78	13150	50.8
1978-79	15300	48.4
197 -80	15947	45.0

*क्षमता को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मानीटर किया जा रहा है । संयंत्र भार अनुपात बढ़कर दिसम्बर, 1980 में 48.6% तथा जनवरी, 1980 में 49.1% हो गया है ।

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों का घटिया कार्य-निष्पादन मुख्यत: निम्न कारणों से रहा है :

(1) स्वदेशी तौर पर निर्मित मुख्य संयत्र और आनुषंगिकों से युक्त प्रतिष्ठापित क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि, विशेष रूप से 200-200 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की 13 यूनिटें, जो सुस्थिर होने में पर्याप्त समय ले रही हैं और अधिकांश मामलों में वे कार्य-निष्पादन के अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँची हैं ।

(2) बार-बार और लम्बी अवधि की जबरन बन्दी की घटनायें होना तथा कुछ यूनिटों द्वारा लम्बी अवधि तक निर्धारित उत्पादन न कर पाना । स्टेशन ले आउट और डिजाइन तथा निर्माण, प्रतिष्ठापना और चालू करने में गुणवत्ता सम्बन्धी आश्वासन की कमी के कारण होने वाली बन्दियाँ इनमें शामिल हैं ।

(3) बड़े यूनिटों के लिए अनुरक्षण प्रबन्ध का स्तर घटिया होना तथा इनके लिये देश में सुविज्ञता की कमी । यह मुख्य रूप से, आधुनिक प्रणाली की पर्याप्त और उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाओ के अभाव के कारण है ।

(4) समय पर और अपेक्षित गुणवत्ता के फुटकर पुर्जे सप्लाई करने में स्वदेशी निर्माताओं का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक होना ।

(5) अभिकल्प विशिष्टियों के चरणों में विभिन्न निवेशों के सम्बन्ध में अपनाए गए कोयले के पैरामीटरों में तथा वास्तव में सप्लाई किए गए कोयले के वास्तविक पैरामीटरों के बीच विभिन्नता ।

(6) ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले का स्टाक न होने पर अत्यन्त कम स्टाक होने के कारण उत्पादन कम किये जाने से उत्पादन में कमी ।

(7) आनुषंगिक उपस्कर की आंशिक अनुपलब्धता अधिक होना तथा ग्रिड की परिस्थितियों और भार स्वरूप आदि जैसी प्रचालन सम्बन्धी अन्य आंतरिक और बाह्य बाधायें जिनके परिणाम स्वरूप संयंत्र भार अनुपात कम रहा ।

(8) क्षमता में वृद्धि से प्रणाली में व्यस्ततम भार उठाने के लिए उपलब्धता में वृद्धि हुई परन्तु इसी के साथ अव्यस्ततम काल के दौरान समुपयोजन न किए जाने में भी वृद्धि होगी और इस प्रकार बेकार क्षमता में भी वृद्धि होगी ।

(9) उपभोक्ताओं द्वारा घटिया समुपयोजन उपस्कर प्रतिष्ठापित करना । इसका सबसे बुरा उदाहरण है कृषि पम्प सैट । उपभोक्ताओं द्वारा या राज्य बिजली बोर्डों द्वारा पावर फैक्टर करेक्शन उपस्कर न लगाये जाने से यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है ।

(10) इलेक्ट्रोनिक संघटकों जैसे कुछ संघटकों/सामग्री की स्वदेशी तौर पर तैयार करने के प्रयास करना जबकि इसके लिये उपयुक्त विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है।

ताप विद्युत केन्द्रों के असंतोष जनक कार्य-निष्पादन के कारण हुई हानि का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है।

राजस्थान में गैस का उपलब्ध होना

1043. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में तेल और गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और क्या इसका कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके निष्कर्ष क्या है; और

(ग) तेल और गैस किन-किन स्थानों पर पाया गया था और इसकी वाणिज्यिक सक्षमता क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) राजस्थान के पश्चिमी भाग में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण 1956 से किये जा रहे हैं परन्तु इस क्षेत्र में हाइड्रो-कार्बनों के व्यापारिक स्तर पर भण्डारों का अभी तक पता नहीं चला है।

(ख) सर्वेक्षण के फलस्वरूप कई संरचनाओं की रूपरेखा तैयार की गयी तथा 16 कूपों की खुदाई की गयी।

(ग) अब तक किसी तेल क्षेत्र का पता नहीं चला है। मनहेरा टिब्बा में एक छोटे से अलाभकर गैस क्षेत्र का पता चला था। भुआना में भी थोड़ी गैस मिली थी। फिर भी, यह प्राप्तियाँ व्यापारिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हैं।

महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में नए सीमेंट एकक के लिए कोयला उपलब्ध न होना

1044. **श्री आर. के. महालगी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मत्रालय को महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में शुरू किये जा रहे एककों को कोयले के उपलब्ध न किये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट उत्पादन में वृद्धि की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए इन सीमेंट संयत्रों को कोयले की ढुलाई में शीघ्रता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ।

(ख) जिला चन्द्रपुर में निर्माणाधीन तीन यूनिटों में से एक के लिए कोयले का संयोजन पहले ही कर दिया गया है। शेष दो के लिए कोयले के सयोजन के प्रश्न पर सीमेंट नियंत्रक से परामर्श करके सक्रिय विचार किया जा रहा है।

फिलिंग स्टेशनों द्वारा वसूल की जाने वाली कीमत

1045. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जब भी पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना

होती है तब दिल्ली में तथा अन्यत्र भी फिलिंग स्टेशन मनमाने दर से मूल्य वसूल करते है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है और क्या वह ऐसे ठोस उपाय करेगी जिससे आम लोगों को इस सम्बन्ध में कठिनाई का सामना न करना पड़े !

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) उत्तरी बगाल के अतिरिक्त कहीं और से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है । इस मामले पर पेट्रोलियम विभाग और इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा पश्चिम बगाल सरकार के साथ बातचीत की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विद्युत प्रजनन सेट

1047. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के बिल्कुल नये विद्युत प्रजनन सेट से अधिष्ठापित क्षमता से लगाकर कम उत्पादन हो रहा है जबकि दूसरी ओर आयातित जी. ई. (यू. एस. ए.) सेट लगभग पिछले 17 वर्षों से गुजरात विजली बोर्ड रेणु सागर पावर सप्लाई कम्पनी आदि में पूरी क्षमता पर काम कर रहे है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत हैवी इलेक्टिकल्स लिमिटेड सेटों के ठीक काम न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध मे क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन : (क) स्वदेशी निर्माताओं (भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा ए. बी. बी. दोनों) द्वारा सप्लाई किए गए 120 तथा 110 मेगावाट के कई स्टीम जेनरेटर तथा टर्बो सेट अपना निर्धारित उत्पादन लगातार नहीं दे रहे है ।

(ख) और (ग) संयत्र तथा उपस्कर की विभिन्न मदों में तथा सम्बद्ध आनुषगिकों में अभिकल्प और निर्माण सम्बन्धी काफी कमियाँ हैं । 25 यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए उनमें नवीकरण कार्य हाथ में लिया गया था । इससे कुछ सुधार हुआ है परन्तु अभी ये यूनिटें अपनी पूर्ण क्षमता में नहीं आई हैं । विभिन्न कमियों का फिर पता लगाया गया है तथा इन सेटों को इनकी निर्धारित क्षमता में लाने के लिए नवीकरण कार्यों को शीघ्र ही हाथ में लेने का कार्यक्रम है । कार्य की कुछ मदों को हाथ में लिया जा चुका है ।

सीकर, राजस्थान में पाइराइट पर आधारित उवरक कारखाना

1048. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सीकर जिले में सलादीपुर में बहुतायत में उपलब्ध पाइराटर पर आधारित उर्वरक कारखाने के स्थापित किये जाने का मामला कई वर्षों से रुका पड़ा है और इस पर अभी भी स्वीकृति नहीं दी गई है जबकि इसकी परियोजना रिपोर्ट कई वर्ष पूर्व तैयार की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या रुकावटें हैं और इन रुकावटों को दूर करने के पश्चात् कारखाने को स्थापित करने के लिए स्वीकृति कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) तथापि,

सलादीपुरा पाइराइट्स से सलफ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए सुविधायें स्थापित करने के लिये प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी किन्तु परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध किया जाना है कि सलफ्यूरिक एसिड़ के निर्माण के लिए पाइराइट्स का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। परीक्षणों ने यह दर्शाया है कि सलादीपुरा पाइराइट्स का प्रयोग करके सलफ्यूरिक एसिड़ का उत्पादन करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है। तदानुसार पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड इस समय सलफ्यूरिक एसिड़ और फाल्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिये सुविधायें स्थापित करने हेतु एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में व्यस्त है। जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जायेगी, निवेश निर्णय की दृष्टि से सरकार द्वारा उस पर कार्यवाही की जायेगी।

सेन्ट्रन इण्डिस्ट्रियल अलाइंस का ब्रुक बांड के साथ विलय

1049. **श्री इन्द्र जीत गुप्त : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रुक बांड का सेन्ट्रन इन्डस्ट्रियल अलाइंस लिमिटेड के साथ विलय करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है; और

यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) ब्रुक ब्रांड के साथ सेन्ट्रन इण्डस्ट्रीयल अलाइंस लिमिटेड के विलयन के लिए सरकार ने अभी तक अपना अनुमोदन नहीं दिया है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

सोडा-ऐश के सम्बन्ध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशें

1050. **श्री जार्ज फर्नांडीस : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1978 में संसद में दिये गये आश्वासन के अनुसार देश में सोडा-ऐश की समस्याओं की जाँच के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति की सिफारिश क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने निम्नलिखित अल्प-कालीन और दीर्घ कालीन उपायों की सिफारिश की है :—

अल्प-कालीन उपाय

(1) सप्लाई को बढ़ाने के लिए आगामी दो वर्षों में पर्याप्त आयात की व्यवस्था करना प्राथमिकता के तौर पर स्टेट कैमिकल्स एण्ड फामास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (सी. पी. सी.) के माध्यम से,

(2) मूल्यों को सीधे पूल करने की अपेक्षा आयात की अधिक लागत की पूर्ति करने के लिए सोडा ऐश के स्वदेशी उत्पादन पर यदि आवश्यक हो तो कुछ शुल्क लगाना,

(3) यदि पर्याप्त आयात की व्यवस्था न हो सके तो वितरण नियंत्रण के कुछ उ करना,

(4) अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिये कोयला और कोक के परिवहन देख-रेख करना।

दीर्घकालीन उपाय :

(1) अप्रत्यक्ष प्रतिधारण मूल्य योजना के जरिये उद्योग में अतिरिक्त निवेश को प्रोत्सा देना। इसके नये एककों के द्वारा प्रयोजना की बढ़ती हुई लागत के कारण वहन किये जाने व अधिक मूल्यह्रास और ब्याज के बराबर प्रतिपूर्ति हो सके।

(2) न्यू सेन्ट्रल जूट मिल, वाराणसी का आधुनिकीकरण करना,

(3) क्षमता के विस्तार में कठिनाइयों को दूर करने के लिए बिरमगाँव/मिथापुर रे लाइन को ब्रांड गेज में बदलना।

(4) सुधरे हुए सोल्वे प्रक्रिया के माध्यम से सोडा ऐश के उत्पादन को प्रोत्साहन दे इससे अमोनियम क्लोराइट का भी समान रूप से उत्पादन होगा जो कि एक उर्वरक है; और

(5) सोडा ऐश की क्षमता के फैलाव को प्रोत्साहन देने के लिए लवण कार्य का विक करना।

(ग) सरकार ने समिति की सिफारिशों पर पहले ही निम्नलिखित कार्यवाही कर है।

अल्प-कालीन उपाय :

(1) सोडा ऐश के आयात को वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए खुले सामान्य लाइसें (ओ. जी. एल.) के अन्तर्गत रखा गया है इससे यह सम्भव हो गया है कि वास्तविक उपभोक्त सोडा ऐश का सीधे ही आयात कर सकते हैं। वर्ष 1979-80 के दौरान स्टेट कैमिकल्स ए फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (सी. पी. सी.) द्वारा 20,000 टन सोडा ऐश आयात किया गया था और उसे राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न उपभोक्ता को विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के उपभोक्ताओं में वितरित किया। वर्ष 1980-81 में भी सी. प सी. ने 20,000 टन के आयात की व्यवस्था कर दी है। सी. पी. सी. ने सोडा ऐश के आयात लिये बुलगारिया के साथ एक दीर्घकालीन करार किया है।

(2) शुल्क लगाये जाने की सिफारिश के बारे में सरकार द्वारा विचार किया गया और यह निर्णय किया गया है कि आयात पर आर्थिक सहायता देने के लिए स्वदेशी उत्पादन प शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आयात पर रिआयती शुल्क लागू है।

(3) सोडा ऐश के सभी निर्माताओं को मार्गदर्शन जारी किये गये हैं जो यह सुनिश्चि करते हैं कि जो औद्योगिक उपभोक्ता सीधे ही निर्माताओं से माल ले रहे थे वे कम-से-कम उत मात्रा प्राप्त करते रहेंगे जितनी वे वर्ष 1977 में प्राप्त करते थे जो कि एक सामान्य सप्लाई वर्ष था। इसके परिणामस्वरूप निर्माताओं द्वारा निर्मित सोडा ऐश का लगभग 86 प्रतिशत सी ही औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्माता मूल्य पर प्राप्त हो रहा है।

(4) कोयला/कोक के परिवहन की निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

दीर्घकालीन उपाय :

(1) सरकार ने लगभग 10.40 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने की पहले ही मंजूरी दी है। यह आशा है कि वर्ष 1984-85 तक कुल 10 लाख टन की क्षमता स्थापित हो जायेगी जो वर्ष 1984-85 की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है। सरकार का यह विचार है कि नये एककों को दी जाने वाली सहायता और उसकी मात्रा का निर्धारण तभी किया जा सकता है जब वे चालू हो जायें और अपेक्षित आँकड़े उपलब्ध हों।

(2) न्यू सेन्ट्रल जूट मिल का अधिग्रहण मैसर्स उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड (हरी फर्टिलाइजर्स) द्वारा किया गया है और वे प्लांट का आधुनिकीकरण करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

(3) बिरमगाँव से मिथापुर तक रेलवे लाइन को बदलने का कार्य हापा तक पहले ही पूरा कर लिया गया है।

(4) प्रौद्योगिकी का चयन विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है जैसे स्थान, कच्चे माल की उपलब्धता आदि। चूना पत्थर और लवण के निकट के स्थान पर मानक सोल्वे प्रक्रिया अधिक उपयुक्त रहेगी। अतः सरकार का यह विचार है कि प्रौद्योगिकी के चयन के बारे में अलग-अलग मामलों की गुणवता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। तथापि नई स्थापित क्षमताओं में से मैसर्स पंजाब राज्य आई. डी. सी. और मैसर्स टुटीकोरिन अल्कलीन एण्ड केमिकल्स लि. परिवर्धित सोल्वे प्रक्रिया के आधार पर सोडा ऐश के निर्माण के लिए अपने प्लांटों की स्थापना कर रहे हैं।

(5) सरकार और राज्य सरकारें विशेषकर पूर्वी तट पर नये लवण कार्य का विस्तार करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा विखण्डित विधियाँ

1051. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**

श्री सुभाष यादव : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संसद द्वारा जिसमें देश के सभी भागों के लोगों का प्रतिनिधित्व है, अधिनियमित अनेक विधियाँ अथवा उनके कुछ उपबंध, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विखण्डित कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है कि संसद द्वारा अधिनियमित कोई भी विधि किसी भी दशा में न्यायपालिका द्वारा विखण्डित न की जाए ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) और (ख) जी नहीं। 1950 से 1980 तक की अवधि के दौरान संसद ने संविधान में किए गए संशोधनों को छोड़कर 1977 अधिनियम पारित किए हैं। इन विधियों में से उच्चतम न्यायालय ने लगभग 22 अवसरों पर किसी ऐसे विधायी उपबंध को अविधिमान्य घोषित किया है जो संसद द्वारा पारित किया गया था।

(ग) संविधान की योजना के अधीन उच्चतम न्यायालय संसद के किसी अधिनियम के सवैधानिक विधिमान्यता पर अपना निर्णय देने का हकदार है। इस स्थिति को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केरल में कैप्रोलेक्टम संयंत्र

1052. **श्री के. कुन्हम्बु** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में केप्रोलेक्टम संयंत्र की स्थापना के लिए स्थल के बारे में विशेषज्ञ समिति की राय पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो वे नये कारण क्या हैं जिनके कारण यह विचार किया जाना आवश्यक हो गया है;

(ग) क्या प्रस्तावित संयंत्र केरल में कोचीन में स्थापित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्ताव कोचीन के समीप उद्योगमण्डल में एक संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिये मिश्र के साथ समझौता

1053. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिस्र के ऊर्जा और विद्युत सहयोग के प्रतिनिधिमण्डल मिशन की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच बातचीत तथा परस्पर समझबूझ, सहयोग और सहायता सम्बन्धी करार किए गए जिनमें इस विषय पर सम्बन्धित मंत्रियों और अधिकारियों ने विस्तृत बातचीत की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) 1981 और 1982 के दौरान ऊर्जा, शक्ति और विद्युत की कितनी प्रतिशत समस्याओं का समाधान किया जाएगा जिसके संबन्ध में भारत संकट का सामना करता है और, जिसने देश के विकास और विभिन्न उद्योगों और व्यापार के विकास और उत्पादन को अत्याधिक प्रभावित किया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हाँ। भारत तथा मिस्र के मध्य आपसी हितों के मामलों पर 28 तथा 29 जनवरी, 1981 को विचार-विमर्श हुआ था।

(ख) दोनों देशों के मध्य 31 जनवरी, 1981 को एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे। हस्ताक्षर किये गये प्रोतोकोल के अनुसार, भारत मिस्र को निम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाएगा :—

(1) ग्राम विद्युतीकरण सहित विद्युत सप्लाई उद्योग के विभिन्न पहलुओं में मिश्री इन्जीनियरों को प्रशिक्षण;

(2) सौर तथा बायो-मास ऊर्जा के क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति;

(3) कोयला खनन तथा खोज कार्य में भारतीय विक्षेपज्ञों की प्रतिनियुक्ति;

(ग) 1980-81 के आरम्भ में देश में युटिलिटीज में और नानयुटिलिटीज में कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 31025 मेगावाट थी 1980-81 के दौरान लगभग 2778 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने की सम्भावना है जिससे चालू वित्त वर्ष के अन्त तक देश की कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 33803 मेगावाट हो जाएगी। इस समय बड़ी संख्या में परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं तथा ये परियोजनायें विभिन्न समय सीमाओं में लाभ देंगी।

1980-81 के दौरान प्रत्येक ताप विद्युत केन्द्र के लिए समयबद्ध सुधार कार्यक्रम तैयार करने तथा विभिन्न निर्माताओं की सक्रिय सहायता से उनका कार्यान्वयन करने के लिए विशेष उपाय आरम्भ किये गए थे। राज्य बिजली बोर्डों को विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया जिससे राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में सुधार हो। इन दोनों उपायों के परिणाम दृष्टगोचर होने लगे हैं तथा विद्युत सप्लाई स्थिति में और सुधार होने की आशा है।

गत पांच वर्षों के दौरान कोयले की कमी से प्रभावित विद्युत संयत्र

1054. **श्री राम विलास पासवान**: क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान कितने विद्युत संयत्रों ने कोयले की कमी की शिकायत की है;

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान विद्युत सयंत्रों को हर माह कितने वैगन कोयला मिला है;

(ग) उनकी मानसिक आवश्यकता के मुकाबले उन्हें कोयले के कितने वैगन कम मिले;

(घ) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) विद्युत क्षेत्र को कोयला वैगनों की सप्लाई में गतिरोध के बारे में कोयला विभाग ने क्या कहा है;

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन: (क) समय-समय पर प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान 31 बड़े ताप विद्युत केन्द्रों ने किसी न किसी समय कोयले की कमी की शिकायत की थी।

(ख) और (ग) पिछले पाँच वर्षों के दोरान अर्थात् वर्ष 1976-77 से 1980-81 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों के लिए अपेक्षित वैगनों की औसत संख्या, प्राप्त किये गए वैगनों की संख्या तथा वैगनों की प्राप्ति में कमी को महीनेवार दिखाने वाला विवरण सलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, इनमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(1) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की सप्लाई बढ़ाने के लिए रेलवे को कहा गया है।

(2) ताप विद्युत केन्द्रों को रेल द्वारा कोयले की ढुलाई की मानीटरिंग करने के लिए विद्युत विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और रेल मंत्रालय के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा

रहा है। विद्युत केन्द्रों को वैगनों की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अंतः मंत्रालयीन बैठकें भी समय-समय पर की जाती हैं तथा ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जा रही है।

(3) विद्युत केन्द्रों को सलाह दी गई है कि वैगनों को रोके रखने की अवधि को कम करें ताकि वैगनों की आवाजाही की अवधि भी कम हो जाए और परिणाम स्वरूप वैगनों की उपलब्धता में वृद्धि हो।

(4) कोयला कम्पनियों को भी सलाह दी गई है कि ताप विद्युत केन्द्रों को बड़े आकार का कोयला सप्लाई न करें क्योंकि बिजली घरों द्वारा वैगनों की शीघ्रता से लौटाये जाने पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। बड़े आकार का कोयला सप्लाई करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जाता है तथा उपचारी उपाय किए जाते हैं।

(ङ) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की सप्लाई में अब धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

विवरण

वर्ष 1976-77 से 1980-81 की अवधि के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों की महीने-वार अपेक्षित वैगनों की औसत संख्या, प्राप्त वैगनों की संख्या और वैगन प्राप्त करने में कमी को दिखाने वाला विवरण।

वर्ष	आवंटन*	प्राप्ति	कमी
	(प्रति मास वैगनों की औसत संख्या)		
1976-77	88,118	71,193	16,925
1977-78	95,644	72,356	23,288
1978-79	108,827	73,117	35,710
1979-80	117,897	83,897	34,000
1980-81 (अप्रैल से दिसम्बर तक)	96,693	65,786	30,907
जनवरी, 81	141000	110272	30728
फरवरी, 81	145318	—	—
मार्च, 81	145318	—	—

*भण्डार करने के लिए कुछ प्रावधान शामिल हैं।

आकाशवाणी के प्रसारणों से लाभान्वित क्षेत्र तथा जनसंख्या का प्रतिशत

1055. **श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के प्रसारणों से इस समय लाभान्वित हो रहे क्षेत्र तथा जनसंख्या का प्रतिशत कितना-कितना है;

(ख) आधुनिकीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों की प्रगति को देखते हुए देश के इस जन संचार माध्यम ने अपने विकास में कितनी प्रगति की है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों में देश के दृष्टिकोण को प्रभावित करने के कार्य में भारत के भीतरी क्षेत्रों में और विदेश सेवा के प्रसारणों में यदि कोई कमियाँ रही हैं, तो क्या उनके बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; यदि हाँ, तो उसका क्या फल निकला और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) देश में आकाशवाणी केन्द्रों की मीडियम वेव सेवा के अंतर्गत 77.73 प्रतिशत क्षेत्र और 89.40 प्रतिशत जनसंख्या आती है।

(ख) आकाशवाणी आधुनिक विकासों के अनुसार चलती है और ढांचे का यथासंभव हद तक उपकरणों के नवीनतर रूपाँतरों के साथ आधुनिकरण करती है।

(ग) ढाँचे की कमियों का मूल्यांकन करना एक सतत प्रक्रिया है। यह देखा गया है कि घरेलू मीडियम वेव सेवा रात के समय पड़ौसी देशों के उच्च शक्ति वाले ट्राँसमीटरों के हस्ताक्षेप के कारण संकुचित हो जाती है। शार्टवेव बैंडों के अधिक होने और दूसरे देशों द्वारा उच्च शक्ति वाले ट्राँसमीटरों का प्रयोग किए जाने के कारण विदेश सेवायें भी प्रभावित हुई हैं। मीडियम वेव सेवाओं पर अपरदन का प्रतिकार करने के लिए, छठी 'योजना" (1980-85) में कुछ मीडियम वेव ट्राँसमीटरों की शक्ति बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, विदेश सेवा सम्बन्धी ट्राँसमीटर बढ़ाने की भी व्यवस्था है।

कहलगांव में सुपर तापीय बिजली केन्द्र

1056. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कहलगाँव में सुपर तापीय बिजली केन्द्र के प्रथम चरण के कार्यक्रम से कुल कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा;

(ख) इस परियोजना का फरक्का सुपर तापीय बिजली केन्द्र तथा सिंगरौली सुपर तापीय बिजली केन्द्र से क्या सम्बन्ध है; और

(ग) क्या इस परियोजना को विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से वित्त पोषित करवाये जाने का कोई प्रारुप-प्रस्ताव तैयार किया गया है जैसा कि फरक्का के मामले में किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कहल गाँव में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के प्रथम सोपान के विकास में 800 मेगावाट (4 × 200 मेगावाट) की विद्युत उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित की जानी है।

(ख) फरक्का कहलगाँव और सिंगरौली ये सभी परियोजनायें केन्द्रीय क्षेत्र की क्षेत्रीय परियोजनाओं के रूप में परिकल्पित हैं, जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कार्यान्वित की जानी है।

(ग) : जी नहीं।

जिला शहडोल में कोयला खानों के लिये आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण

1057. **श्री बलवीर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला शहडोल में कितने आदिवासियों की जमीनों का कोयला खानों के लिये पिछले पाँच वर्षों में अधिग्रहण किया गया तथा प्रत्येक मामले में कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) क्या अधिग्रहण भूमि का मुआवजा इस बीच अदा कर दिया गया है; और

(ग) क्या परिवारों के बेरोजगार युवकों को, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, रोजगार दे दिया गया है और यदि हां, तो ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवश्यक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

1058. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक औषधियों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने आवश्यक औषधियों के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि करने के लिए किन-किन कारणों को महत्व दिया;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्य जो नई औषध नीति के आधार पर मार्च 1978 में एक वर्ष के लिए स्थिर हो गये थे, अगस्त 1980 तक समायोजित नहीं किए गए थे, यद्यपि निवेशों, विशेषकर पेट्रोलियम मूल्यों में तीव्र वृद्धि के पश्चात्, के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। मूल्यों को समायोजित करने की पद्धति की अगस्त 1980 में मजूरी दी गई थी और उसके पश्चात कुछ बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों को पहले ही संशोधित किया जा चुका है। इन समायोजनाओं में वृद्धि और कमी दोनों सम्मिलित हैं और ये औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अनुसार और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों की रिपोर्ट के आधार पर हैं।

कम वजन वाले गैस सिलेंडरों की सप्लाई

1059. **श्री अशोक गहलोत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुकिंग गैस एजेंसियों उपभोक्ताओं को कम वजन वाले गैस सिलेंडर सप्लाई कर रही है;

(ख) क्या इस कारण उपभोक्ताओं को भारी वित्तीय हानि हो रही है;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि गैस डीलर अप्राधिकृत उपभोक्ताओं तथा होटलों को दो तीन दिन के लिये गैस सिलेंडर सप्लाई करते हैं जिनको बाद में वास्तविक उपभोक्ताओं के घरों पर लगा दिया जाता है और इस वजह से उपरोक्त स्थिति उत्पन्न होती है;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी बढ़ती हुई अनियमितताओं की रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) यदि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) उपभोक्ताओं को कम वजन वाले गैस सिलेण्डरों की सप्लाई करने सम्बन्धी शिकायतें समय-समय पर प्राप्त की जा रही हैं। जिन मामलों में जांच किये जाने के बाद यह साबित हो जाता है कि गैस सिलेण्डर खराब हैं उनके स्थान पर तेल कम्पनियाँ शिकायतकर्ताओं को बिना दाम दूसरे सिलेण्डर बदल कर दे देती है। अत: यह ठीक नहीं है कि उपभोक्ताओं को इस कारण भारी हानियाँ हो रही हैं।

(ग) इस मंत्रालय के ध्यान में कोई ऐसा विशेष उदाहरण नहीं आया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फरक्का और कहलगांव सुपर तापीय विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई

1060. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का और कहलगाँव सुपर तापीय विद्युत केन्द्रों को कोयला भेजने के लिए एम. जी. आर. प्रणाली के लिए परियोजना सम्भाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए एम. जी. आर. प्रणाली की सम्भाव्यता रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई है। कहलगाँव के प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्र के लिए एम. जी. आर. प्रणाली की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य अभी शुरू किया जाना है।

(ख) फरक्का एम. जी- आर. कोयला परिवहन प्रणाली में राजमहल कोयला क्षेत्रों की हुर्रा ब्लाक कोयला खानों से 87 मील लम्बी सिंगल लाइन रेलवे प्रणाली द्वारा विद्युत केन्द्र का कोयला ढोया जाना है। लगभग 39.45 करोड़ रुपए की पुंजी लागत वाली यह एम. जी आर. प्रणाली 1984-85 में चालू होने की सम्भावना है।

समाचार पत्र उद्योग और राज्य व्यापार निगम के बीच समन्वय

1061. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री जी यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्र उद्योग और राज्य व्यापार निगम के बीच परस्पर समन्वय लाने में विफलता की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप समाचार पत्र उद्योग को हो रही असुविधा को ध्यान में रखा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का समाचार पत्र उद्योग को अखबारी कागज सीधे ही सप्लाई करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमार कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) समाचार पत्र उद्योग की अखबारी कागज के आयात, जो राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है, में विलम्ब की शिकायतों के बारे में समाचार-पत्रों में छपे समाचार सरकार ने देखे हैं।

(क) जिला शहडोल में कितने आदिवासियों की जमीनों का कोयला खानों के लिये पिछले पाँच वर्षों में अधिग्रहण किया गया तथा प्रत्येक मामले में कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) क्या अधिग्रहण भूमि का मुआवजा इस बीच अदा कर दिया गया है; और

(ग) क्या परिवारों के बेरोजगार युवकों को, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, रोजगार दे दिया गया है और यदि हां, तो ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवश्यक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

1058. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक औषधियों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने आवश्यक औषधियों के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि करने के लिए किन-किन कारणों को महत्व दिया;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्य जो नई औषध नीति के आधार पर मार्च 1978 में एक वर्ष के लिए स्थिर हो गये थे, अगस्त 1980 तक समायोजित नहीं किए गए थे, यद्यपि निवेशों, विशेषकर पेट्रोलियम मूल्यों में तीव्र वृद्धि के पश्चात्. के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। मूल्यों को समायोजित करने की पद्धति की अगस्त 1 80 में मंजूरी दी गई थी और उसके पश्चात कुछ बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों को पहले ही संशोधित किया जा चुका है। इन समायोजनाओं में वृद्धि और कमी दोनों सम्मिलित हैं और ये औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अनुसार और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर हैं।

कम वजन वाले गैस सिलेंडरों की सप्लाई

1059. **श्री अशोक गहलोत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुकिंग गैस एजेंसियों उपभोक्ताओं को कम वजन वाले गैस सिलेंडर सप्लाई कर रही है;

(ख) क्या इस कारण उपभोक्ताओं को भारी वित्तीय हानि हो रही है;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि गैस डीलर अप्राधिकृत उपभोक्ताओं तथा होटलों को दो तीन दिन के लिये गैस सिलेंडर सप्लाई करते हैं जिनको बाद में वास्तविक उपभोक्ताओं के घरों पर लगा दिया जाता है और इस वजह से उपरोक्त स्थिति उत्पन्न होती है;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी बढ़ती हुई अनियमितताओं की रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) यदि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) उपभोक्ताओं को कम वजन वाले गैस सिलेण्डरों की सप्लाई करने सम्बन्धी शिकायतें समय-समय पर प्राप्त की जा रही हैं। जिन मामलों में जांच किये जाने के बाद यह साबित हो जाता है कि गैस सिलेण्डर खराब हैं उनके स्थान पर तेल कम्पनियाँ शिकायतकर्ताओं को बिना दाम दूसरे सिलेण्डर बदल कर दे देती है। अतः यह ठीक नहीं है कि उपभोक्ताओं को इस कारण भारी हानियाँ हो रही हैं।

(ग) इस मंत्रालय के ध्यान में कोई ऐसा विशेष उदाहरण नहीं आया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फरक्का और कहलगांव सुपर तापीय विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई

1060. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का और कहलगाँव सुपर तापीय विद्युत केन्द्रों को कोयला भेजने के लिए एम. जी. आर. प्रणाली के लिए परियोजना सम्भाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए एम. जी. आर. प्रणाली की सम्भाव्यता रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई है। कहलगाँव के प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्र के लिए एम. जी. आर. प्रणाली की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य अभी शुरू किया जाना है।

(ख) फरक्का एम. जी- आर. कोयला परिवहन प्रणाली में राजमहल कोयला क्षेत्रों की हुर्रा ब्लाक कोयला खानों से 87 मील लम्बी सिंगल लाइन रेलवे प्रणाली द्वारा विद्युत केन्द्र का कोयला ढोया जाना है। लगभग 39.45 करोड़ रुपए की पुंजी लागत वाली यह एम. जी आर. प्रणाली 1984-85 में चालू होने की सम्भावना है।

समाचार पत्र उद्योग और राज्य व्यापार निगम के बीच समन्वय

1061. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्र उद्योग और राज्य व्यापार निगम के बीच परस्पर समन्वय लाने में विफलता की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप समाचार पत्र उद्योग को हो रही असुविधा को ध्यान में रखा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का समाचार पत्र उद्योग को अखबारी कागज सीधे ही सप्लाई करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमार कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) समाचार पत्र उद्योग की अखबारी कागज के आयात, जो राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है, में विलम्ब की शिकायतों के बारे में समाचार-पत्रों में छपे समाचार सरकार ने देखे हैं।

(ख) जी, हाँ । समाचार-पत्रों की अखबारी कागज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने अखबारी कागज की सप्लाई की बदर स्टाक में से व्यवस्था करके कदम उठाए हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

हिमाचल प्रदकश में छिद्रणा कार्य

1062. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण की सम्भावना की खोज के लिये किन-किन खनिजों का सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) क्या ज्वालामुखी, रामशहर आदि में तेल का पता लगाने के लिए छिद्रण कार्य आरंभ किया गया था और यदि हाँ, तो वहाँ कितना व्यय किया गया और क्या वहाँ कालोनी के लिये रखे गये माल तथा सामग्री को नीलाम कर दिया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार अर्जित राशि को सरकारी कोष में जमा कराया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार तेल खनिजों का पता लगाने के लिए छिद्रण कार्य आरंभ करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) इस प्रकार के कोई सर्वेक्षण नहीं किये जा रहे हैं ।

(ख) जी हाँ । ज्वालामुखी क्षेत्र में 91.99 लाख रुपये के मूल्यह्रास सहित किया गया कुल व्यय 700.74 लाख रुपये था । राम शहर क्षेत्र में 265.13 लाख रुपये के मूल्यह्रास सहित किया गया कुल व्यय 557.52 लाख रुपये था ।

ज्वालामुखी में परिचालन के प्रथम चरण में निर्मित बस्ती को सेना के प्राधिकारियों को सौंप दिया गया है ।

(ग) बस्ती को बेचे जाने से प्राप्त राशि को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जिनकी वह बस्ती थी के खाते में जमा कर दिया गया था ।

(घ) इस क्षेत्र में किये जाने वाले प्रस्तावित उन्नत तकनीक द्वारा भूकम्पीय सर्वेक्षणों से प्राप्त प्ररिणामों के आधार पर उपयुक्त संरचनाओं की रूपरेखा पर ही खुदाई का पुनः प्रारम्भ किया जाना निर्भर करेगा ।

बिजली के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता के कारण गोआ के विकास में बाधा

1063. **श्री एडुआर्डो फलीरो :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ के लोगों के सम्पूर्ण आर्थिक विकास में काफी बाधा पड़ रही है क्योंकि यह संघ शासित क्षेत्र विद्युत की सप्लाई के बारे में पड़ोसी देशों पर पूरी तरह से निर्भर करता है और ये राज्य प्रायः अपने वायदे पूरे नहीं करते;

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का इस संघ शासित क्षेत्र को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) संघ शासित क्षेत्र गोवा की विद्युत की आवश्यकतायें कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों से सप्लाई लेकर पूरी की जाती है। वर्तमान सूचना के अनुसार वहाँ पर 1982-83 तक थोड़ी सी कमी रहने की संभावना है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण स्थिति को लगातार मानीटरिंग कर रहा है, तथा इस कमी को पूरा करने की दृष्टि से निकटवर्ती राज्यों से सहायता प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। 1983-84 से लेकर आगे की संघ शासित क्षेत्र गोवा की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाएगा।

विश्रामपुर, सरगुजा जिले (मध्य प्रदेश) के तापीय बिजली घर को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना।

1064. **श्री चक्रधारी सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्रामपुर जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश) के प्रस्तावित तापीय बिजली घर को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी स्थापना का कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में विश्रामपुर में 210-210 मेगावाट की दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना के लिए मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई परियोजना अभी स्वीकृति नहीं हुई है।

यह परियोजना विश्रामपुर क्षेत्र में उपलब्ध कोयले के समुपयोजन की परिकल्पना के आधार पर तैयार की गई थी। यह कोयला बढ़िया गुणवत्ता वाला कोयला है और जिसे विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। कोयला विभाग को यह अध्ययन करने के लिए कहा गया है कि क्या इस क्षेत्र में विद्युत केन्द्र की पूर्ति करने के लिए पड़ोस में कहीं कुछ घटिया ग्रेड के कोयले की परतें मौजूद हैं।

मध्य प्रदेश में समाचार-पत्रों के लिए आबंटित अखबारी कागज

1065. **श्री शिव कुमार सिंह** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के छोटे समाचार-पत्रों के लिए अखबारी कागज का कितने टन कोटा आबंटित किया गया है;

(ख) गत वर्ष के दौरान उपर्युक्त कोटा किन छोटे समाचार-पत्रों को दिया गया था; और

(ग) पूर्वी निमाड़ जिले से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को गत वर्ष कितने टन अखबारी कागज का कोटा दिया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) 2840.15 मीट्रिक टन।

(ख) जैसे कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान पूर्वी निमाड़ जिले के किसी भी समाचार-पत्र के अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन नहीं किया।

विवरण

1979-80 के दौरान जिन छोटे समाचार-पत्रों को अखबारी कागज आबंटित किया गया उनके नाम तथा उनको आबंटित अखबारी कागज की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	नाम तथा प्रकाशन स्थान	आबंटित मात्रा
1.	लोकस्वर, हिन्दी दैनिक, बिलासपुर	44.57 टन
2.	मनियान, हिन्दी साप्ताहिक, ग्वालियर	11.34 ,,
3.	स्पुतनिक, हिन्दी साप्ताहिक, इन्दौर	28.79 ,,
4.	टेंडर एण्ड ट्रेड, अंग्रेज़ी, साप्ताहिक, भोपाल	29.97 ,,
5.	मालव समाचार, हिन्दी साप्ताहिक, इन्दौर	33.68 ,,
6.	कृषक जगत, हिन्दी साप्ताहिक, भोपाल	28.02 ,,
7.	बिलासपुर टाइम्स, हिन्दी दैनिक, बिलासपुर	21.46 ,,
8.	बढ़ता कारवां, हिन्दी साप्ताहिक, इन्दौर	2.40 ,,
9.	समय, हिन्दी दैनिक, शहडोल	119.80 ,,
10.	दैनिक अवन्तिका, हिन्दी दैनिक, उज्जैन	42.47 ,,
11.	जन उत्थान, हिन्दी दैनिक, ग्वालियर	3.63 ,,
12.	दैनिक जवान भारत, हिन्दी दैनिक, सतना	56.38 ,,
13.	जन धर्म, हिन्दी साप्ताहिक, भोपाल	1.06 ,,
14.	मानस मणि, हिन्दी मासिक, रामवन	1.17 ,,
15.	जन प्रवाह, हिन्दी साप्ताहिक, ग्वालियर	4.47 ,,
16.	दैनिक जागरण, हिन्दी दैनिक, भोपाल	111.75 ,,
17.	दैनिक जागरण, हिन्दी दैनिक, रीवा	80.57 ,,
18.	दैनिक जनबोध, हिन्दी दैनिक, शहडोल	73.30 ,,
19.	प्रगतिशील जनपक्ष, हिन्दी साप्ताहिक, जबलपुर	16.46 ,,
20.	बंघविया समाचार, हिन्दी दैनिक, रीवा	83.80 ,,
21.	एम. पी. चोरानिकल, अंग्रेजी दैनिक, भोपाल	91.68 ,,
22.	प्रीमियर,	0.88 ,,
23.	एम. पी. चोरनिकल, अंग्रेजी दैनिक, रायपुर	32.57 ,,
24.	प्रभात किरण, हिन्दी साप्ताहिक, इन्दौर	10.87 ,,
25.	आफताब-ए-जदीद, उर्दू दैनिक, भोपाल	139.25 ,,
26.	चरावती एण्ड आवाज, हिन्दी साप्ताहिक, भोपाल	20.32 ,,
27.	स्वदेश, हिन्दी दैनिक, ग्वालियर	82.17 ,,
[illegible]	दैनिक भारती, हिन्दी दैनिक, कटनी	9.39 ,,

1	2	3	
29.	जनजागरण, हिन्दी साप्ताहिक, सिधी	1.12	,,
30.	विन्ध्या समाचार, हिन्दी साप्ताहिक, रीवा	6.49	,,
31.	अग्रदूत, हिन्दी साप्ताहिक, रायपुर	5.29	,,
32.	ध्वज, हिन्दी दैनिक, मंदसौर	20.73	,,
33.	मालव टाइम्स, हिन्दी साप्ताहिक, उज्जैन	3.36	,,
34.	दैनिक राही, हिन्दी दैनिक, सागर	35.43	,,
35.	सवेरा संकेत, हिन्दी दैनिक, राजनदगांव	49.90	,,
36.	दैनिक ब्रिगेडियर, हिन्दी दैनिक, उज्जैन	2.05	,,
37.	विक्रम दर्शन, हिन्दी दैनिक, उज्जैन	28.31	,,
38.	जागरण, हिन्दी दैनिक, इन्दौर	27.87	,,
39.	चैलेंज सिंधी साप्ताहिक, भोपाल	1.94	,,
40.	नव प्रभात, हिन्दी दैनिक, लस्कर	74.05	,,
41.	धधकती ज्वाला, हिन्दी साप्ताहिक, बिलासपुर	3.81	,,
42.	गौतम हितैषी, हिन्दी मासिक, देवास	0.37	,,
43.	महाकौशल केसरी, हिन्दी दैनिक, कटनी	20.95	,,
44.	इंकलाब, हिन्दी साप्ताहिक, छिंदवाड़ा	0.37	,,
45.	दैनिक, मध्य प्रदेश, हिन्दी दैनिक, कटनी	42.68	,,
46.	दैनिक, सान्ध्य प्रकाश, हिन्दी दैनिक, भोपाल	19.71	,,
47.	हितावड़ा, हिन्दी दैनिक, भोपाल	65.68	,,
48.	इन्दौर समाचार, हिन्दी दैनिक इन्दौर	156.59	,,
49.	युगधर्म, हिन्दी दैनिक, जबलपुर	155.37	,,
50.	स्वदेश, हिन्दी दैनिक, इन्दौर	180.87	,,
51.	नवीन दुनिया, हिन्दी दैनिक, जबलपुर	125.22	,,
52.	दैनिक भास्कर, हिन्दी दैनिक, उज्जैन	125.16	,,
53.	देश बन्धु, हिन्दी दैनिक, भोपाल	70.40	,,
54.	देश बन्धु, हिन्दी दैनिक, जबलपुर	52.50	,,
55.	युगधर्म, हिन्दी दैनिक, रायपुर	193.55	,,
56.	नवभारत, हिन्दी दैनिक, इन्दौर	187.16	,,
		2840.15	

औषध नीति की आलोचना

1066. **श्री सूर्यनारायण सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लिसबन में सू. एन. आई. डी. ओ. द्वारा प्रायोजित औषध

निर्माण उद्योग की परामर्शदात्री बैठक में इस देश के बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों की एक एसोशियन के प्रेजीडेन्ट ने औषध सम्बन्धी सरकारी नीति की आलोचना की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) यूनिडो द्वारा भेषज उद्योग पर 1 से 5 दिसम्बर 1980 को लिसबन में आयोजित प्रथम सम्मेलन में भेषज उद्योग के बारे में यूनिडो द्वारा किये गये एक अध्ययन को विचार विमर्श के लिए परिचालित किया गया था। अध्ययन में संशोधन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भेषज निर्माता फैडरेशन (आइ. एफ. पी. एम. ए.) द्वारा सुझाव का एक नोट प्रस्तुत किया गया था। संशोधन सम्बन्धी ये प्रस्ताव पश्चिमी देशों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे जिनमें भारत का भी हवाला दिया गया है। अत: इन प्रश्नों के उत्तर में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख ने बैठक में एक कागज प्रस्तुत किया। एक भारतीय भेषज संगठन के अध्ययन ने बैठक में यह प्रश्न उठाये थे जिन्होंने आई. एफ. पी. एम. ए. के एक सदस्य के रूप में सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा उनका उपयुक्त उत्तर दिया गया था।

केरल में तेल के लिये खोज

1067. **श्री वी एस. विजय राघवन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सरकार ने केरल में तेल की खोज करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) क्या इसके लिए किसी अन्य देश से सहायता माँगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) विगत में, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने केरल में अन्वेषी कार्य किया है परन्तु वहां हाइड्रोकार्बन्स नहीं मिले हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रयासों को बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में सक्षम विदेशी पार्टियों से 32 ब्लाकों, जिसमें केरल अपतटीय क्षेत्र के 3 ब्लाक शामिल हैं, में अन्वेषणात्मक कार्य करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने का निश्चत किया है।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स की स्थापना के लिये आशय-पत्र जारी करना

1068. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को हल्दिया, पश्चिम बंगाल में पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स स्थापित करने के लिए आशय-पत्र कब दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने मूलभूत ढांचे की सुविधाओं के लिये प्रावधान सहित आशय-पत्र में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा कर दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया है और यदि हाँ, तो कब; और

(घ) औद्योगिक लाइसेंस देने में इतने ज्यादा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना हेतु, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को 11 नवम्बर, 1977 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था। विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट में दर्शायी गई विभिन्न पैट्रो-रसायनों के उत्पादन के लिए बढ़ी हुई क्षमताओं की व्यवस्था हेतु इसका संशोधन 19 दिसम्बर, 1980 को किया गया था।

(ख) से (घ) प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिए अन्य अनेक कदमों जैसे वित्तीय व्यवस्थायें, एक नई कम्पनी का निगमीकरण, विशेषज्ञों। सहयोगियों और उपकरण चयन आदि को अभी तय किया जाना है। आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तन करने के प्रश्न पर उपयुक्त समय पर विचार किया जा सकता है।

समाचार पत्रों में समाचारों और विज्ञापनों के बीच अनुपात

1069. **श्री ए. नीलालोहियादसन नाडार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी समाचार पत्रों में समाचारों और विज्ञापनों के स्थान के बीच अनुपात निर्धारित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्णय को पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है; यदि हाँ, तो किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है;

(घ) यदि नहीं तो इसे अब तक कियान्वित न किये जाने के कारण क्या हैं; और

(ङ) भारत सरकार का विचार इसे किस प्रकार क्रियान्वित करने का है, और क्या इसके पास इसे लागू करने के लिए कोई कानूनी अनुमति है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) जी, नहीं। उच्चतम न्यायालय ने समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 और दैनिक समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) आदेश, 1960 को असंवैधानिक और प्रभावहीन घोषित कर दिया था।

स्वस्थ प्रेस के संवर्धन के लिए समाचारों और विज्ञापनों के बीच समुचित अनुपात का होना आवश्यक है। यद्यपि यह उद्देश्य सराहनीय है तो भी इसको प्राप्त करना कानूनी/संवैधानिक सन्देहों से मुक्त नहीं है। प्रेस आयोग के विचार प्राप्त होने पर मामले में फिर कार्यवाही की जाएगी।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

चीन की पद्धति पर लघु पन बिजली प्रजनन केन्द्रों की स्थापना

1070. **श्री के. राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय जल संसाधनों से 1 मे. वा. से 10 मेगावाट तक विद्युत उत्पादित करने वाले लघु पन बिजली प्रजनन केन्द्र स्थापित करके विद्युत प्रजनन की चीन की पद्धति से हमें

समूचे देश में विद्युत के वर्तमान भारी संकट को शीघ्रता पूर्वक दूर करने में सहायता मिलेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को समूचे देश में युद्ध स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) माइक्रो तथा लघु जल विद्युत केन्द्रों के प्रतिष्ठापन की विचार धारा नई नहीं है। सरकार इस प्रकार की शक्यता का उपयोग करने तथा इस प्रकार की स्कीमों के क्रियान्वयन को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करती है। तथापि, यह एक एसा क्रिया-क्लाप है जिसे सम्बन्धित राज्यों द्वारा हाथ में लिया जाना है। ऊर्जा मंत्रालय ने इस प्रकार की स्कीमों पर विशेष ध्यान देने का परामर्श दिया है तथा विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध कराने अथवा उनके द्वारा अपेक्षित किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव भी किया है।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र की प्रसारण पारेषण शक्ति में वृद्धि

1071. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र की प्रसारण क्षमता को बढ़ाकर आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र की क्षमता के बराबर करने पर विचार कर रही है ताकि कलकत्ता से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को बम्बई, मद्रास, श्री नगर, दिल्ली और देश के अन्य भागों में किसी भी समय सुना जा सके; और

(ख) यदि हां, तो प्रसारण शक्ति में कब वृद्धि किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) और (ख) इस समय इस प्रक र का कोई प्रस्ताव नहीं है। आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना मुख्य रूप से क्षेत्रीय सेवा उपलब्ध करने के लिए की जाती है, यद्यपि रात के समय इन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सम्बन्धित क्षेत्रों से बाहर भी सुनाई पड़ सकते हैं। प्रसंगवश, आकाशवाणी, कलकत्ता मोगरा के 1000 किलो वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के लिए बंगला कार्यक्रम उपलब्ध करता है जो बंगला देश के लिए होते हैं। ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत में बड़े पैमाने पर सुनाई पड़ते हैं।

बम्बई हाई के विकास के लिये विश्व बेंक द्वारा ऋण

1072. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई के विकास के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में भारत को 400 मिलियन डालर का ऋण स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विवरण क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ?

(ख) बम्बई हाई विकास कार्यक्रम (अग्रिम कार्यवाही) के चरण 4 और चरण 5 की आंशिक रूप से वित्तीय व्यवस्था के लिए विश्व बैंक से 400 का अमरीकन डालर ऋण लिया

गया है। प्लेटफार्मों की प्राप्ति और उनकी स्थापना तथा समुद्र के भीतर स्थित पाईप-लाइनों को जोड़ने के हेतु इस ऋण की राशि का उपयोग किया जाएगा।

इस ऋण में प्राप्त धन-राशि पर $9\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज और अप्राप्त की गई धन-राशि पर 1 प्रतिशत के $\frac{3}{4}$ के बराबर आश्वासन शुल्क (कमिटमेंट चार्ज) लिया जाना है। ब्याज और आश्वासन शुल्कों का प्रति वर्ष अर्ध-वार्षिक रूप से भुगतान किया जाना है। समस्त ऋण को 31 मार्च, 1984 से पहले प्राप्त कर लिया जाना है और इसका भुगतान 5 वर्षों की ग्रेस अवधि को शामिल करके 20 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ही किया जाना है।

जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन

1073. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी जीवन रक्षक औषधियों का ब्यौरा क्या है जिनके उत्पादन में चालू वर्ष के दौरान काफी गिरावट आई है; और

(ख) उत्पादन में इस कमी के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष अप्रैल-नवम्बर 1980 क दौरान वास्तविक उत्पादन और दिसम्बर 1980-मार्च, 1981 के दौरान अनुमानित उत्पादन के आधार पर वर्ष 1979-80 की तुलना में वर्ष 1980-81 के दौरान अधिकतर बल्क औषधों के उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान है।

बेकार पड़े तेल कुओं की खुदाई

1074. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तेल कुएं ऐसे हैं जो कुछ तकनीकी और भूवैज्ञानिक कारणों से बेकार पड़े हैं और यह कहाँ-कहाँ पर हैं;

(ख) क्या प्राकृतिक भूवैज्ञानिक कारणों से भारतीय तेल क्षेत्रों से निकाले जाने वाले तेल की प्रतिशतता कम होती है; और

(ग) यदि हाँ, तो पहले से खोदे गए किन्तु बेकार पड़े तेल कुओं की मरम्मत करने और उन्हें पुन: चालू करने तथा तेल कुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) जी, हाँ।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

(1) विभागीय कूप सेवा दल को सुदृढ़ करना

(2) कूपों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त वर्क ओवर रिगों की खरीद

(3) कूपों की मरम्मत के लिए ठेके के आधार पर विदेशी दलों को प्राप्त करना।

रेडियो और टी. वी. कलाकारों तथा विशेषज्ञों के चयन के लिए मानदंड

1075 **श्री जैनुल बशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो और टी. वी. कलाकारों तथा विशेषज्ञों के चयन के क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को चयन के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो उन शिकायतों के मामले में की गई जाँच का क्या परिणाम निकला; और

(घ) चयन प्रक्रिया लागू करने के क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) जहाँ तक आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में नियमित स्टाफ आर्टिस्टों के चयन का सम्बन्ध है, प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए विशिष्ट भर्ती नियम हैं तथा चयन इन्हीं नियमों के अनुसार किया जाता है। जहाँ तक संगीत, नाटक, जैसे कार्यक्रमों के लिए कलाकारों के चयन का सम्बन्ध है, यह इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त स्वर परीक्षण करने के पश्चात् किया जाता है। वार्ताओं तथा परिचर्चाओं जैसे कार्यक्रमों के लिए इनमें भाग लेने वालों का चयन करने में विशिष्ट क्षेत्र में उनकी जानकारी और विशेषज्ञता, विषय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता, आदि जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग) कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, परन्तु ये बहुधा कतिपय लोगों को बुक न करने के सम्बन्ध में होती है। इस प्रकार की सभी शिकायतों पर आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विचार किया जाता है तथा उन पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाई की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। विभिन्न कार्यक्रमों के लिये कलाकारों के चयन की वर्तमान प्रणाली काफी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही प्रतीत होती है।

कोयले के चूरे, चावल की भूसी, कृषि अवशेषों और शहरी कूड़े-करकट से ईंधन ब्रिकेटों का निर्माण

1076. **श्री चतुर्भुज :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के चूरे, चावल की भूसी, कृषि अवशेषों और शहर के कूड़े करकट से ईंधन ब्रिकेटें बनाने के संबंध में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (हैदराबाद) और केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (धनबाद) में किए गए कार्य का विवरण क्या है; और

(ख) व्यापारिक पैमाने पर इस प्रकार के ब्रिकेटों का परीक्षण के तौर पर निर्माण करने का क्या प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने कोक ब्रीज, चारकोल फाइन्स, और कोयला फाइन्स की ईंटें बनाने के संबंध में अध्ययन किया है। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद ने भी धुआं रहित घरेलू ईंधन (पेलेट कोक) बनाने की एक प्रक्रिया का विकास किया है जिसमें घटिया ग्रेड के कोककर कोयलों

का अथवा कोयला वाशरियों के मिडलिंग्ज, मिक्स, स्लरी आदि उप-उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। चावल की भूसी, कृषि से संबद्ध बचे हुए पदार्थों और शहरी कूड़े से सीधे ही ईंटे बनाने के संबंध में अभी तक प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद ने अथवा केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने कोई अध्ययन नहीं किए हैं।

(ख) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा विकसित प्रक्रिया को व्यापारिक स्तर पर प्रयोग करने का काम राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक उपक्रम है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड भी चार फाइन्स से कोक की ईंटे बनाने के लिये एक संयंत्र स्थापित कर रहा है। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर खास कुमुंडा में एक पेलेट सयंत्र में काम शुरू किया गया है। इस सयंत्र की स्थापित क्षमता 100 टन प्रति दिन है तथा इससे अब व्यापारिक स्तर पर उत्पादन शुरू हो गया है।

"ओपेक" देशों द्वारा तेल की उचित दरों पर सप्लाई

1077. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए उचित और युक्तियुक्त मूल्यों पर "ओपेक" देशों से तेल की निश्चित रूप से सप्लाई प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का क्या परिणाम रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : अन्य बातों के साथ-साथ ओ. पी. ई. सी. ने इन प्रश्नों का संदर्भ दीर्घ अवधि नीति समिति को दिया है। समिति की बैठक मई, 1980 में तेफ (सऊदी अरब) में हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रिपोर्ट के उस भाग पर विचार विमर्श किया गया था जो कि ओ. पी. ई. सी. के अन्य विकासशील देशों के सम्बन्धों से सम्बन्धित था। तथापि इन प्रश्नों पर अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किए जा सके हैं। और आगे ओ. पी. ई. सी. के पेट्रोलियम वित्त और विदेश मंत्रियों को सितम्बर, 1980 वियाना के स्थान पर हुई बैठक में अनिर्णायक विचार विमर्श हुए थे। इस प्रश्न पर ओ. पी. ई. सी. की आगे होने वाली बैठक में विचार किया जाना था और अन्तिम निर्णय लेने के लिए इसको ओ. पी. ई. सी. के बगदाद शिखर सम्मेलन को भेजा जाना था। ईरान-इराक युद्ध के कारण ओ. पी. ई. सी. शिखर बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई और इस मामले पर विचार भी नहीं किया जा सका।

विभिन्न राज्यों और प्रतिष्ठानों को 1980 के दौरान कोयले की सप्लाई

1078. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों को कोयले की सप्लाई कम रही है तथा इसकी उपलब्धता पर बुरा प्रभाव पड़ा है; यदि हां, तो 1-1-1980 से 31-12-1980 तक विभिन्न राज्यों और प्रतिष्ठानों को राज्यवार प्रतिष्ठान-वार कुल कितनी मात्रा में कोयला उत्पादित किया गया और कितना दिया गया; और

(ख) क्या यह सच है कि कोयले की कम सप्लाई तथा अनुपलब्धता के कारण रेलवे की ढुलाई, विभिन्न उद्योगों के उत्पादन और संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और यदि हाँ, तो

दश म कोयले का उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने क लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विभिन्न राज्यों को कोयले की सप्लाई पर परिवहन साधनों की कमी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। वर्ष 1980 में कोयले का उत्पादन 109.12 मिलियन टन हुआ था। वर्ष 1980 में कोयले के राज्यवार प्रेषण और प्रमुख उपभोक्ता सेक्टरों को किये गये प्रेषण का एक विवरण संलग्न है।

(ख) यद्यपि कोयले की कोई कमी नहीं है फिर भी कभी-कभी उपभोक्ताओं की कुल जरूरतें पूरी नहीं की जाती जिसका कारण या तो परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां अथवा अभीष्ट विशिष्ट ग्रेड के कोयले की कमी होता है। कोयला कंपनियां कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की उपलब्धि बढ़ाने की दृष्टि से रेलवे के साथ सभी स्तरों पर लगातार सम्पर्क बनाये हुए है।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाए किये जा रहे हैं :—

(1) बिजली की सप्लाई में सुधार।
(2) भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाना।
(3) राज्य सरकार से निकट सम्पर्क करके कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार।
(4) खनन प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण।

विवरण

वर्ष 1980 में विभिन्न राज्यों को कोयले की अनुमानित सप्लाई

(आंकड़े मिलियन टनों में)

विहार	20.33
पश्चिम बंगाल	13.45
उत्तर प्रदेश	9.01
उड़ीसा	4.06
मध्य प्रदेश	11.18
महाराष्ट्र	7.61
गुजरात	6.69
राजस्थान	1.05
दिल्ली	2.57
पंजाब	1.49
हरियाणा	0.89
तमिलनाडु	30.56
आंध्र प्रदेश	4.92
कर्नाटक	0.95
अन्य—छोटे राज्य	0.56
रेलवे	12.21

वर्ष 1980 में विभिन्न उपभोक्ता सेक्टरों को कोयले की अनुमानित सप्लाई

	(मिलियन टन)
बिजली	36.60
इस्पात	21.84
लेको	12.21
सीमेंट	4.34
उर्वरक	2.01
अन्य	23.03

भारतीय उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

1079. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय उर्वरक संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता 50 प्रतिशत से भी कम है जिसके फलस्वरूप उत्पादन कम होने की वजह से लगभग 1000 करोड़ रु. के उर्वरक का आयात करना पड़ता है;

(ख) क्या इस कमी का एक कारण संयंत्रों को बिजली, कोयला और फीडस्टाक की कम सप्लाई होना है;

(ग) क्या एक अन्तर-मंत्रालय दल ने पुन: इस बात पर बल दिया है कि यदि वर्तमान संयंत्रों की क्षमता का उपयोग करने में सुधार के लिए प्रयास नहीं किए गए तो छठी योजना में उर्वरक उपयोग सम्बन्धी परिव्यय में की गई कटौती से माँग और पूर्ति के बीच अन्तर और बढ़ जाएगा; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक संयंत्रों, विशेषकर नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन करने वाले सयत्रों का क्षमता उपयोग वर्ष 1978-79 में 71 2 प्रतिशत और वर्ष 1979-80 में 62.2 प्रतिशत था। वर्ष 1980-81 के प्रथम 10 महीनों के दौरान (अप्रैल, 1980 से जनवरी 1981 तक) क्षमता उपयोग 54.3 प्रतिशत था। यह गिरावट, बिजली कोयला और कच्चे माल की उपलब्धता में विकट बाधाओं के कारण था। तथापि यह बता देना आवश्यक है कि उर्वरकों का हमेशा आयात किया जाता रहा है चूंकि उर्वकरों का उत्पादन हमेशा माँग से कम रहा है।

(ग) और (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विचार किये गये उर्वरक कार्यक्रम के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उर्वरक संयंत्रों के क्षमता उपभोग में सुधार करने की दृष्टि से संयत्रों को फीड टाक और निवेशों के पर्याप्त सप्लाई का प्रबन्ध करने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा उत्पादन की अन्य बाधाओं को दूर करने के लिये संयंत्र संचालन सुधार कार्यक्रम, कैप्टिव विद्युत प्रजनन सुविधा की स्थापना, केटोलेस्ट का परिवर्तन, सन्तुलन यंत्र को जोड़ना आदि जैसे उपाय पहले से ही किये जा रहे हैं।

फिल्म समारोह आयोजित किये जाना

1080. **श्री एन. ई. होरो** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह उच्च स्तर की रूचि के साँस्कृतिक आदान-प्रदान का स्थल है और लोगों में विश्व के विभिन्न देशों द्वारा भेजी गई आलोचना पूर्ण बिना सेन्सर की गई फिल्मों को देखने की भगदड़ रहती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन फिल्मों के लिये टिकटों का मूल्य असाधारण रूप से अत्याधिक होता है जिसे केवल धनी व्यक्ति ही वहन कर सकता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन फिल्मों को सामान्य लोगों को दिखाने की अनुमति देने से पूर्व सेंसर द्वारा इन फिल्मों में भारी काट-छाँट की जाती है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस प्रकार के मानक अपनाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने का एक उद्देश्य विभिन्न सिने साँस्कृतियों की झांकी प्रस्तुत करना तथा विश्व सिनेमा में सर्वोत्तम को प्रस्तुत करना है। वर्षों से समारोह ने दर्शकों में अच्छी फिल्में देखने की भावना उत्पन्न करने में सहायता की है और भारतीय दर्शकों को उत्कृष्ट फिल्म निर्माताओं की फिल्मों से परिचित कराया है।

(ख) इन फिल्मों के टिकटों का मूल्य धीरे-धीरे कम किया गया है। 1977 में टिकट का अधिकतम मूल्य 25/-रु. था। इसको 1979 में घटाकर 20/-रुपए और 1981 में 15/-रुपए कर दिया गया।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान प्रदर्शित की गई फिल्मों को सेंसर शिप उपबन्धों से छूट है। ऐसा समारोह विनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है और उस परिपाटी के अनुरूप है जिसका अन्य अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में अनुसरण किया जाता है। तथापि समारोह प्रदर्शनों को छोड़कर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अभिप्रेत सभी फिल्में चलचित्र अधिनियम, 195 और इसके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धाँतों के उपबन्धों के अनुसार फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जाँची जाती हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आपत्तिजनक समझे गये अंशों को बोर्ड द्वारा सेंसर प्रमाण पत्र जारी करने से पहले निकाल दिया जाता है।

गैर-कानूनी अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए औषध कम्पनियों को दंड दिया जाना

1081. **श्री निरेन घोष :** क्या पेट्रोलिय, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध कम्पनियों को गैर-कानूनी अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए कभी दंडित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन की औषध उद्योग तक ही सीमित नहीं है। औषध उद्योग के बारे में मार्च 1978 में यह निर्णय किया गया था कि बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के अधिक उत्पादन को, लोक सभा में 29-3-1978 को प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र के पैराग्राफ 27.3 से 36 में दर्शाये गये मानदण्डों और शर्तों के अनुसार नियमित किया

जाय। यह भी निर्णय किया था कि यदि कम्पनियों ने वर्ष 1973-77 के दौरान अथवा उससे पहले लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक विस्तार कर लिया है अथवा सम्बन्धित औद्योगिक लाइसेंस अथवा उनको दिये गये अन्य प्राधिकरण की शर्तों अथवा अन्य किसी कानून का उलंघन किया है तो उनके खिलाफ उसी आधार पर कार्यवाही की जायेगी जिस आधार पर उद्योग के अन्य क्षेत्रों में सभी कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है जिन्होंने उसी प्रकार का उलंघन किया हो।

उपरोक्त निर्णयों और विचार विमर्श के लिये जब आँकड़े एकत्र किये गये थे और उनका मूल्यांकन किया जा रहा था तो सरकार ने 4-9-1980 तक की स्थापित क्षमता को मान्यता देने के बारे में अगस्त 1980 में अपनी नीति की घोषणा की थी कि जहाँ स्थापित क्षमता लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक है उसे कुछ शर्तों के साथ मान्यता दी जाय बशर्ते कि ऐसी क्षमता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण चुने हुए उद्योगों के बारे में हो और जो अधिक खपत वाले पदों के उत्पादन में लगे हों (जिनमें औषध और भेषज उपयोग भी शामिल हैं)।

दोनों नीतियों की समस्याओं की जांच सम्बन्धित विभागों के परामर्श से की जा रही है।

गुजरात में दो बड़े आकार की उर्वरक परियोजनाएं स्थापित किया जाना

1082. **श्री आर. पी. गायकवाड : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या यह सच है कि गुजरात में सूरत के निकट बड़े आकार की दो उर्वरक परियोजनाएं स्थापित की जानी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये सरकारी क्षेत्र में होंगी अथवा संयुक्त क्षेत्र में;

(ग) क्या इन दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये किन्हीं विदेशी परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन विदेशी परामर्शदाताओं के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को मत्रालय में कितना पारिश्रमिक दिया जायेगा ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) अमोनिया प्लांट और चार यूरिया प्लांट वाले एक बड़े आकार की उर्वरक परियोजना को गुजरात के सूरत के निकट हजीरा में लगाया जा रहा है।

(ख) परियोजना सहकारी क्षेत्र में है।

(ग) और (घ) ईटली के स्नैमप्रोगेती को 5.237 मिलियन डालर के कुल शुल्क से यूरिया प्लांटों के लिये परामर्शदायी ठेका दिया गया है। मैसर्स के लोग इण्डिया लिमिटेड (के. आई. एल.) और मैसर्स केलोग इन्टरनेशनल सर्विस कारपोरेशन (के. आई. एस. सी. ओ.) अमोनिया प्लांटों के परामर्शदाता है। के लोग को कुल 15.400 मिलियन डालर शुल्क देय होगा।

गरीबों को विधिक सहायता देने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श

1083. **श्री राम स्वरूप राम : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करके, गरीब लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने और उन्हें उनके विरुद्ध मामलों के निपटारे में मदद देने के प्रयोजन से जिला स्तरों पर वकीलों का एक पूल बनाने का प्रयास कर रही है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने अपने राज्य में गरीब लोगों की मदद करने और उनको सहायता प्रदान करने के लिए अब तक कोई स्कीम बनाई है, और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी नहीं। विधिक सहायता के प्रयोजन के लिये पेनल बना कर या अन्यथा काउन्सेल की नियुक्ति की आवश्यक व्यवस्था करने का उन राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का काम है जो विधिक सहायता स्कीमें चला रहे हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही विधिक सहायता स्कीमों का जो ब्यौरा सरकार को उपलब्ध हुआ है वह सदन के पटल पर रख दिया गया है (उपाबध)। (ग्रथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी.-1934/81)

गुजरात को रायल्टी का भुगतान

1084. **श्री मोती भाई आर. चौधरी** : क्या पेट्रोलियम, **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अशोधित तेल पर रायल्टी दिये जाने की मांग की है, रायल्टी की कितनी राशि मांगी गई है और गुजरात सरकार ने किस समय से रायल्टी की मांग की है;

(ख) रायल्टी की कितनी राशि और कब से दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या 1976 में रायल्टी 20 प्रतिशत के प्रतिशत के स्थान पर कम दी गई थी और क्या उसमें अन्तर की राशि का भुगतान अब किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) गुजरात सरकार ने जुलाई 1980 के अपने ज्ञापन के अनुसार यह माँग की है कि मध्य पूर्वी बैंच-मार्क कच्चे तेल की पोर्ट पर उतराई लागत के 20 प्रतिशत की दर से रायल्टी निर्धारित की जाए और यह 1.1.1976 से प्रभावी होनी चाहिए।

(ख) और (ग) मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है और मामले से सम्बन्धित सभी पहलुओं को इसपर अन्तिम निर्णय लिये जाने के समय ध्यान में रखा जायेगा।

विवरणियां दाखिल न करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

1085. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी लिमिटेड कम्पनियों की संख्या क्या है, जिन्होंने पिछले वर्ष कानूनी उपबंधों के अन्तर्गत विवरणियां दाखिल नहीं की हैं;

(ख) उन फर्मों के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है; और

(ग) उन कम्पनियों के विरुद्ध जिन्होंने कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अपने लेखे नहीं रखे हैं, तथा जिन्होंने प्रशासनिक अनियमिततायें की हैं; क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) से (ग) : सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

राजाध्यक्ष समिति की बिजली के बारे में सिफारिशें।

1086 **श्री तारिक अनवर :**

श्री हीरालाल आर परमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजाध्यक्ष समिति की ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न वस्तुओं के बारे में मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) उनमें से कितनी सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत सप्लाई उद्योग के सभी पहलू इस समिति की रिपोर्ट में शामिल हैं। इनमें से निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया गया है :—

1. विकास के लिए आयोजना।
2. परियोजना तैयार करना और उनका क्रियान्वयन।
3. प्रचालन और अनुरक्षण।
4. वित्त, वित्तीय प्रबन्ध तथा टेरिफ।

समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों पर राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श विभिन्न क्षेत्रों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान किया गया था। राज्यों से अपने विचार शीघ्रतिशीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है। सिफारिशें राज्यों के साथ समुचित परामर्श के बाद लागू की जाएंगी।

विवरण

विद्युत समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें

विद्युत समिति ने विद्युत सप्लाई उद्योग के सभी पहलुओं पर विस्तृत सिफारिशें की हैं। मुख्य-मुख्य सिफारिशों का सारांश नीचे दिया जाता है;

1. विद्युत विकास के लिए आयोजना :

समिति ने विद्युत आयोजना के लिए 15 से 20 वर्ष की समयावधि की तथा उसी अवधि में मध्यमकालीन योजनाओं की सिफारिश की है। एक क्षेत्र के लिए आयोजना करने पर बल दिया गया है, न कि अलग-अलग राज्यों के आयोजना करने पर। समिति ने सुझाव दिया है कि विद्युत उत्पादन में (अर्थात् 2000 ई. तक 45%) तथा परिषण में (अर्थात् 400 के. वी. की सभी प्रमुख पारेषण लाइनें तथा अन्तर्राज्यीय प्रकृति की 220 के. वी. की लाइनें भी केन्द्र सरकार के स्वामित्व में होनी चाहिए तथा उसके द्वारा प्रचालित की जानी चाहिए) केन्द्रीय क्षेत्र की भूमिका

को बढ़ाना होगा। पारेषण हानियों को कम करने के लिए समिति ने, क्षमता की आवश्यकता तथा प्रत्येक राज्य में कमी का मूल्यांकन करके, पारेषण हानि में उत्तरोत्तर कमी करने का सुझाव दिया है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर भी बल दिया गया है।

परियोजना का क्रियान्वयन : न्युक्लीय विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समिति ने एक नए निगम का गठन करने का सुझाव दिया है। विद्युत के अन्तर्राज्यीय आदान प्रदान के लिए (वर्तमान क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के स्थान पर) सांविधिक क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीन एक राष्ट्रीय ग्रिड के गठन का सुझाव भी दिया गया है। सलाह देने की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की वर्तमान जिम्मेदारी प्राधिकरण से ले लेने के लिए सलाहकारी सगठन के लिए एक नया सार्वजनिक क्षेत्र गठित किया जाना है। विद्युत संयत्रों के निर्माण के सम्बन्ध में (प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाने के लिए) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसी समान्तर सुविधा का गठन करने अथवा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को विद्युत विभाग के अधीन करने का सुझाव समिति ने दिया है।

2. **प्रचालन तथा अनुरक्षण :**

समिति ने सुझाव दिया है कि सभी ताप विद्युत केन्द्रों में उत्तरोत्तर 80% उपलब्धता गुणांक तथा 58% संयंत्र भार अनुपात प्राप्त किया जाए। कार्मिकों को प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया है, उचित औद्योगिक सम्बन्ध बनाने तथा पर्याप्त मात्रा में फुटकर पुर्जे तैयार रखने का उल्लेख किया गया है। ताप विद्युत केन्द्रों की मानीटरिंग करने में एक प्रभावकारी प्रबंध सूचना प्रणाली का गठन किया जाना चाहिए।

3. **वित्तीय प्रबध तथा टैरिफें :**

राज्य बिजली बोर्डों के लिए लाभ की दर 15% निर्धारित की जानी चाहिए (इसमें सरकारी ऋणों पर ब्याज शामिल है), जिससे विद्युत कार्यक्रम के लिए पर्याप्त साधन जुटाने में सहायता मिलनी चाहिए। निर्माणधीन कार्यों सम्बन्धी ब्याज को राजस्व लेखे में नाम डाला जाना चाहिए तथा उसे पूंजी में परिणत नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि इस समय किया जाता है। समिति ने टैरिफ के सिद्धान्तों पर विस्तृत सिफारिशें की हैं, जिनमें उन्होंने सुझाव दिया है कि टैरिफ लागत से कम स्तर पर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए कोई भी आर्थिक सहायता, इस हेतु राज्य विधान मण्डल में पारित हो जाने के बाद, राज्य सरकार से आर्थिक सहायता के रूप में दी जानी चाहिए। घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए इन्वर्टेड ब्लाक टैरिफों तथा व्यस्तमकालीन टैरिफों का सुझाव दिया गया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कृषकों तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को एक वर्ग के रूप में, आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है और आर्थिक सहायता लघु/सीमांत कृषकों तक ही सीमित रहनी चाहिए। कृषकों के लिए समान दर टैरिफ समाप्त कर दी जानी चाहिए। बोर्डों के कुशल और कारगर कार्य-निष्पादन के लिए मानदण्ड, हाल ही में गठित किए गए बिजली लागत और कीमत ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए जाने चाहियें।

4. **ग्राम विद्युतीकरण :**

लगभग 1994-95 तक 100% ग्राम विद्युतीकरण हो जाना चाहिए। स्ट्रीट लाइटिंग के

लिए शुल्क राज्य सरकार द्वारा सीधे ही राज्य बिजली बोर्डों को दिए जाने चाहियें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को यह ग्रावश्यक सुविधा मिल सके। ग्रामीण लोगों को ग्रपने घरों की वायरिंग कराने के लिए ऋण देने की स्कीमों का सुझाव दिया गया है।

5. संगठन तथा प्रबंध व्यवस्था :

समिति ने विद्युत सप्लाई उद्योग को पुनर्गठित करने के लिए विस्तृत सिफारिशें की हैं। राष्ट्रीय पारेषण लाइनों तथा भार प्रेषण केन्द्रों के स्वामित्व ग्रहण करने के लिए तथा उनका प्रचालन करने तथा विद्युत के ग्रन्तर्राज्यीय ग्रादान-प्रदान को नियंत्रित करने तथा केन्द्रीय केन्द्रों से सभी भागीदार राज्यों को विद्युत के ग्रबाध प्रवाह में सहायता करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में साँविधिक क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों का गठन किया जाना है। क्षेत्रीय विद्युत उत्पादन निगमों को केन्द्रीय क्षेत्र के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम तथा दामोदर घाटी निगम के विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कार्य ग्रपने हाथ में लेने हैं। राज्य बिजली बोर्डों के संघटन में संशोधन तथा राज्य बिजली बोर्डों ग्रौर केन्द्रीय प्राधिकरण के ग्रध्यक्षों/सदस्यों के चयन करने की प्रक्रियायें बताई गई हैं।

6. ग्रनुसंधान तथा विकास :

समिति ने विद्युत क्षेत्र में ग्रनुसंधान ग्रौर विकास कार्य के लिए ग्राबंटन में पर्याप्त वृद्धि का सुझाव दिया है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा दुर्गापुर गाँव को ग्रपने नियंत्रण में लिया जाना

1087. **श्री शांताराम पोट दुखे :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा ग्रपने कार्यों के लिये दुर्गापुर गांव को ग्रपने नियंत्रण में लिये जाने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या गाँव की समस्त भूमि को ग्रपने नियंत्रण में लेना ग्रावश्यक है जबकि भूमि के नीचे कोयले के निक्षेप नहीं हैं;

(ग) उन व्यक्तियों को, जिनकी भूमि ग्रावश्यकता के रूप में ग्रधिगृहीत की जाएगी, किस दर पर मुग्रावजा दिया जाएगा;

(घ) क्या उन व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिये, जिन्हें वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमि से वंचित किया जाएगा कोई वैकल्पिक कार्यवाही की गई है; ग्रौर

(ङ) क्या सरकार का विचार प्राथमिकता के ग्राधार पर क्षेत्र में पनप रहे उद्योगों में ऐसे भूमिहीन लोगों को खपाने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्रौर (ख) दुर्गापुर परियोजना के लिये ग्रधिगृहण की दृष्टि से दुर्गापुर गाँव के केवल एक भाग को ही कोयला धारी क्षेत्र (ग्रधिगृहण ग्रौर विकास) ग्रधिनियम, 1957 की धारा 9 के ग्रधीन ग्रधिसूचित किया गया था। इसमें कुछ ऐसी जमीन शामिल है जो कोयला धारी नहीं है। इस सारी भूमि का ग्रधिगृहण यहां ग्राधारभूत निर्माण कार्य के लिए किया गया है—जैसे कार्यशाला, कोयला रखरखाव संयंत्र, कालोनी ग्रौर दुर्गापुर ग्रोपेनकास्ट खान के ऊपरी मलवे को रखना।

जब यह सारी भूमि बिना किसी बाधा के पूरी तरह केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में ग्रा

गई तो कुछ ऐसे अभिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें भूमि के कुछ टुकड़ों को अधिग्रहण से छूट देने की माँग की गई —इन टुकड़ों में कुछ ऐसे टुकड़े शामिल हैं जिनके नीचे कोयले के भंडार नहीं हैं। इन अभिवेदनों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जा रहा है जिनमें कानूनी दृष्टिकोण भी शामिल है।

(ग) जिन लोगों से जमीन ली जाती है उन्हें देय मुआवजे की दर अधिगृहीत भूमि के प्रत्येक एकड़ के लिये रु. 1500.00 से लेकर रु. 3750.00 तक रहती है और वास्तव में देय राशि जमीन की किस्म पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) भूमि से वंचित व्यक्ति को अथवा उसके एक आश्रित को नौकरी दी जाती है और यह बात उससे अधिगृहीत भूमि के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। भूमि से वंचित होने वालों के पुनर्वासन सम्बन्धी योजनाओं का कार्यान्वियन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर भी कोयला कंपनियां, यदि उनसे कहा जाए तो ऐसी किसी योजना के कार्यान्वियन में सहायता प्रदान करेंगी।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लिमिटेड उद्योगमंडल में एण्डोसल्फर परियोजना की स्थापना

1088. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लिमिटेड उद्योगमंडल केरल में एण्डोसलफर परियोजना की स्थापना का कार्य कब पूरा हो जायेगा और संयंत्र में उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि इस संयंत्र की स्थापना के बारे में ज्ञान न होने के कारण 50 लाख रुपये की राशि तो अब तक नष्ट हो चुकी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि लापरवाही पूर्ण भण्डारण के कारण बड़ी मात्रा में, आयातित कच्ची सामग्री थियोनली क्लोराईड नष्ट हो गई थी जिससे कि श्रमिकों और जनता के स्वास्थ्य को भी हानि पहुँची थी;

(घ) यदि हां, तो अनुमानत: कितनी राशि की हानि हुई; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) बैटरी सीमा के अन्दर प्लांट को खड़ा करने का काम पूरा हो गया है और इसके फरवरी, 1981 में चालू होने और फरवरी,/मार्च, 1981 में प्रारम्भिक उत्पादन शुरू करने की आशा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) थियोनाइल क्लोराइड काफी जंग लगने वाला है। लम्बी अवधि तक भंडारन के कारण पैंक बहने लगा। जिसके परिणामस्वरूप सामग्री का एक भाग जिसका मूल्य 17 लाख रुपए था बहने के कारण बर्बाद हो गई। भंडारित सामग्री बीमाकृत थी जिसके लिए दावा किया गया है। बहते ड्रमों के बचाव के लिये सभी सुरक्षा उपाय किये गये थे। प्रबन्ध ने सूचित किया है कि बहने के कारण वातावरण पर कोई खतरा नहीं है।

(ङ) उपरोक्त (ग) और (घ) के अन्तर्गत बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में बसाये गये शरणार्थी और उनको उपलब्ध की गई सहायता

1089. **श्री जय नारायण रौत** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान राज्य में अब तक कितने शरणार्थी बसाये जा चुके हैं और उनको क्या सहायता दी गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : राजस्थान में बसाए गए विस्थापित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या निम्न हैं :—

विस्थापित व्यक्तियों की श्रेणी	संख्या
1. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति	3,73,000 व्यक्ति
2. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए पुराने प्रवासी	300 परिवार
3. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों के लघु व्यवसायी परिवार	335 परिवार
4. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के कृषक परिवार	373 परिवार
5. 1971 के भारत-पाक संघर्ष से प्रभावित विस्थापित व्यक्ति	3,300 परिवार

भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैमानों से अनुसार, इन विस्थापित व्यक्तियों का, मकानों के निर्माण, बैलों की खरीद, बैलगाड़ी तथा सभी उपकरण, बीज तथा उर्वरक, भूमि उद्धार तथा संरक्षण, आवासीय प्लाटों का विकास, लघु व्यवसाय चालू करने के लिए दुकान व रिहायशी स्थान का निर्माण करने के लिए ऋण और अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, कृषक परिवारों को खेती योग्य भूमि भी आवंटित की जाती है।

देश के विभाजन के तुरन्त बाद पश्चिमी पाकिस्तान से जो विस्थापित व्यक्ति आये थे, उन्हें, उनके द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों का मुआवजा भी दिया गया था।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बिजली लगाने की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना

1090. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उन गाँवों में बिजली लगाने की कोई योजनाएं बनाई हैं जिनमें अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियाँ तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की संख्या अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) ऐसे सभी गाँवों में बिजली पूर्ण रूप से कब तक लगा दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम, हरिजन बस्तियों तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों, अविकसित क्षेत्रों तथा प्रमुख रूप से आदिवासियों द्वारा आबाद क्षेत्रों समेत पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता देता है।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों की विद्युतीकरण स्कीमों और हरिजन बस्तियों की विद्युतीकरण स्कीमों की प्रमुख विशेषतायें विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनन्तिम संदर्शी योजना प्रस्तावों के आधार पर देश में गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण दसवें दशक के मध्य तक संभव हो सकता है जिसको 3500 करोड़ रुपये को अनुमानित परिव्यय आवश्यक है। उस समय तक आदिवासियों की आबादी वाले सभी गाँव और हरिजन बस्तियाँ भी विद्युतीकृत हो सकेंगी।

विवरण

यदि किसी स्कीम के क्षेत्र में 50% से अधिक आबादी आदिवासियों की हो या क्षेत्र आदिवासी उपयोजना में शामिल कर लिया गया हो या गृह मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित आदिवासी विकास अभिकरण में शामिल हो तो ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वह स्कीम आदिवासी क्षेत्र की स्कीम मानी जाती है।

सामान्यत: ग्राम विद्युतीकरण निगम के सामान्य कार्यक्रम तथा संबोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कुल वार्षिक परिव्यय का कम से कम 15% आदिवासी क्षेत्रों की स्कीमों के लिए प्रारक्षित किया जाता है। विशेष अविकसित क्षेत्रों तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये जो आसान शर्तें लागू होती हैं उन्हीं आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र आदिवासी क्षेत्रों की स्कीमें भी हैं। इन रियायतों में ब्याज की निम्न दरें, ऋण चुकाने के लिए लम्बी अवधि तथा अन्य पिछड़े तथा विकसित क्षेत्रों की तुलना में जीवन क्षमता के उदार मानदण्ड शामिल हैं। ऋण चुकाये जाने की अवधि 6% से $9\frac{1}{2}$% ब्याज की दर के साथ 30 वर्ष है। इसकी तुलना में पिछड़े क्षेत्रों के मामले में ऋण चुकाने की अवधि 7% से $9\frac{1}{2}$% ब्याज की दर के साथ 25 वर्ष है और विकसित क्षेत्रों के मामले में यह अवधि $7\frac{1}{2}$% से $9\frac{1}{2}$% ब्याज की दर के साथ 20 वर्ष है जीवन क्षमता के मानदण्ड के संबंध में भी, समता स्तर 15वें वर्ष में प्राप्त करना होता है। इसकी तुलना में पिछड़े क्षेत्रों के मामले में यह अवधि 10वां वर्ष और विकसित क्षेत्रों के मामले में 7 वां वर्ष है। प्रतिपल की निर्धारित दर 25वें वर्ष के अन्त में प्राप्त करनी होगी। इसकी तुलना में पिछड़े क्षेत्रों के मामले में यह दर 20वें वर्ष में तथा विकसित क्षेत्रों के मामले में 15वे वर्ष में प्राप्त करनी होती है। इसके अतिरिक्त, असाधारण कठिन क्षेत्रों की स्कीमों पर यथा आवश्यक जीवन क्षमता संबंधी मानदण्डों में और अधिक रियायत देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्कीम पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

हरिजन वस्तियों के मामले में निगम द्वारा वित्तीय सहायता के लिये अनुमोदित ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं में जहां भी मुख्य गांव की सड़कों पर रोशनी के लिए प्रावधान किया जाता है, वहाँ यह भी व्यवस्था की जाती है कि इससे साथ लगी हरिजन वस्तियां भी इसमें शामिल की जायें। इसके अतिरिक्त मुख्य गांव के साथ लगी जिन हरिजन बस्तियों को मुख्य गाँव का विद्युतीकरण करते समय पहले छोड़ दिया गया था, उन हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिये निगम वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

हरिजन बस्तियों के लिये ऋण के मामले में ऋण चुकाये जाने की अवधि 5% ब्याज की दर के साथ 15 वर्ष है।

उत्तर प्रदेश में तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए सोवियत संघ के साथ करार

1091. **श्री एन. के. शेजवलकर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए सोवियत सघ की सरकार के साथ कोई करार किया है; ग्रौर

(ख) यदि हाँ, तो उपकरण, तकनीकी जानकारी कच्चे माल की सप्लाई ग्रौर उत्पादित की जाने वाली बिजली के सम्बन्ध में उक्त करार का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारत ग्रौर सोवियत संघ के बीच सम्पन्न हुए ग्राथिक ग्रौर तकनीकी सहयोग करार में उपयुक्त पारेषण सुविधाग्रों तथा कोयले के विकास की सुविधाग्रों वाले (3000 मेगावाट तक विस्तार किए जाने की संभाव्यता सहित) 1000 मेगावाट की क्षमता के एक समेकित ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य उन परियोजनाग्रों में से एक है जिनके लिए सोवियत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने निर्णय किया है कि सोवियत सहायता मध्य प्रदेश में वैधान में स्थापित की जाने वाली 1000 मेगावाट की क्षमता वाली सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के विकास के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

(ख) वैधान में सुपर ताप विद्युत परियोजना की परिकल्पित चरण क्षमता 3000 मेगावाट होगी। उपस्करों की सप्लाई ग्रादि से सम्बन्धित परियोजना के ब्यौरे को ग्रभी ग्रन्तिम रूप नहीं दिया है।

उर्वरकों का उत्पादन ग्रौर ग्रायात

1092. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन माह के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) मार्च 1981 के ग्रन्त तक उर्वरकों का उत्पादन कितना होने की संभावना है।

(ग) क्या छठी योजना के दौरान देश में उर्वरकों की माँग पूरी की जाएगी;

(घ) छठी योजना के ग्रन्त तक उर्वरकों के ग्रायात में किस हद तक कमी की जाएगी ?

पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्रालय में मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी हाँ।

(ख) वर्ष 1980-81 में उर्वरकों के उत्पादन 22 लाख टन नाइट्रोजन ग्रौर 8.5 लाख टन पी-2 ग्रों5 का ग्रनुमान है।

(ग) छठी योजना के ग्रन्त तक उर्वरकों का उत्पादन पूरी माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

(घ) स्वदेशी उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप कुल खपत की तुलना में ग्रायातित नाइट्रोजनस ग्रौर फास्फेटिक उर्वरकों की प्रतिशतता के छठी योजना के प्रारम में 39 प्रतिशत की तुलना में योजना के ग्रन्त तक 29 प्रतिशत तक ग्रा जाने की ग्राशा है।

छविग्रहों की ओर सातवें फिल्मोत्सव से सम्बन्धित सरकारी देय राशियां

1093. **श्री हीरालाल आर. परमार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन छविगृहों की ओर देय सरकारी राशियों का ब्यौरा क्या है जहाँ सातवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव की फिल्में प्रदर्शित की गई थी;

(ख) उक्त राशियाँ बकाया रहने के क्या कारण हैं;

(ग) उन पर अब तक कितना ब्याज चढ़ चुका है;

(घ) क्या उक्त बकाया राशियाँ वसूल हो जाएगी यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त राशियां बकाया होने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) सातवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए किराए पर लिए गए किसी भी सिनेमा घर की ओर सरकार की कोई राशि बकाया नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

श्रमिकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए दामोदर घाटी निगम को भेजा गया केन्द्रीय दल

1094. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री मगल राम प्रेमी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिकों की शिकायतें जिससे प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच तनावयुक्त सम्बन्ध पैदा हो रहे हैं और श्रमिक निगम के सुचारू कार्यकरण में बाधा डाल रहे हैं पर विचार करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में दामोदर घाटी निगम का दौरा किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो दल के निष्कर्ष की मुख्य बातें क्या हैं और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन : (क) और (ख) कामगारों की शिकायतों की विशिष्ट रूप से जांच करने के लिए दामोदर घाटी निगम को हाल ही में कोई केन्द्रीय दल नहीं भेजा गया है। सचिव, विद्युत विभाग, भारत सरकार ने 28 से 30 दिसम्बर 1980 तक दामोदर घाटी निगम के ताप विद्युत केन्द्रों का निरीक्षण दौरा किया था। अपने दौरे के ही भाग के रूप में जो कम विद्युत उत्पादन के कारणों का पता लगाने तथा सुधार के लिए सुझाव देने से भी सम्बन्धित था सचिव (विद्युत) ने औद्योगिक सम्बन्धों के मामले में कुछ पंजीकृत यूनियनों के साथ विचार-विमर्श किया था। उन्होंने पाया कि अनुशासन के मामले में सभी सयंत्रों में बहुत अधिक सुधार हुआ है। विभिन्न विद्युत संयंत्रों में काम की स्थितियों में सुधार लाने के लिए भी पिछल 3 महीनों के दौरान काफी ध्यान काफी ध्यान दिया गया है। आवास सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार लाने, टाउनशिप क्षेत्रों में सुधार लाने तथा मनोरंजन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कार्यवाही की गई है। कामगारों की शिकायतों की जाँच करने के लिए तथा

उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए दामोदर घाटी निगम शीघ्र ही कल्याण निरीक्षकों की नियुक्ति भी करने जा रहा है।

"दूरदर्शन वाणिज्यिक निगम" की स्थापना

1095. **श्री जर्नादन पुजारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या "दूरदर्शन वाणिज्यिक निगम" की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दूरदर्शन की विज्ञापन सेवा से, राज्यवार, कुल कितना राजस्व अर्जित किया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस अवस्था पर ब्यौरा देना समय पूर्व होगा।

(ग) सूचना इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वर्ष के दौरान अर्जित कुल राजस्व 1977-78 (रुपये)	1978-79 (रुपये)	1979-80 (रुपये)
1.	संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली (दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली)	94,05,400	1,43,78,500	1,81,42,875,50
2.	महाराष्ट्र (दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई)	87,19,280	1,53,49,125	1,89,90,900.00
3.	पंजाब (दूरदर्शन केन्द्र, जलन्धर)	11,64,250	28,64,500	58,85,850.00
4.	पश्चिम बंगाल (दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता)	20,77,500	50,72,200	83,35,790.45
5.	तमिलनाडू (दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास)	11,47,250	31,71,250	56,46 400.00
6.	उत्तर प्रदेश (दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ)	8,22,000	20,80,000	32,18,850.00
7.	जम्मू व कश्मीर (दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर)	3,75,500	9,52,250	14,23,174.00

मंगलोर में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

1096. **श्री जर्नादन पुजारी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या मंगलौर में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस स्थान का चयन तथा सर्वेक्षण कर लिया गया है जहाँ इनकी स्थापना की जाएगी; और

(ग) यदि हाँ, तो अनुमानित लागत तथा इसके पूरा होने की सम्भावित तिथि तथा स्थापित क्षमता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पश्चिम तट क्षेत्र में मगलौर के पास एक शोधनशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) सरकार द्वारा गठित स्थल चयन समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सही स्थल के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

(ग) होने वाले व्यय के बारे में सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार होने पर ही पता चलेगा। सरकार के अनुमोदन दिये जाने की तिथि से लगभग साढ़े चार वर्षों के समय में परियोजना पूरी होगी। शोधनशाला की स्थापित क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी।

दूरदर्शन निदेशालय के अधिकारियों के विदेश दौरे का प्रयोजन और उन प्रतिनियुक्ति पर हुआ व्यय।

1098. **श्री डी. एस. ए. शिव प्रकाशम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन निदेशालय, नई दिल्ली में काम कर रहे अधिकारियों को वर्ष 1979-80, 1980-81 और अब तक की अवधि के दौरान विदेश दौरे/प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें किन उद्देश्यों से भेजा गया है तथा उनके विदेश दौरों/प्रतिनियुक्ति पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) क्या ऐसे दौरों से दूरदर्शन को कोई लाभ हुआ है यदि हाँ, तो वे लाभ क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद एम. बेन जोशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) दूरदर्शन के अधिकारियों को विदेशों में विभिन्न सेमिनारों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेने या राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री की यात्राओं को कवर करने के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार की यात्राओं से दूरदर्शन को हुए लाभ हैं (1) अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न समस्याओं पर दूरदर्शन का दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण विकास के क्षेत्र में दूरदर्शन की भागेदारी सुनिश्चित की जाती है; (2) दूरदर्शन कार्यक्रम विकास पर आवश्यक "फीड-बैक", नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा कार्यक्रमों के तैयार करने में प्रयुक्त नवीनतम प्रविधियाँ और जिस तरीके से टेलीविजन विभिन्न देशों में प्रयुक्त किया जा रहा है, उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करता है, और दूरदर्शन के व्यावसायिक व्यक्तियों को विदेशों में विभिन्न टेलीविजन पद्धतियाँ, नवीनतम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और कार्यक्रम आयोजना की विभिन्न धारणायें देखने का अवसर मिलता है। लौटने पर ये अधिकारी टेलीविजन कार्यक्रमों की समृद्धि में योगदान देते हैं।

विवरण

वर्ष 1979-80 और 1980-81 (अब तक) के दौरान विदेशी यात्रा/प्रति नियुक्ति पर भेजे गए दूरदर्शन के अधिकारियों के नामों और उनकी विदेशी यात्रा/प्रति नियुक्ति पर हुए खर्च की राशि को दर्शाने वाला विवरण।

क. सं.	अधिकारी का नाम	देश/स्थान जहाँ गए	यात्रा की अवधि	यात्रा का प्रयोजन	किया गया व्यय	
					भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7
				1979-80		
1.	श्री वी. ए. डी. रयालु मुख्य इंजीनियर	संघीय जर्मन गणराज्य	2-5-79 से 12-5-79 तक	दूरदर्शन और जर्मन संघीय गणराज्य फेडरल में न्यू जर्मन रेडियो के बीच प्रस्तावित भागेदारी के बारे में बातचीत करने के लिए।	रु. 28,798.00	रु. 14,684.00
2.	श्री एम. एम. अस्थाना, कार्यभारी इंजीनियर	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—		
3.	श्री एस. शंकर, महानिदेशक (तत्कालीन उप-महानिदेशक)	वलिंगडन (न्यूजीलैंड)	7-5-79 से 9-5-79 तक	ए. बी. यू. स्पोर्टस वर्किंग पार्टी की 7 वीं बैठक में भाग लेने के लिए।	रु. 19,186.50	रु. 1,722.50
4.	श्री एन. एन. खन्ना, उप-मुख्य इन्जीनियर	मानट्रीओक्स (स्विजरलैंड)	27-5-79 से 1-6-79 तक	मानट्रीओक्स (स्विजरलैंड) में 11वीं अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन संगोष्टि।	रु. 11,448.00	रु. 10,836.00

1	2	3	4	5	6	7
5.	श्री एन. वेंकटसवरलू, कार्यभारी इन्जीनियर	क्वाला-लम्पुर (मलेशिया)	1-6-79 से 25-6-79 तक	क्वाला लम्पुर में प्रशिक्षण सेमीनार का समन्वय करने के लिए।	— (व्यय ए. आई. बी. डी., क्वाला लम्पुर द्वारा वहन किया गया)	—
6.	श्री एच. वी. माथुर, मुख्य प्रोड्यूसर, दूरदर्शन	सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, आदि।	10-6-79 से 21-6-79 तक	प्रधान मंत्री की यात्रा को कवर करने के लिए।	विदेश मंत्रालय द्वारा राशि सूचित नहीं की गई है।	
7.	कु. जय चाँदीराम, मुख्य प्रोड्यूसर, दूरदर्शन	क्वाला-लम्पुर	12-8-79 से चार महीने	टेलीविजन प्रशिक्षण कोर्स में ए. आई. बी. डी. की सहायता करने के लिए।	रु. 6,220.00	शून्य
8.	श्री एन. एन. खन्ना, उप-मुख्य इन्जीनियर	कोलम्बो (श्रीलंका)	2-9-79 से 8-9-79 तक	ए. बी. यू. की स्थायी इन्जीनियरिंग समिति और उसकी वर्किंग पार्टियों की कोलम्बो में बैठकें।	रु. 7,319.50	रु. 2,965.00
9.	श्री ए. आर. शिन्दे, उप-महानिदेशक	वाशिंगटन	12-9-79 से 14-11-79 तक	अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन परियोजना में भाग लेने के लिए।	रु. 20,204.00	शून्य
10.	श्री एन. एन. खन्ना, उप-मुख्य इन्जीनियर	जेनेवा	24-9-79 से 30-11-79 तक	डब्ल्यू. ए. आर. सी., जेनेवा 1979 में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल।	रु. 18,800.00	रु. 75,659.00

1	2	3	4	5	6	7
11.	श्री एम. एन मेहतानी, सहायक योजना अधिकारी	क्वाला-लम्पुर (मलेशिया)	1-10-79 से 20-12-79 तक	टेलीविजन इन्जीनियरिंग कोर्स में भाग लेने के लिए क्वाला-लम्पुर में ए. आई. बी. डी. के प्रतिनिधि मण्डल।	रु. 10,299.00	रु. 8,620.00
12	श्री पी. सी. खरे, केन्द्र इंजीनियर	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव –		
13.	श्री एस. शंकर, महानिदेशक (तत्कालीन उप-महानिदेशक)	यूगोस्लाविया	5-10-79 से 12-10-79 तक	गुट-निरपेक्ष देशों के प्रथम टेलीविजन समारोह में भाग लेने हेतु।	रु. 13,883.00	रु. 237.75
14.	श्री एस. शंकर, महानिदेशक (तत्कालीन उप-महानिदेशक)	बैंकाक, बाली, जकार्ता तथा सिंगापुर	11-11-79 से 28-11-79 तक	समिति की बैठकें, प्रशासनिक परिषद् की बैठकें तथा ए. बी. यू. की साधारण सभा में भाग लेने तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद टूर्नामेन्टों के लिए स्टेडियम व्यवस्था का अध्ययन करने हेतु।	रु. 1,385.00	रु. 7,152.00
15.	श्री बी. के. शर्मा, वरिष्ठ इंजीनियर सहायक	कोलम्बो (श्री लंका)	24-3-80 से 11-4-80 तक	छोटी गाज वीडियो वर्कशाप के बारे में प्रशिक्षण।	रु. 841.00	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
			1980-81			
1.	श्री एस. शंकर, महानिदेशक	संघीय जर्मन गणराज्य (पश्चिमी जर्मनी)	2-6-80 से 11-6.80 तक	अन्तर्राष्ट्रीय सह-निर्माण वर्कशाप में भाग लेने के लिए।	रु. 1,110 00	रु. 7,610.00
2.	श्री ए. आर. शिन्दे, उप-महानिदेशक	श्रीलंका (कोलम्बो)	17-8.80 से 25-8-80 तक	ए. बी. यू. की आम सभा की 17 वीं बैठक और इसकी सम्बद्ध बैठकों में भाग लेने के लिए।	रु. 4,851.25	रु. 8,651.75
3.	श्री आर. वी. एल. श्रीवास्तव, मुख्य इन्जीनियर	कोलम्बो (श्रीलंका)	17-8-80 से 25-8-80 तक	ए. बी. यू. की इंजीनियरिंग कमेटी की बैठकों और संबद्ध वकिंग पार्टियों की बैठकों में भाग लेने के लिए।	रु. 3,976.00	रु. 8,651.00
4.	श्री ए. वी. स्वामीनाथन, केन्द्र इन्जीनियर	क्वाला-लम्पुर (मलेशिया)	19-7-80 से 1-8-80 तक	डिजिटल टेक्नीक्स और माइक्रो प्रोसेसिंग ब्राड-कास्टिंग में प्रशिक्षण कोर्स।	रु. 780-00 (मार्ग, भोजन, आदि का व्यय ए पी. आई बी. डी., क्वाला-लम्पुर द्वारा वहन किया गया)	शून्य
5.	श्री ए. आर. शिन्दे, उप महानिदेशक	सिडनी (आस्ट्रेलिया)	16-9-80 से 25-9-80 तक	कामन वैल्थ ब्राड-कास्टिंग एसोशिएशन की साधारण सभा में भाग लेने के लिए।	रु. 19,109.00	रु. 6,802.00

1	2	3	4	5	6	7
6.	श्री के. एस. बधावन, उप मुख्य इन्जीनियर	जनेवा (स्विटजर लैंड)	6-10-80 17-10-80 तक	सी. सी. आई. आर. का बैठक में भाग लेने के लिए।	रु. 15,400.00	रु. 12,362.40
7.	श्री एस. शंकर, महानिदेशक	टोकियो (जापान)	9-1-81 से 15-1-81 तक	विदेशी संगठनों के रंगीन टी. वी. दृश्यों और रंगीन टी. वी. प्रसारण का काम सौंपने का पता करने के लिए एशियाई खेल, 1982 संबंधी विशेष समिति द्वारा प्रायोजित शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के 10 सदस्यीय शिष्ट मंडल के एक सदस्य के रूप में।	शिक्षा संस्कृति मंत्रालय द्वारा व्यय नहीं बताया गया।	
8.	श्री एस. कृष्णमूर्ति, विशेष कार्य अधिकारी	हांगकांग	10-1-81 से 18-1-81 तक	वाणिज्यिक टेलीविजन फर्मों के साथ एशियाई खेलों के रंगीन टेलीविजन प्रसारण अधिकारों की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए।	रु. 14,587 00	रु. 5,913.00

उड़ीसा के चिलिका पारिकुद क्षेत्र के लिये विद्युतीकरण योजना

1099 **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या ऊर्जा **मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को चिलिका पारिकुद क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इस योजना की मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) इस योजना का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) तथा (ख) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई एक ग्राम विद्युतीकरण योजना को जोकि पुरी जिले में चिलिका पारिकुद क्षेत्र में गढ़ कृष्ण प्रसाद ब्लाक को समाविष्ट करती है, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने फरवरी, 19‾6 में स्वीकृति दी थी।

(ग) प्रश्न के भाग (क) (ख) के उत्तर में उल्लिखित योजना का ब्योरा निम्न प्रकार से है :—

1. योजना की लागत :	रु. 5.925 लाख
2. स्वीकृत ऋण राशि :	रु. 5.509 लाख
3. समाविष्ट किये गये गाँव :	10

इन सभी 10 गाँवों को विद्युतीकरण कर लिया गया है।

पारादीप में तेल-टर्मिनल की स्थापना का प्रस्ताव

1100. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या पेट्रोलियम, **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पारादीप में एक तेल-टर्मिनल की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) पारादीप में एक तेल-टर्मिनल की स्थापना करने के प्रस्ताव सम्बन्धी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में इस समय ब्योरे देना सम्भव नहीं है।

खाना पकाने की गैस सिलेण्डरों की सप्लाई में अनियमितता

1101. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या पेट्रोलियम, **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की सप्लाई में बहुत अनियमितताएं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपभोक्ता को गैस का सिलेण्डर कभी-कभी एक मास के बाद भी दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो गैस सिलेण्डरों की सप्लाई में अनियमितताओं के क्या कारण हैं; और

(घ) उनके मन्त्रालय ने इस बारे में नियमितता बनाए रखने के लिए क्या विशेष कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में कई कारणों से जैसे कि बरौनी शोधनशाला के बन्द होने, दूसरी शोधनशालाओं से उत्पाद की उपलब्धता में कमी, औद्योगिक सम्बन्ध समस्या तथा परिवहन गत्यवरोध के कारण खाना पकाने की गैस की सप्लाई में अस्थाई रुकावट हुई थी जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को रिफिलों की सप्लाई में देरी हुई।

(घ) बरौनी शोधनशाला पुनः प्रारम्भ हो गई है। इसके अलावा बम्बई में सप्लाई की उपलब्धता स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है तथा उत्पाद विभिन्न स्थानों पर भेजा जा रहा है। इस वर्ष मार्च से बम्बई हाई से अतिरिक्त तरल पेट्रोलियम गैस उपलब्ध होने की आशा से, सप्लाई की स्थिति में और सुधार होने की आशा है।

ईरान-ईराक युद्ध के कारण तेल के आयात में कमी

1102. **प्रो. मधु दण्डवते :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान-ईराक युद्ध के फलस्वरूप तेल के आयात में कितनी कमी हुई है; और

(ख) तेल के आयात की इस कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) ईरान-इराक युद्ध के परिणामस्वरूप खनिज तेल की सप्लाई में कुछ कमी थीं। तथापि इन कमियों को आंशिक रूप से विद्यमान और नये स्रोतों से आयात द्वारा और आंशिक रूप से स्पाट खरीदारी द्वारा पूरा किया गया है।

दौरों तथा शिष्ट मंडल पर व्यय

1103. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से कच्चे तेल का आयात करने के उद्देश्य से विदेशों को भेजे गये शिष्ट मण्डलों तथा दौरों पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) दौरा किए गए देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

हरियाणा में सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना करना

1104. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में कोई उर्वरक कारखाना स्थापित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो वह कहाँ स्थापित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) छठी पचवर्षीय योजना के लिए उर्वरक कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करना निहित है।

सार्वजनिक क्षेत्र में गैस पर आधारित एक उर्वरक कम्पलैक्स थाल वैसठ, महाराष्ट्र में, जिसमें दो सयत्र होगे, और गैस पर आधारित एक उर्वरक सयंत्र नामरूप, असम में कार्यान्वियत किये जा रहे हैं। उडीसा में पारादीप स्थान पर प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक संयत्र के ब्यौरों के शीघ्र निर्धारित किये जाने की आशा है। छठी पचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में लिये जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उर्वरक संयंत्रों के स्थानों का निर्णय आवश्यक अध्ययन पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही किया जा सकता है।

तेल की खोज के लिए धनराशि

1105. **श्री चिरजी लाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल की खोज के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अभी हाल में स्वीकृत छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्वेषण और उत्पादन पर कुल 1873.28 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय होगा जिसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ख) अपतट में असम-अराकान, कृष्णा-गोदावरी और कावेरी बेसिनों में अन्वेषण कार्य में तीव्रता लानी है। कैम्बे बेसिन में अन्वेषण चालू को कायम रखा जायेगा। पश्चिम बगाल, गगा की घाटी, हिमाचल का तराई क्षेत्र, राजस्थान, उड़ीसा का समुद्री किनारा और अन्य क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य उपयुक्त रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। संभावी क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों जैसे पिछले स्थान और मुहाने जिनको अभी तक संभार-तत्र समस्याओं के कारण नहीं लिया गया था, जहाँ कहीं आवश्यक होगा, विशेषज्ञ ठेकेदारों वाली एजेंसियों को लगाकर अन्वेषण किया जायेगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमि. ने भूमि स्थित बेसिनों पर लगभग 882,700 मीटर की गहराई वाले 300 कूपों की कुल अन्वेषी व्यवधन की परिकल्पना की है।

2. अपतट के संबंध में, ऐसी आशा है कि आयल इंडिया महानदी डेल्टा क्षेत्र में अपने अन्वेषी कार्यक्रम को जारी रखेगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई अपतटीय बेसिन में अन्वेषण की सीमा गहरे पानी में बढ़ाकर उसे जारी रखेगा। उसने कच्छ की खाड़ी में सौराष्ट्र

अपतटीय, अण्डमान और निकोबार शेल्फ और उसके साथ पूर्वी तटवर्ती बेसिनों जैसे पाक खाड़ी और कृष्णा-गोदावरी बेसिनों में संरचनाओं के अन्वेषण के लिए प्रस्ताव दिया है। योजना अवधि के दौरान विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों में 95 अन्वेषी कूपों को खोदने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस की योजना है कि अपने फैलाए गए अपतटीय रिगों की संख्या बढ़ाई जाये।

3. बम्बई हाई क्षेत्र का पूर्ण विकास करने के अतिरिक्त, आर-12, दक्षिण बसीन और उत्तरी बसीन क्षेत्रों, बी-37 बी-38 संरचनाओं आदि अन्य सरचनाओं का विकास भी योजना अवधि के दौरान किया जायेगा।

4 तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए यह प्रस्ताव दिया गया है कि चुने हुए ब्लाकों को विदेशी नामी तेल कम्पनियों को सहयोगी ठेकों अथवा संयुक्त उद्यमों के लिए पट्टे पर दिया जाए।

हरियाणा में गैस एजेंसियाँ

1106. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में गैस एजेंसियों के नाम तथा संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक एजेंसी के पास (एजेंसी वार) पंजीकृत आवेदकों की अद्यतन संख्या क्या है; और

(ग) सभी एजसियों के पास पजीकृत आवेदकों को गैस-कनेक्शन की मंजूरी तब तक हो जाएगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) हरियाणा राज्य में 17 खाना पकाने की गैस की एजेन्सियाँ काय कर रही हैं। उनके नाम तथा प्रत्येक एजेन्सी के पास गैस कनेक्शनों के लिए पंजीकृत किए गए प्रतीक्षा सूची में ग्राहकों की संख्या संलग्न विवरण में दो गयी है।

(ग) ग्राहकों की प्रतीक्षा सूचीयों को अगले महीने से आरम्भ करके चरण बद्ध ढग से पूरा किए जाने की आशा है तथा वर्तमान सूचियों को 1983-84 तक पूरा किए जाने की आशा है।

विवरण

क्रम संख्या	वितरक का नाम	स्थान	31-12-80 को प्रतीक्षा सूची में लोगों की संख्या
1.	अम्बाला गैस सर्विस	अम्बाला	8000
2.	अवतार गैस सर्विस	बहादुरगढ़	6067
3.	अमरज्योति गैस एजेन्सी	करनाल	9000
4.	आनन्द गैस सर्विस	रोहतक	4725
5.	फरीदाबाद गैस सर्विस	फरीदाबाद	12395
6.	रघु गैस सर्विस	गुड़गाँव	6966

1	2	3	4
7.	हिसार गैस सर्विस	हिसार	2500
8.	के. डी. एन्ट रप्राइजेज	फरीदाबाद	15000
9.	करनाल गैस सर्विस	करनाल	4700
10.	जनता गैस सर्विस	पानीपत	10000
11.	मरवाह गैस सर्विस	सोनीपत	7393
12.	नवज्योति गैस सर्विस	हिसार	7400
13.	रोहतक गैस सर्विस	रोहतक	5496
14.	सैनिक गैस सर्विस	अम्बाला	7000
15.	युमन्त एन्टरप्राइजेज	यमुनानगर	12800
16.	एलाइड एजेन्सीज	फरीदाबाद	1200
17.	राज ओटवेज	गुड़गांव	2000

मानव निर्मित रेशों (फाइबर) के लिए लाइसेंस देना

1107. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में चालू वर्ष की दौरान विभिन्न प्रकार के मानव-निर्मित रेशों के लिए नये एककों का विस्तार करने अथवा इनकी स्थापना के लिए विभिन्न औद्योगिक गृहो से प्राप्त हुए आवेदन-पत्र का ब्योरा क्या है;

(ख) नये एककों का विस्तार करने अथवा इनकी स्थापना के लिए ऐसे लाइसेंस किन-किन औद्योगिक गृहों को दिये गये हैं और इस प्रकार मंजूर की गई क्षमता कितनी है;

(ग) नामंजूर किये गये आवेदन-पत्रों का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या छठी पचवर्षीय योजना में मानव-निर्मित रेशों की विभिन्न किस्मों के लिए निर्धारित पूरी क्षमता के लिए लाइसेंसों की मंजूरी दे दी गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) माँगी गई सूचना में ऐसे अनेक आवेदन-पत्रों को शामिल किया गया है जिन पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाना है। सरकार के सामने विचारार्थ लम्बित पड़े आवेदन पत्रों के ब्योरों को तब तक प्रकाशित नहीं किया जाता जब तक सरकार द्वारा उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है।

(घ) जी नहीं।

सहकारी क्षेत्र में ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना

1108. **आचार्य भगवान देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार सहकारी क्षेत्र में भी ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना इस बीच तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और इसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन : (क) जी, नहीं । जहाँ तक विद्युत क्षेत्र का सम्बन्ध है, सहकारी क्षेत्र में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नही उठता ।

असम में गांवों का विद्युतीकरण

1109. **श्री सतोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कुल कितने गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है; और

(ख) असम के सभी गाँवों का विद्युतीकरण कब तक हो जाने की आशा है ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) असम राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त उद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार नवम्बर, 1980 के अन्त तक राज्य में 4,658 गाँव विद्युतीकरण कर दिए गए थे ।

(ख) असम राज्य बिजली बोर्ड से हाल ही में प्राप्त हुए संदर्शी योजना प्रस्तावों से यह पता चलता है कि यदि लगभग 177.69 करोड़ रुपए की निधियाँ उपलब्ध हुई तो सातवीं योजना के अन्त तक असम में सभी गाँवों को विद्युतीकृत करना सम्भव हो सकता है ।

दूसरी बम्बई हाई परियोजना के लिए तेल निर्यातक देशों के संगठन द्वारा ब्याज मुफ्त ऋण

1110. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निर्यातक देशों का संगठन दूसरी बम्बई हाई परियोजना के लिए भारत को 300 लाख डालर का ब्याज-मुक्त ऋण देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस परियोजना में तेल की खोज तथा ड्रिलिंग की गति देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या यह कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सौंपा जायेगा अथवा किसी अन्य गैर-सरकारी क्षेत्र की भारतीय अथवा विदेशी कम्पनी को सौंपा जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल निर्यातक देशों के संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास कोष ने बम्बई हाई के चरण II /तथा चरण I/सी (अग्रिम कार्यवाही) विकास कार्यक्रम के लिए 30 मिलयन अमेरिकी डालर का ऋण आबंटित किया है। ऋण की शर्तें कोष द्वारा अभी निर्देशित की जानी हैं ।

(ख) और (ग) बम्बई हाई विकास कार्यक्रम के चरण iv तथा चरण v (अग्रिम कार्यवाही) का पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है तथा उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । विकास कार्यक्रम के चरण iv के पूरा हो जाने पर, 1982 के अन्त से खनिज तेल उत्पादन को 7 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की वर्तमान दर को 12 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ा दिया जायेगा ।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पहले ही परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। फिर भी कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए प्रतियोगितात्मक आधार पर भारतीय एवं विदेशी कम्पनियों की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में नियुक्तियां

1111. श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाने में वर्गवार, कुल कितने पद हैं और प्रत्येक वर्ग के पदों पर अब तक कितनी नियुक्तियाँ की गई है;

(ख) क्या सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इस रिक्त पदों पर स्थानीय व्यक्ति नियुक्ति किये हैं और यदि हां, तो अब तक वर्गवार, कितने पद भर गये हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए परिवारों के सदस्यों को इसे तेल-शोधक कारखाने में प्राथमिकता के आधार पर नोकरियाँ देने का है जैसा कि अन्य राज्यों में स्थापित की गई केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं के मामले में किया गया है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इस समय मथुरा शोधनशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। संयंत्र के पूरा हो जाने पर उसके संचालन और अनुरक्षण के हेतु कुल लगभग 1550 पदों की आवश्यकता होगी। 31.1.81 को यथा स्थिति में 731 कर्मचारी थे, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में अब तक उत्तर प्रदेश के रहने वाले कुल 312 उम्मेदवारों को नियुक्त किया जा चुका है। नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार इनमें से 146 की भर्ती स्थानीय रोजगार केन्द्र के माध्यम से की गई थी :—

वेतन मान (रुपयों में)	रोजगार केन्द्र द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या
450-877	12
395-756	25
360-624	71
330-561	15
275-453	23
	146

(ग) इण्डियन आयल कार्पोरेशन की नीति के अनुसार, आई. ओ. सी. इस शर्त पर कि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हैं, शोधनशाला के स्थायी संगठन ढांचे में प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को स्थान देने का प्रयास करेगी। इस सम्बन्ध में उन सब पदों को जिनका

अधिकतम वेतनमान 800/-रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होता। उनकी स्थानीय रोजगार कार्यालय को इस शर्त के साथ सूचित की जाये कि उन उम्मेदवारों को तरजीह दी जायेगी जिनको भूमि से वंचित किया गया है। अभी तक कर्मचारी श्रेणी में 54 भूमि से वंचित उम्मेदवारों की नियमित आधार पर भर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त भूमि से वंचित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए इन्डियन आयल कार्पोरेशन समस्त संभव कदम उठा रहा है।

विवरण

	वेतन मान (रुपये में)	स्थिति में रहने वालों की संख्या
अधिकारी	2500-3000	1
	2250-2750	1
	2000-2500	4
	1850-2350	9
	1600-2120	11
	1450-1950	30
	1050-1750	61
	750-1550	149
		266
कर्मचारी :	555-27-825-33-957-40-1237	11
	495-20-695-26-1033	49
	395-13-535-17-756	105
	450-17-637-20-877	133
	360-11-481-13-624	127
	330-10-440-11-561	16
	285 8-365-10-485 275-8-263-9-453	24
		465

नये दूरदर्शन केन्द्र और रंगीन टेलीविजन का शुरू किया जाना

1112. श्री अमर सिंह वी. राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान देश में नए दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना किए जाने संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्धी में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उनमें कब तक कार्यक्रम दिखाये जाने शुरू कर दिये जायेंगे;

(घ) क्या नए दूरदर्शन केन्द्रों में रंगीन टेलीविजन का प्रसारण, शुरू किये जाने की व्यवस्था की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) से (ग) छठी "योजना" (1980-85) में शामिल परियोजनाओं का ब्यौरा तथा इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन के बारे में हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) तथा (ङ) देश में रंगीन दूरदर्शन चालू करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

स्वीकृत छठी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं :—

(1) **पूर्ण रूपेण दूरदर्शन केन्द्र**

1. अहमदाबाद
2. बंगलोर
3. त्रिवेन्द्रम
4. गौहाटी

(2) **रिले ट्रांसमीटर**

1. आसनसोल
2. कटक
3. पणजी
4. कोडेकनाल
5. कसौली
6. मुर्शिदाबाद
7. विजयावाड़ा
8. वाराणसी

(3) **प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर**

1. गुलबर्ग
2. रायपुर
3. मुजफ्फरपुर

(4) हैदराबाद में स्थायी स्टूडियों।

(5) बेस प्रोडक्शन सेंटर, दिल्ली का जयपुर में स्थानान्तरण।

अहमदाबाद, त्रिवेन्दम, आसनसोल, जयपुर, रायपुर, बंगलोर और पणजी में दूरदर्शन केन्द्रों के लिये स्थान पहले ही अधिग्रहीत किए जा चुके हैं। गुलबर्ग, कोडैकनाल, मुर्शिदाबाद, वाराणसी, विजयवाड़ा, कटक और कसौली के लिए स्थान चुन लिए गए हैं और उनके अधिग्रहण की कार्यवाहियां शुरू की जा चुकी हैं।

अहमदाबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, जयपुर, रायपुर, गुलबर्ग, पणजी, आसनसोल, कोडैकनाल तथा कसौली के लिए व्यय वित्त समिति की मंजूरियां प्राप्त हो गई हैं। अहमदाबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, पणजी आसनसोल और कोडैकनाल में दूरदर्शन केन्द्रों के लिए ट्रांसमीटरों और सम्बद्ध उपकरणों के लिए मैसर्स बी. ई. एल. को मार्च, 1980 में आर्डर दे दिया गया है। अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, आसनसोल, पणजी और कोडैकनाल के लिए टावर की सप्लाई करने और उसे लगाने के लिए इन्डेंट 16-11-1980 को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को दे दिया गया है। स्टूडियो वीडियो उपकरणों के लिए आर्डर देने की कार्यवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है और परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

घरेलू गैस के कनेक्शन जारी करना

1113. **श्री अमर सिंह वी राठवा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1980 तक, घरेलू गैस कनेक्शनों के पंजीकृत हो चुके आवेदन-पत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) अपनी घोषणा के अनुसार उन्होंने जनवरी, 1981 के दौरान राज्यवार कितने कनेक्शन जारी किए; और

(ग) राज्यवार प्रतिमास कितने लगभग कनेक्शन जारी किए जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) 31 दिसम्बर, 1980 को घरेलू गैस कनेक्शनों के आवेदनों की राज्यवार पंजीकृत की गई संख्या दर्शाने वाला विवरण पत्र :

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतीक्षा सूची में लोगों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1,91,608
2.	असम	11,262
3.	बिहार	48,535
4.	गुजरात	5,63,607
5.	हिमाचल प्रदेश	11,050
6.	कर्नाटक	1,46,336
7.	केरल	48,910
8.	मध्य प्रदेश	2,03,375
9.	महाराष्ट्र	10,90,840
10.	मनीपुर	1,080
11.	राजस्थान	63,401
12.	गोआ	29,708
13.	तमिलनाडु	2,41,930
14.	चण्डीगढ़	55,796
15.	दिल्ली	4,11,482

1	2	3
16.	जम्मू और कश्मीर	8,314
17.	पंजाब	1,08,102
18.	हरियाणा	1,19,442
19.	उड़ीसा	23'002
20.	पश्चिम बंगाल	68,304
21.	मेघालय	1,340
22.	मिजोरम	530
23	नागालैंड	2,170
24.	सिक्किम	165
25.	त्रिपुरा	600
26,	उत्तर प्रदेश	2,38,527
27.	पांडीचेरी	9,527
	कुल	36,98,988

(ख) और (ग) इस वर्ष के प्रारम्भ से भारी मात्रा में गैस कनेक्शन जारी करने की इस मंत्रालय की योजना के अनुरूप यह निश्चय किया गया है कि देश भर के लिए फरवरी माह में 50,000 गैस कनेक्शन स्वीकृत किये जायेंगे तथा मार्च से 1 लाख कनेक्शन स्वीकृत किये जायेंगे। जनवरी के महीने में तरल पेट्रोलियम गैस को भारी मात्रा में जारी किया जाना संभव न था। राज्यवार एवं माहवार दिये जाने वाले कनेक्शन की संख्या का ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में मिट्टी के तेल की कमी

1114. **श्री के. प्रधानी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा राज्य में मिट्टी के तेल की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में पिछले चार महीनों के भीतर सप्लाई किये गये कि मिट्टी के तेल का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन उड़ीसा राज्य सहित सब राज्यों को इस उत्पाद की वर्ष 1980 के तदनुरूपी महीनों के दौरान की गई वास्तविक बिक्री पर 5 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर किया जाना है। गत चार वर्षों के दौरान, उड़ीसा राज्य में मिट्टी के तेल की बिक्री उसके आवंटनों से अधिक रही है। मिट्टी के तेल का वितरण राज्य के अन्तर्गत करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और इस उत्पाद का सम-वितरण सुनिश्चित करने हेतु उन्हें परामर्श दिया गया है जिससे उपभोक्ताओं की आवश्यक आवश्यकताओं को आवंटन स्तर के अन्तर्गत पूरा किया जा सके।

(ख) अक्तूबर, 1980 और जनवरी, 1981 के दौरान उड़ीसा राज्य के मिट्टी के तेल के आबंटन और बिक्री के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

आँकड़े मीट्रिक टनों में

महीना	आबंटन	बिक्री
अक्तूबर, 80	6550	6614
नवम्बर, 80	5850	6096
दिसम्बर, 80	5950	6359
जनवरी 81	6400	6467 (अस्थायी)

तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना

11:5. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिये और तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो छठी योजना के दौरान देश में कितने संयंत्र स्थापित किये जायेंगे तथा वहां-कहाँ ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हाँ।

(ख) 1980-85 की अवधि के दौरान जिन ताप विद्युत परियोजनाओं से लाभ प्राप्त किया जाना है, उन्हें दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

ताप विद्युत परियोजनाएं, जिनसे 1980-85 की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किया जाना है

क्षेत्र	राज्य	परियोजना का नाम	1980-85 के दौरान लाभ (मेगावाट)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	फरीदाबाद विस्तार यूनिट-3	60
		पानीपत चरण-दो	220
	पंजाब	रोपड़	210
	राजस्थान	कोटा	220
	उत्तर प्रदेश	ओबरा विस्तार	400
		परीछा	220
		अनपारा 'ए'	630
		टाण्डा	440
	केन्द्रीय क्षेत्र	बदरपुर विस्तार	210
		सिंगरौली चरण-एक	630
		सिंगरौली चरण-दो	420

1	2	3	4
पश्चिमी क्षेत्र	गुजरात	उकई यूनिट-5	210
		वानकबोरी	630
		वानकबोरी विस्तार	210
	मध्य प्रदेश	सतपुड़ा यूनिट 8 व 9	420
		कोरबा पूर्व	120
		कोरबा पश्चिम	420
		कोरबा पश्चिम विस्तार	420
	महाराष्ट्र	नासिक यूनिट 4 और 5	210
		भुसावल यूनिट 3	210
		चन्द्रपुरा	420
		पारली यूनिट 3	210
		ट्राम्बे	500
		कोराडी चरण-3	420
		उरण गैस	240
		चन्द्रपुरा विस्तार	210
	केन्द्रीय क्षेत्र	कोरबा सुपर ता. वि. केन्द्र	630
दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	210
	तमिलनाडु	तूतीकोरिन यूनिट 3	210
	कर्नाटक	रायचुर यूनिट 1 और 2	420
	केन्द्रीय क्षेत्र	रामागुण्डम यूनिट 1 से 4	630
		नेवेली दूसरा माइन कट	420
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	पतरातू यूनिट 9 और 10 विस्तार-चार	220
		बरौनी विस्तार यूनिट 6 और 7	220
		मुजफ्फरपुर ताप विद्युत	220
	दा. घा. नि.	दुर्गापुर ता. वि. केन्द्र-चार	210
		बोकारो 'बी'	210
	उड़ीसा	तलचेर विस्तार	220
	पश्चिम बंगाल	संथालडीह यूनिट चार	120
		बंडेल विस्तार	210
		कोलाघाट	630
		दुर्गा. परि. लि. विस्तार	110
		सी. ई. एस. सी.	240
	केन्द्रीय क्षेत्र	फरक्का सुपर ता. वि. केन्द्र	210

1	2	3	4
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	असम	बोंगाई गांव	120
		नामरूप वेस्ट	22
		लकवा गैस	45
		मोबाइल गैस	21
		बोंगाईगाँव विस्तार	120
		चन्द्रपुर विस्तार	30

राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम का कहलगाँव में आधार कार्यालय स्थापित करना

1116. **श्री डी. पी. यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की राष्ट्रीय तापीय बिजली परियोजना निगम 2800 मेगावाट क्षमता के सुपर तापीय बिजली घर की स्थापना हेतु कहलगाँव में आधार कार्यालय स्थापित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो संयंत्र की स्थापना स्थल पर कितने तकनीकी एवं गैर-तकनीकी अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और उनको सौंपे गये कार्य का ब्यौरा क्या है तथा उक्त कर्मचारियों के कार्य निष्पादन संबंधी रिपोर्ट क्या है :

(ग) क्या उसके नक्शे (साइट प्लान) को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी. ई. ए.) द्वारा मंजूर कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो नक्शे (साइट प्लान) की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई कहलगाँव सुपर ताप विद्युत केन्द्र की व्यवहार्यता रिपोर्ट का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है। स्थल योजना का अनुमोदन, परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति का ही एक हिस्सा होगा।

(घ) व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, 2800 मेगावाट की चरम क्षमता वाली विद्युत परियोजना के काम्पलैक्स के स्थल के अन्तर्गत लगभग 2325 एकड़ भूमि आ जाने की सम्भावना है। इसमें राख के निपटान के लिए अपेक्षित भूमि शामिल नहीं है। इसमें से 780 एकड़ भूमि मुख्य संयंत्र के लिए, 945 एकड़ भूमि एम. जी. आर. रेलवे प्रणाली के लिये, 550 एकड़ भूमि परियोजना की कालोनी के लिए तथा 50 एकड़ भूमि सड़कों, रेलवे साईडिंग आदि जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए आवश्यक होगी।

पोलैंड से खरीदे गये ट्रांसफार्मर

1117. **श्री दौलतराम सारण :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि धनबाद के निकट की किसी कोयला खान के लिये पोलैंड से लगभग 120 ट्रांसफार्मर खरीदे गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी लागत क्या थी और वे कब खरीदे गये और उनका कितने समय तक उपयोग किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये ट्रांसफार्मर लग ये जाने के बाद सात दिनों से दो महीनों तक की अवधि के भीतर ही जल गये और क्या इस बारे में कोई जाँच की गई थी; और

(घ) उनके जल जाने के क्या कारण हैं और नये ट्रांसफार्मर किससे खरीदे गये हैं और उनके स्थानों पर लगाये गये हैं और उनका अनुमानतः मूल्य कितना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारत-पोलैंड व्यापार योजना के अधीन चवालीस ट्रांसफार्मर खरीदे गये थे जिसमें से अठारह धनबाद के निकट सुदामडीह खान को दिये गये थे। इसमें से सोलह इम समय प्रयोग में हैं।

(ख) ट्रांसफार्मर 1963 में खरीदे गये थे और उनकी तत्कालीन यूनिट कीमत रु० 30·27 (लगभग) थी।

(ग) यह ट्रांसफार्मर 7 दिन से लेकर दो महीने की अवधि में नहीं जल गये थे किन्तु आगे चलकर इनमें से कुछ जल गये थे। जलने के कारण निश्चित करने के लिए बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (रांची) ने जांच की थी।

(घ) जलने के कारण बिजली की सप्लाई में अक्सर होने वाली बाधा थी।

इन यूनिटों के स्थान पर नये ट्रांसफार्मर नहीं खरीदे गये थे। जले हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करके उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए मंजूर की गई धनराशि

1118. **श्री रामप्यारे पनिका** . क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मिर्जापुर जिले (उत्तर प्रदेश) के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) मजूर की गई धनराशि से कितने गाँवों का विद्युतीकरण किये जाने का अनुमान है और उनका विद्युतीकरण कब तक हो जाएगा;

(ग) क्या मंजूर की गई धनराशि से सभी गाँवों का विद्युतीकरण हो जायेगा;

(घ) यदि नहीं, तो इस कार्य के लिए कुछ और धनराशि मंजुर की जायेगी; और

(ङ) यदि हाँ, तो कितनी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन : (क) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में 5 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अब तक 3·05 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट 5 स्कीमों में 478 गाँव शामिल हैं, जिनके 1983-84 तक विद्युतीकृत हो जाने की संभावना है।

(ग) से (ङ) जिन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की, ग्राम विद्युतीकरण निगम वित्तीय सहायता स्वीकृत करता है, उनको राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इन स्कीमों के लिये ऋण किस्तों में मुहैया कराया जाता है। उपरोक्त 5 स्कीमों के लिए अब तक 1·65 करोड़ रुपये मुहैया कराये गये हैं। इन स्कीमों में हुई प्रगति के अनुसार ही निगम द्वारा ऋण की और अधिक किस्तें मुहैया कराई जाएँगी। समस्त स्वीकृत राशि के समुपयोजन के बाद, लागत में वृद्धि के कारण यदि अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत होती है तो उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जब इस हेतु अनुरोध किया जायेगा तब निगम इसकी जाँच करेगा बशर्ते कि निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तें पूरी होती हो।

औद्योगिक अल्कोहल पर निर्यात पास फीस में वृद्धि

1120. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक अल्कोहल पर निर्यात पास फीस को बढ़ा कर 2 रुपये प्रति लीटर कर दिया है;

(ख) क्या प्रभावित उद्योगों एवं कमी वाले राज्यों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से कहा जाए कि निर्यात पास फीस को कम करके 25 पैसे प्रति लिटर के पहले के स्तर पर लाया जाये ।

(ग) यदि हाँ तो क्या केन्द्र ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार और अखिल भारतीय अल्कोहल पर आधारित उद्योग संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि इस वृद्धि से अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की आर्थिक व्यावहारिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है ताकि इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जा सके और आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

ज्वारीय तरगों से ऊर्जा उत्पादन

1121. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) क्या इस कार्य के लिए पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन के निकट ज्वारीय तरंगों पर भी परीक्षण किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ । ज्वारीय लहरों से ऊर्जा उत्पादन की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए गुजरात में कच्छ की खाड़ी में अन्वेषण और अध्ययन कार्य हाथ में लेने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

सेंसर किए जाने हेतु विचाराधीन फिल्में

1122. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कुछ फिल्में सेंसर किये जाने के लिए पड़ी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी और कब से पड़ी हैं तथा उन फिल्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा फिल्मों का सेंसर किये जाने में इतना अधिक समय लिये जाने के क्या कारण हैं; और इस विलम्ब को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) से

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

राज्यों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किया जाना

1123. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री के. पी. सिंह देव :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से यह आग्रह किया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों सम्बन्धी योजनाओं को अन्तिम रूप देने और क्रियान्वित करने के काम में तेजी लाई जाए जिससे कि लघु उद्योगों और सिंचाई के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को इस प्रयोजन के लिए राज्यवार, कितनी सहायता दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों, राज्य बिजली बोर्डों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा जहाँ कोई बिजली बोर्ड नहीं है, वहाँ राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं और उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। इस कार्यक्रम के लिए निधियों का आबंटन योजना आयोग द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए और सीधे ही राज्य को उनके सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 31-1-81 तक विभिन्न राज्यों को स्वीकृत की गई तथा वितरित की गई वित्तीय सहायता विवरण में दी गई है।

कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को उच्चतम स्तर पर लिखा गया है। अल्यूमीनियम तथा इस्पात जैसी निर्माण सामग्री की कमी से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और जहाँ कहीं आवश्यक होता है आयात का भी सहारा लिया जाता है।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 31 जनवरी, 1981 तक स्वीकृत किये गये तथा वितरित किये गये ऋण की राज्य-वार स्थिति दिखाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपये में)

क्रम सख्या	राज्य	स्वीकृत की गई ऋण राशि	वितरित की गई ऋण राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	92.29	69.88
2.	असम	38.14	22.01
3.	बिहार	116.34	74.29
4.	गुजरात	57.92	40.14
5.	हरियाणा	26.24	22.18
6.	हिमाचल प्रदेश	28.73	18.38

7.	जम्मू और कश्मीर	29.56	22.64
8.	कर्नाटक	43.45	30.36
9.	केरल	15.93	12.01
10.	मध्य प्रदेश	184.9	120.22
11.	महाराष्ट्र	104.79	75.91
12.	मणिपुर	6.55	2.62
13.	मेघालय	14.04	9.07
14.	नागालैंड	6.35	3.27
15.	उड़ीसा	94.66	60.93
16.	पंजाब	54.16	42.38
17.	राजस्थान	111.11	79.08
18.	तमिलनाडु	53.79	37.64
19.	त्रिपुरा	7.95	3.74
20.	उत्तर प्रदेश	150.88	82.32
21.	पश्चिम बंगाल	96.76	60.27
	जोड़	1334.55	893.34

नोट : 893..4 करोड़ रुपये की ऋण की किस्तों के देने के अलावा निगम ने, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा जारी किए गए परियोजना-सम्बद्ध ग्राम विद्युतीकरण डिबेंचरों के लिए भी 6.10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

कोल-वाशरीज

1124. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोल-वाशरीज की संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए सरकार कुछ कोल-वाशरीज स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो छठी योजना की अवधि के लिए क्या सूत्र तैयार किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) इस समय 16 वाशरियों में काम हो रहा है छठी योजना की अवधि में कोल इंडिया लि. का विचार 11 नई वाशरियाँ स्थापित करने का है जिनमें दो वाशरियाँ अकोककर कोयले के परिष्करण के लिए होंगी।

राजस्थान और पंजाब द्वारा थीन बांध की बिजली और पानी का वितरण

1125. **श्री रशीद मसूद :**

श्री मूलचन्द डागा :

आचार्य भगवान देव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महान्यायवादी ने, जिन्हें राजस्थान और पंजाब के बीच थीन

बांध की बिजली और पानी के वितरण का प्रश्न सौंपा गया था, सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो महान्यायवादी ने अपनी राय व्यक्त करते हुए प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था; और

(ग) महान्यायवादी ने क्या राय व्यक्त की है तथा सरकार ने इस पर यदि कोई निर्णय ले लिया है, तो वह क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ प्रधान मंत्री द्वारा 14.2.79 ली गई बैठक में प्रधान मंत्री ने महसूस किया कि चूंकि विवादग्रस्त मुद्दों पर निर्णय कानूनी अधिकारों के आधार पर लिया जाना है, अतः थीन बांध परियोजना से होने वाले विद्युत लाभों में राजस्थान और हरियाणा के हिस्से की हकदारी के संबंध में वे भारत के महान्यायवादी की राय लेंगी। महान्यायवादी ने अपनी राय 2.579 को दी थी जिसमें, विवादग्रस्त मुद्दों के सभी पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

लम्बित मामलों को निपटाने के लिए न्यायधीशों की नियुक्ति

1126. **श्री जी. वाई. कृष्णन :**

श्री के. मालन्ना :

श्री छीतुभाई गामित :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

श्री सुभाष यादव :

श्री रामस्वरूप राम : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों की आवश्यकता है;

(ख) किन-किन राज्यों में लम्बित मामलों की संख्या काफी अधिक है और वह कब से है;

(ग) उच्च न्यायालय-वार, दस वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनको शीघ्र निपटाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री. पी. शिव शंकर) : (क) निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं :

इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गोहाटा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पटना, पंजाब-हरियाणा और राजस्थान।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालयों द्वारा भेजी गई जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है—देखिये विवरण-1।

(घ) मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय विवरण-2 में बताए गए हैं।

विवरण-1

लम्बित रहने की अवधि को दृष्टि में रखते हुए

उच्च न्यायालय का नाम	1 वर्ष से कम पुराने	1-2 वर्ष पुराने	2-3 वर्ष पुराने	3-4 वर्ष पुराने	4-5 वर्ष पुराने
इलाहाबाद	20,309	25,203	17,622	12,906	10,5[illegible]1
आंध्र प्रदेश	17,130	7,052	2,685	920	315
मुम्बई	12,487	13,176	9,020	7,650	6,441
कलकत्ता ×	20,123	15,278	9,918	7,177	4,404
दिल्ली	9,523	5,952	3,372	2,569	2,029
गोहाटी	1,776	1,586	1,093	809	706
गुजरात	10 291	3,366	1,721	1,063	690
हिमाचल प्रदेश	1,888	1,180	1 230	819	363
जम्मू-कश्मीर	2,994	2,421	1,064	446	308
कर्नाटक ×	17,667	18,423	8,964	8,422	4,907
केरल	11,444	11,326	6,969	1,538	733
मध्य प्रदेश	5,629	5,251	4,027	3,420	2,234
मद्रास	22,827	19,715	12,280	4,752	1,272
उड़ीसा	2,124	3,4.9	2,171	1,433	401
पटना ×	9 954	8 055	5,577	3,729	2,045
पंजाब और हरियाणा	6,657	7,219	3,961	2,590	2,861
राजस्थान ×	3 736	4,515	3,206	2,230	2,073
सिक्किम	15	1	1	—	—
योग	176,574	153,138	94,881	62,473	42,343

× केवल मुख्य मामले

दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

1164 **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना में अप्रैल, 1979 के बाद से सेवा में आने वालों को किसी प्रकार का परियोजना भत्ता अदा नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या अप्रैल, 1979 के पश्चात् परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को उक्त भत्ता दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस भेदभाव को दूर किया जाएगा; और

(घ) क्या परियोजना भत्ते के लिए मंजूरी की अवधि 1-4-81 को समाप्त होने वाली है और इसका आगे नवीकरण करने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आवास, स्कूल, बाजार, औषधालय आदि जैसी नागारक सुविधाओं के अभाव में परियोजना भत्ते की मंजरी प्रारम्भ में 1958 में दी गई थी। चूंकि अब नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है, अतः वर्तमान कर्मचारियों के मामले में परियोजना भत्ते को बन्द करने/कम करने के सम्बन्ध में सरकार कुछ समय से विचार कर रही है। अप्रैल, 1979 के बाद भर्ती किए गए व्यक्तियों को, जिन्हें नियुक्ति की पेशकश में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उन्हें परियोजना भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, परियोजना भत्ते देना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) जी, हां। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने देने का प्रश्न विचाराधीन है।

सोडा ऐश के बारे में स्थायी समिति की सिफारिशें

1165. **श्री जार्ज फर्नान्डिस :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1978 में सोडा ऐश के उत्पादन विवरण और अन्य सम्बन्धित मामलों की जाँच करने के लिए 24 जुलाई, 1978 को इस सम्बन्ध में लिये गए निर्णय के पश्चात् एक स्थायी समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के वास्तविक निदेश पद क्या है;

(ग) समिति की कितनी बैठकें हुई हैं;

(घ) समिति की सिफारिशें क्या हैं, और

(ङ) क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्रालय में मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ङ) सोडा ऐश के उत्पादन वितरण और खपत से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने में सरकार को सहायता देने की दृष्टि से सोडा ऐश पर एक स्थाई समिति 7 अगस्त, 1978 को गठित की गई थी। समिति समय-समय पर बैठक करती है और अभी तक वह छः बार

तारीख 30-6-80 को लम्बित मामलों की संख्या

5-6 वर्ष पुराने	6-7 वर्ष पुराने	7-8 वर्ष पुराने	8-9 वर्ष पुराने	9-10 वर्ष पुराने	दस वर्ष से अधिक पुराने	लंबित मामलों की कुल संख्या
6,573	5,208	3,257	1,943	1,139	1,064	105.785
39	3	—	1	—	1	28,146
3,752	2,968	1,938	1,274	834	1,174	60,714
5,052	3,865	1,807	1,142	761	8,130	77,657
1,790	1,555	1,313	1,119	882	1,071	31,175
658	462	333	142	44	53	7,662
1[illegible]4	23	4	5	4	11	17,292
301	217	163	143	81	25	6,410
116	70	51	24	15	22	7,531
1,752	1,227	119	20	13	5	61,519
22	4	3	--	2	—	32,041
1,955	1,095	1,124	742	432	711	27,216
443	142	49	68	76	2	61,626
177	147	144	98	53	26	10,193
1,279	1,073	1,048	953	598	1,042	35,353
2,570	2,056	1,637	1,277	1,118	1,814	33,760
1,632	1,441	919	781	476	574	21,5[illegible]3
—	—	—	—	—	—	17
28,225	22,152	13,909	9,732	6,528	15,715	625,670

विवरण-2

न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) उच्च न्यायालय में की जाने वाली द्वितीय अपील संबंधी उपबंध को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया—देखिए धारा 100ख।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता का 1973 में अधिनियमन किया गया और 1978 में उसका संशोधन किया गया।

(3) राज्यों और मुख्य न्यायाधिपतियों से अनुरोध किया गया है कि वे न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के अपने प्रस्ताव विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर भेजें,

(4) न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या बढ़ा दी गई है।

(5) अनेक उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को मिलाकर एक समूह में रख रहे हैं जिनमें समान प्रश्न जुड़े हुए हैं।

(6) उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाई कर रहे हैं :

(क) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ख) मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना,

(ग) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पविकता देना।

(घ) भूमि अर्जन आदि के मामलों से उत्पन्न होने वाले विषयों को एक समूह में रखना।

तेल उद्योग को हुई क्षति

1127. **श्री जी. वाई. कृष्णन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रो-उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण पिछले छः माह के दौरान तेल उद्योग को कुछ क्षति हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी;

(ग) क्या पेट्रो-उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि अब भी अपरिहार्य है; और

(घ) यदि हाँ, तो वे मदें क्या हैं जिनके कारण पिछले छः महीने के दौरान सरकार को भारी क्षति उठानी पड़ी।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ। गत छः महीनों में अर्थात् जून, 1980 से दिसम्बर, 1980 के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों तेल परिशोधन और विपणन कम्पनियों की प्रदता में कमी हुई थी।

(ख) मोटे अनुमानों से पता चला है कि जून-दिसम्बर, 1979 के 82.43 करोड़ रुपये के कुल लाभ जून-दिसम्बर, 1980 में गिरकर 56.53 करोड़ रुपये रह गए थे। छ महीने की अवधि के लिए 25.90 करोड़ रुपये की अथवा लगभग 31.4 प्रतिशत की कमी आँकी गई है।

(ग) मूल्यों के स्थिर होने की आशा केवल तभी हो सकती है जब देश के अन्तर्गत खनिज तेल का तटीय और अपतटिय उत्पादन पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई मांग से अधिक हो जायेगा।

(घ) जून-दिसम्बर, 1980 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल परिशोधन और विपणन कम्पनियों में हानि होने/लाभ में कमी होने के तथ्य नीचे सूचीबद्ध किये गए हैं :

(1) रख-रखाव, मूल्य-ह्रास, स्थायी कर्मचारियों के वेतन बिलों और असम के तेल को रोकने के कारण पूर्वी क्षेत्र में अन्य इन्फ्रा-स्ट्रक्चरल लागतों पर होने वाले अनिवार्य व्यय का वसूल न किया जाना।

(2) खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को ऊँचे मूल्यों पर आयात करने के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था से व्यय में वृद्धि हुई।

(3) पारिश्रमिक में वृद्धि विद्युत दरों, अनुरक्षण और मरम्मत व्ययों, रसायनों और उपयोगिताओं को अधिक मूल्यों में खरीदना, उच्च युद्ध जोखिम बीमा व्ययों और नई पाइप लाइनों के कारण बम्बई हाई के खनिज तेल के परिवहन के अतिरिक्त व्यय के कारण संचालन लागतों में वृद्धि हुई।

नर्मदा पर जल विद्युत परियोजना

1128. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नर्मदा पर एक जल-विद्युत परियोजना की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय परियोजना निर्माण के किस चरण में है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) नर्मदा पर जल-विद्युत परियोजना शीघ्र शुरू करने के लिये ऊर्जा मंत्रालय उत्सुक है। इस संबंध में सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किये गये हैं। शीघ्र ही और विचार विमर्श का भी प्रस्ताव है।

बम्बई हाई में उत्पादन

1129. **श्री चित्त बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बम्बई हाई क्षेत्र वार्षिक उत्पादन की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या उत्पादन की इसको बढ़ाने की कोई संभावना है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस बीच इन संभावनाओं की खोज की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो प्राप्त हुए परिणाम क्या हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए क्रूड का उत्पादन लक्ष्य 5-2 मि. मी. टन है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हाँ।

(घ) बम्बई हाई विकास कार्यक्रम (अग्रिम कार्यवाही) के चरण-iv और चरण-v को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है और उसको कार्यान्वित किया जा रहा है। बम्बई हाई और अन्य अपटतीय क्षेत्रों के वर्ष 1980-81 के 5 2 मि मी. टन के क्रूड उत्पादन को वर्ष 1984-85 में 13 2 मि. मी. टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है।

निर्वाचन अर्जियों के निपटारे के संबंध में निर्वाचन आयोग के सुझाव

1130. **श्री के. मालन्ना : श्री चिंतामणि जैन : श्री एन. ई. होरो :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अर्जियों के निपटारे के बारे में कोई ऐसा सुझाव दिया था कि निर्वाचन अर्जियों पर निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालयों में अपीलें केवल विधि के प्रश्न पर ही होनी चाहिए;

(ख) क्या आयोग ने सुझाव दिया है कि निर्वाचन अर्जियों को निपटाने का काम स्वयं आयोग के जैसे किसी स्वतंत्र निकाय को सौंपा जाना चाहिए; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) से (ग) : जी हाँ। निर्वाचन संबंधी सुधारों के लिए इन सुझावों और अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

दामोदर घाटी निगम में बिजली-उत्पादन में कमी

1131. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम में बिजली के उत्पादन में अचानक गिरावट आ गई है;

(ख) क्या सरकार ने बिजली के उत्पादन में उक्त आकस्मिक गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाये हैं विशेषत: जबकि उक्त परियोजना में निरन्तर विकास के लक्षण प्रकट हो रहे थे;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उन्होंने दामोदर घाटी निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को, सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने के उपायों का पता लगाने हेतु बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि दामोदर घाटी निगम में बिजली के उत्पादन में बाधा न पड़े; और यदि हाँ, तो उक्त बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) : दामोदर घाटी निगम में पिछले 7 महीनों के दौरान हुआ दैनिक औसत विद्युत उत्पादन विवरण में देखा जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप पिछले चार महीनों के दौरान उत्पादन में सुधार हुआ है।

(घ) दामोदर घाटी निगम में श्रमिकों की अनेक यूनियनें हैं। इनमें से अधिकांश रजिस्टर्ड हैं तथापि इनमें से सभी को मान्यता प्राप्त नहीं हैं। यद्यपि कुछ यूनियनों के अधिकारी ऊर्जा मंत्री से भेंट कर चुके हैं, तथापि इन यूनियनों के किसी भी पदाधिकारी के साथ कोई

औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि यह कार्य मुख्यत: दामोदर घाटी निगम के प्रबंधकों का है।

विवरण

दामोदर घाटी निगम

महीना	दैनिक औसत उत्पादन (मिलियन यूनिट)
जुलाई 1980	12.29
अगस्त 1980	11.68
सितम्बर 1980	11.37
अक्तूबर 1980	11.48
नवम्बर 1980	11.97
दिसम्बर 1980	13.13
जनवरी 1081	11.39
फरवरी 1981 (1-20)	13.10

पेट्रो-केमिकल्स एककों की स्थापना हेतु सहयोग के लिये विदेशों का दौरा

1132. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह विदेशों के सहयोग की संभावनाओं तथा भारत में पेट्रो-केमिकल्स एककों की स्थापना के बारे में बातचीत के लिये पन्द्रह दिन के लिये विभिन्न देशों के दौरे पर गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो वह किन-किन देशों में गये थे; और

(ग) हमारी सरकार ने प्रत्येक देश के सामने किस प्रकार के प्रस्ताव रखे तथा उन पर उन देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) अभी हाल में पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री ने फ्रांस, यू. के. रोमानिया और इटली की यात्रा की थी। भारत में पेट्रो-रसायन एककों की स्थापना हेतु किसी देश से सहयोग प्राप्त करने के लिए इस यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। अत: इस सम्बन्ध में इन देशों को किसी प्रकार के प्रस्ताव नहीं दिये गए थे।

तथापि जब इस मामले पर विचार विमर्श किया गया तो हमने विदेशी सहयोग के लिए अपनी रुचि सूचित की थी। पेट्रो-रसायन समूहों की स्थापना में हमें सहयोग देने के लिए फ्रांस और इटली दोनों ने अपनी रुचि जाहिर की है।

सोवियत संघ द्वारा पेट्रोलियम तेल की सप्लाई

1133. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो भी देश सोवियत संघ से पेट्रोलियम तेल प्राप्त करेगा, उ तेल में ग्रावटेन का ग्रंश कम होगा ग्रौर गैस फालतू मात्रा में होगी;

(ख) क्या इससे ग्रान्तरिक दहन मशीनों को भारी हानि होगी तथा कार्बन बहुत ग्रधि मात्रा में बनेगी; ग्रौर

(ग) क्या सरकार का इस तेल को साफ करने के लिये कोई उपाय करने का तथा सुरक्ष सेनाग्रों को इसकी सप्लाई न करने का विचार है क्योंकि यह वाहनों तथा वायुयानों के प्रस्था की गति को प्रभावित कर सकता है।

पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन ग्रायोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में दी गई रिपोर्ट

1134. **डा० वसन्त कुमार पडित :**

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या **विधि न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि।

(क) क्या निर्वाचन ग्रायोग ने दिसम्बर 1980 में सरकार को ग्रपनी रिपोर्ट पेश की ग्रौर ग्रपनी सिफारिशें दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो (1) निर्दलीय ग्रभ्यर्थियों की बहुलता को रोकने; (2) स्वतन्त्र त निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने; (3) मतदान केन्द्रों पर कब्जा किए जाने को रोकने (4) निर्वाचन निधि सृजित करने; (5) निर्वाचक नामवालियाँ तैयार करने; (6) निर्वाच नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए समर्थन निधि का ग्रावंटन करने; (7) मतदाताग्रों की फो वाले पहचान पत्र देने के बारे में विशिष्ट सिफारिशें क्या हैं; ग्रौर

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है।

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) जी हाँ। प्रश्नग रिपोर्ट का नाम इस प्रकार है: लोक सभा एवं विधान सभाग्रों के साधारण निर्वाचन, 1979- तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1979 की रिपोर्ट-खण्ड I (वर्णनात्मक)। यह रिपोर्ट सदन के पट पर 23 दिसम्बर, 1980 को रखी गई थी।

(ख) उस रिपोर्ट में निर्वाचन ग्रायोग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों का स दर्शित करने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) निर्वाचन ग्रायोग की सिफारिशों पर निर्वाचन संबंधी सुधारों के लिए ग्रन्य प्रस्ता के साथ विचार किया जा रहा है। निर्वाचन ग्रायोग द्वारा लोक सभा एवं विधान सभाग्रों लिए साधारण निर्वाचन 1979-80 तथा उप राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1979 की रिपोर्ट-खण्ड (वर्णनात्मक) में निर्वाचन ग्रायोग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों दर्शित करने वाला विवरण।

1. निर्दलीय ग्रभ्यर्थियों की बहुलता को रोकना :

(एक) प्रतिभूति निक्षेप की राशि दुगुनि कर दी जाए।

(दो) प्रत्येक निर्दलीय अभ्यार्थी के लिए 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक होने चाहिए ।

(तीन) प्रतिभूति निपेक्ष की राशि को वापस करने के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या 1/6 से बढ़ाकर 1/4 कर दी जानी चाहिए ।

(चार) किसी अभ्यार्थी द्वारा मतों के निर्धारित प्रतिशत मत अर्थात् मान लीजिए डाले गए विधिमान्य मतों के 10 प्रतिशत मत से कम मत प्राप्त करने पर उस अभ्यार्थी को 6 वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह कर दिया जाना चाहिए।

2. स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना :

(एक) ससद् द्वारा एक विधि बनायी जानी चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजनीतिक दलों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण, उसके अन्दरूनी कार्यकलापों को नियमित करने, निश्चित अवधि में विभिन्न स्तरों पर उनके पदाधिकारियों और दूसरी समितियों के निर्वाचन के तरीके और रीति के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी विधि में उनके लेखों की समय-समय पर जांच और उनके प्रकाशन की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(दो) राजनैतिक दलों का खर्चा, कम से कम उसका वह भाग जो एक विशेष अभ्यार्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए खर्च किया जाता है, उस अभ्यार्थी द्वारा या प्राधिकृत किया हुआ माना जाना चाहिए ।

(तीन) निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए निरर्हता की अवधि जो अब तीन वर्ष है, बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी जानी चाहिए जैसा कि कुछ दूसरी निरर्हताओं के बारे में है, जिस से ऐसे निरर्हित व्यक्ति, कम से कम एक साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन संघर्ष से बाहर रह सके ।

(चार) निर्वाचन व्ययों का लेखा-दाखिल करने में कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों के मामलों की जाँच के बारे में विधि के अधीन निर्धारित की गई कार्य प्रणाली निम्नलिखित तरीके से बदल दी जानी चाहिए :—

(1) जो अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करते हैं, उन्हें निर्वाचन व्ययों को लेखा दाखिल करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए स्वतः निरर्ह हो जाना चाहिए ।

(2) निर्वाचित अभ्यर्थी के मामलों में, ऐसी निरर्हता, उसके निर्वाचन की तारीख से 3 माह बीत जाने के पश्चात् लागू होनी चाहिए और यदि निर्वाचित आयोग द्वारा उन कारणों के लिए, जो अभिलिखित किए जाएँगे ऐसे व्यक्तियों द्वारा आवेदन किए जाने पर और बाद में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने पर यह निरर्हता हटा दी जाती हैं तो यह समझा जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियो पर निर्हता लागू नहीं हुई थी ।

(3) विद्यमान स्थिति की तरह निर्वाचन आयोग को निर्वाचन व्ययों के लेखे दाखिल न किए जाने के बारे में उपगत निरर्हता की अवधि को कम करने या हटाने का अधिकार होना चाहिए ।

(4) निर्वाचन आयोग को निर्वाचन व्ययों के लेखे की जाँच करने का अधिकार होना चाहिए जिससे उसे यह पता लग सके कि वे लेखे ठीक दाखिल किए गए हैं और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो सम्बन्धित व्यक्तियों पर निरर्हता लागू कर दी जाए ।

3. मतदान-केन्द्रों पर कब्जा किए जाने को रोकना :

(एक) आयोग साधारण इलेक्ट्रानिक वोटिंग महीन के प्रयोग की सम्भाव्यता पर विचार कर रहा है। इस बारे में इस समय मौके पर जाकर परीक्षण प्रयोग किए जा रहे हैं।

(दो) आयोग ने मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं जिनके संबंध में जिला निर्वाचन आफिसरों रिटर्निंग आफिसरों से यह अपेक्षित है कि वे उन्हें ध्यान में रखें। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रत्येक मतदान केन्द्र को आबटित किए जाने वाले मतदाताओं की संख्या 750 होनी चाहिए और असाधरण मामलों को छोड़ कर इन मतदाताओं की संख्या अधिक से अधिक केवल 1000 होनी चाहिए।

(2) सामान्यत: किसी भी मतदान को अपने मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की यात्रा न करनी पड़े। छितरी आवादी वाले, पर्वतीय या बन-क्षेत्रों में इस नियम में 3 से 5 किलोमीटर तक की ढील की अनुमति दे दी जाती है।

(3) जहां तक भी व्यावहारिक हो सके, मतदान केन्द्रों का क्षेत्र कम से कम 20 वर्ग मीटर का होना चाहिए जिससे उस मतदान केन्द्र में मतदान के समय कोई तंगी या संकुलन से कठिनाई अनुभव न हो।

(4) जहां तक भी व्यवहार्य हो, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों को उसी जगह पर स्थापित किया जाए जहाँ पर कि पंचायत निर्वाचनों के लिए मतदान केन्द्रों स्थापित किए गए हों, जिससे मतदाता हमेशा अपने मत का प्रयोग एक ही जगह पर कर सके और उन्हें भिन्नभिन्न निर्वाचनों के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर न जाना पड़े।

(5) जहां तक संभव हो सके, मतदान केन्द्र (सरकारी या सहायता प्राप्त) स्कूलों और दूसरी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं में ही स्थापित किए जाने चाहिए। निजी भवनों या परिसरों में मतदान केन्द्रों को स्थापित किए जाने से बचना चाहिए। किन्तु जहां तक अपरिहार्य हो, वहां उस भवन को नियमित रूप से अधिग्रहीत कर लिया जाए और अथवा उस भवन के मालिक की सम्मति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

(6) पुलिस थानों, अस्पतालों, मन्दिरों अथवा धार्मिक महत्व के स्थानों में कोई भी मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किए जाने चाहिए।

(iii) समाज के कमजोर वर्गों को इस प्रकार भयभीत होने से बचाने और उन्हें स्वतंत्र रूप से मत का प्रयोग करने को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिये थे कि जहां तक व्यवहार्य हो सके मतदान केन्द्रों को ऐसे वर्गों द्वारा आधिपत्य क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाए, चाहे उन क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं की संख्या 750 से कम ही हो।

4. निर्वाचन निधि का सृजन :

5. निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए समर्थन निधि का आवटन :

आयोग ने निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एक निर्वाचन-निधि के सृजन की सिफारिश की है .—

(1) निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण।

(2) निर्वाचनों का संचालन;

(3) निर्वाचन सामग्री तथा अभिलेख का भण्डारण;

(4) मतदाताओं को फोटो सहित पहचान पत्र जारी करना।

(5) राजनैतिक दलों को आर्थिक सहायता की अदायगी।

6. निर्वाचिक नामवलियाँ तैयार करना :

प्रथम जनवरी को अर्हता की तारीख मानते हुए उसके संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का वार्षिक पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्वाचन विधि में संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग के विस्तार से भेजे गए पहले इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है कि संदर्भ की चार तारीखें होनी चाहिए।

दूसरी तरफ किसी साधारण निर्वाचन या उप-निर्वाचन के समय एक क्षेत्र की पुनरीक्षित निर्वाचक नामावलियों में आगे नाम सम्मिलित करने या हटाने पर बिना किसी गुंजाइश के रोक लगा देना चाहिए। इसके प्रयोजनार्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में उपयुक्त संशोधन आवश्यक हैं।

7. मतदाताओं को फोटो वाले पहचान पत्रों के बारे में उपबन्ध;

निर्वाचन आयोग ने एक स्कीम तैयार की है जिसके अनुसार सारे देश में मतदाताओं को फोटो एवं पहचान पत्र आदि जारी किये जाएगे। सभी राज्यों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे इस स्कीम का कार्यान्वियन तीन अवस्थाओं में करें और विस्तृत रूप में उसके वास्तविक कार्यान्वयन का भार राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसरों पर छोड़ दिया जाए।

इस स्कीम की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रत्येक वयस्क नागरिक को उसके फोटो सहित एक पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए। फोटो की लागत या तो राज्य द्वारा पूरी तरह से वहन की जाए या राज्य और उस वयस्क नागरिक द्वारा 50.50 के आधार पर वहन की जाए। इन फोटों की तैयारी करने वालों एजेन्सी का इस ढग से विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए कि ऐसी प्रत्येक एजेन्सी को केवल 5 से 10 मतदान केन्द्रों का काम सौंपा एए जिनमें 5,000 से 10,000 तक वयस्क नागरिक आते हैं।

(2) ऐसी एजेन्सी को यह कहा जाए की वह फोटो की दो प्रतियां तैयार करे तथा उसे उसके निगेटिव सहित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए रजिस्ट्रीकरण आफिसर को दे दें और फोटो की प्रतियाँ रजिस्ट्रीकरण आफिसर को दे देने पर फोटो ग्राफरों को भुगतान कर दिये जाए।

(3) प्रत्येक मतदान के पहचान पत्र मतदाता के केवल मूल विवरण ही दिए जाएं जैसे नाम, पिता का नाम, उस व्यक्ति के जन्म के रजिस्ट्रीकरण का स्थापना, यदि उपलब्ध हो तो और स्थायी पता। प्रत्येक राज्य का एक कोड नम्बर हो तथा जिले, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केन्द्र के उप कोड नम्बर हो, जिससे रजिस्ट्रीकरण के बाद किसी व्यक्ति के दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण हो जाने पर उसकी पहचान हो सके और स्थानातरित स्थान पर उसके रिकार्ड का उचित रूप से स्थानान्तरिक किया जा सके।

फोटोग्राफर को कहा जाए कि यह उसे इस प्रयोजन के लिए दिये गए पहचान पत्र पर इन विवरणों को मुद्रित फोर्मेट में भर कर दें ।

(4) ये फोटो एवं पहचान पत्र "सामाजिक सुरक्षा" कार्ड का काम करेंगे । इन कार्डों को रखने पर होने वाले लाभों को बताकर वयस्क नागरिकों को प्रेरित किया जाए कि वे ऐसे कार्ड अपने पास अवश्य रखें ।

(5) उपयुक्त प्रयोजनार्थ, ऐसे पहचान पत्र का रखा जाना निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे (1) राशन कार्ड जारी करने के लिए; (2) महाविद्यालयों में दाखिला लेने के लिये; (3) नौकरी; (4) भूमि रजिस्ट्रीकरण तथा अचल सम्पत्ति के स्थानान्तरण; (5) विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ऐसे नागरिकों के बच्चों का दाखिला; (6) अन्य समाज कल्याण कार्य, जैसे सहकारी संस्थाओं व बैंक आदि से ऋण लेना तथा उन संस्थाओं का सदस्य बनना ।

प्रत्येक राज्य की कोयले की मासिक माँग

1155. **श्री डी. पी. जदेजा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की कोयले की मासिक माँग क्या है;

(ख) उनकी आवश्यकता की तुलना में उन्हें कितनी मात्रा सप्लाई की गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य को उनकी माँग के अनुसार कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) वर्ष 1979-80 में कोयले की राज्य-बार मासिक माँग और सप्लाई का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) राज्यों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने की दृष्टि से कोयले के लदान के लिये वैगनों की सप्लाई में वृद्धि के लिये रेलवे से परामर्श करके कदम उठाए जा रहे हैं । इसके अलावा कोयला कंपनियाँ रेल द्वारा ढुलाई में होने वाली कमी के लिये औद्योगिक उपभोक्ताओं को सड़क द्वारा भी कोयला दे रही है । कुछ निश्चित खानों से उपभोक्ताओं को फ्री मेल द्वारा भी कोयला दिया जा रहा है ।

विवरण

(आँकड़े लाख टनों में)

राज्य	1979-80 में औसत मासिक माँग	1979-80 में औसत मासिक माँग
1. आँध्र प्रदेश	4 0	4.4
2. विहार	20.5	14.7
3. दिल्ली	2.8	2.3
4. गुजरात	5.7	4.9
5. हरियाणा	2.2	0.8
6. मध्य प्रदेश	7.3	9.8
7. महाराष्ट्र	5.8	5.8

1	2	3	4
8.	उड़ीसा	2.5	3.5
9.	पंजाब	3.9	1.2
10.	राजस्थान	2.0	0.8
11.	तमिलनाडु	3.2	2.2
12.	उत्तर प्रदेश	12.0	8.6
13.	पश्चिमी बंगाल	14.5	11.0
14.	अन्य	1.6	1.0

नोट :—इन आंकड़ों में रेलवे को दिया गया तथा निर्यात किया गया कोयला शामिल नहीं है।

बदरपुर तापीय बिजली संयंत्र का बन्द किया जाना

1136. **श्री के. पी. सिंह देव :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बदरपुर तापीय बिजली संयंत्र को पूरे ओवरहाल के लिये बन्द किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि यह इस कारण आवश्यक हो गया था कि संयंत्र को सप्लाई किये गये कोयले में पत्थर की मात्रा अधिक थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि अपेक्षित ग्रुप वाला कोयला ही संयंत्र को सप्लाई किया जाए क्योंकि घटिया कोयला मशीनों को खराब करता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) समग्र ओवर हालिंग के लिए हाल ही में बदरपूर ताप विद्युत संयत्र को बन्द किया गया था। तथापि, टरबाइन की क्षतिग्रस्त कोयला रिहीट लाइन को सुधारने के लिए 210 मेगावाट का चौथा यूनिट 7 जनवरी, 1981 से 21 जनवरी, 1981 तक बन्द रहा।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समुचित गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई किए जाने के लिए मामला सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उठाया गया है। अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए लदान स्थलों पर विद्युत केन्द्र के प्रतिनिधियों को भी रखा गया है।

आधुनिक खनन उपकरणों का निर्माण

1137. **श्री के पी. सिंह देव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में खनन उपकरणों को आधुनिक बनाया जाए और उन्हें विदेशों में उपयोग में लाये जा रहे उपकरणों को समरुप लाया जाए;

(ख) यदि हां, तो खानों के लिये आधुनिक मशीनरी के निर्माण हेतु क्या योजनायें बनाई गई हैं; और

(ग) इस प्रकार के कितने उपकरणों का इस समय आयात किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) कोयला खानों में प्रयोग की जा रही अधिकाँश खनन मशीनरी का देश में ही निर्माण होता है । इस सम्बद्ध में आत्म निर्भरता लाने और आयात किए गए उपकरणों के स्थान पर क्रमश: भारतीय उपकरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऐसोशिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री और कोयला उद्योग के बीच बातचीत हुई है ।

(ग) कुछ सीमित मदों—जैसे ड्रेगलाइनों, बड़ी क्षमता वाले शावेलों और लाँगवाल खनन उपकरणों का ही आयात किया जा रहा है । इनमें से अधिकाँश उपकरणों का निर्माण अब क्रमश: भारत में ही होता जा रहा है ।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में उत्पादन

1138. **श्री के. पी. सिंह देव :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने में निर्धारित समय के अनुसार इस वर्ष उत्पादन शुरू हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तेल की कितनी मात्रा का प्रति वर्ष शोधन किया जाएगा और अन्य कितने सहउत्पाद उपलब्ध होंगे; और

(ग) मथुरा-कैम्बे और मथुरा हरियाणा, पंजाब पाइप लाईन बिछाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) मथुरा शोधनशाला द्वारा प्रति वर्ष 6 मि. मी. टन कच्चे तेल का शोधन करने की परिकल्पना की गई है । 1981-82 के दौरान इसके द्वारा 3 मि. मी. टन कच्चे तेल के परिशोधन किए जाने की आशा है । शोधनशाला द्वारा स्टैंडर्ड पेट्रोलियम उत्पाद जिसमें तरल पेट्रोलियम गैस नैफया, मोटर-स्पिरिट विमानन टरबाईन गैस, बढ़िया किस्म का मिट्टी का तेल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल तेल, मिट्टी का तेल बिटुमन आदि शामिल है का उत्पादन होगा ।

(ग) यह मान लिया गया है कि प्रश्न का सम्बन्ध सालाया—विरमगाम-मथुरा क्रूड पाइप लाइन और दिल्ली, अम्बाला, जालंधर उत्पाद पाइप लाइन से है । तदनुसार सूचना निम्न प्रकार है :

(1) **सालाया-विरमगाम-मथुरा पाइप लाइन :**

सालाया-विरमागाम-कोयली खण्ड पहले ही सितम्बर, 1978 में चालू हो गया है और इसके द्वारा गुजरात शोधनशाला को कच्चे तेल का परिवहन किया जा रहा है । विरामगाम-मथुरा खण्ड की कार्य शुरू होने से पूर्व की गतिविधियाँ प्रगति पर हैं और इस खण्ड को मार्च 1981 के अन्त तक कच्चे तेल से भर देने की आशा है । (2) मथुरा दिल्ली-अम्बाला-जालंधर पाइप लाइन निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ हो गये है और लगभग 20 किलो मीटर की पाइप को मथुरा के सिरे से जोडा गया है मथुरा अम्बाला, और जालंधर के स्टेशनों का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है ।

दिल्ली दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम

1139. **श्री गुफरान श्राजम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन में अच्छे कार्यक्रमों की कमी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो मुख्य कार्यक्रमों के बीच बेकार के विदेशी फिल्मों का इस्तेमाल किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन कोई भारतीय श्रृंखला जैसे दूरदर्शन पर शेक्सपीयर श्रृंखला का नियमित रूप से प्रदर्शन तैयार कर रहा है; और

(घ) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जहाँ तक संभव होता है, मुख्य कार्यक्रमों के बीच के अप्रत्याशित अन्तरालों को दूरदर्शन के अपने कार्यक्रमों का इस्तेमाल करके पूरा किया जाता है। परन्तु कभी-कभी इस प्रकार के अन्तरालों को विदेशी कार्यक्रमों का इस्तेमाल करके भी, विशेषकर तब जब पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती कार्यक्रम अंग्रेजी में होता है या विदेशी कार्यक्रम होता है, पूरा किया जाता है। पूरकों का चयन सामान्यतया कार्यक्रम की आवश्यकताओं और कम पड़ने वाले कार्यक्रम की किस्म के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। दूरदर्शन नियमित रूप से टेलीकास्ट किए जाने के लिए शेक्सपियर की कृति पर श्रृंखला जैसी कोई श्रृंखला तैयार नहीं कर रहा है। तथापि, दूरदर्शन प्रख्यात फिल्म निर्माताओं से प्रसिद्ध लेखकों की लघु कथाओं पर आधारित टी. वी. फिल्में बनवाने के लिए प्रयास कर रहा है। दूरदर्शन का भारत के राज्यों पर और हास्य विषयों पर फिल्मों की श्रृंखला बनवाने का भी बिचार है।

दूरदर्शन पर एशियाई खेलों के रंगीन प्रसारण के बारे में प्रगति

1140. **श्री गुफरान श्राजम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर एशियाई खेलों के रंगीन प्रसारण की तैयारियाँ प्रगति पर हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो दूरदर्शन पर प्रसारण करने के लिए रंगीन उपकरणों की लागत सहित अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) और (ख) देश में एशियाई खेलों का सादा प्रसारण होगा। तथापि, वैदेशिक उपयोग के लिए रंगीन प्रसारण उपलब्ध करने की सम्भाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अनेक राज्यों में ऊर्जा की कमी

1141. **श्री गुफरान श्राजम :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में बिजली की कमी व्याप्त है; और

(ख) यदि हाँ, तो गर्मियों में पैदा होने वाली मांग को पूरा करने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक और तमिलनाडु, पूर्वी क्षेत्र में बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे हैं।

(ख) देश में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई अल्पकालीन उपाय किये गए हैं/किए जा रहे हैं। इन उपायों में उत्तम भार प्रबन्ध विद्यमान क्षमता के समुपयोजन में सुधार, नई उत्पादन क्षमता को शीघ्रता से चालू करना तथा ताप विद्युत केन्द्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई की व्यवस्था करना शामिल है। इन उपायों के परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष के नवम्बर दिसम्बर और जनवरी महीनों के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में नवम्बर, 80 में 20%, दिसम्बर, 80 में 16% और जनवरी, 81 में 9.5% की वृद्धि हुई तथा देश में पिछले वर्ष की इसी अवधि में विद्युत की जो समग्र कमी थी उसकी तुलना में कमी अपेक्षाकृत थोड़ी है।

1	2	3	4
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	210
	तमिलनाडु	तुतीकोरिन यूनिट 3	210
	कर्नाटक	रायचूर यूनिट 1 और 2	420
	केन्द्रीय क्षेत्र	रामागुण्डम यूनिट 1 से 4	630
		नेवेली दूसरा माइन कट	420
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	पतरातू यूनिट 9 और 10 विस्तार-चार	220
		बरौनी विस्तार यूनिट 6 और 7	220
		मुजफ्फरपुर ताप विद्युत	220
	दा. घा. निगम	दुर्गापुर ता. वि. केन्द्र चार	210
		बोकारो 'बी'	210
	उड़ीसा	तलचेर विस्तार	220
	पश्चिम बंगाल	सथालडीह यूनिट-चार	120
		बडेल विस्तार	210
		कोलाघाट	630
		दुर्गा. परि. लि. विस्तार	110
		सी. ई. एस. सी.	240
	केन्द्रीय क्षेत्र	फरक्का सुपर ता. वि. केन्द्र	210

1	2	3	4
उत्तर-पूर्वी	असम	बोंगाई गाँव	120
क्षेत्र		नामरूप वेस्ट	22
		लकवा गैस	45
		मोबाइल गैस	21
		बोंगाई गाँव विस्तार	120
		चन्द्रपुर विस्तार	30

फिल्म समारोह के दौरान दिखाई गई फिल्में

1142. **श्री आर. एन. राकेश :**
श्री छीतूभाई गामित :
श्री टी. आर. शमन्ना :
श्री एन. ई. हीरो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में समाप्त हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई फिल्मों की, देशवार, संख्या कितनी है; और ऐसी फिल्मों के नाम क्या हैं;

(ख) किस देश की फिल्म सर्वश्रेष्ठ मानी गई थी और पुरस्कृत की गई थी; और

(ग) बेची गई भारतीय फिल्मों का मूल्य क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) और (ख) फिल्मों की सूची संलग्न है। (ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल. टी.-1935/81) अन्तर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए थे :

फीचर फिल्में :

रंगेल बुल्चानोव (बलगारिया) की "दि अननोन सोलजर्ज पेटेन्ट लैदर सूज" और गोविंद निहालनी (भारत) की "आक्रोश" को सर्वोत्तम फिल्म के लिए स्वर्णमयूर।

ईटली के स्टेफानों रोल्ला की फिल्म "वैनेटियन लाइज" को सर्वोत्तम निर्देशन के लिए रजत मयूर।

जोलटान फैबरी की फिल्म "बैलिन्ट फैबियन मीट्स गोड" के लिए हंगरी के गाबोर फोनेक्जे को सर्वोत्तम अभिनेता के लिए रजत मयूर।

जोस लूईस बोरो की स्पेन-स्वीडन फिल्म "दि सबिना" के लिए स्पेन की अंजेला मोलिना को सर्वोत्तम अभिनेत्री के लिए रजत मयूर।

घाना के कवाव अन्साह को उनकी फिल्म "लव बूड इन दि अफ्रीकन पोट" के लिए विशेष जूरी पुरस्कार के रूप में रजत मयूर।

लघु फिल्में :

डेनमार्क के वैन्ट बारफोर्ड की फिल्म "ए पीरियड आफ ट्रांजिशन" को सर्वोत्तम फिल्म के लिए रजत मयूर।

भारत के मणि कौल को "अराईवल" के लिए सर्वोत्तम निर्देशक के लिए रजत मयूर।.

विटोरियो ग्रारमेटानों को इटली की "सीनोटेकनिसा" को विशेष जूरी पुरस्कार के रूप में रजत मयूर।

(ग) राइटहोल्डरों द्वारा बताया गया है कि 74 लाख रुपये के मूल्य की भारतीय फिल्मों की बिक्री हुई। इसके अतिरिक्त भारतीय फिल्मों के 100 लाख रुपये के मूल्य के वीडियो कैसेट बेचे गए बताए गए हैं।

सिन्थेटिक पर आधारित तेलों की खपत

1143. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में चालू योजनाबद्ध के दौरान सिन्थेटिक पर आधारित तेलों के विकास हेतु और अनुसंधान तथा विकास करने के प्रयास करने का प्रस्ताव है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान स्नेहक तेलों तथा ग्रीस की कुल कितनी खपत हुई;

(ग) क्या औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों की तुलना में भारत में इतनी काफी ज्यादा खपत है;

(घ) क्या यह सच है कि भारत में स्नेहकों तथा पेट्रोलियम के विशिष्ट पदार्थों की विकास दर 8 से 10 प्रतिशत है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का प्रस्ताव उन्हें और अच्छी तरह से करने तथा जब कभी संभव हो उनका पुन: उपयोग करने का प्रस्ताव है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हाँ। हमारे आई. पी. सी., आई. आई. पी., सी. एफ. आर. आइ. नामक अनुसंधान संगठन पहले से ही संश्लिष्ट तेलों के उत्पादन पर लगे हुए हैं और ऐसी आशा की जाती है कि वर्तमान योजना अवधि के दौरान वे इस सम्बन्ध में अपने क्रिया कलापों को जारी रखेंगे।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान देश में लगभग 5.7 लाख मीट्रिक टन स्नेहक तेलों और ग्रीज की कुल खपत हुई थी।

(ग) कुछ प्रकाशित सूचना के आधार पर भारत में आटोमोटिव इंजिन लुब्रीकेन्ट्स की खपत का स्तर कुल प्रगतिशील पश्चिमी देशों के उपयोग के स्तर की तुलना में ऊँचा है।

(घ) वर्ष 1975-76 से वर्ष 1979-80 की अवधि की खपत का मिश्रित वृद्धि दर 7 प्रतिशत है।

(ङ) सरकार ने इस मामले की गहराई से जाँच की है और पुन: प्राप्त तेलों की कोटि को सुनिश्चित करने के लिए पुन: परिष्करण करने वालों के लिए एक स्वैच्छिक पंजीकरण योजना आरम्भ की है। पुन: परिशोधित किए इंजिन तेलों की कोटि के मानक आई. एस. आई. द्वारा भी जारी किए गए हैं।

निर्वाचित आयोग द्वारा दिए गए सुझाव

1144. **श्री हरिनाथ मिश्र** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजनीतिक दलों के लेखाओं की आवधिक लेखा परीक्षा के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में सरकार ने कोई अंतिम निर्णय ले लिया है।

विधि, न्याय श्रौर कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : जी नहीं

उत्तरी विहार में बिजली की कमी

1145. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बिहार में बिजली की अत्याधिक कमी है;

(ख) जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि में उत्तरी बिहार क्षेत्र को कितनी बिजली सप्लाई की गई; और

(ग) उत्तरी बिहार क्षेत्र में वहाँ की बिजली की माँग की तुलना में कितनी बिजली सप्लाई की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री विक्रम महाजन : (क) जी, हां। उत्तरी बिहार क्षेत्र विद्युत की कमी का सामना कर रहा है।

(ख) श्रौर (ग) जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान लगभग847 मिलियन यूनिट की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में उत्तर बिहार में उपभोक्ताओं को लगभग 483-50 मिलियन यूनिट ऊर्जा सप्लाई की गई थी।

आन्ध्र प्रदेश में तिरुपति में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

1146. **श्री बी. किशोरचन्द्र एस. देव :** क्या सूचना श्रौर प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में तिरुपति में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में तिरुमल्ला तिरुपति देवास्थानम से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना श्रौर प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) श्रौर (ग) तिरुपति में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। तथापि, संसाधनों की कमी के कारण वहाँ दूरदर्शन केन्द्र की व्यवस्था करना सभव नहीं हुआ है।

होग्नेखल परियोजना, कर्नाटक

1147. **श्री बी. बी देसाई :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम को कर्नाटक में होग्नेखल परियोजना का काम आरम्भ करने की अनुमति दिये जाने के लिए प्रयास जारी है; और

(ख) कौन-कौन सी अन्य परियोजनाओं को आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) संबंधित राज्यों की स्वीकृति से कावेरी नदी पर होग्नेखल तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को हाथ में लेने के लिए केन्द्र इच्छुक है।

(ख) राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम इस समय निम्नलिखित नई परियोजनाओं में व्यस्त है :

कार्यान्वयन :

(1) दुल-हस्ती	जम्मू एवं कश्मीर राज्य	390 मेगावाट
(2) कोयला कारो	बिहार	710 मेगावाट

अन्वेषण :

(1) चनेरा	हिमाचल प्रदेश	400 मेगावाट (अनुमानित)

राष्ट्रीय जल-विद्युत परियोजना निगम को निम्नलिखित स्कीमें भी सौंपी गई हैं, तथा प्रारम्भिक कार्रवाई की जा रही है :

कार्यान्वयन :

(1) उड़ी	जम्मू तथा कश्मीर राज्य	480 मेगावाट

अन्वेषण-सह-कार्यान्वयन :

(1) पार्वती	हिमाचल प्रदेश	1900 मेगावाट
(2) कोल बांध	हिमाचल प्रदेश	600 मेगावाट
(3) घनली गंगा	उत्तर प्रदेश	
(4) रामगंगा	उत्तर प्रदेश	
(5) गोरी गंगा	उत्तर प्रदेश	
(6) टंकापुरा	उत्तर प्रदेश	
(7) कोंकण रेंज स्कीमें	महाराष्ट्र	

कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए और बिजली घरों की स्थापना हेतु सोवियत रूस के साथ समझौता

1148. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस भारत को ईंधन शक्ति योजना में सहायता देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रेसिडेन्ट ब्रेझनेव द्वारा पिछले वर्ष 10 दिसम्बर के दौरे के अवसर पर हस्ताक्षरित समझौते के अनुसरण में है;

(ग) यदि हाँ, तो कोयला उत्पादन में वृद्धि तथा सिगरेनी कोयला पट्टी में पारेषण लाइनों सहित 3000 मेगावाट के सुपर बिजली घर की स्थापना हेतु सोवियत रूस की सहायता के बारे में 10 दिसम्बर के समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या जनवरी 1981 मास में एक सोवियत दल ने भारत का दौरा किया था और इस बारे में समझौता किया था कि इस बारे में किए गए निर्णयों को किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाए;

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन को कब तक आरम्भ किया जाएगा;

(च) सोवियत रूस द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जाएगी; और

(छ) इस योजना के पूरा हो जाने पर बिजली की स्थिति में कितना सुधार होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिसम्बर, 1980 में दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर सम्पन्न हुए समझौते के अनुसार (3000 मेगावाट तक विस्तार किये जा सकने की संभाव्यता वाले) 1000 मेगावाट क्षमता वाले एक समेकित ताप विद्युत संयत्र के निर्माण तथा लगभग 900 किलो मीटर लम्बी संबद्ध पारेषण लाइन तथा सिंगरौली क्षेत्र में निगाही कोयला खान के चरणबद्ध निर्माण के लिए सोवियत सहायता उपलब्ध कराई जानी है। समेकित विद्युत परियोजना के अतिरिक्त झांझरा कोयला खान के निर्माण के लिए तथा मुकुन्दा ओपन कास्ट खना के प्रथम चरण के समेकित विकास हेतु भी सोवियत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(घ) जी हाँ। विद्युत तथा कोयला विकास क्षेत्रों के विशेषज्ञो के सोवियत दलों ने जनवरी 1981 में भारत का दौरा किया था। उनके दौरे के दौरान दिसम्बर के करार में बताए गए विभिन्न विद्युत और कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वियन से सम्बन्धित मामलों पर भारतीय विशेषज्ञों और उनके बीच विचार-विमर्श हुए थे।

(ङ) यद्यपि दोनों देशों के विशेषज्ञों के बीच परवर्ती विचार-विमर्श हो चुके हैं लेकिन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय सम्बन्धी कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(च) विद्युत परियोजनाओं तथा कोयला परियोजनाओं के लिए सोवियत संघ द्वारा जो सहायता दी जानी है उनके सही-सही कार्य क्षेत्र को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि सोवियत सहायता सर्वेक्षण कार्य, उपस्कर, मशीनरी, और सामग्री की सप्लाई एवम तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्र में होगी।

(छ) विद्युत परियोजना का प्रथम सोपान पूरा हो जाने पर देश के पश्चिमी क्षेत्र में 1000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता की बढ़ोतरी हो जायेगी।

विधिक सहायता के बारे में सांविधिक उपबन्ध

11-9. **श्री हरिहर सोरन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विधिक सहायता देने के लिए कोई सांविधिक उपबन्ध है;

(ख) यदि हाँ, तो 1979-80 और 1980-81 के दौरान उड़ीसा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को विधिक सहायता के रूप में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) राज्य के विभिन्न जिलों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों की संख्या क्या है, जिन्हें इस वित्तीय सहायता के अन्तगत लाभ प्राप्त हुआ है; और

(घ) तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है।'

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विधिक सहायता देने के लिए भारत के संविधान के अधीन कोई विशेष उपबन्ध नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 39क यह उपबन्ध करता है कि "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य

असमर्थता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या अन्य प्रकार से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।" य उन सभी नागरिकों को लागू होता है जो आर्थिक और अन्य असमर्थताओं के कारण असुविधाग्रस्त हैं।

(ख) से (घ) इस विषय में उड़ीसा राज्य सरकार से जानकारी भेजने के लिए अनुरो किया जा रहा है और जानकारी प्राप्त होने पर वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रंगीन-दूरदर्शन दूरदर्शन वाणिज्य निगम के साथ समझौते का फार्मूला

1150. **श्री बी· वी. देसाई :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का समाचार है कि सरकार दूरदर्शन वाणिज्य निगम के साथ निग द्वारा रंगीन-दूरर्शन कार्यक्रम प्रारम्भ करने, तथा इसके साथ ही दूरदर्शन विभाग द्वारा वर्तमा गैर-रंगीन (काला सफेद) प्रसारण जारी रखने के समझौता फार्मूले के अनुसार रंगीन दूरदर्श की अपनी योजना को क्रियान्वित करेगी;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करना कहाँ तक संभव है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त प्रसारण की कब से आरम्भ होने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) (घ) देश में रंगीन दूरदर्शन चालू करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में ताप बिजली घर की स्थापना

1151. **श्री रामजीभाई मावणि :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की सरकार ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक ता बिजली घर की स्थापना करने की कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और वे कब प्राप्त हुई थी;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उक्त बिजली घर के सम्बन्ध में कब तक स्वीकृति दिए जाने की आशा है;

(ङ) संयंत्र की स्थापना किस स्थान पर होगी और इसके कब तक कार्य शुरू कर दि जाने की आशा है; और

(च) उसका अनुमानित व्यय क्या होगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (च) गुजरात के सौरा क्षेत्र में ताप विद्युत स्कीमों की स्थापना के लिए प्रस्तावों की जांच/प्रस्तावों पर की गई कार्यवाह की वर्तमान स्थिति दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में ताप विद्युत स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं.	स्कीम का नाम तथा चालू किये जाने की अन्तिम तारीख	प्रस्तावित क्षमता	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	कच्छ में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र (1-1984-85) (2-1985-86)	2×60 मेगावाट	जनवरी, 1978	7127.0 (जो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई है)	यह स्कीम योजना आयोग द्वारा 28-9-79 को, 7217 लाख रुपये की अनुमति लागत पर स्वीकृत कर दी गई है। यूनिटों को वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है।
2.	सिक्का ताप विद्युत केन्द्र (1984-85)	1×120 मेगावाट	13-3-79	5478 (जो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई है)	यह स्कीम योजना आयोग द्वारा 8-1-81 को, 5478 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत कर दी गई है। यूनिट को 1984-85 में चालू करने का कार्यक्रम है।
3.	काण्डला ताप विद्युत केन्द्र	1×60 मेगावाट	22-10-79	2815 (जो गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई है)	(एक) सिक्का ताप विद्युत केन्द्र को कोयला लिंकेज की स्वीकृति देते समय कोयला विभाग ने सूचित किया है कि थापुर, सिक्का और काण्डला में वर्तमान लघु ताप विद्युत केन्द्रों को जो केवल 0.27 एम. टी. कोयला सप्लाई किया जा रहा है उतना ही कोयला वे सप्लाई कर सकेंगे और इससे अधिक मात्रा में कोयला सप्लाई नहीं किया जा सकेगा। (दो) कोयले की आवश्यकता की अनुपूर्ति करने के लिए काण्डला के लिए लिग्नाइट की ढुलाई के बारेमें गुजरात बिजली बोर्डद्वारा पहले व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए

1	2	3	4	5	6
					गुजरात बिजली बोर्ड कच्छ में, जहाँ दो यूनिट पहले ही प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं, एक और यूनिट प्रतिष्ठापित करने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए सहमत हो गया था। कच्छ ताप विद्युत केन्द्र में (काण्डल की बजाए), जहाँ लिग्नाइट हैन्डलिंग के लिये अन्य सुविधा का सृजन किया गया है, लिग्नाइट जलाने के बारे में गुजरात बिजली बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद इस प्रस्ताव की पुनः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जाँच की जाएगी। कच्छ में और विस्तार करने के लिए परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्रतीक्षा है।
					(तीन) उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक अर्ध-सरकारी पत्र में स्थायी लिकेज समिति के अध्यक्ष से काण्डला ताप विद्युत केन्द्र के लिए आवश्यक अधिक मात्रा में कोयला सप्लाई करने का अनुरोध किया है तथा उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। इसके अतिरिक्त काण्डला के लिए ट्रकों/समुद्र द्वारा लिग्नाइट की ढुलाई की व्यवहार्यता की नए सिरे से जांच करने के लिए तथा उसी बायलर में लिग्नाइट और कोयला दोनों जलाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए गुजरात बिजली वोर्ड से अनुरोध किया गया है। उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है
4.	महुआ में गैस पर आधारित	2×40	8-8-79	13200 (परियोजना	(1) प्रस्ताव की पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में जांच की गई थी।

1	2	3	4	5	6
	ताप विद्युत केन्द्र			रिपोर्ट के अनुसार)	पेट्रोलियम मंत्रालय ने सूचित किया है कि ताप्ती क्षेत्रों की अभी पूरी तरह खोज की जानी है और इन क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाली गैस की मात्रा अभी सुनिश्चित की जानी है। उन्होंने आगे कहा है कि इन कारणों से इस गैस के समुपयोजन का प्रश्न अभी असामयिक है क्योंकि इस गैस के किसी भी प्रकार के उपभोग और ढुलाई के बारे में निर्णय लेना इन गैस क्षेत्रों का पूरी तरह मूल्यांकन हो जाने और इनको वाणिज्यिक घोषित कर दिए जाने के बाद ही, संभव हो सकेगा।
				(2)	ऊपर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, परियोजना रिपोर्ट गुजरात बिजली बोर्ड को 30-7-1980 को वापस भेज दी गई थी।

सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों को 1977 से 1980 तक हुई हानि

1152. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों को 1977, 1978, 1979 और 1980 में वर्षवार अनुमानतः कितनी हानि हुई और इसके क्या कारण थे; और

(ख) इस क्षेत्र में सरकार ने कितनी पूंजी लगाई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा के खातों के अनुसार कोल इण्डिया लिमिटेड को वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में हुआ घाटा क्रमशः 101.08 करोड़ रुपए, 20.11 करोड़ रुपए और 134.42 करोड़ रुपए है। इस घाटे के मुख्य कारण हैं—कोयले की अलाभकारी कीमतें, उत्पादन सामग्री की लागत में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि और विभिन्न बाधाओं के कारण उत्पादन में कमी।

(ख) कोल इण्डिया लिमिटेड में कुल निवेश 31.3.1980 की स्थिति के अनुसार लगभग 1333 करोड़ रुपए है।

सूचना मंत्रियों का सम्मेलन

1153. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1980 में विभिन्न राज्यों के सूचना मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) क्या उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि सरकारी सूचना तंत्र के पुनर्गठन के प्रस्ता पर शीघ्र विचार किया जाएगा और यदि हां, तो इसका मापदण्ड क्या होगा और इसका पुन गठन कब तक हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी सूचना तंत्र के पुनर्गठन का प्रश्न उक्त सम्मेलन में विचारार्थ नहीं आय तथापि, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने अलग से एक सलाहकार समिति का गठन किया जो कि अधिक व्यावसायिक दक्षता और सुधार लाने के लिए मंत्रालय के विभिन्न माध्यम संगठ में और यदि आवश्यक हो तो मंत्रालय में भी संरचना परिवर्तन सहित उनकी नीतियों और का क्रमों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों के बारे में मंत्रालय को सलाह देगी ।

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

1154. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने क कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या है जहाँ चालू वित्त वर्ष के दौरान नये दूरदर्शन तथ आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ख) क्या राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों के गाँवों में दूरदर्शन के प्रसारण पहुचाने क कोई विशेष योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)

(क) सूरतगढ़ में नया रेडियो स्टेशन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चालू किया जायेगा । वर्ष दौरान कोई दूरदर्शन केन्द्र चालू नहीं होगा, यद्यपि दूरदर्शन केन्द्रों/रिले ट्राँसमीटरों की स्थापन की अनेक स्कीमें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(ख) "साइट" उत्तरवर्ती योजना के अंक के रूप में जयपूर में एक दूरदर्शन ट्रांसमीट 1-3-77 से पहले से ही काम कर रहा है । छठी "योजना" (1980-85) के दौरान जयपुर इस ट्राँसमीटर के लिए स्थायी स्टूडियो स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए स्थान का पहले ही अधिग्रहण कर लिया गया है ।

राजस्थान में जैसलमेर और बाडमेर में ड्रिलिंग

1155. **प्रो निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री य बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में तेल की खोज करने के लि वहाँ ड्रिलिंग की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इस कार्य को रोकने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निकट भविष्य में ड्रिलिंग को पुन: शुरू करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो किस समय तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) (क) : राजस्थान के जैसलमेर जिले में खुदाई की गई है परन्तु बाड़मेर जिले में नहीं की गई है।

(ख) अब तक किये गये खुदाई कार्य के परिणाम स्वरूप मनहेरा टिब्बा में एक छोटे अलाभकर गैस क्षेत्र का पता चला है तथा भुआना में भी थोड़ी गैस का पता चला है। उन्नत तकनीक द्वारा भूकम्पीय सर्वेक्षण करके उपयुक्त संरचनाओं की रूपरेखा तैयार किये जाने तक और आगे खुदाई कार्य रोक दिया गया है।

(ग) वर्तमान में किये जा रहे भूकम्पीय सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप उपयुक्त संभावनाओं के होने पर ही खुदाई कार्य का पुन: प्रारंभ किया जाना निर्भर करता है।

राजस्थान में विद्युत की आवश्यकता पूरी करने के लिए सुपर तापीय और तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना

1156. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सामान्यता विद्युत का संकट रहता है और क्या इसका मुख्य कारण परमाणु संयंत्र का कार्य न करना है;

(ख) क्या इस विद्युत संकट का स्थायी समाधान खोजने की दृष्टि से सरकार की दो तापीय विद्युत केन्द्र तथा एक सुपर तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो ये परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी और वे कब तक पूरी हो जायेंगी; और

(घ) कोटा तापीय विद्युत केंद्र का कार्य किस अवस्था में चल रहा है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1980 में कम मानसून होने के कारण गोबिंदसागर (भाखड़ा) तथा चम्बल जलाशयों में कम अन्तर्वाह होने के कारण संबंध जल-विद्युत केन्द्रों से कम विद्युत उपलब्धता होने से राजस्थान विद्युत की कमी की स्थिति का सामना कर रहा है। 18 दिसम्बर, 1980 से 28 जनवरी, 1981 तक राजस्थान परमाणु विद्युत संयत्र की यूनिट सं०-1 में जबरन बन्दी के कारण राजस्थान की विद्युत उपलब्धता पर और प्रभाव पड़ा।

(ख) और (ग) इस समय कोटा ताप परियोजना चरण-I (2 × 110 मेगावाट) तथा चरण-II (2 × 210 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं। निर्माण की वर्तमान स्थिति के अनुसार चरण-I के 1982-83 में तथा चरण-II के 1986-87 में पूर्ण होने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त 60-60 मेघावाट की दो यूनिटों के प्रतिष्ठापना के लिए पालना में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक तौर से स्वीकृति दे दी है तथा इसके लिए निवेश संबन्धी निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पालना में 60 मेगावाट की प्रथम यूनिट के परियोजना की स्वीकृति की तारीख से 56 मास में चालू हो जाने की आशा है। इस समय राजस्थान में सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

क लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं है तथापि केन्द्रीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान को अपना हिस्सा प्राप्त होगा।

(घ) कोटा ताप विद्युत परियोजना चरण-I में, दोनों यूनिटों के बायलर उत्थापन का कार्य चल रहा है। प्रथम यूनिट का टर्बो-जेनरेटर चालू हो गया है। जल ट्रीटमेंट संयत्र के मार्च, 1981 में चालू होने की आशा है। यूनिटों के क्रमश: जून, 1981 तथा दिसम्बर, 1982 में चालू होने की संभावना है। कोटा ताप विद्युत परियोजना चरण-II अक्तूबर, 1980 में स्वीकृत की गई थी। यूनिटों को क्रमश: 1985-86 तथा 1986-87 में चालू करने का कार्यक्रम है।

जयपुर और उदयपुर आकाशवाणी केन्द्रों की परिधि

1157. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर और उदयपुर के रेडियो स्टेशनों के प्रसारण कितनी परिधि तक प्राप्त होते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उदयपुर रेडियो स्टेशन के प्रसारण, दिल्ली में बिलकुल सुनाई नहीं देते और जयपुर के प्रसारण यहाँ मुश्किल से सुनाई देते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन दो रेडियो स्टेशनों को अधिक शक्तिशाली बनाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) और (ख) दिन के समय आकाशवाणी, जयपुर के 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का प्रसारण क्षेत्र विभिन्न दिशाओं में 17 और 30 किलो मीटर के बीच तथा आकाशवाणी, उदयपुर केन्द्र के 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का प्रसारण क्षेत्र सभी दिशाओं में लगभग 55 किलोमीटर है। ये ट्रांसमीटर क्रमश: अल्प और मध्यम क्षमता वाले हैं तथा ये उन्हीं क्षेत्रों के लिए हैं जिनमें ये स्थित हैं। इनके दिल्ली में सुने जाने की अपेक्षा नहीं की जाती।

(ग) संसाधनों की कमी के कारण जयपुर या उदयपुर के ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव रहीं है। तथापि, स्वीकृत छठी "योजना" (1980-85) में आकाशवाणी, अजमेर (जो जयपुर के कार्यक्रमों को रिले करता है) की क्षमता को 20 किलोवाट से बढ़ाकर 200 किलोवाट करने की स्कीम है।

जातीय नामों के अन्तर्गत औषधि

श्री आर. के. महालगी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री महाराष्ट्र फार्मास्यूटिकल्स मैनुफैक्चरस एसोसियेशन पुणे, महाराष्ट्र द्वारा की गई मांग के बारे में 17 जून 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 952 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उत्पादों की सूची का पुनरीक्षण करने, जिनके लिए व्यापारिक नामक समाप्त कर दिए गए थे, और उसमें जातीय नामों के अधीन कुल और मदों को शामिल करने के कार्य में कोई प्रगति हुई है।

(ख) यदि हां तो अब तक हुई प्रगति का स्वरूप तथा ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने पाँच औषधों के एक खुराक वाले फार्मूलेशनों के ब्रांड मापों को समाप्त करने के निर्णय को अपेक्षित कानूनी रूप देने के लिये औषध और प्रसाधन नियम 1945 में संशोधन करते हुये जनवरी 1981 में एक गजट अधिसूचना जारी की है। इन औषधों के ब्रांड नामों को 1.8.1981 से समाप्त किया जायेगा। पहले लिये गये निर्णय को कार्यान्वित करने का कुछ अनुभव प्राप्त हो जाने के बाद ही ऐसी समीक्षा करना उपयुक्त होगा।

वर्ष 1980-81 के दौरान स्वीकृत नई कोयला परियोजनायें

1159. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान कितनी और किन-किन नई कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) क्या छठी योजना अवधि के दौरान सरकार का कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 के दौरान कोयले की कितनी नई परियोजनाओं पर काम शुरू किए जाने का विचार है; और

(घ) कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या व्यापक उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) एक विवरण सलग्न है जिसमें अभीष्ट सूचना दी गई है।

(ख) छठी योजना के समाप्ति वर्ष (1984-85) के लिए 165 मिलियन टन कोयले के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य नियत किया गया है।

(ग) इस समय कोयला कंपनियों से प्राप्त 34 परियोजना प्रस्तावों की जाँच की जा रही है। प्रस्ताव है कि जितनी भी संभव हो उतनी कोयला परियोजनाएं हाथ में ली जाएं।

(घ) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जैसे-ओपेनकास्ट खानों का शीघ्रता से विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी, और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, बिजली आदि उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित करना, और परियोजना कार्यान्वयन की लगातार निगरानी।

विवरण

सरकार द्वारा 1980-81 में अब तक मंजूर की गई कोयला परियोजनायें

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

1. राजमहल ओमेनकास्ट

सेन्ट्रल कोलफील्डस लि.

2. आरा पुनर्गठन
3. गोबिन्दपुर फेज-1
4. ककरी ओपेनकास्ट

वेस्टर्न कोलफील्डस लि.

5. पिपला कोलियरी
6. इन्दर कोलियरी
7. हिन्दुस्तान लालपेठ (पुनर्गठन)
8. सतपुड़ा खान-1 और 2
9. छिन्दा कोलियरी
10. पाथाखेरा 1 खान में बिजली चालित सहारे शुरू करना

भारत कोकिंग कोल लि.

11. केशलपुर ओपेनकास्ट
12. निचितपुर-तुतुलमारी ओपेनकास्ट
13. मालगोरा
14. खारखारी-धर्माबन्द
15. नार्थ अमलाबाद

सिंगरेनी कोलियरीज कं. लि.

16. रामागुंडम ओपेनकास्ट और ओपेनकास्ट नं. 1
17. मानुगुरू

अग्रिम कार्रवाई

18. रविन्द्रा खानी नं. 8 इन्क्लाइन
19. गोदावरी खानी नं. 11-ए

पन विद्युत क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय नीति

1160. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विशाल पन विद्युत क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सरका ने एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विशाल ज विद्युत शक्यता की उपलब्धा को स्वीकार करते हुए सरकार ने इसके उपयोग पर बहुत अधि बल देने का निश्चय किया है। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, छठी योजना अवधि के दौरा 4768 मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता तथा सातवीं योजना अवधि के दौरान 1500 मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है, जिससे ज विद्युत तथा ताप विद्युत क्षमता का अनुपात बराबर हो जाएगा।

यह भी निर्णय लिया गया है कि वृहत जल विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वियन वे लिए केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में ली जाएं ताकि उनको शीघ्र चालू किया जा सके। परियोजनाओं क एक ऐसा समूह जो कार्यान्वियन के लिए उपलब्ध रहे, तैयार रखने की दृष्टि से पहली बार ज विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंपा गया है।

तेल की खोज और उत्पादन के लिए सोवियत रूस के प्रस्ताव

1161. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम, **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने तेल की खोज और तट-स्थित तेल के कुओं से तेल का उत्पादन बढ़ाने के कई प्रस्ताव पेश किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) 10 दिसम्बर, 1980 को हुए आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के अनुसार सोवियत संघ भारत को भारत के तटीय प्रत्याशित क्षेत्रों में से एक में तेल एवं गैस, जिसमें भू-भौतिकीय अन्वेषण और खुदाई कार्य शामिल है, के सम्पूर्ण कार्य के कार्यान्वयन, तेल भण्डारों को मूल तकनीकी प्रक्रिया से और अधिक विकसित करने तथा उत्पादन सुविधाओं के प्रतिस्थापना के लिए भारत को सहयोग देगा। क्षेत्रों का चुनाव भारत और सोवियत संघ के बीच परस्पर समझौते करके किया जायेगा। आगे और सोवियत संघ भारत को बंद तथा कम उत्पादन देने वाले कुओं में तेल का उत्पादन बढ़ाने संबधी कार्यों के कार्यान्वयन में सहयोग देगा। यह समझौता हुआ था कि दोनों संगठनों के बीच इस सबंध में ठेकों संबंधी बातचीत 1981 की प्रथम तिमाही में की जायेगी।

मिश्र द्वारा विद्युत विकास में भारतीय तकनीकी विशेषज्ञता की मांग

1162. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र ने अपने व्यापक विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए भारतीय तकनीकी विशेषज्ञता के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) तथा (ख) मिश्र की सरकार और भारत सरकार के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग दोनों सरकारों के ऊर्जा मंत्रियों के बीच हुए प्रोतोकोल के अन्तर्गत आता है। प्रथम प्रोतोकोल 1978 में हस्ताक्षरित किया गया था तथा इसके पश्चात 1979 में तथा जनवरी, 1981 में अन्य प्रोतोकोल किये गये। तकनीकी सहयोग के कुछ क्षेत्र जिनके लिये अनुरोध किया गया है तथा जिनके लिए मिश्र सरकार को तकनीकी सहयोग दिया गया है, निम्नानुसार है :—

(1) ग्राम विद्युतीकरण के दो विशेषज्ञों ने मिश्र का दौरा किया और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम तैयार किया।

(2) विद्युत प्रणाली विकास के विभिन्न पहलुओं, अभिकल्प, परीक्षण और विद्युत केन्द्रों को चालू करने तथा ग्राम विद्युतीकरण में 12 मिश्री इन्जीनियरों को भारत में प्रशिक्षित किया गया है।

(3) पुर्नस्थापना कार्यक्रम तैयार करने के लिए विद्युत केन्द्रों का सर्वेक्षण करने तथा

उनके देश में कार्यान्वित किए जा रहे ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए मिश्र को विशेषज्ञ भेजे गए हैं।

हस्ताक्षर किए गए अन्तिम प्रोतोकोल के अनुसार मिश्र सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता माँगी गई हैं :—

(1) सौर ऊर्जा, जैव-द्रव्य तथा जैव-गैस के अनुसंधान और विकास क्षेत्र में 15 दिन की अवधि के लिए तीन भारतीय विशेषज्ञों का दौरा।

(2) मिश्र में कोयले के विकास के लिए कोयला खनन और अन्वेषण के क्षेत्र में विशेषज्ञ।

(3) यह भी सहमति हुई कि भारत तथा मिश्र (सौर वाटर हीटर और क्रापस ड्रायरज, सोलर पौन्डज सहित) नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करेंगे।

(4) यह भी सहमति हुई है कि निम्नलिखित का निर्माण करने के लिए साँझा कार्य स्थापित करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों का एक दल मिश्र का दौरा करेगा।

(क) पारेषण टावर।

(ख) उच्च वोल्टता के स्विचगीयर।

(ग) इन्स्यूलेटर।

मिश्र को उपरोक्त सहायता देने के लिए भारत सरकार सहमत हो गई है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को योजनाओं के बारे में समाचार

1163. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान दिनांक 17 जनवरी, 1981 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'मैनी एन. एफ. डी. सी. (नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन) स्कीम्स पेन्डिंग आन पेपर' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) से (ग) जी, हां। प्रश्नास्पद समाचार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के प्रेस सम्मेलन के बारे में रिपोर्ट प्रतीत होती है और उसमें समाचार पत्र की प्रेस सम्मेलन की कार्यवाहियों की व्याख्या प्रतिबिम्बित हुई प्रतीत होती है। प्रेस सम्मेलन में घोषित निगम की योजनाओं और कार्यक्रमों को विस्तृत जांच के बाद अन्तिम रूप दे दिया गया है। ये योजनाएं प्रगति की अवस्था में हैं और स्वाभाविक रूप से फिल्म उद्योग को इनके लाभ कुछ समय बाद प्राप्त होंगे। समामेलित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए निदेशक मंडल का गठन अगस्त-सितम्बर, 1980 में किया गया था और इतनी थोड़ी अवधि में ही निदेशक मंडल ने इन महत्वपूर्ण योजनाओं पर अहम निर्णय लिये हैं। निदेशक मंडल द्वारा बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों से सरकार सन्तुष्ट है और वह इन योजनाओं को सफल बनाने में निगम की हर संभव सहायता करेगी।

दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

1164 **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना में अप्रैल, 1979 के बाद से सेवा में आने वालों को किसी प्रकार का परियोजना भत्ता अदा नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या अप्रैल, 1979 के पश्चात् परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को उक्त भत्ता दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस भेदभाव को दूर किया जाएगा; और

(घ) क्या परियोजना भत्ते के लिए मंजूरी की अवधि 1-4-81 को समाप्त होने वाली है और इसका आगे नवीकरण करने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आवास, स्कूल, बाजार, औषधालय आदि जैसी नागारक सुविधाओं के अभाव में परियोजना भत्ते की मंजरी प्रारम्भ में 1958 में दी गई थी। चूंकि अब नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है, अतः वर्तमान कर्मचारियों के मामले में परियोजना भत्ते को बन्द करने/कम करने के सम्बन्ध में सरकार कुछ समय से विचार कर रही है। अप्रैल, 1979 के बाद भर्ती किए गए व्यक्तियों को, जिन्हें नियुक्ति की पेशकश में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उन्हें परियोजना भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, परियोजना भत्ते देना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) जी, हां। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने देने का प्रश्न विचाराधीन है।

सोडा ऐश के बारे में स्थायी समिति की सिफारिशें

1165. **श्री जार्ज फर्नान्डिस :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1978 में सोडा ऐश के उत्पादन विवरण और अन्य सम्बन्धित मामलों की जाँच करने के लिए 24 जुलाई, 1978 को इस सम्बन्ध में लिये गए निर्णय के पश्चात् एक स्थायी समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के वास्तविक निदेश पद क्या है;

(ग) समिति की कितनी बैठकें हुई हैं;

(घ) समिति की सिफारिशें क्या हैं, और

(ङ) क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्रालय में मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ङ) सोडा ऐश के उत्पादन वितरण और खपत से सम्बन्धित समस्यओं को हल करने में सरकार को सहायता देने की दृष्टि से सोडा ऐश पर एक स्थाई समिति 7 अगस्त, 1978 को गठित की गई थी। समिति समय-समय पर बैठक करती है और अभी तक वह छः बार

बैठकें कर चुकी है समिति ग्रामतौर पर उत्पादन ग्रौर वितरण की समीक्षा करती है ग्रौर स्थिति में सुधार के लिए उपाय ग्रौर साधन सुझाती है। सुझावों ग्रौर मन्तव्यों पर विचार किया जाता है ग्रौर जहाँ ग्रावश्यक हुग्रा उचित कार्यवाही की गई है। सोडा ऐश के निर्माताग्रों को कोयले ग्रौर कोक की सप्लाई की देख रेख करने, माँग ग्रौर पूर्ति के बीच ग्रन्तर को पूरा करने के लिये मोडा ऐश के ग्रायत की व्यवस्था करने ग्रौर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी सघ लि० के माध्यम से गृहस्थियों ग्रौर धोबियों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये इस प्रकार के कदम उठाये गये थे।

सोडा ऐश के मूल्य में वृद्धि

1166 **श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सोडा ऐश के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है।

(ख) क्या सरकार इस वृद्धि को ठीक ग्रौर उचित मानती है।

(ग) यदि हाँ तो उसके क्या ग्राधार हैं।

(घ) क्या सरकार सोडा ऐश के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही करेगी।

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं।

पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मन्त्रालय में मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) दिनांक 1-1-78, '-1-79, 1-1-80 ग्रौर 1-12-80 को खारकाने से बाहर निर्माताग्रों के सोडा ऐश के मूल्य सलंग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

खुले बाजार में सोडा ऐश का मूल्य जो 19/8 में 3600 रुपये प्रति टन तक ग्रधिक मूल्य था ग्रौर जो एक वर्ष से ग्रधिक समय तक लगभग 3000 रु० प्रतिटन तक प्रभावी था, ग्रब 2200 रुपये से 24000 रुपये प्रति टन तक कम हो गया है

(ख) ग्रौर (ग) कारखाने से बाहर निर्माताग्रों के मूल्य में वृद्धि मुख्य रूप से कच्चे माल उपयोगिताग्रों ग्रौर परिवहन लागतों में बढ़ोतरी के कारण हुई है। निर्माताग्रों का वर्तमान मूल्य न्यूनाधिक ग्रायातित सोडा ऐश की लागू रियायतें ग्रायात शुल्क के ग्राधार पर परिकलित की गइ ग्रवतरण लागत के बराबर ही है, जो लागू रियायती ग्रायात शुल्क के ग्रावार पर परिविकलिपत की गई है।

(घ) ग्रौर (ङ) सोडा ऐश के मूल्य पर इस समय कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। ग्रौपचारिक नियंत्रणन ग्रौर विनियमन की वर्तमान पद्धति को बदलने का सरकार का कोई विचार नहीं है क्योंकि उपलब्धता में सुधार हुग्रा है ग्रौर खुले बाजार मूल्यों में गिरावट ग्राई है।

विवरण

सोडा ऐश के लिए कारखाने से बाहर बिक्री मूल्य दर्शाने वाला विवरण

(मूल्य रुपयों में/टन)

क्रम	निर्माता का नाम	निम्न तिथि को 1-1-78	1-1-79	1-1-80	1-12-80
लाईट	मैसर्स बाटा कैमिकल्स लि०	1032.64	1:24.44	1718.24	2167.02
	मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०	1025.02	1149.20	1813.24	2437.70

1	2	3	4	5	6
	मैसर्स धागंधर कैमिकल्स	1101.25	1248.88	1728.25	2149.50
	मैसर्स उड़ीसा सीमेंट लि० (मै न्यू जूट)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2100.00
मिडियम	मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि०	1067.64	1160.12	1763.02	2224.75
डेन्स	मैसर्स टाटा कैमिकल्स	1119 86	1200.51	1816.39	2284.20
	मैसर्स सौराष्ट कैमिकल	1117.69	1235.00	1899.04	2527.98

बी. आई. सी. पी. द्वारा "सोडा एस" का लागत सम्बन्धी अध्ययन।

1167. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी. आई. सी. पी. ने सोडा ऐस का लागत सम्बन्धी कोई अध्ययन किया है।

(ख) यदि हाँ, तो यह अध्ययन कब पूरा हुआ था।

(ग) इस ब्यूरो के निष्कर्ष क्या हैं, और

(घ) इस समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) अध्ययन अगस्त 1979 में पूर्ण कर लिया गया था।

(ग) और (घ) अध्ययन प्रकट करता है कि उत्पादन की लागत मुख्य रूप से कच्चे माल उपयोगिताओं के मूल्यो, पैकिंग और अन्य खर्चों में बृद्धि के कारण बढ़ गई है। बी. आई. सी. पी. के अध्यक्ष और प्रो. गोपाल त्रिपाठी की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात यह निर्णय किया गया था कि कानूनी मूल्य और वितरण नियंत्रण पर जोर देकर पर्याप्त आयात की दोहरी पद्धति और उत्पादन तथा वितरण की औपचारिक देख-रेख पर निर्भर रहा जाये।

इन्द्रप्रस्थ तथा बदरपुर विद्युत संयंत्रों का खराब होना

1168. **श्रीकृष्ण प्रतापसिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्द्रप्रस्थ बिजली घर तथा बदरपुर तापीय विद्युत संयंत्र के खराब होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के संयंत्र पुराने पड़ गए हैं और इस लिए वहाँ बार-बार खराबी होती है; और

(घ) यदि हाँ, तो पुराने संयंत्रों को बदलने के लिए जिससे कि लोगो को बिना रुकावट के बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके क्या उपाय किए जाने हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र की यूनिटों में खराबियों में कमी हुई है। इन्द्रप्रस्थ विद्युत में उत्पादन यूनिटों की खराबी में मुख्यत: मशीनों के धीरे-धीरे पुराना होने के कारण कुछ वृद्धि हुई है।

(ग) यद्यपि मशीनें पुरानी हैं, यह कहना ठीक नहीं होगा कि वे अप्रयुक्त हैं ।

(घ) इन मशीनों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा बन्दी के पश्चात उन्हें पुनः प्रचलित करने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जाते हैं ।

डी. डी. ए. की पीतमपुरा कालोनी में स्ट्रीट लाइट

1169. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की एक डी. डी. ए. कालोनी पीतमपुरा आवासीय योजना की मास्टर प्लान सड़कों, क्षेत्रीय सड़कों तथा अन्य मुख्य सड़कों पर अब तक स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, सिवाय इसके कि इधर-उधर कुछ लाइटें उपलब्ध कराई गई थीं; यद्यपि काफी समय पहले इस यंत्र के अधिकांश स्थानों पर खम्बे लगा दिए गए थे; और

(ख) इस कार्य को बन्द किए जाने के क्या कारण हैं तथा मास्टर प्लान सड़क, क्षेत्रीय सड़कों तथा अन्य मुख्य सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें कब तक उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण से, जो कि पीतमपुरा आवासीय कालोनी का विकास कर रहा है, विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान पीतमपुरा आवासीय स्कीम की जोनल सड़कों पर तथा अन्य मुख्य सड़कों पर सड़क रोशनी की व्यवस्था करता है । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अब तक जोनल तथा अन्य मुख्य सड़कों पर लगभग 700 स्ट्रीट लाइटिंग प्वाइंटस की व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी किए हैं । लगभग 150 खम्भे उत्थापित किए जा चुके है । तथा 0 स्ट्रीट लाइटिंग प्वाइंटस अर्जित भी किए गए हैं । शेष स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करने का कार्य दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा लगभग 3 महीने में पूरा किए जाने की आशा है ।

जहाँ तक पीतमपुरा तथा इसके पास लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासान द्वारा विकसित की जा रही मास्टर प्लान सड़कों का सम्बन्ध है दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इन सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने के लिए स्कीमें तैयार की हैं । दिल्ली प्रशासन से अनुमानित लागत का भुगतान प्राप्त होने पर कार्य हाथ में ले लिया जायेगा । दिल्ली प्रशासन को सलाह दी जा रही है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को शीघ्र भुगतान करें ।

असम में कच्चे तेल के विकास को रोकने की धमकी

1170. **श्री एस. एम. कृष्ण :**

श्री हरिनाथ मिश्र :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्दोलनकारियों ने कच्चे तेल के निकास को रोक देने की फिर से धमकी दी है और अपर आसाम आयल फील्ड के कर्मचारी प्रबंधकों को पूरे दिल से सहयोग नहीं दे रहे हैं जिसके कारण अधिकारियों को बाध्य होकर अर्द्धसैनिक बल की सहायता लेनी पड़ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो आसाम आयात फील्ड से पूरी क्षमता के साथ निर्बाध रूप से कच्चे तेल की पम्पिग सुनिश्चय करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) : सरकार को आन्दोलनकारियों द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई को रोकने सम्बन्धी दी गई किसी नई धमकी का कोई ज्ञान नहीं है। तथापि सरकार द्वारा किसी प्रकार की धमकी का सामना करने के लिए सावधानी बरतने के तौर पर कदम उठाए गए हैं। इस समय, कर्मचारी प्रबंधकों को पूरा सहयोग दे रहे है।

बरौनी से कच्चे तेल को निकालने की प्रक्रिया 28.1.1981 से जारी है परन्तु 13, 2, 81 को पाइपलाइन की क्षति के कारण 12 घंटे की थोड़ी अवधि के लिए यह प्रक्रिया स्थगित रही थी और तेल क्षेत्र धीरे-धीरे अपनी उत्पादन दर को बढ़ा रहे हैं।

तेल की खोज के लिए मंत्री द्वारा विदेशों की यात्रा

1171. **श्री एस. एस. कृष्णा** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने तेल की सप्लाई तथा बम्बई हाई पर तेल की खोज और छिद्रण कार्य में सहायता प्राप्त करने के लिए हाल ही में विदेशों की यात्रा की है;

(ख) यदि हाँ, तो किन विशेषज्ञों ने उनके साथ यात्रा की तथा उन्होंने किस-किस देश की यात्रा की; और

(ग) उनकी यात्रा के क्या परिणाम रहे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) : 25 जनवरी से 7 फरवरी, 1981 तक के समय में मैंने फ्रांस, इंग्लैंड, रोमानिया तथा इटली की यात्रा की थी। फ्रांस की यात्रा के दौरान मुझे पैट्रोलियम विभाग में संयुक्त सचिव (अन्वेषण) श्री पी. पी. खन्ना तथा श्री पी. टी. वेनूगोपाल, अध्यक्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने सहयोग दिया। श्री खन्ना मेरे साथ लन्दन भी गये थे।

इस अवसर पर मैंने सम्बद्ध सरकारों के साथ तेल अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग, जैसेकि उपकरणों की सप्लाई इत्यादि के बारे में विचार-विमर्श किया। फ्रांस में अपने आवास के दौरान मैंने सी. एफ. पी. (जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के साथ बम्बई हाई में पहले ही सहयोग कर रहे हैं) के साथ उपग्रह संरचना सहित बम्बई हाई के और अधिक विकास के बारे में बातचीत की। कम्पनी से विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

एकाधिकार गृहों की आस्तियां तथा देयतायें

1172. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** एकाधिकार गृहों की संख्या में वृद्धि के बारे में 2 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1188 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1956, 1969 और 1981 में एकाधिकार गृहों की तुलनात्मक संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक की कुल आस्तियां कितनी हैं और देयताएँ क्या हैं; और

(ख) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनमें से प्रत्येक को कुल कितनी राशि दी गई

है और उनके द्वारा नियंत्रित फर्मों या कंपनियों की कुल आस्तियों की तुलना में प्रत्येक की कुल आस्तियाँ कितनी हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) (क) तथा (ख) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1-6- 1970 से लागू हुआ। फरवरी 1973 की घोषित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसरण में, वे सभी उपक्रम जो अपने स्वयं या अपने अन्त सम्बन्धित उपक्रमों सहित 20 करोड़ रुपये से कम नहीं थी परिसम्पत्तियाँ रखते हैं, उनको एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है तथा उनको ही प्रश्न में यथा संदर्भित बड़े औद्योगिक घरानों या एकाधिकारिक घरानों के रूप में समझा जाता है। एकाधिकारिक घरानों की परिसम्पत्तियों के आँकड़े, पंजीकरणों के संदर्भ में वर्ष 1972 के लिए 30-6-1978 तक तथा वर्ष 1978 के लिए 31-12- 1978 तक संलग्न विवरण पत्र I में दिए जाते हैं। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.-1936/81) वर्ष 1979 को समरूपी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है तथा वर्ष 1980 के सम्बन्ध में, सभी सम्बन्धित कम्पनियों के वार्षिक लेखे अभी कानूनी रूप से देय नहीं हुए हैं। उल्लेखनीय विशेष वर्षों के संदर्भ में माँगी गई सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। मुख्य वित्तीय संस्थानों नामशः आई. डी. बी. आई., आई. एफ. सी. आई. और आई. सी. आई. सी. आई. द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों को 30 जून, 1980 तक वित्त मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तुतप्रत्यक्ष औद्योगिक सहायता के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण पत्र II में दी जाती है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.-1936/81)। अन्य लोक वित्तीय संस्थानों के सम्बन्ध में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है तथा उसके संकलन में अत्याधिक समय और श्रम भी लगेगा।

दरभंगा आकाशवाणी केन्द्र की पारेषण क्षमता

1173. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** दरभंगा केन्द्र के लिए ट्राँसमीटर के बारे में 25 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं. 1200 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 जनवरी, 1976 को जब आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र के बारे में वक्तव्य दिया गया था उसके पश्चात् कितने नए केन्द्र खोले गए हैं और कितने पुराने केन्दों की पारेषण क्षमता बढ़ाई गई है; और

(ख) क्या दरभंगा केन्द्र की पारेषण क्षमता को अब भी 100 कि.वाट तक बढ़ाने और मैथिली भाषा को अधिक समय देने का कोई विचार है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) 7 जनवरी, 1976 के बाद 12 नए रेडियो स्टशन खोले गए हैं तथा 4 ट्रांसमिटरों की क्षमता बढ़ाई गई है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के तत्वाधान में 1975 में समन्वित मीडियम वेव फ्रीक्वेंसियों के अनुसार, दरभंगा में 100 किलोवाट मीडियमवेव ट्राँसमीटर के दिन और रात प्रचालन के लिए कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। जिस फ्रीक्वेंसी की अनुमति है वह क्षमता को

किलोवाट से बढ़ाकर 20 किलोवाट करने की ही है। तथापि, संसाधनों की कमी के कारण दरभंगा केन्द्र की क्षमता को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

आकाशवाणी का दरभंगा केन्द्र पटना के 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र में अच्छी तरह आता है। फिर भी इसकी स्थापना मैथिली भाषी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए की गयी थी। मैथिली भाषा के कार्यक्रमों के लिए आवंटित वर्तमान अवधि पर्याप्त समझी जाती है तथा इस भाषा के लिए आवंटित समय को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्पादन संवर्ग के इंजीनियरों का उत्पादन विभाग में स्थानान्तरण

1174. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या उर्जा मन्त्री** राज्यवार बिजली का वास्तविक उत्पादन, अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता तथा प्रतिव्यक्ति खपत के बारे में 2 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2178 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन संवर्ग के विदेशों में प्रशिक्षित लगभग 18 इंजीनियरों का इस बीच उत्पादन विभाग में स्थानान्तरण कर दिया गया है और उन्हें वितरण विभाग से हटा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सकरी तथा डीजल पर आधारित अन्य विद्युत संयंत्र चालू कर दिये गये हैं अथवा उन्हें चालू करने का विचार है और क्या दरभंगा राज पावर हाउस तथा दरभंगा इलेक्ट्रीसिटी कम्पनी के पावर हाउस पूरी तरह कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उनसे वास्तव में बिजली का कितना उत्पादन होता है ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विदेशों में प्रशिक्षित 18 इंजीनियर, जो विद्युत इंजीनियरों के सामान्य संवर्ग से संबंध रखते हैं, अभी भी वितरण विभाग में ही नियुक्त हैं। बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि उत्पादन संवर्ग वर्ष 1972 में उन इंजीनियरों के साथ, जिन्होंने इस संवर्ग में विकल्प दिया था, बनाया गया था। उत्पादन-सह-पारेषण संवर्ग 1976 में बनाया गया था परन्तु यह 18 इंजीनियर उत्पादन संवर्ग में ही बने रहे। व्यवसायिक सुविज्ञता का विकाश करने की दृष्टि से इंजीनियरिंग संवर्ग के पुनर्गठन का प्रश्न बिहार राज्य बिजली बोर्ड के विचाराधीन हैं। उत्पादन में प्रशिक्षित इंजीनियरी कार्मिकों को संवर्ग में लेने के प्रश्न को इस मामले में अन्तिम निर्णय लेते हुए ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) और (घ) साकरों तथा डीजल पर आधारित अन्य विद्युत केन्द्र बहुत पुराने हैं तथा वे अपना अधिकांश लाभदायक जीवन पूरा कर चुके हैं। चूंकि मशीनें अप्रयुक्त हो चुकी हैं, उनके लिए फुटकर पूर्जे प्राप्त करना कठिन है। तथापि, आपातकाल में व्यस्ततम भार के घंटों के दौरान हस्पताल, जल सप्लाई, रेलवे आदि जैसे महत्वपूर्ण भारों में विद्युत सप्लाई करने के लिए व्यवहार्य सीमा तक इन्हें उपयोग में लाने के लिए प्रयास किए गए हैं।

गत पाँच वर्षों के दौरान लदान किये गये कोयले के वैगनों की संख्या

1175. **श्री रामविलास पासवान : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान प्रति माह लदान किये गये कोयले के वैगनों की औसत संख्या कितनी है (और प्रति माह के वास्तविक आंकड़े क्या है);

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित वैगनों में से गत पाँच वर्षों के दौरान प्रति माह बिजली क्षेत्र को सप्लाई किये गये कोयले के वैगनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान (प्रति माह) अपने स्वयं के उपयोग के लिये रेलवे को प्राप्त हुए कोयले के वैगनों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) पिछले पांच वर्षों मे कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कपनी लिमिटेड ने कोयला वैगनों की जो लदान की उसकी औसत संख्या नीचे दी गयी है- इसमें बिजली सैक्टर के लिये और रेलवे के अपने उपयोग के लिये की गयी लदान शामिल है :—

पिछले 5 वर्षों में औसत लदान

(4 पहिए वाले वैगन प्रति दिन)

वर्ष	कुल	बिजली	रेलवे
1976-77	9017	2353	1575
1977-78	9221	2348	1542
1978-79	8424	2479	1451
1979-80	8046	8725	1468
1980-81 (अप्रैल-जनवरी)	7962	2941	1416

गंगा नदी के मार्ग परिवर्तन का फरक्का सुपर तापीय बिजली घर पर प्रभाव

1176. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि गंगा नदी द्वारा मुर्शिदाबाद में अपना रास्ता बदला जा रहा है और गंगा नदी के अपनी पुरानी नहर भागीरथी में चले जाने की संभावना है;

(ख) क्या नदी के इस प्रकार भागीरथी नहर की ओर चले जाने के कारण प्रस्तावित फरक्का सुपर तापीय बिजली घर को बहुत नुकशान पहुँचेगा; और

(ग) क्या इस कथित खतरे का केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के विशेषज्ञ निकाय द्वारा अध्ययन तत्काल प्रारम्भ किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी फरक्का बराज के अनुप्रवाह में इसके दाएं तट के साथ-साथ भू-कटाव कर रही है। बराज कम्पलेक्स के उन कार्यों की सुरक्षा के लिए जिनके इस कटाव के प्रभावित होने की संभावना है, जहाँ से फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र को जल की सप्लाई प्राप्त करनी है, राज्य सरकार तथा फरक्का बराज प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षात्मक उपाय हाथ में ले

लिए गये हैं । इन सुरक्षात्मक उपायों से नदी के प्रवाह क्षेत्र की स्थितियों में सुस्थिरता होने की संभावना है । गंगा के मार्ग बदलने के कारण भू-कटाव संबंधी समस्याओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करने का कार्य भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाथ में ले लिया गया है ।

तापीय विद्युत् संयंत्रों का पुल स्थापित करने का प्रस्ताव

1177. **श्री एस राम गोपाल रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तापीय विद्युत संयंत्रों का एक पुल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं । ताप विद्युत संयंत्रों का पुल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, देश में विद्युत उत्पादन क्षमता में सर्वाधिक इष्टतम ढंग से वृद्धि करने के लिये भारी मात्रा में कोयले की ढुलाई का सहारा लिए बिना ही विद्युत का बल्क उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये कोयला पिट हैडों पर सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का सरकार का कार्यक्रम है । सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के अतिरिक्त, भार सघनताओं और अन्य तकनीकी मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, कुछ अन्य ताप विद्युत संयत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं । जिन ताप विद्युत परियोजनाओं से 1980-85 की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किए जाने की परिकल्पना है उन परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिये गये । हैं

विवरण

ताप विद्युत परियोजनाएं जिनसे 1980-85 की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किया जाना है ।

क्षेत्र	राज्य	परियोजना का नाम	1980-85 के दौरान लाभ (मेघावाट)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	फरीदाबाद विस्तार यूनिट-3	60
		पानीपत चरण-दो	220
	पंजाब	रोपड़	210
	राजस्थान	कोटा	220
	उत्तर प्रदेश	ओबरा विस्तार	400
		परीछा	220
		अनपारा 'ए'	630
		टाण्डा	440
	केन्द्रीय क्षेत्र	बदरपुर विस्तार	210
		सिंगरौली चरण-एक	630
		सिंगरौली चरण-दो	420

1	2	3	4
पश्चिमी क्षेत्र	गुजरात	उकई यूनिट-5	210
		वानकबोरी	630
		वानकबोरी विस्तार	210
	मध्य प्रदेश	सतपुड़ा यूनिट 8 व 9	420
		कोरबा पूर्व	120
		कोरबा पश्चिम	420
		कोरबा पश्चिम विस्तार	420
	महाराष्ट्र	नासिक यूनिट 4 और 5	210
		भुसावल यूनिट 3	210
		चंद्रपुरा	420
		पारली यूनिट 3	210
		ट्राम्बे	500
		कोराडी चरण-तीन	420
		उरण गैस	240
		चन्द्रपुरा विस्तार 210	210
	केन्द्रीय क्षेत्र	कोरबा सुपर ता. वि. केन्द्र	630

छोटे पैमाने की माइक्रो, हाइडल उत्पादक यूनिटों का उपयोग।

1178. **श्री पी. जे. कुरियन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे पैमाने की माइक्रो-हाइडल उत्पादक यूनिटों की स्थापना के बारे में विचार किया है; और

(ख) ऐसे स्थानों पर जहां नहरों तथा प्राकृतिक नालों का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सके, ऐसी यूनिटों की स्थापना करने के लिए सरकार की वास्तविक योजनायें क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ग) सरकार माइक्रो जल विद्युत यूनिटों के प्रतिष्ठापन को बहुत महत्व देती है। यह एक ऐसी गतिविधि है, जिसको संबधित राज्यों द्वारा जिनके पास शक्यता विद्यमान हो, हाथ में लिया जाना है। ऊर्जा मन्त्रालय ने राज्यों को विशेषज्ञों की सेवाएं तथा अन्य तकनीकी सहायता, जिसकी राज्यों को आवश्यकता हो, उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

कोयले के उत्पादन में वृद्धि

1179. **प्रो. पी. जे. कुरियन :**

श्री के. प्रधानी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है; और

(ख) छठी योजना में कोयला उद्योग के लिए कितने पूंजी निवेश का विचार है; और

(ग) कोयला उद्योग में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

1. कोयला खानों को बिजली की सप्लाई को उच्चतर अग्रता दी गई है और इसकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कोयला क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को युक्तिपूर्ण बनाय जा रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि बिजली की अत्याधिक कमी से बहुत दिनों से पीड़ित खनन इलाकों में गैस टर्बाइनें स्थापित की जाएं। कोयला क्षेत्रों में गृहीत ताप बिजली घर लगाने का प्रस्ताव भी इस समय विचाराधीन है। इसके अलावा वर्तमान गृहीत डीजल सैटों से बिजली का उत्पादन अधिकतम किया जा रहा है और निर्माणाधीन सैटों में काम की गति बढ़ाई जा रही है ताकि वहां उत्पादन शुरू हो सके।

2. खनन के काम के लिए भूमि के अधिगृहण कार्य को सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करके और उनकी सहायता से तेज किया जा रहा है। यह काम बिहार और बंगाल में विशेषरूप से किया जा रहा है।

3. कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में तथा औद्योगिक सबंधों में सुधार करने के लिये सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क रखा जा रहा है।

4. खानों में खनन प्रौद्योगिकी में सुधार की दृष्टि से विदेशों से तकनीकी सहायता ली जा रही है ताकि कोयले के उत्पादन, उत्पादकता और संरक्षण कार्य में सुधार किया जा सके।

(ख) छठी योजना के मसौदे के अनुसार 1980-85 में पूंजी निवेश कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड में 2573 करोड़ रुपए होगा।

(ग) कोयला उद्योग में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को रोकने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं जिनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिये सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठता सम्पर्क बनाए रखना।

2. कोयला, कांक और रेत के परिवहन का चरणों में क्रमशः विभागीकरण।

3. कोलियरियों में सुरक्षा प्रबन्ध मजबूत करना।

4. धनबाद इलाके में अधिक पुलिस थाने और अधिक पुलिस चौकियां स्थापित करना तथा यहां की पुलिस को अधिक सचल बनाना।

5. बिहार सरकार ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी एक अभियान शुरू किया है।

न्यायिक सुधारों संबन्धी समिति

1180. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यायिक सुधारों सम्बन्धी समिति के लिए विचारणीय विषयों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह कब से अपना कार्य शुरू कर देगी।'

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क), से (ग) इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है।

रीवा आकाशवाणी केन्द्र के कार्यक्रमों का शहडोल में सुनाई न पड़ना

1181. **श्री बलबीर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहडोल को रीवा आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण सीमा में रखा गया है यदि हां तो रीवा आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम जिला शहडोल में स्पष्ट रूप से सुनाई न पड़ने के क्या कारण हैं; और

(ख) शहडोल जिले के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को रीवा आकाशवाणी केन्द्र में अवसर न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) और (ख) रीवा रेडियो स्टेशन शहडोल नगर को छोड़कर शहडोल जिले के उत्तरी भागों में दिवाकालीन प्राथमिक ग्रेड सेवा प्रदान करता है। शहडोल के पश्चिम के कुछ भागों में आकाशवाणी, जबलपुर द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। रीवा केन्द्र रीवा, सतना और सिधी जिलों की प्रतिभा सहित का शहडोल जिले की प्रतिभा का उपयोग अवश्य करता है।

खाना पकाने की गैस, डीजल तथा पेट्रोल वितरकों की नियुक्ति के लिये साक्षात्कार परीक्षा

1182. **श्री पीयूष तिरकी** :
श्री डी. एम पुट्टे गौडा
श्री सनत कुमार मण्डल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के लिए लगभग 70, डीजल तथा पेट्रोल के लिए 140 वितरकों की नियुक्ति करने हेतु अक्तूबर तथा नवम्बर 1980 में साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की गई थी और कांग्रेस (आई) के पूर्ववर्ती भारसाधिकारी मंत्री द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शी निदेशों के आधार पर लोगों का चयन किया गया था;

(ख) इस प्रयोजन के लिए अखबारों तथा अन्य माध्यमों में कुल कितने विज्ञापन दिये गए थे, उन पर कितनी राशि खर्च की गई और उम्मीदवारों को एवं साक्षात्कार समिति के सदस्यों को बुलाने के लिए मानद भत्ता और अन्य भत्तों के रूप में कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या जनवरी, 1981 में उक्त साक्षात्कारों को रद्द करने के अनुदेश जारी किये गये थे, यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(घ) क्या अब तदर्थ आधार पर उन लोगों को चुनने का विचार है जो तो इस डीलरशिप के लिए उम्मीदवार ही थे और न ही जिन्होंने कभी इसके लिए आवेदन किया था; और

(ङ) साक्षात्कार के बाद शिक्षित बेरोजगारों, बेरोजगार इंजीनियरों, शहीदों की विधवाओं, विकलांगों तथा अनुसूचित जातियों व जन जातियों के लोगों—इन सभी की उपेक्षा कर दी गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) वर्ष 1980-8[illegible] के लिए बनाई गई योजना के अनुसार डीलरशिप/एजेंसियों के सम्बन्ध में तेल कंपनियों द्वारा

अक्तूबर और नवम्बर, 19 0 के दौरान साक्षात्कार भी किए गए थे परन्तु उनपर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया था। इस सम्बन्ध में पूरे ब्योरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कंपनियों के इस प्रकार के दिन प्रति दिन के ब्योरे सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में ब्योरे एकत्र/समेकित करना एक खर्चीली और समय खपाने वाली प्रक्रिया है।

(ग) यह निर्णय लिया गया था कि खाना पकाने की गैस एजेंसियों, पेट्रोल/डीजल पंपों आदि के चयन के लिए साक्षात्कार सूची में 40 उम्मेदवारों को निकालने के स्थान पर, उन सब उम्मेदवारों को जो सक्षम हैं तेल कपनियों द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाये। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जिनका पहले साक्षात्कार लिया गया था उनपर विचार न किया जाये। तथापि तेल कंपनियों ने चयन प्रक्रिया मानकों में समानता रखने के लिए सब योग्य उम्मेदवारों को पुन: साक्षात्कार उपयुक्त समझा था।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

बंगला देश द्वारा गैस की सप्लाई

118३. श्री संतोष मोहन देव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को गैस की सप्लाई के लिए बंगला देश की सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो बातचीत इस समय किस अवस्था पर है और समझौता अन्तत: कब प्रवृत्त होगा; और

(ग) भारत के किन-किन क्षेत्रों को बंगलादेश को गैस का लाभ मिलेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में बिजली का संकट

1184. श्री अशोक गहलोट : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान में गत तीन महीनों से बिजली का संकट है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के प्रत्येक जिले में किसानों तथा लघु उद्योगों को प्रति-दिन कितने घंटे बिजली की सप्लाई की गई;

(ग) क्या कृषि कार्यों तथा लघु उद्योगों के लिए जितनी बिजली सप्लाई की गई वह उत्पादन की दृष्टि से नगण्य थी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई उपचारात्मक उपाय कर लिए हैं; और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्रीविक्रम महाजन) (क) जी, हां। राजस्थान में विद्युत की कमी की जानकारी सरकार को है।

(ख) 25 हॉर्स पावर तक के भार वाले लघु उद्योगों पर तथा कृषि उपभोक्ताओं पर इस समय विद्युत की कोई कटौती नहीं है। तथापि कृषि की सप्लाई अलग-अलग समय पर कर कर दी गयी है जिससे हर रोज न्यूनतम 6 गंटे सप्लाई सुनिश्चित हो सके।

(ग) कृषि तथा लघु उद्योगों की विद्युत संबंधी आवश्यकताएं, मोटे तौर पर, पूरी तरह पूरी की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में बिजली संकट

1185. **श्री अशोक गहलोत :** क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में गत तीन महीनों से बिजली संकट के कारण वहाँ किसानों और लघु उद्योगपतियों को बिजली की सप्लाई नियमित रूप से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम स्वरूप सरकार को कितनी उत्पादन और आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी;

(ग) क्या किसानों और उद्योगों को बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गोविंद सागर तथा चम्बल जलाशयों में जल का कम अन्तर्वाह होने के कारण भाखड़ा व्यास कम्पलेक्स तथा चम्बल कंपलेक्स से विद्युत का कम उत्पादन हुआ जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान में कम विद्युत उपलब्ध हुई। कोटा में राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र यूनिट नं० 1 की 18 दिसम्बर, 1980 से 28 जनवरी, 1981 तक की जबरन बंदी के कारण स्थिति गंभीर हो गई थी। राजस्थान में पिछले तीन महीनो के दौरान विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता के परिणामस्वरूप सरकार ने, कुछ उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के प्रयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों को लगभग 6-8 घंटे विद्युत की सप्लाई दी जा रही है तथा 25 एच० पी० तक के भार वाले लघु उद्योगों पर विद्युत की कोई कटौती नहीं है।

(ख) उत्पादन मे हानि के कारणों में बिजली की कमी सदैव ही एक कारण होती है। तथापि केवल विद्युत की कमी के कारण हुई हानि की मात्रा बताई नहीं जा सकती।

(ग) और (घ) : राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की हाल ही में चालू की गई 220 मेगावाट को यूनिट संख्या-2 का अप्रैल, 1981 के अन्त तक स्थिरीकरण हो जाने पर तथा राजस्थान परमाणु विद्युत सयंत्र की दोनों यूनिटें काम करने लगने पर राजस्थान में विद्युत सप्लाई की स्थिति मे सुधार होने की संभावना है। राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए, राजस्थान प्रणाली में 1980-85 की अवधि के दौरान 486.2 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की भी आशा है। इसके अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र में 1980-85 के दौरान चालू की जाने वाली कुछ केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से भी राजस्थान को लाभ प्राप्त होगा :

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत कम्पनियों की संख्या

1186. **श्री कृष्ण दत्तसुल्तानपुरी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत कम्पनियों की संख्या कितनी है और उन्हें कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : 31 मार्च, 1980 तक हिमाचल प्रदेश में शेयरों द्वारा लिमिटेड और कम्पनी अधिनियम, 1 56 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सौ सैंतालीस (147) कम्पनियाँ विद्यमान थीं। इनमें 20 पब्लिक लिमिटेड और 127 प्राईवेट लिमिटेड समाविष्ट हैं।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी भी कम्पनी को कोई अनुधान नहीं दिया जाता है

हिमाचल प्रदेश में आलू पर आधारित अलकोहल के उत्पादन के लिए लाइसेंस देना

1187. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या हिमाचल प्रदेश में आलू पर आधारित अलकोहल के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और यदि हाँ, तो यह कब तक दिये जाने की सम्भावना है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : वर्ष 1975 में मोहन मीकीन लि० ने आलू, फलों, आरु और वेर तथा जो का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक लाख लिटर वोदगा, जिन, ब्राण्डी और ह्विस्की के निर्माण के लिए काम चलाऊ औद्योगिकी लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उन्हें अनेक शर्तों के अन्तर्गत 1100 बल्क किलो लिटर की अस्थायी क्षमता से अल्कोहल के उत्पादन के लिए आशय पत्र जारी किया गया था।

तत्पश्चात पार्टी ने विदेशी सहयोग के लिए अनुमति माँगी जिसे सिद्धांत रूप में इस शर्त पर मान लिया गया कि पार्टी अपने उत्पादन का 90 प्रतिशत स्थायी आधार पर निर्यात करें। हिमाचल प्रदेश में आलू पर आधारित अल्कोहल के निर्माण के लिए कोई अन्य आवेदन पत्र नहीं आया है और यदि ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त होता है तो उस पर गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

1188. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में गत दस वर्षों से कितने मामले लम्बित हैं; और

(ख) उनमें से कितने मामले राजस्व सम्बन्धी तथा दीवानी और फौजदारी के हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री. पी. शिव शंकर) : (क) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में तारीख 30-6-1980 को ऐसे मामलों की संख्या 25 थी जो पिछले 10 वर्ष या उससे अधिक समय से लम्बित थे।

(ख) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन सभी 25 मामलों को सिविल मामलों की कोटि में रखा है।

खंडवा जिले के समाचार पत्रों को विज्ञापन दिया जाना

1189. **श्री शिव कुमार सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) मध्य प्रदेश के खंडवा जिला, के कौन से समाचार पत्रों को गत वर्ष के दौरा सरकारी विज्ञापन दिए गए हैं;

(ख) क्या सरकारी विज्ञापनों के लिए कुछ साप्ताहिक समाचार पत्रों के आवेदन अ भी विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क कोई नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल उत्पादन में आत्म निर्भरता

1190. **वी. एस. विजयराघवन: क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में तेल का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) विदेशी स्त्रोतों से तेल उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि के लिए क्या उपाय किए रहे हैं; और

(ग) देश कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा या आत्मनिर्भरता के नजदीक पहु जायेगा;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) 1980-81 दौरान देशी उत्पादन का अनुमान 10.2 मि. मी. टन है।

(ख) अन्वेषण और तेल उत्पादन के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को जिस 2873.58 करोड़ रुपयों का वित्तीय परिव्यय निहित है, छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कि गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि. के प्रयासों को अधिकत करने तथा देश में तेल के अन्वेषण सम्बन्धी गतिविधियों को और बढ़ाने के लिए सरकार ने चु हुई सक्षम पार्टियों से देश में 32 ब्लाकों में तेल की खोज करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रि किए हैं।

(ग) सरकार की नीति है कि कम से कम समय में अधिकतम तेल की खोज के लि प्रयास किए जायें और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनायें तैयार की गई हैं। ऊर्जा समाप्त हो जाने वाले इस स्रोत के संरक्षण की भी आवश्यकता है। अभी तक पता लगाये ग स्थापित भण्डारों के आधार पर निकट भविष्य में आत्मनिर्भरता का कोई आश्वासन देना कठि है।

संयुक्त अरब अमीरात के साथ तेल साफ करने के कारखाने की स्थापना के लिए समझौता

1191. **श्री वी, एस. विजयराघवन:** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिमी भारत में तेल साफ करने के एक कारखाने की स्थापना के लिये संयुक्त अरब अमीरात के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कहां पर की जायेगी तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री दलबीर सिंह) (क) एवं (ख) भारत के पश्चिम तट क्षेत्र में संयुक्त रूप से शोधनशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में संयुक्त अरब अमीरात से प्रारम्भिक बातचीत की गई है। भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग ने दिनांक 20-12-1980 की बैठक में निर्देश दिया है कि इस परियोजना पर अतिशीघ्र सरकारी स्तर पर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया जाये।

हल्दिया में पेट्रो केमिकल्स कम्पनी

1192. **श्री ज्योतिर्मय बसु** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थापित किये जाने के लिये प्रस्तावित पेट्रो-केमिकल कम्पलेक्स के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) प्रस्तावित कम्पलेक्स की प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार क्षमता कितनी है; और

(ग) यह कार्य कब तक आरंभ होने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को हल्दिया में पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना के लिए दिए गये आशय पत्र में संलग्न विवरण में दर्शाये गये कुछ पेट्रो-रसायनों का उत्पादन होगा।

(ख) निगम द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित समूह 2,90 व्यक्तियों को सीधा रोजगार प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त स्थल पर ठेके के कामों के लिए को 425 मानव शक्ति (मैनपावर) का अनुमान है।

(ग) निगम परियोजना को कार्यान्वित करने की दिशा में कदम उठा रहा है। वास्तविक निर्माण आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदले जाने पर प्रारंभ हो सकेगा।

विवरण

हल्दिया में स्थित पेट्रो-रसायन समूह में निर्माण की जाने वाली मदों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम सं.	निर्माण की जाने वाली मद	वार्षिक क्षमता (मी. टन)
1.	एथिलीन	100,000
2.	प्रोपिलीन	55,500
3.	वुटाडीन	16,500
4.	बेंजीन	24,000
5.	टोल्यून	14,000

1	2	3
6.	एग्जिटिलीन	12,00
7.	पाइरोलाइसिस गैसोलीन	52,000
8.	हैवी फ्यूल ग्रायल (सी. वी. एफ एस.)	14,000
9.	सी.-4 रेफीनेट्स	15,000
10.	हाई डेन्सिनी पोलीइथिलीन	40,000
11.	एच. डी. पी. ई. कम्पाउंड	6,000
12.	पोली विनाइल क्लोराइड	45,000
13.	विनाइल क्लोराइड मोनोभर	46,000 (पी. वी. सी. के
14.	पी. वी. सी. कम्पाउंड	4,000
15.	मोनो इथिलीन ग्लाइकोल	25,000
16.	इथिलीन ग्राक्साइड	23, 500 (एम. ई. जी के निर्माण सहित
17.	पोली ग्लाइकोल्स	3,000
18.	2-इथाइल हैक्सानोल	21,000
19.	बुटानोल्स	9,500

दिल्ली गैस कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन

1193. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिसम्बर, 1980 के दौरान प्रधान मन्त्री के माध्यम से, दिल्ल गैस कम्पनी के कर्मचारियों की ओर से दिनांक 19-12-80 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली गैस कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा की गई मांगों और इ कम्पनी का अधिग्रहण किए जाने के बाद इसकी सेवाओं संबंधी स्थिति के बारे मे दिये गये स्पष्टी करण का ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त अभ्यावेदन पर सरकार की मांग वार प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) दिल्ली गैस कम्पनी का अधिग्रहण करते समय कर्मचारियों को उनकी सेवा संबं स्थिति का स्पष्टीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में किए गए/किए जा रहे निर्णय का ब्योरा क्या है और क्या हिन्दुस पेट्रोलियम निगम उन्हें अपने यहां खपा लेगा; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और य नहीं, तो इसके क्या कारण हैं क्योंकि कोसनगैस के कर्मचारियों को उक्त निगम में खपा लि है, अथवा इसके विरुद्ध के रूप में उन्हें (दिल्ली गैस कंपनी के कर्मचारियों को) दिल्ली में एक एक एजेंसी चलाने के लिए दे दी जाये।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली गैस कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा स्थिति के बारे में स्पष्टीकर मांगा गया है। उनकी मागें निम्नलिखित हैं :

(I) कि दिल्ली गैस कम्पनी के डीलरों के ग्रेड बढ़ाने के साथ, उनका कालिक (दिल्ली गैस कम्पनी) बिना काम के हो जायेगा और संगठन को बनाये नहीं रख सकेगा और इसलिए कर्मचारियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। अतः सभी कर्मचारियों को हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन (एच. पी. सी.) द्वारा नियुक्ति दी जानी चाहिए जैसा कि कोसान गैस कम्पनी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में किया गया है।

(II) कि उन्हें भी व्यक्तिगत रूप में एक गैस एजेन्सी जो ग्राम जनता के लिए विज्ञापित की जा रही है, देने का मौका दिया जाना चाहिये।

(ग) से (ङ) कोसान गैस कम्पनी का, कम्पनी के कर्मचारियों सहित सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था। दिल्ली गैस कम्पनी के अधिग्रहण किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, और इनके कर्मचारियों की एच. पी. सी. में नियुक्ति देने का प्रश्न नहीं उठता है। दिल्ली गैस कम्पनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप में गैस एजेन्सियाँ देने के सम्बन्ध में भी विचार नहीं किया जा सकता है। अगर ये कर्मचारी नई एजेन्सियों के लिये दिये गये विज्ञापनों के उत्तर में आवेदन देते हैं तो, उनके आवेदन-पत्र पर भी अन्यों के साथ विचार किया जायेगा, अगर वे इसके पात्र हैं। तदापि अगर कर्मचारी सहकारी समिति बना लेते हैं और वह समिति व्यवहार्य पाई जाती है तो एच. पी. सी ऐसी समिति को गैस एजेन्सी देने के लिये विचार में ला सकती है।

घाटे के लिए तेल कम्पनियों को सहायता

1194, **श्री पी. एम. सईद : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण तेल कम्पनियों को लगभग 27 करोड़ रुपये का घाटा सहन करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तेल कम्पनियों को हो रहे भारी घाटे के कारण उन्हें सहायता देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या तेल कम्पनियों ने यह मत व्यक्त किया है कि सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि के लिए दी गई अनुमति से उनकी समस्यायें हल नहीं होंगी; और

(ग) यदि हाँ, तो उन्होंने इसके क्या कारण बताये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) (क) से (घ) : मुख्यतः बैंकों से ऋण लेने के कारण 1-1-1981 को 896 करोड़ रुपयों का नगदी घाटा 31-3-1982 तक पूरा किया जायेगा। परिशोधन और विपणन लागत में वृद्धि होने और प्रतिवर्ष करीब 60 करोड़ रुपयों की कार्य संचालन लागत के कारण तेल कम्पनियों को हुई हानियों को भी हाल ही की मूल्य वृद्धि के प्रावधानों के जरिये पूरा किया जा रहा है।

रंगीन दूरदर्शन

1195. **प्रो. मधु दन्डवते : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने इस मंत्रालय को रगीन टेलीविजन की योजना के सम्बन्ध में धीरे कार्य करने का परामर्श दिया है; और

(ख) यदि हां, तो रंगीन टेलीविजन शुरू करने की ओर मंत्रालय का परिवर्तित रवैया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में रंगीन दूरदर्शन चालू करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राजस्थान में विद्युत की कमी का उद्योगों पर प्रभाव

1196. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि :

(क) क्या विद्युत की भारी कमी के कारण राजस्थान की छोटी तथा बड़ी दोनों औद्योगिक ईकाइयाँ भारी कठिनाई का सामना कर रही हैं;

(ख) क्या जयपुर और जोधपुर के आस पास छोटी औद्योगिक ईकाइयों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा है कि अधिकांश उद्योग जब तक उन्हें बिजली नहीं मिल जाती, तब तक के लिए बन्द कर दिए गये हैं;

(ग) क्या इसमे लाखों श्रमिक बेरोजगार नहीं हो गए हैं और एक ऐसे समय जबकि राज्य में सूखे की स्थिति चल रही है, राज्य को भारी औद्योगिक क्षति हुई है; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार ने राजस्थान को बिजली की सप्लाई में इतनी भारी कटौती किये जाने के कारणों का विश्लेषण किया है तथा केन्द्र द्वारा राज्य सरकार की सहायता करने तथा ज्यादा बिजली दिलाने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो राजस्थान में बिजली की स्थिति कब तक सामान्य हो जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन : (क) गोविन्द सागर तथा चम्बल जलाशयों में जल का कम अन्तर्वाह होने के कारण भाखड़ा-ब्यास कम्पलैक्स तथा चम्बल कम्पलैक्स विद्युत का कम उत्पादन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में कम विद्युत उपलब्ध हुई कोटा में राजस्थान परमाणु विद्युत सयत्र की यूनिट नं 1 की 18 दिसम्बर, 1980 से 28 जनवरी, 1981 तक की ज्वरन बन्दी के कारण स्थिति गंभीर हो गई थी। राजस्थान में विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता के परिणामस्वरूप सरकार ने उद्योगों सहित उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों द्वारा विद्युत के उपयोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गये थे।

(ख) 25 एच पी तक के भार वाले लघु उद्योगों पर विद्युत की कोई कटौती नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राजस्थान में विद्युत की कमी की वर्तमान स्थितियों का सामना करने के लिए, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र प्रणालियों में दिन-प्रतिदिन की विद्युत की उपलब्धता के आधार पर, केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से यथा सम्भव सहायता दी जा रही है। दिसम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 के महीनों के दौरान राजस्थान को बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से 192 लाख यूनिट की सहायता दी गई थी।

इसके अतिरिक्त राज्य में विद्युत की उपलब्धता में अभिवृद्धि करने के लिए, नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करने हेतु कदम उठाए गये हैं तथा कदम उठाए जा रहे हैं। 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 496 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता को चालू करने का कार्यक्रम है।

इसके अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र में निर्माणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र की कुछ विद्युत परियोजनाओं से भी राजस्थान को लाभ मिलेगा।

कच्चे माल की कमी तथा अनियमित बिजली सप्लाई के कारण भारतीय उर्वरक निगम के बरौनी एकक में काम का बन्द होना और इससे हुई हानि

1197. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाई के दौरान कच्चे माल की कमी तथा अनियमित बिजली सप्लाई के कारण भारतीय उर्वरक निगम के बरौनी एक में उत्पादन बन्द रहा था;

(ख) यदि हां तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या कच्चे माल की सप्लाई न होने के कारण बरौनी एएक में उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका; और

(घ) यदि हाँ, तो वहाँ पर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ। वर्तमान वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध के दौरान बरौनी उर्वरक संयंत्र ने नेफ्था की अनुपलब्धता और अनियमित पावर सप्लाई के कारण उत्पादन में हानि उठाई। इस अवधि के दौरान यूरिया के कुल उत्पादन में कुल हानि निम्नलिखित दो कारणों से हुई :—

	उत्पादन हानि (टनों में)
1. नेफ्था की अनुपलब्धता के कारण	1,10,000
2. पावर समस्या के कारण	23,000
	1,33,000

(ग) और (घ) जुलाई, 1980 के अन्त में नेफ्था उपलब्ध किये जाने के पश्चात भी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सप्लाई की गई बिजली में गड़बड़ी और वाल्टेज उतार-चढ़ाव के कारण सितम्बर औ अक्तूबर माह के दौरान संयंत्र को स्थिरता से नहीं चलाया जा सका। अक्तूबर के अन्त में पावर की स्थिर सप्लाई हो रही है और संयंत्र संतोषप्रद रूप से कार्य कर रहा है। संयंत्र के सामने वाले भाग को सुरक्षित रखने के लिए 2·5 मेगावाट टर्बाईन की स्थापना का कार्य हाथ में ले लिया है।

पन बिजली संसाधनों का दोहन

1198. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पन बिजली संसाधनों के दौरान में भारी भूमिका निभाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय तौर पर सरकार के अधीन और उसके द्वारा संचालित नेशनल पावर ग्रिड बनाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सरकार ने देश के जल विद्युत साधनों का उपयोग करने पर बहुत अधिक बल देने का निर्णय लिया है।

(ख) प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पम्पों का आबंटन

1199. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है जिनके बारे में गत दो वर्षों के दौरान कोई निर्णय नहीं लिया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : जी, केवल एक।

मन्त्रालय के कार्यकरण में सुधार करने के लिए उपाय

1200. **श्री पी. एम. सईद** :

श्री वी. पी. देसाई : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मन्त्रालय के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कुछ उपाय किए हैं;

(ख) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में ये सुधार तथा परिवर्तन लागू किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो किये गये सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये किस सीमा तक सहायक रहे हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जारी किए गए आदेशों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. सामान की खरीद तथा निपटान के लिए सभी स्तरों के अधिकारियों को दी गई शक्तियों में लगभग 50 प्र० श० तक की वृद्धि कर दी गई है, और इन शक्तियों का प्रयोग करने पर लगाये गये जिन प्रतिबन्धों को इस समय अनावश्यक समझा जाता है, उन्हें हटा दिया गया है।

2. क्रय सम्बन्धी निर्णयों पर शीघ्र कार्यवाही करने की दृष्टि से, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के 12 निदेशालयों में से चार निदेशालयों में टेंडर समिति प्रणाली को प्रयोग के रूप में लागू कर दिया गया है।

3. देर से (लेट) विलम्ब से प्राप्त (डीलेड) टेंडरों पर तथा टेंडर प्राप्त होने के बाद उनमें किए परिवर्तनों पर विचार न किया जाए।

4. समय पर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए, सप्लाई की प्रगति पर विशेष नजर रखी जाए।

5. पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र के प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन के अन्दर पंजीकरण का कार्य पूरा हो जाना चाहिए।

6. विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों की सीधे खरीद और निपटान की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है।

(घ) आशा है कि इन उपायों से कार्य-निष्पादन में सुधार होगा, परन्तु इसके भाव का मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता।

गुजरात की स्थिति आदि के बारे में

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री गुजरात की स्थिति पर 3.30 म. प. पर एक वक्तव्य देंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : और आप नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बाद में विचार किया जायेगा।

श्री जार्ज फर्नाडीस : हमने नियम 193 के अधीन नोटिस दिया है।

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : अध्यक्ष महोदय, मुझे जीरो-आवर पर कुछ बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : जीरो-आवर पर कुछ नहीं बोलना है।

श्री पी. नामग्याल : मुझे बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

संसदीय कार्य, निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : श्रीमान्, सरकार वास्तव में गुजरात की घटनाओं से चिन्तित है। सरकार इस मामले पर आज 3.30 म. प. पर एक वक्तव्य देगी।

श्री जार्ज फर्डीनडीस : धन्यवाद। श्रीमान, मणिपुर की स्थिति के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। स्थिति बहुत भयंकर है। यह नाजुक क्षेत्र है। मैं चाहता हूँ कि सरकार यह आश्वासन दे कि वहां पर गैर कांग्रेस (आई) सरकार की स्थापना में कोई रोड़ा नहीं अटकाया जायेगा।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, मैंने एक एडनजमेंट मोशन दिया है। तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन 11 तारीख से हड़ताल पर **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है कि यह नहीं आ सकता।

श्री रामअवतार शास्त्री : इंश्योरेंस एंप्लाएज हड़ताल पर चले गए हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी. नामग्याल : अध्यक्ष जी, जम्मू में कल जो घटना हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है।

श्री पी. नामग्याल : वहां पर काश्मीर सरकार ने रेन आफ *

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री पी. नामग्याल : *

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, आप क्या कर रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : श्रीमान, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि गुजरात की स्थिति पर गृह मंत्री 3.30 पर वक्तव्य देंगे। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि यदि इस की घोषणा पहले कर दी जाती तो प्रश्नकाल के 45 मिनट नष्ट न होते।

श्री भीष्मनारायण सिंह : प्रश्नकाल में कोई घोषणा नहीं की जाती।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर के बारे में चर्चा होनी चाहिए। एक 9 वर्ष की कन्या को रेप करके मर्डर कर दिया।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब बजट आ रहा है। होम मिनिस्ट्री को डिमांड्स पर आप बोल लेना।

डा. कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : जम्मू तथा काश्मीर राज्य बड़ा संवेदनशील राज्य है। कल जम्मू के बारे में बहुत हुल्लड़ हुआ था। वहां पर लाठी चार्ज हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी नियम के अन्तर्गत बोलें।

डा कर्ण सिंह : जम्मू तथा काश्मीर राज्य के बारे में सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

फिल्म वित्त निगम लि. बम्बई, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. बम्बई भारतीय फिल्म निर्यात निगम लि. बम्बई के 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षाएं तथा विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) (एक) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के 1 अप्रैल, 1979 से 10 अप्रैल, 1980 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फिल्म वित निगम लिमिटेड, बम्बई का 1 अप्रैल, 1979 से 10 अप्रैल, 1980 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। ([ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1894/81]

(ख) (एक) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
[ग्रथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1895/87]

(ग) (एक) भारतीय फिल्म निर्यात निगम लिमिटेड, बम्बई के 1 अप्रैल, 1979 से 10 अप्रैल, 1980 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण.

(दो) भारतीय फिल्म निर्यात निगम लिमिटेड, बम्बई का 1 अप्रैल, 1979 से 10 अप्रैल, 1980 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1896/81]

बोंगाई गांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लि० के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे समय पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण पटेल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लि० तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लि० के बारे में अधिसूचना, मैटर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग मैटर उसकी सहायक कम्पनियों के वर्ष 1979-80 को वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) बोंगाईगाँव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, लेखावर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला ऐक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 1897/81)

(2) परेल इन्वेस्टमेंटस एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1979 की धारा 16 की उप धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या साँ आ. 991 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो उन अपवादों, निर्बंधनों और परिसीमाओं के सम्बन्ध में हैं जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 परेल इन्वेस्टमैंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड पर लागू रहेगा, (ग्रंथालय में रखे गए । देखिए सख्या एल. टी. 1898/81)

(3) (एक) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उप धारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उप धारा (3) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1979-80 तथा इसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1979-80 और इसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1979 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति : (ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 1899/81)

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 अन्तर्गत अधिसूचना मैटर केन्द्रीय वकफ परिषद का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शिवशंकर) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर मैं रखता हूँ :

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा. सां. नि. 1289 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें दिनांक 25 जुलाई 1980 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 448 (ङ) का शुद्ध पत्र दिया हुआ है।

(दो) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (सदस्यों तथा कर्मचारियों की भर्ती) तीसरा संशोधन नियम 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 3 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 1900/81)

(2) केन्द्रीय वक्फ परिषद के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। (ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी 1901/81)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चितरंजन नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर और चित्तरंजन कैन्सर अस्पताल, कलकत्ता के विलय के बारे में

डा. सरदीशराय (बोलपुर) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र तथा चितरंजन कैंसर अस्पताल कलकत्ता को मिलाकर पूर्वी क्षेत्र में एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव को बहुत सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया था परन्तु उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया। इस प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठकें हुईं थीं पूर्वी भारत से कैंसर के बारे में अनुसंधान और उपचार के लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधान केन्द्र तथा अस्पताल को मिला दिया जाये।

इन हालात में मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन दो संस्थाओं को मिलाने के लिए मन्त्रालय को तुरन्त आदेश दिया जाये।

मैं यह भी मांग करता हूँ कि मन्त्री महोदय एक वक्तव्य दें।

(दो) बिहार की कुछ भूमि पर उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा कथित कब्जा किये जाने पर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बीच विवाद

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित लोक महत्व का विषय नियम 377 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूँ।

श्रीमन्, बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के मार्ग बदलने के कारण एक सीमा विवाद बना हुआ है तथा दोनों राज्यों के बलिया तथा भोजपुर जिलों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इन जिलों के सम्बद्ध किसान मामले को न्यायालय में ले गये हैं तथा बहुत से मुकद्दमे चल रहे हैं। विवाद के कारण बहुत ही हिंसक घटनाएं भी हुई हैं तथा हाल के वर्षों में कई जानें भी गई हैं। पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है तथा बिहार के किसानों की हजारों ऐकड़ दियरा भूमि पर उत्तर प्रदेश के किसानों ने बलपूर्वक अधिकार जमा रखा है, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार

का सहयोग प्राप्त है । विशेष रूप से रबी की फसल की कटाई के कारण भारी हिंसा तथा खून खराबे की आशंका बनी हुई है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्ताक्षेप करके बिहार के किसानों को उनकी भूमि वापस दिलवायें । धन्यवाद ।

(तीन) तमिलनाडु में कोलाचेल पत्तन का विकास

श्री एन. डेनिस (नागर कोइल) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अविलंबनीय लोक महत्व का निम्न विषय नियम 377 कि अधीन उठाना चाहता हूं :

कोलाचेल बन्दरगाह को, जो कि तमिलनाडु के तट पर स्थित है। एक छोटे पत्तन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। यह एक ऐतिहासिक बन्दरगाह है, जिसके रास्ते अभी हाल ही तक बहुत से पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मध्य-पूर्व तथा यूरोपीय देशों के साथ व्यापार होता था। परन्तु अभी तक इसका विकास नहीं हुआ है तथा इसका पूर्ववर्ती महत्व कम होता जा रहा है। यदि इस बंदरगाह का विकास होता है तो व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होगी, समुद्री उत्पादों, खनिज, दुर्भल मृधा, कपड़ा नारियल जटा उत्पादों का सुगमता से निर्यात किया जा सकेगा ; इस क्षेत्र के अन्य पत्तन इस बन्दरगाह से दूर स्थित हैं और इस समय निर्यात क्षमता में कमी आ रही है तथा इस क्षेत्र के लोग आर्थिक दृष्टि से कष्ट उठा रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि कोलाचल पत्तन को कम से कम एक छोटे पत्तन के रूप में विकास करने के लिए शीघ्र कदम उठाये ।

धन्यवाद ।

(चार) हिमाचल प्रदेश में कतिपय छावनी क्षेत्रों का विकास

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन, शिमला तथा सिरमौर में डगशाई, कसौली, जतोग, सबाठू तथा नाहन आदि छावनियां स्थित हैं। ये छावनियाँ भूतपूर्व अंग्रेजी शासन के समय से चली आ रही हैं । पहले इन छावनियों के विकास तथा उन क्षेत्रों में रहने वाले साधारण नागरिकों की सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था ।

इन स्थानों की जलवायु उत्तम होने के कारण गर्मियों के मौसम में काफी मात्रा में पर्यटक यहाँ आते हैं जिससे वहां के लोगों को आर्थिक लाभ पहुँचता था। परन्तु वर्तमान में इन छावनियों की देखभाल तथा विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इसका परिणाम यह है कि वहाँ की सड़कें टूट-फूट रही हैं, सफाई का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, पीने के पानी के अभाव के कारण न केवल वहां के नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि पर्यटकों को भी भारी असुविधा हो रही है।

धर्मपुर से सबाठू तक की सड़क जो सेना के अधीन है, बुरी हालत है। इस सड़क को चौड़ा करने तथा इसकी मुरम्मत करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस सड़क पर भारी यातायात होने के कारण नित्य प्रति कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। क्योंकि यह सड़क राज्य सरकार के अधीन नहीं है इसलिए वह भी इसकी मुरम्मत नहीं करती है। अत: यह आवश्यक है कि यातायात को ध्यान में रखते हुए तुरन्त इस सड़क को चौड़ा करने की व्यवस्था की जाए ।

इसी प्रकार इन छावनियों में पीने के पानी की अतिरिक्त व्यवस्था का दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

इन छावनियों में काफी मात्रा में बंजर भूमि पड़ी हुई है जो इस समय किसी भी प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। इस भूमि को उन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीनों में बांट दिया जाना चाहिए ताकि इनका विकास हो सके।

मैं माननीय रक्षा मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि उपरोक्त विषयों पर तुरन्त ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(पांच) किसानों को जल तथा बिजली की अपर्याप्त सप्लाई तथा उसकी दरों में वृद्धि

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : यही वह मौसम है जबकि किसानों को अपने खेतों की ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि उनकी फसल को कोई नुकसान न पहुँचे। हरियाणा और अन्य राज्यों ने गेहूँ की फसल में काफी सफलता प्राप्त की है और वे इसकी पूर्ति देश के सभी भागों को कर रहे हैं। यह बहुत खेद की बात है कि ऐसे समय पर जबकि पम्प सैटों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली उपलब्ध होनी चाहिए, अधिकारियों ने बिजली की दरों में अनुचित बढ़ोतरी कर दी है। यह वृद्धि अनुचित, अवांछित और अभूतपूर्व है। स्वाभाविक है कि इससे बड़े पैमाने पर असंतोष पैदा हुआ है। मैं स्वयं भिवानी जिले के लोहारू गया था ताकि वहां जाकर सही-सही जानकारी प्राप्त कर सकूं। मैं यह पूरी तरह से मानता हूँ कि किसानों की मांगें न्यायसंगत और उचित हैं और यह बहुत आवश्यक है कि कम से कम एक महीने के लिए उन्हें दिन रात बिजली की सप्लाई होती रहे और उनकी दर में कोई वृद्धि न हो ताकि किसान गेहूँ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर सकें। चूंकि इससे किसानों के हितों को नुकसान पहुँचता है और साथ ही पूरे देश को हानि पहुंचती है, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह बिना किसी विलम्ब के ठोस उपाय करें ताकि किसानों की इन कठिनाइयों का हल निकाला जा सके।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यबाद प्रस्ताव-जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री वी. एन. गाडगिल द्वारा 19 फरवरी, 1981 को प्रस्तुत और श्री नवल किशोर शर्मा द्वारा 20 फरवरी, 1981 को अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि निम्नलिखित शब्दों में एक अभिभाषण राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाये"—

'इस लोक सभा के इस सत्र में एकत्रित हुए सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए उनके प्रति आभारी हैं जो उन्होंने 16 फरवरी 1981 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिया।'

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता, दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपना भाषण आगे जारी रखता हूँ। महोदय, जैसा कि मैंने कल कहा था इस अभिभाषण में हमने यह देखा है कि सरकार ने देश के भविष्य को बहुत उज्जवल दिखाया है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, होम मिनिस्टर नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : दो मन्त्री बैठे हुए हैं।

श्री राम विलास पासवान : रिप्लाई कौन करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप जवाब देखियेगा। आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, हम पहले के अनुभवों से सबक सीखते हैं और उसे ध्यान में रख कर ही भविष्य के कार्य-क्रमों और नीतियों का निर्धारण करते हैं। पहले के सबक क्या हैं ? मैं योजना आयोग के प्रतिवेदन में से उद्धरण दे रहा था कि भारत में योजना बनाये जाने के इन सभी वर्षों के दौरान अमीर अधिक अमीर हो गये हैं और गरीब अधिक गरीब हो गए हैं। अभी उस दिन माननीय मन्त्री ने सदन में उचित दर दुकानों का उल्लेख किया था, अब मुख्य विषय यह हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने से लगातार इन्कार करने से उचित दर दुकानों का अस्तित्व उपहासनजक बन जायेगा। जब तक आप थोक व्यापार को नियन्त्रित नहीं करेंगे आप आवश्यक वस्तुएं जन साधारण को उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं कर पायेंगे। यह सरकार ठीक इसके विपरीत कार्य कर रही है। यह वर्तमान राज सहायता को बन्द करने की योजना बन रही है। छठी योजना प्रलेख में यह कहा गया है कि निवेश योग्य अधिक अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए खाद्यान्नों के लिए दी जाने वाली राज सहायता में कमी करनी पड़ेगी। तब उन वस्तुओं के मूल्यों का क्या होगा जो जनसाधारण के लिए अति आवश्यक हैं ? हमारे मित्रों को श्रीमती इन्दिरा गाँधी के कार्य निष्पादन पर प्रसन्नता है। इस बार उन्हें सत्ता में आये 13 महीने से भी अधिक समय हो गया है लेकिन इससे पहले वह 11 वर्ष से अधिक समय तक सत्ता में रही हैं। उस भव्यतापूर्ण दशक में, हमारे इतिहास की उस सुनहरी अवधि में उनका कार्य निष्पादन क्या रहा है ? श्रीमती गाधी के उस सम्पूर्ण कार्य काल के दौरान उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए मैं सरकारी एजेंसियों द्वारा सप्लाई किए गए आंकड़ों पर निर्भर करूंगा। मार्च 1966 और मार्च 1977 के बीच की अवधि में थोक-मूल्य सूचकाँक में 134.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। ऐसा स्वीर्णम काल, भव्यतापूर्ण दशक था वह। मूल्यों में 134.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य में 117.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। काम करने वाली सरकार का क्या यही अच्छा उदाहरण है। सरकारी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य यह पूछेंगे कि मैं ये आँकड़े कहाँ से उद्धृत कर रहा हूँ। उनके सूचनार्थ मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि मैं ये उद्धरण रिजर्व बैंक बुलेटिन में से दे रहा हूँ।

इसके पश्चात योजन्य आयोग द्वारा सप्लाई किये गये आँकड़ों के अनुसार 1966 में 400 रु. प्रतिमास से कम आय वाले श्रमिकों का वास्तविक आय सूचकांक मैं 'वास्तविक आय' शब्दों पर जोर देना चाहता हूँ—95 था और दस वर्ष की अवधि में ही अर्थात 1975 में यह घटकर 66 रह गया। क्या ही बढ़िया प्रगति है। श्रीमती गाँधी के उस भव्यतापूर्ण दशक में ही यह 95 से घट कर 66 पर आ गया।

आइये अब कृषि श्रमिकों की स्थिति को देखें। हाल ही में दिल्ली में एक विशाल किसान सम्मेलन हुआ है। ठीक है, सत्ताधारी दल को ऐसा करने का अधिकार है लेकिन इसे लोगों को

बेवकूफ बनाने का कोई अधिकार नहीं है। वे ग्रामीण लोगों, गरीबों और पिछड़े हुये लोगों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। लेकिन वे ग्रामीण जनता के लिये वास्तव में क्या कर रहे हैं ? एक बार फिर मैं वे आंकड़े उद्धृत करता हूं जो मेरे पास मौजूद हैं। कृषि श्रमिकों की आय जो 1960-61 के मूल्यों पर आधारित है 1963-64 में 282.5 रुपये थी और 1974-75 में यह आय 185.10 रुपये रह गई। यह वार्षिक आय है। कृषि श्रमिकों की वार्षिक आय में कमी हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भूमिहीन परिवारों की संख्या 1954 के 61 लाख से बढ़ कर 1971-72 में 214 लाख हो गई। गाँव के और अधिक लोगों की भूमि छिनती जा रही है और भूमि जोत कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होती जा रही है। इसके विपरीत, सर्वोच्च बीस एकाधिकार घरानों की परिसम्पत्तियों में मार्च 1972 और मार्च 1977 के बीच लगभग 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप किसकी सेवा कर रहे हैं ? आप किसके हितों की रक्षा कर रहे हैं ? संविधान की प्रस्तावना में लिखा है :

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर···"

इसका अर्थ है, वास्तविक शासक भारत के लोग हैं। लेकिन क्या आप मुझे कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहाँ शासक कंगाल हैं, जहाँ शासक बेरोजगार और गरीब हैं ? या क्या यह सच है कि यह सच नहीं है कि वास्तव में भारत के लोग शासन नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत के लोगों में से बहुत थोड़े से अल्प संख्यक शासन कर रहे हैं ? अन्यथा ऐसा क्यों है कि योजना बनाये जाने के इतने वर्षों बाद भी, भव्यतापूर्ण नेतृत्व के इतने वर्षों बाद भी आपके अपने ही आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण लोगों की भूमि छिन रही है, उनकी आय घट गई है और 20 एकाधिकार घरानों की परिसम्पत्तियों में 76% वृद्धि हुई है ?

योजना आयोग के तद्दोदेश्यीय दल ने खुले आम यह बताया है कि सरकार में राजनीतिक इच्छा का अभाव है और प्रशासन भूपतियों के साथ सैंकड़ों धागों से बंधा हुआ है। वह आपका अपना ही दस्तावेज है, जिसमें से मैं यह उद्धरण दे रहा हूं। अर्थात कि आप भूमि सुधारों के बारे में गंभीर नहीं हैं और कि प्रशासन भू-पतियों के साथ सैंकड़ों धागों से बंधा हुआ है। आप में वह राजनीतिक इच्छा नहीं है। संविधि पुस्तक में आपने कुछ कानून रखे होंगे लेकिन जैसा कि आप जानते हैं केवल कोई अधिनियम पारित कर देने से ही आप ग्रामीण लोगों का जीवन नहीं बदल सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं। सभी मनुष्य बराबर हैं, लेकिन अमरीकियों को यह समझने में लगभग 200 वर्ष लग गये कि काले लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, आपने कानून बनाए होंगे लेकिन यदि आपके पास उन कानूनों को लागू करने की राजनीतिक इच्छा नहीं है तो वे आपकी कानून की पुस्तक में ही पड़े रहेंगे लेकिन वे आर्थिक ढांचे को नहीं बदल सकते।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल): यह स्पष्टतः हाजमें की खराबी का मामला है। इन्हें डाइजिन की जरूरत है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा हाजमा बहुत अच्छा है। मुझे गोलियों की जरूरत नहीं। उन्हें उनकी जरूरत है :

इसके विपरीत छठी योजना क्या कहती है। उन्होंने एक विशाल प्रलेख तैयार किया है जिसमें भारत के लोगों से वादे किये हैं। मैं भी आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय जैसे सदस्यों के लाभ के लिए, जिन्हें बौद्धिक कब्ज और बदहज्मी है छठी योजना प्रलेख में से उद्धरण देता हूँ। छठी योजना में यह कहा गया है :—

'योजनागत विकास के तीन दशकों के बाद भी जनसंख्या के बहुत बड़े भागों को प्रगति के लाभों का हिस्सा नहीं मिला है या विकास की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिला है।" मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय अंग्रेजी समझते हैं और यदि वह वास्तव में समझते हैं तो वह इन पंक्तियों का अर्थ भी समझ गये होंगे। सरकारी पक्ष के उन सदस्यों को, जो अपनी उपलब्धियों के बारे में शोर मचा रहे हैं, मैं यह कहूँगा :

"यह उद्धरण छठी योजना प्रलेख में से है।"

योजनागत विकास को तीन दशक हो गये और आपने भला किसका किया है और इतनी अच्छी तरह से भला किया है ? योजना प्रलेख में परिसम्पत्तियों के स्वामित्व, उपभोग और रोजगार के सम्बन्ध में जो आँकड़े दिए गये हैं वे देश की मौजूदा आर्थिक व्यवस्था का शून्य चित्र प्रस्तुत करते हैं। परन्तु इस शून्य चित्र को अभिभाषण में सुनहरा दिखाया गया है। वही सरकार योजना प्रलेख प्रस्तुत कर रही है और वही सरकार लोगों के अन्दर भ्रान्ति पैदा करने के लिए और गलत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सदन में यह अभिभाषण पेश कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए केवल 5 मिनट समय और है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नहीं, महोदय, अभी बहुत से मिनट बाकी हैं।

आँकड़ों के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के निम्नतम 30% के पास कुल परिसम्पत्तियों का केवल 2% है जबकि ऊपर के 10 प्रतिशत के स्वामित्व में 50 प्रतिशत से अधिक हैं।

जहाँ तक घरेलू उपभोग का सम्बन्ध है ग्रामीण जनसंख्या के निम्नतम 30 प्रतिशत पर कुल व्यय का केवल 15 प्रतिशत व्यय होता है और 15 वर्ष पहले भी यह प्रतिशत इतना ही था। ग्रामीण जनसख्या के ऊपर के 30 प्रतिशत का हिस्सा 52 प्रतिशत है जो 15 वर्ष पहले के हिस्से से अधिक है।

बेरोजगारी के क्षेत्र में क्या स्थिति है ? हमारे पास 8.2 प्रतिशत श्रमिक बल, अर्थात 210 लाख लोग पूरी तरह बेरोजगार हैं। इस समय वे बेरोजगार हैं। छठी योजना प्रलेख में बेरोजगारी की समस्या को या भूमि सुधार के प्रश्न को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। औद्योगिक विकास का प्रश्न क्रांतिकारी भूमि सुधार के प्रश्न के साथ अप्रकथनीय रूप से जुड़ा हुआ है। यह योजना प्रलेख इस बारे में चुप है। इसके परिणामस्वरूप हम यह देखते हैं कि भारत में आज सामाजिक विरोधाभास तीव्र होते जा रहे हैं। और प्रबल होते जा रहे हैं आज हम यह देखते हैं कि किसान आवाज बुलद कर रहे हैं, सामूहिक आन्दोलन हो रहे हैं, श्रमिक संघर्ष कर रहे हैं और कर्मचारीआन्दोलन कर रहे हैं क्यों ? यह विपक्ष का कार्य है या सामाजिक विरोधाभासों का परिणाम है ? इसके साथ-साथ आज भारत में हम यह देखते हैं कि प्रान्तीयतावादी, साम्प्रदायिकतावादी और पृथकतावादी तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था

को अवरुद्ध स्थिति क कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा सत्ताधारी दल द्वारा क्रान्तिकारी आर्थिक सुधार किये जाने से इन्कार के कारण हो रहा है ।

जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में भी कुछ लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। प्रांतीयता का नारा बुलद किया जा रहा है । रोजगार के अवसरो की कमी के कारण हमारे लोगों का एक वर्ग ही दूसरे वर्ग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहा है ।

यह अवसरों के अभाव को प्रकट करता है और इसीलिए यह नारा लगाया गया है। यह हमारी आर्थिक गतिहीनता का परिणाम है; यह हमारे समाज में व्याप्त असमानताओं का परिणाम है जो अनेक वर्षों के कांग्रेस शासन के फलस्वरूप हुआ है । इस गंभीर आर्थिक सकट में से निकालने का पूंजीवादी मार्ग है घनी व्यक्तियों को करों से अधिक छूट देना, प्रतिबंधों को हटाना, राज-अर्थ सहायता को वापस लेना, अधिक आयात तथा आम लोगों पर अधिक भार डालना । इसीलिए वे श्रमजीवी वर्ग पर प्रहार कर रहे हैं, और इसीलिए वे कृषक वर्ग पर प्रहार कर रहे हैं, इसीलिये वे सफेद देश श्रमिक वर्ग पर प्रहार कर रहे हैं। जो लोग लड़ते हैं तथा विरोध करते है तो सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग करती है । यह सरकार और कांग्रेस सरकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से निवारक नजरबन्दी या भारत सुरक्षा नियम या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनों के बिना हमारे देश पर शासन करने में असफल रहीं हैं। इसका क्या कारण है ? आज वे विश्व बैंक के आदेश पर आवश्यक वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं ऐसा क्यो है कि देश में व्यापारिक असंतुलन है ? आप आयातित मुद्रा स्फीति की बात कर रहे हैं। ठीक है । परन्तु क्या यह सही नहीं है कि वे साम्राज्यवादी देश जिन पर हम निर्यात करते हैं, अपनी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य बढ़ा रहे हैं । क्या यह सच नहीं है कि हम जो कुछ निर्यात करते हैं उसका हमें कम दाम मिलता है और पश्चिमी साम्राज्यवादी देश हमारे निर्यात का कम मूल्य देकर तथा हमें विवश करके अपनी उत्पादित वस्तु का अधिक मूल्य लेकर हमें लूट रहे हैं, और भारत सरकार उन साम्राज्यवादी ताकतों के साथ संघर्ष न करके उन ताकतों को सन्तुष्ट करने का प्रयास कर रही है, और छटी योजना में विश्वबैंक के आदेश पर वे आवश्यक खाद्यान्नों के लिए राज अर्थ-सहायता कम करने जा रही है ?

हाल ही में क्या हो रहा है ? इसके विपरीत वे राज्य सरकारों पर प्रहार कर रहे हैं। इस सभा में हम सहयोग की बात करते हैं । विपक्ष की भूमिका पर वे उपदेश देते हैं । काश्मीर में क्या हो रहा है ? वहां किस प्रकार का गाँधी वादी अहिंसकात्मक आन्दोलन चल रही है ? कांग्रेस (आई) किस किस्म का सहयोग कर रही है ? वे पश्चिम बगाल में क्या कर रहे हैं ? वे ट्रामो, कारो तथा बसों को जला रहे हैं । (व्यवधान) इसलिए आपका दोहरा मानदंड हैं जहाँ आप विपक्ष में हैं। आप संसद में कार्य करने वाले विपक्ष के लिए विभिन्न मानदड सुझाते हो। इस दोहरे मानदड के साथ आप चल रहे हो । मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ ।

इस स्थिति में से निकलने का लोक तांत्रिक रास्ता क्या है ? वैकल्पिक मार्ग क्या है ? विकल्प धनी वर्ग पर अधिक कर लगाना है । जहाँ कभी भी फालतू धन है उसको हमें प्राप्त करना होगा । हमें मालूम है कि भारत में स्पष्टतः बड़ी मात्रा में उपभोग होता है जबकि भारत में बडी भारी गरीबी है तो गः आज हम बड़े ठाट-बाट का रहन-सहन तथा धन प्रदर्शन की भद्दी प्रतिस्पर्धा देखते हैं । धनी व्यक्तियों पर कर लगाने जाहिए । वैकल्पिक मार्ग भूमि सुधार हैं ।

विकल्प विदेशी परिसम्पत्तियों का राष्ट्रीकरण है। वैकल्पिक मार्ग एकाधिकारवादी घरानों का राष्ट्रीयकरण है। राज्य सरकारों के विरूद्ध लड़ने के बजाय केन्द्रीय सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारा देश बहुभाषी देश है और यहां राज्यों की स्वायत्रता को अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। राज्यों पर प्रहार करने के बजाय आपको राज्यों की मद्द करनी चाहिए ताकि हम अपने देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रख-सकें।

अन्त में मैं कहता हूँ कि आप सारी धुबल मार रहे हो। परन्तु मैं महाभारत से उद्धृत कर सकता हूँ। पाँडव राज्य की सुरक्षा के लिए शिक्षा लेने हेतु भीष्म के पास गये। भीष्म ने उन्हें बताया कि राजा को राज्य को बनाये रखने के लिए प्रजा के लाभार्थ और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। उसके बाद उन्होने पूछा कि यदि राजा ऐसा नहीं कर सकता तो क्या किया जाना चाहिए। उसके बाद भीष्म ने कहा कि प्रजा को डराकर, प्रजा को शक्ति दिखा कर तथा प्रजा को धन दिखा कर एक राजा अपनी गद्दी कायम रख सकता है। उसके बाद पांडवों ने पूछा कि यदि प्रजा फिर भी आज्ञा नहीं मानती तो क्या किया जाना चाहिए तब भीष्म ने कहा कि राजा इंद्रजाल बना सकता है। और उसने उन्हें कहा कि राजा अपनी गद्दी प्रजा पर धुप्पल मार कर ही बचा सकता है। जब पांडव जा रहे थे तो भीष्म ने उनसे कहा कि इन्द्रजाल भी राजा को अधिक समय तक टिका नहीं सकेगा। उसी तरह से आप भी अपने इन्द्रजाल पर आधारित हो और आप लोगों को धुप्पल दे रहे हो। बहुमत के बावजूद भी आप में स्थिरता नहीं है और आपको स्वायत्रता देनी होगी। अन्यथा आप बरबाद हो जाओगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मैं बहुत गम्भीरता के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि 11 बजे से लेकर 11 बजकर 35 मिनट तक इतना महत्वपूर्ण मामला यहाँ पर उठाया गया लेकिन आपके कार्यालय से उसको एक्सपंज करने का नोटिस गया है—यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूगा, आप बैठिए। आप तो फिर गड़बड़ कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : 11 बजकर 2 मिनट से 11 बजकर 37 मिनट तक आरक्षण के सम्बन्ध में हुई कार्यवाही को कार्यवाही—वृत्ताँत से निकाल दिया गया है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को नहीं ले रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो मेरी अनुमति से बोला जाता है वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा। जो मेरी अनुमति के बिना बोला गया है उसे कार्यवाही वृत्ताँत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।　　**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नाडीस : मैं नियम 380 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नाडीस : यह समय बेकार करने वाली बात नहीं है। हम सभा को कार्यवाही के बारे में चिन्तित हैं।　　**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नाडीस : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 380 में इस प्रकार कहा गया है :—

"यदि अध्यक्ष की राय हो कि वाद-विवाद में ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मान हानि

कारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र है, तो वह स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि ऐसे शब्दों को सभा की कार्यवाही में से निकाल दिया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं इसका उल्लेख मत करो। यह जो भी है मेरी अनुमति के बिना है, जो भी कहा गया है। वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम एक वक्तव्य देना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदा नहीं। केवल मेरी अनुमति से जो भी··· (व्यवधान) सभा में कोई भी खड़ा हो जाए और कहे ', मैं यह कह रहा हूँ :— पहले तो सदस्य को मेरी अनुमति होगी यदि मैं अनुमति देता हूँ तो ठीक है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस :— हमे ठीक भी होना चाहिए। गुजरात की स्थिति पर एक वक्तव्य देने के लिए कांग्रेस दल को हमें सहमत करने के लिए 40 मिनट लगे। यदि इसमें हमारे 40 मिनट लग गये तो क्या यह हमारा दोष है। क्या यह हमारी गलती है कि इस तथ्य पर वक्तव्य देने के लिए गुजरात जल रहा है कि उन्हें राजी करने लिए हमें पूरा जोर लगाना पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : जो मेरी अनुमति से है वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित रहेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अब यह निर्बाध आदेश है। यह पहले जा चुका है। सचिवालय ने जो नोटिस बोर्ड पर एक निर्बाध आदेश लगा रखा है।

प्रो. मधु दंडवते : मैं केवल इतना ही अनुरोध करूंगा कि यह नियम से ऊपर नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम से ऊपर नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो मेरी अनुमति से है वह कार्यवाई वृत्तात में सम्मिलित होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे आशा है कि जो भी हमने कहा है वह आपकी अनुमति से है।

श्री रामविलास पासवान : आपकों हमेशा मिस गाइड किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मत डराइये। मुझ पर दोष मत लगाइए। में मिस गाइड होने वाला नहीं हूँ।

श्री रामबिलास पासवान : आपको मिस गाइस किया जाता है। आप जो नोटिस बोर्ड पर टंगा है, उसको पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह से डरने वाला नहीं हूँ।

श्री रामबिलास पासवान : इसमें यह कहा गया है, 11 बजकर 2 मिनट से लेकर 11 बजकर 37 मिनट तक आरक्षण विरोधी व्यवधानों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।"

अध्यक्ष महोदय : मैंने बड़ी स्पष्टता के साथ यह कहा है कि जो मेरी अनुमति से है, वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होगा। मैं इसे देखूंगा।

श्री रामविलास पासवान : लेकिन जो नोटिस बोर्ड पर टगा है···

अध्यक्ष महोदय : अभी इस बात को मैं देखूंगा।

श्री रामविलास पासवान : यह मेरे सिगनेचर में नहीं है, आप इसको पढ़िए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। आपने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को डराने का प्रयास मत करिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : डराने की कोई बात नहीं है। मैं सादर कहूँगा कि पहले ही निर्बाध आदेश है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं इसे देखूंगा।

श्री जार्ज फर्नांडीस : इस बीज प्रेस से किस बात की अपेक्षा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूगा। जो भी मेरी अनुमति से है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित रहेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमने जो बोला वह आप की अनुमति से था . हम आपकी अनुमति से बोले।

श्री रामविलास पासवान प्रेस क्या करेगी । वे इसको क्या निकालेंगे नहीं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी तब तक वे नहीं करेंगे।

श्री रामविलास पासवान : आप कह दीजिए कि एक महीने तक जो पार्लियामेंट चली है-दैट विल एक्सपंज।

अध्यक्ष महोदय : नही, नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ। नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। जो भी है वह मेरी अनुमति से कहा गया है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिबित किया जायेगा। अन्यथा नहीं।

श्री रामविलास पासपान : आप इसको पढिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देखूंगा।

श्री रतनसिंह राजदा : यह वाद-विवाद आपकी अनुमति से था।

अध्यक्ष महोदय : जो मेरे अनुमति से था वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होगा।

श्री जार्ज फर्नांडीस : जो आप बोले थे वह भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होगा, मुझे ऐसी आशा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया, सुन लिया, मेरे भी कान है। मैंने आपकी बात को सुन लिया है।

प्रो. मधु दन्डवते : अनुमति का कोई उल्लेख नहीं है, समय का उल्लेख है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है।

श्री रामविलास पासवान : आपके प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन कभी कभी ऐसा काम कर दिया जाता है कि हम लोग लाचार हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अधिकार के साथ कहता हूँ कि मैं अपनी बात पर दृढ़ रहूँगा कि जो भी मेरी अनुमति से कहा गया है उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। परन्तु जो मेरी अनुमति के बिना कहा गया है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यही मैंने कहा है। मैं देखूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : आप कृपया देखिए कि सारी कार्यवाही को कार्यवाही वृत्तांत से न निकाल दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी अनुमति के बिना किसी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होने दे सकता।

श्री रामविलास पासवान : वह तो सब दिन के लिए लागू है। वह तो है। एक ही दिन के नोटिस पर चला गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए. के सेन।

श्री ए. के. सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : धन्यवाद, प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं समय और सरकार का ध्यान देश के विभिन्न भागों विशेषकर पश्चिम बगाल में उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर दिलाता हूँ **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या कर रहे हैं। आप सुनते क्यों नहीं हैं। इन लोगों को क्या हो रहा है **(व्यवधान)** श्री चक्रवर्ती जी ने बोला, उन्होने सुना। अब आप उनकी बात सुनिये। आप अपनी भाषा में उसको कहिये, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है। इस तरह से चलना कोई संसदीय तरीका नहीं है। आप चिल्लाकर उन्हें चुप नहीं कर सकते। श्री चक्रवर्ती ने वह कुछ कहा जो उन्होंने चाहा और जो कुछ उन्होंने कहना ठीक समझा। अब जो कुछ भी वे चाहें, कहें। यह कोई तरीका नहीं है। आप उन्हें चुप नहीं कर सकते। यह कोई तरीका नहीं है। आप इन्हें चुप नहीं कर सकते। आपको सुनना चाहिये। कहना आसान है लेकिन सुनना आसान नहीं है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : आपको जानना चाहिये कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। **(व्यवधान)**

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : कॉंग्रेस (आई) के लोग आपस में लड़कर कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री ए. के. सेन : चूंकि मैं पश्चिम बंगाल का एक निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ इसलिये मेरा अधिकार है कि···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे हैं क्या यहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह देखना मेरा काम है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : लेकिन यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसे अस्वीकृत किया जाता है।

श्री ए. के सेन : यदि प्रो चक्रवर्ती मेरी बात सुन सकते हैं तो उन्हें मालुम हो जायेगा कि मैं किसके लिये बोल रहा हूँ **और** क्या बोल रहा हूँ। मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहूँगा। मैं जानता हूं कि जिस विषय में मैं बोल रहा हूँ वह बहुत ही संवेदनाशील है। इससे बहुत लोगों के हक पर आघात होगा। लेकिन इस समय में इसका जिक्र किया जाना, निर्भीकता से जिक्र किया जाना जरूरी है।

स्थिति बहुत ही गम्भीर है। इस स्थिति से वहाँ एक जन आँदोलन उत्पन्न हो गया है और जिसमें बुद्धिजीवी मोर्चे पर हैं। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय नेता, प्रोफेसर, उप-कुलपति तथा पश्चिम बंगाल से अन्य बुद्धिजीवी नेता मोर्चे पर आ गये हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वे कांग्रेस (आई) के हैं।

श्री ए. के. सेन : वे भारत के हैं। उनमें से कई कॉंग्रेस (आई) के नहीं हैं। **(व्यवधान)**

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

श्री सत्यसाधन चकवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय, कृप्या इन्हें हमारे बारे * बातें करने से रोकें। इन्होंने हमारे बारे में सच्ची बातें कहना बंद कर दिया है।

श्री ए. के. सेन * कहना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं विरोधी सदस्यों को * कहने के लिये दोषी नहीं ठहराता। मैं कहता हूँ कि उनका कहना गलत है। वह संसदीय भाषा मैं सीख चुका हूं। श्री चक्रवर्ती को भी उसे सीखना चाहिये।

वहाँ क्या हुआ ? किन परिस्थितियों के कारण इनके सत्ता में आने के छः महीनों के अन्दर यह महान् आँदोलन शुरू हुआ ? विश्वविद्यालय परिषदों की उपेक्षा की गयी। विश्वविद्यालय परिषदें काँग्रेस (आई) की नहीं हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षा बोर्ड की उपेक्षा की गयी। हर स्कूल की परिषद् की उपेक्षा की गयी। इसका क्या कारण है ? क्योंकि वे अपने अध्यापक नियुक्त करना चाहते हैं। (व्यधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोला था, उस समय मैं विधि राज्य विशेष के बारे में नहीं बोला था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ये इस सभा में नहीं बोल सकते ? कृप्या अपनी सीट पर बैठ जाइये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हर माननीय सदस्य बोल सकता है और कोई भी उसे चुप रहने के लिये नहीं कह सकता। आपको जो कुछ भी वे कहें, उसकी आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह ससदीय प्रक्रिया नहीं है। मुझे ऐसा कहने का खेद है। उन्हें या तो जो कुछ प्रोफेसर साहब ने कहा उसका उत्तर देना पड़ेगा या वह अपने विचार प्रकट करेंगे। वह संसदीय भाषण नहीं दे सकते या ऐसी ही कोई बात नहीं कर सकते। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं भी इस बात को मानता हूँ कि माननीय सदस्य को हमारी आलोचना करने का अधिकार है लेकिन क्या ये राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से किसी राज्य सरकार की आलोचना कर सकते है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये कर सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : ये कर सकते हैं। ये इस माध्यम से आलोचना कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या एक माननीय सदस्य 'नानसेंस' बेतुकी बात कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन नानसेंस बेतुकी शब्द संसदीय है। (व्यवधान) शास्त्री जो आप बहुत पुराने सदस्य हैं। आप इन बातों में कैसे रुचि लेते हैं ?

श्री ए. के. सेन : शिक्षा और संस्कृति दोनों समवर्ती विषय हैं और ये विषय किसो राज्य के विशेषाधिकार में नहीं हैं। हम सारे राष्ट्र की शिक्षा और संस्कृति से सम्बन्धित है और यदि देश के किसी भाग में इसके लिये कोई खतरा पैदा हो तो इस सभा का यह कर्तव्य है कि वह इसे दूर करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह कोई तरीका नहीं है (व्यवधान) मैं आपसे पूरी

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

खामोशी की आशा रखता हूँ। आप इनकी बातें सुनें और फिर यदि आपको इनकी बातें ठीक नहीं लगती तो विरोध करें यह आप क्या तरीका अपना रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है।

श्री ए. के. सेन : मैं हर दिन हर विषय पर नहीं बोलता।

श्री रामावतार शास्त्री : क्योंकि आप यहाँ नहीं होते। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यक्तिगत टिप्पणी क्या है? ये व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं। यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यदि यही तरीका है तो यह बहुत ज्यादती है। हम भी उन्हें बोलने नहीं देंगे।

श्री ए. के. सेन : यह मेरा दोष नहीं है कि मेरे पास कुछ और काम भी हैं। इस सभा के काम के अलावा भी मेरे पास कुछ और काम हैं और मैं इसके लिए लज्जित भी नहीं हूँ।

आज मैं इस सभा तथा सरकार का ध्यान इस गम्भीर स्थिति की ओर दिलाना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। क्या हुआ है। जैसे कि मैं कुछ देर पहले कह रहा था। समूची विश्वविद्यालय परिषदों को समाप्त कर दिया गया है। सभी सात विश्वविद्यालय परिषदें कांग्रेस (आई) की नहीं हैं...व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : कृप्या सुनें।

श्री ए. के. सेन : उन्हें सुनना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको विपक्ष के प्रति सहनशील होना चाहिए। आप सत्तारुढ़ दल से हैं। (व्यवधान)... और यदि ये आरोप ठीक न हों तो जब आप बोलें तो इसका विरोध करें (व्यवधान)। नहीं, नहीं, यह ठीक नहीं है।

श्री ए. के. सेन : जब प्रो. चक्रवर्ती बोल रहे थे, मैं एक भी शब्द नहीं बोला।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें बोलने दीजिये। मैं इस प्रकार की बाधा पैदा करने के लिए अनुमति नहीं दूंगा।

श्री ए. के. सेन : इसका कोई अर्थ नहीं क्योंकि हमारी आवाज से न यहाँ दबाई जा है और न ही बाहर। (व्यवधान)

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : यदि ये इस सभा में इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो बंगाल में किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे।

श्री ए. के. सेन : इनका प्रयत्न आवाज को दबाने और बलपूर्वक चुप करवाने का होता है। तथापि इसे दबाया नही जा सकता क्योंकि मैं आपको इतिहास से एक उदाहरण देता हूं। जब विशप रेडले तथा विशप थोमस को आग के ढेर पर रखा गया—इस प्रकार गला घोंटने के प्रयास से मुझे इसकी याद आयी है—जब आग जल रही थी तो विशप रेडले बहुत भयभीत हुये। इस पर ब्रदर थोमस ने ब्रदर रेडले को कहा,

"आज जो आग हम जलायगे उसे समूची टेम्स नदी भी नहीं बुझा पायेगी।

इसका उत्तर यह है। इसे यहाँ दबाया जा सकता है, बाहर नहीं। बंगाल की सारी जनता आज इसका विरोध करने के लिये खड़ी है। (व्यवधान)

श्री दारुर पुलय्या (अनन्तपुर) : यह ज्यादती है। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।

एक माननीय सदस्य : हम उन्हें बोलने नहीं देंगे (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय ' यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा, (व्यवधान)* जो कुछ भी आप बोलें, वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल होगा। अन्य बातें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगी (व्यवधान)* कोई भी व्यवधान कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

श्री ए. के. सेन : हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह एक ऐसा खेल है जिसे दोनों पार्टियाँ खेल सकती हैं। अतः हमें ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए जहाँ हर एक दल इस खेल में भाग लेने लगे : (व्यवधान) अब तथ्य क्या है, सारे स्कूलों के सलाहकार बोर्डों को भग कर दिया गया है। उन्होंने क्या किया ? (व्यवधान)। पश्चिम बंगाल मदरसा बोर्ड भंग हो चुका है। सैंकड़ों माध्यमिक स्कूलों की परिषदों को भंग कर दिया गया है। मैंने ऐसे दर्जनों मामलों की वकालत की है जिनमें स्कूल बोर्ड कपटपूर्ण इच्छाओं से बने हैं। (व्यवधान)। मैं अन्य बातों की परवाह नहीं करता। मैं बंगाल का प्रतिनिधित्व करता हूं आप में से किसी का नहीं। (व्यवधान) संसद सर्वोच्च है। संसद का कानून पश्चिम बंगाल के कानून पर हावी होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य बातें कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नही की जायेगी।

श्री ए. के. सेन : उन्होंने क्या किया ? वहाँ के सलाहकार बोर्डों को भंग क्यों किया गया ? इसका कारण यह है कि सभी अध्यापकों का कोई न कोई अपना वरण है उनका कोई न कोई झंडा है। उनका कोई न काई कार्ड है। अतः उन्हें स्कूल, विश्वविद्यालय तथा कालिज में शामिल होना पड़ता है ताकि समूचे राष्ट्र को सिद्धांतों से शिक्षित किया जा सके। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : कम से कम इस पक्ष के हम लोगों को तो शांत रहना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ ? उनके एक नेता ने कहा, हमें अपने पूर्व नुकसान को पूरा करना है और इसलिए सभा के सोचने की शक्ति समाप्त करनी होगी। और उनकी बौद्धिक आजादि का पुनर्मूल्यांकन किया जाना है। उनके विचार तथा कार्यों का पार्टी स्तर के अनुसार ढालना है। इस प्रकार हमारे राष्ट्र की आत्मा मन और आत्मा खतरे में पड़ गयी है .सी खतरे के कारण सैकड़ों और हजारों बुद्धि जीवियों को कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ा है बंगाल के सर्वोत्तम बुद्धिजीवी अभी इस ओर उन्मुख नहीं हुए हैं। हमें पूर्णतः यकीन होना चाहिए कि हम किसी भी पार्टी स्तर के अनुसार अपने आपको नहीं ढाल रहे हैं। जब उन्होंने समझा कि बुद्धिजीवी अपनी इच्छा से संघर्ष के लिए उतर आये हैं तो उन्होंने प्राइमरी स्तर पर अंग्रेजी समाप्त कर दी। (व्यवधान)

बीस साल के बाद जब इस सभा में सत्यसाधन चक्रवर्ती के बच्चे आयेंगे तो वे अंग्रेजी में अपना भाषण नहीं दे पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल आपका भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा हर समय, हर घड़ी, मुझे बहुत खेद है (व्यवधान) नहीं, नहीं, यह ठीक नहीं है। मुझे बहुत खेद है। नहीं यह ठीक नहीं है। आप जारी रखें (व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री ए. के. सेन : गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर की पुस्तक 'सहज पथ' जो स्वतन्त्रता के बाद कई दशकों तक पाठ्य-पुस्तक रही है, को हटा दिया गया है ताकि हमारे लोग टैगोर की पुस्तकें और अधिक न पढ़ सकें। वे अपने अधिकारों से टैगोर की पुस्तक को हटा सकते हैं, परन्तु उनके प्रभाव और उपदेशों को नहीं मिटा सकते क्योंकि यह पूरी पीढ़ी उन्हीं के प्रभाव में रह कर बढ़ी है। (व्यवधान) स्वामी विवेकानन्द की पुस्तक भले ही अधिक न पढ़ायी जाये जिससे संस्कृति और सभ्यता की धारा, जिसने भारतीय मस्तिष्क को उर्वर बनाया, को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके तथा उसे भारत की घाटियों और पहाड़ियों से अपना पौष्टिक तत्व न मिले अपितु उनके अनुसार विश्व के उन भागों से उनके लिए पौष्टिक तत्व लाया जाए जहाँ पर क्रान्ति का जन्म हुआ था। क्रान्ति का जन्म इसी देश में हुआ था (व्यवधान) प्लासी के युद्ध के बाद जो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्ति का स्तर बढ़ाने के लिए आए वे उन देशों में प्रशिक्षित नहीं किए गए जहाँ से मेरे विद्वान मित्र प्रेरणा लेना चाहते हैं, अपितु वे भारत की वर्षों पुरानी सभ्यता, संस्कृति और दर्शन से प्रेरणा लेकर प्रशिक्षित किए गये थे। जो प्रेरणा इस देश में पैदा होनी थी वह इस देश में सैंकड़ों और हजारों वर्षों से बहती रही है न कि विश्व के किसी अन्य भाग से यहाँ आई। जो फल महकते थे वे अपने ही देश की धरती से आहार लेकर महके। न कि विदेशी धरती से आहार लेकर महके। (व्यवधान) वे अपने देश की धरती से अपना आहार नहीं लेते हैं।

अब इस विचित्र शिक्षा प्रणाली का क्या परिणाम हुए हैं जो इस समय हमें पश्चिम बंगाल में दिखाई देते हैं? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप भोजनोपरान्त अपना भाषण जारी रखियेगा।

इसके पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय . श्री ए. के. सेन।

श्री ए. के. सेन : जैसा कि मैं मध्यान्ह पूर्व संकेत कर रहा था, निश्चय ही स्थिति नाजुक है। यदि हम स्तर-वार चलें तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, महाविद्यालय स्तर तथा विश्व-विद्यालय स्तर होते हैं। आइए हम प्रत्येक स्तर को लें। प्राथमिक स्तर पर जिन्होंने विद्यालय का प्रवर्तन किया, और उसको मान्यता दिलवायी उन्हें साधारणतया कम से कम एक अध्यापक अपनी पसंद का स्कूल में रखने दिया जाता था। परन्तु अब खोले गये इन प्राथमिक विद्यालयों में किसी में भी प्रवर्तक की पसंद नहीं देखी जाती। लगभग 1400 अध्यापक नियुक्त किए गए हैं जिनका एक विशेष दल से संबंध है और कभी-कभी नियुक्त किए गए अध्यापकों में से कुछ सत्ताधारी दल के एम. एल. ए. के सम्बन्धी होते हैं। मैं केवल एक का ही उल्लेख कर सकता हूँ श्री आनन्द मुखर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में एक* की सुपुत्री को प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक नियुक्त किया गया है। (व्यवधान)*

श्री ए. के. सेन : मुझे खेद है, यह* उनका* समान उपनाम है* पश्चिम बंगाल के उच्च ब्राह्मण हैं।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्री आनन्द मुखर्जी से भ्रमित न हों जिनको इसका ज्ञान नहीं है । (व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : मैं श्री सोमनाम चटर्जी या श्री आनन्द मुखर्जी के नामों द्वारा भ्रमित नहीं होऊंगा सौभाग्य से, बंगाल में जाति समस्या नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : पहली बार आप ठीक बोले हैं ।

श्री ए के सेन : परन्तु वहाँ पर दलगत समस्या है जिसके लिए यदि आप किसी विशेष दल से सम्बन्ध नहीं रखते हैं तो आपको अध्यापक की नौकरी नहीं मिल सकती । यही कठिनाई है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री सेन एक जाने माने वकील हैं । वे एक योग्य वकील हैं । परन्तु चूंकि वे एक कमजोर मामले को चला रहे हैं इसलिए वे कठिनाई में पड़ेंगे । (व्यवधान) इसलिए मैं श्री सेन से अनुरोध करूंगा कि अपनी योग्यता को वास्तविक बातों के लिए प्रयोग करें न कि काल्पनिक बातों के लिए ।

श्री ए· क सेन : यह बिल्कुल वास्तविक बात है···

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दार (दुर्गापुर) : मैं यह कह सकता हूँ कि जो श्री सेन ने कहा वह श्री मुखर्जी के निर्वाचन क्षेत्र की बात नहीं है··· (व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : मूलत: मैंने जान बूझकर नाम नहीं दिए परन्तु जब मुझे चुनौती दी गई कि ये बिना किसी ब्यौरे के हैं, तो मैंने कम से कम एक नाम दिया । मैं सैकड़ों नाम दे सकता हूँ । व्यक्तिगत मामलों पर जाने की मेरी आदत नहीं है । परन्तु यह एक बहुत बड़ी समस्या है अर्थात पूरे राज्य के सम्पूर्ण शैक्षिक तथा सांस्कृतिक जीवन को दलगत लाभों के लिए बिगाड़ा जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है । यह एक ऐसा खतरा है जिसपर सभा को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह विषय समवर्ती सूची में है । और इस क्षेत्र में यह सभा सर्वोच्च है । हम माँग करते हैं कि यह सभा कम से कम यह पता लगाए कि क्या हो रहा है । सरकार को एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो पूरे मामले की जाँच करे और सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए क्या कोई माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : उन्होंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूँ कि वह पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना कर सकते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नि.सन्देह उनकी पश्चिम बंगाल सरकार के विषय में आलोचना जरा भी अर्थ नहीं रखती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु, उन्हें आलोचना करने का अधिकार है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह हम जानते हैं । लोग इसे समझते हैं । हमें इसमें जरा भी संदेह नहीं है सामान्यीकरणों के आधार पर क्या वह पश्चिम बंगाल सरकार के विरूद्ध अस्पष्ट आरोप लगा सकते हैं ? इस सभा में उन्होंने केवल राज्य सरकार की निन्दा करने के लिए ही अपने अवसरों का दुरुपयोग किया, क्या वह बिना किसी आधार के ऐसा कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं। श्री वेंकटसुब्बया ने व्यवस्था का प्रश्न पहले उठाया है। आपका व्यवस्था प्रश्न क्या है।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : महोदय कल श्री फर्नान्डीस ने आपसे संरक्षण माँगा था और उन्होने कहा था कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई तथा उसमें व्यवधान व बाधाएं पैदा की गई। अत: उन्होंने आपका संरक्षण चाहा। फिर मैंने कहा था कि संसदीय लोकतन्त्र में व्यवधान और बाधाएं इसका एक अंग होती हैं। परन्तु साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को कटु सत्य पसंद नहीं है। वे सोचते हैं कि उनके सदस्यों के लिए हमारे सदस्य व्यवधान व बाधाएं पैदा की जाती हैं। और वे भाषण नहीं करते। (व्यवधान) महोदय, मैं विपक्षी दलों से अपील करूंगा कि यह ऐसा खेल है जिसमें दोनों ही भाग ले सकते हैं। मैं उनसे केवल यह अनुरोध करूंगा कि जब कुछ बातें कही जाती हैं जो उन्हें रूचिकर नहीं हैं तो वे हमारे लिए व्यवधान पैदा न करें और वे हमारे सदस्यों को बोलने से वंचित न रखें।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ।

एक माननीय सदस्य : कोई व्यवस्थ का प्रश्न नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। उन्हें इसका अधिकार है। इसका निर्णय करना मेरा काम है। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : उन्होंने एक सदस्य के विषय में कहा जो इस सभा का सदस्य नहीं है।* क्या वह उसके विरूद्ध कोई आरोप लगा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही का अध्ययन करूंगा और यदि मैंने कोई नाम पाया तो मैं इस पर विचार करूंगा। श्री सेन, आप आगे बोलिए।

श्री ए. के. सेन : मैं जानबूझ कर नाम का उल्लेख करने से बचना चाहता था। मैं सदा ही यह महसूस करता हूँ कि इन मामलों में विशेषकर जब उच्च श्रेणी या वर्ग का उल्लेख होता है तो किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करना अशोभनीय है तथा किसी व्यक्ति को मामले में नहीं घसीटना चाहिए। परन्तु जब मुझे बार-बार चुनौती दी गई कि मैं सामान्यीकरण कर रहा हूँ, और अस्पष्ट आरोप लगा रहा हूं तब मुझे एक उदाहरण का उल्लेख करना पड़ा। मैं नाम का उल्लेख नहीं करता ! अब 1400 अध्यापक पूरे एक साल से हड़ताल पर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कोई भी माननीय सदस्य किसी वक्ता के लिए व्यवधान पैदा नहीं करेगा जब तक कि वह स्वीकार न कर ले। परन्तु आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। आप वक्ता के लिए व्यवधान नहीं पैदा कर सकते जब तक वह स्वीकार न कर ले। मैं चाहूंगा कि इन नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। श्री चटर्जी आप भी सभापति तालिका में हैं। आप हमारी कठिनाइयाँ जानते है। आपको हमारी

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सहायता करनी चाहिए। जब भी कोई व्यवधान पैदा करने के लिए खड़ा होता है तो उसे अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं किसी तरह की व्यवधान की अनुमति नहीं दूंगा जब तक अध्यक्ष महोदय स्वीकार न करें।

श्री ए के. सेन : 24 परगना में 1400 प्रवर्तित (स्पान्सर्ड) अध्यापक एक वर्ष से भूख हड़ताल पर हैं   **(व्यवधान)**

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान उन्होंने कहा कि अध्यापक पिछले एक साल से भूख-हड़ताल पर हैं। एक व्यक्ति पूरे एक साल तक भूख-हड़ताल पर कैसे रह सकता हैं;

श्री ए. के. सेन : वे क्रमिक भूख-हड़ताल पर हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि एक व्यक्ति एक साल से भूख-हड़ताल पर हैं··· **(व्यवधान)**

महोदय, यह हमारे पूरे राज्य की संस्कृति तथा शिक्षा की समस्या हैं जो दलगत हितों के लिए समाप्त तथा नष्ट हो रही है तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद देते समय हम इसीलिए सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया जाए। गम्भीर मामलों की जांच करने तथा इस सभा को अपनी रिपोर्ट देने के लिए यह जाँच आयोग तत्काल स्थापित किया जाए। सभा देश की संस्कृति तथा शिक्षा की सर्वोच्च अभिभावक है तथा भारत के साँस्कृतिक जीवन को नष्ट करने की धमकी को लागू न होने दिया जाये। स्वामी विवेकानन्द की पुस्तकें भी पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित नहीं की गई हैं। डा. ठाकुर की "सहज पथ" की पाठ्य-पुस्तक के रूप में निर्धारित नहीं की गई है। हम नहीं जानते कि कौन-सी पुस्तकें तैयार की जा रही हैं इसके अतिरिक्त कई विद्यालयों में केवल दो मुख्याध्यापक हैं। कई विद्यालयों के सम्बन्ध में यह मामला न्यायालय में ले जाया गया है··· **(व्यवधान)**

श्रीमान मैंने बिना किसी व्यवधान के प्रो. चक्रवर्ती को सुना जब वह सरकार की लगभग डेढ़ घण्टे से सरकार की आलोचना कर रहे थे··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : चुंकि आप अकसर व्यवधान पैदा कर रहे हैं तो इससे यह धारणा पैदा होगी कि ये बातें वास्तव में हो रही हैं। अतः बाधा न डालें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने कई नियम बनाये हैं जिनके गलत ढंग से समझे जाने की सम्भावना है माननीय सदस्य ने तो पश्चिम बंगाल के न्यायाधीशों तक की निन्दा की है। अध्यक्षपीठ के इस प्रकार के नियमों का अर्थ होगा कि ये आरोप सही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्ट करूंगा। मैंने कहा था कि यदि आप अक्सर बाधा डालेंगे तो लोगों में यह धारणा होगी कि कुछ बातें पश्चिम बंगाल में वास्तव में हो रही हैं जैसा कि श्री सेन को कहने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस धारणा को पैदा नहीं होने दिया जाना चाहिए। अतः उन्हें बोलने दें।

मैंने कहा था कि व्यवधान का लोगों द्वारा गलत अर्थ समझा जा सकता है। चाहे वे ठीक हों या गलत।

श्री चित्तबसु (बारसाट) मेरा विचार है कि ये आपके विचार हैं कि वह जो कुछ कर रहे हैं ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि लोग गलत समझेंगे कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी।

श्री ए. के. सेन : एक जाँज आयोग को सच्चाई का पता लगाने दिया जाए। एक जाँच-आयोग नियुक्त किया जाए जिसमें न्यायाधीश पश्चिम-बंगाल के न होकर राज्य से बाहर के होने चाहिए। मेरे मित्र इसका विरोध क्योंकर करेंगे ? इसका क्या निष्कर्ष है ? निष्कर्ष यह है कि इन सब मामलों की जाँच करने वाले आयोग का सामना करने का उनमें साहस नहीं है। (व्यवधान)

प्रो. रूपचन्दपाल (हुगली) : क्या माननीय सदस्य समस्त न्यायिक प्रणाली पर लाँछन नहीं लगा रहे हैं ? क्या वह पश्चिम-बंगाल की सारी न्यायपालिका और न्यायधीशों की निन्दा नहीं कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मान लो वह कहते हैं कि न्यायधीश किसी अन्य राज्य से आना चाहिए तो यह किसी न्यायाधीश पर लाँछन लगाना नहीं है। वह ऐसी माँग कर सकते हैं और माँग करने का उन्हें पूरा अधिकार है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ए. के. सेन : एक जाँच आयोग नियुक्त किया जाए। सरकारी सेवा से सम्बद्ध किसी भी मामले में केन्द्रीय सरकार जांच करा सकती है। एक जाँच आयोग क्यों नहीं बिठा देते जो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में जांच करे। हम भी अपने आरोप इस जांच-आयोग के समक्ष रखेंगे परिस्थितियों की जाँच की जाये। जैसा कि मैं कह चुका हूं सदन में चिल्लाने से इसे दबाया नहीं जा सकता है। मैंने समाचार-पत्रों में कुछ खबरें पढ़ी हैं और उन मुद्दों को यहाँ रखने का मुझे अधिकार है। 1400 अध्यापक भूख हड़ताल पर हैं। ये सभी समाचार प्रतिदिन समाचार-पत्रों में आ रहे हैं। बहुत-सों के साथ मारपीट की गई है. उनका कत्ल भी किया गया है। (एक **माननीय सदस्य :** नहीं) जब तक अध्यापक अपने स्थानीय पार्टी बांस की छत्रछाया में नहीं आ जाते तब तक उन्हें मार-पीट का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसी तो स्थिति है। 5,000 विद्यालयों को असम्बद्ध किया जा रहा है। ये तथ्य है। मैं यह बात एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। इसकी जांच होनी चाहिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शाँति शांति।

श्री सत्य साधनचक्रवर्ती : यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद को इस स्तर तक घसीटा जाता है तो हम पश्चिम-बंगाल में कांग्रेस (इ) की गुण्डागर्दी के विरुद्ध बोलने के लिए हर मौके का फायदा उठाऐंगे। (व्यवधान) उस उद्देश्यार्थ हम प्रत्येक अवसर का फायदा उठायेंगे। (व्यवधान) यह एक राष्ट्रीय वाद-विवाद है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। आपसी बातचीत न हो। कृपया शान्त रहिये।

श्री ए. के. सेन : इस सदन को यह शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वह जानने का अधिकार है जैसा कि मैं कह चुका हूँ हमें तथ्यों से अवगत कराने के लिए, हमें एक जाँच आयोग बिठाने का अधिकार है। उन्हें सच्चाई का पता लगाने दो। हमें इसका डर नहीं है। हम अपने सारे तथ्य आयोग के समक्ष रख देंगे। सदन उनका जायजा इस

अवस्था में न ले; पहले जांच-आयोग को सारे मामले पर विचार करने दिया जाये और उनका प्रतिवेदन हमारे पास आने दिया जाये। वे जाँच-आयोग बिठायें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अगले विषय पर बोलिए और अपनी बात समाप्त कीजिए। (व्यवधान) हम उस पर नियन्त्रण नहीं रख सकते हैं। आप अपने और मेरे ढंग के अनुसार बोलने के लिए नहीं कह सकते हैं। संविधान के अनुसार उसे बोलने की स्वतन्त्रता है।

श्री सत्य साधन चक्रवती : जो कुछ वह बोलते हैं, वह उस पर विश्वास नहीं करते हैं। महोदय, उन्हें अपनी बातप र ही विश्वास नही है। (व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : 91 महाविद्यालयों की महाविद्यालय-परिषदों को तोड़ दिया गया है। (व्यवधान) आप मेरे साथ चलिए और दुर्गापुर जिले के श्यामपुर महाविद्यालय में चलकर देखिए ऐसे 91 महाविद्यालय हैं जिनकी परिषदों को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि उनके प्रोफेसर और अध्यापक एक पार्टी-विशेष की रुचि, इच्छा से मेल नहीं खाते। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को सुझाव देता हूं कि वह इन सब मुद्दों को नोट करे और अपनी सरकार से कल एक वक्तव्य देने के लिए कहें। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, क्या यह संसदीय वाद-विवाद की कोई नई प्रणाली है कि आप ऐसा आदेश दे रहे हैं कि किसी राज्य सरकार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उत्तर राज्य सरकार को देना पड़ेगा ? सभी कांग्रेस-इ की सरकारों वाले राज्यों में जंगली कानून प्रचलित है। उन्हें उत्तर देने दीजिये ·····

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसका उत्तर दे सकते हैं। (व्यवधान) आप उसका खण्डन कर सकते हैं। अतः वाद-विवाद में व्यवधान डालने का यह कोई तरीका नहीं है। यही मैंने कहा था। (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, क्या आप इस प्रकार के वाद-विवाद की अनुमति दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि पश्चिम-बंगाल सरकार के विरूद्ध कुछ आरोप हैं तो आप तुरन्त उन आरोपों से इन्कार कर सकते हैं, परन्तु आपको सदन की कार्यवाही में इस प्रकार व्यवधान नहीं उपस्थित करना चाहिए :

श्री ए. के. सेन : महोदय, कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप कुलपति···(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : 5 मास की अवधि में 44 व्यक्ति जान से मार दिए गए।

श्री ए. के. सेन : महोदय, इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता विश्व विद्यालय के भूतपूर्व कुलपति, वर्दवान विश्व विद्यालय के भूतपूर्व कुलपति, राष्ट्रीय प्रोफेसर लोग, प्रसिद्ध लेखक, तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके विरोध में सैकड़ों बुद्धिजीवियों का नेतृत्व करने के लिए गलियों मे उतर पड़े हैं······(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : वे कौन से राष्ट्रीय प्रोफेसर का उल्लेख कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश और भूतपूर्व राष्ट्रीय प्रोफेसर डा० निहार रंजन राय को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रो० सेन को गिरफ्तार कर लिया गया···(व्यवधान) शास्त्री जी नोट कीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : हाँ, नोट कर रहे हैं।

श्री ए. के. सेन : अखिल भारतीय प्रसिद्धि के प्रतिष्ठित प्रोफेसरों और लेखकों को गिरफ्तार किया गया। परन्तु उनमें उन्हें लम्बे समय तक बन्दी बनाए रखने का साहस नहीं है क्योंकि समस्त पश्चिम बंगाल उनके विरूद्ध उठ खड़ा होगा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे केवल एक मिनट का समय दीजिए।

श्री ए. के. सेन : महोदय मैं हार नहीं मान रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह हार नहीं मान रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री ए. के. सेन : समस्त राज्य की संस्कृति और शिक्षा के विनाश के नाटक को और सारे राष्ट्र को अपनी शिक्षा देने को हाथ बाँधें नहीं देखते रहेंगे। पाठ्य पुस्तकें अपने अनुकूल बनाई जा रही है, अध्यापकों को अपने अनुसार ढाला जा रहा है और शिक्षा पद्धति को पार्टी के उद्देश्यों के अनुकूल ढाला जा रहा है। यह तो बहुत ही खतरनाक बात है। (व्यवधान) हमें इसके विरोध में अपनी आवाज अवश्य उठानी चाहिए और इस सभा और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। सारे राज्य को शिक्षा देने की यह पागलपूर्ण परियोजना रोक दी जानी चाहिए और शिक्षा को फिर से सुचारू रूप से आरंभ किया जाना चाहिये। भारतीय संस्कृति को कभी भी इस तरह से बर्बाद नहीं किया गया है··· (व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : पश्चिम बंगाल में भारती संस्कृति नहीं है··· (व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : यह संस्कृति मिश्र, यूनान और रोम की संस्कृति नहीं है जिसे जमीन के भीतर से खोदना पड़ रहा है, बल्कि यह जीवन्त संस्कृति है जिसका निर्माण कई सदियों के इतिहास से हुआ है और अंग्रेज भी इसे मिटा नहीं सके। ऐसा कभी भी नहीं होने दिया जायेगा। हम यहाँ मौजूद हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हम सब वहाँ जायेंगे और देखेंगे कि ऐसा न होने दिया जाये · (व्यवधान)

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार जो बंगला भाषा में शिक्षा का लाना चाहती है, उसका विरोध कांग्रेस (आई) कर रही है लेकिन मैं यह कहूँगा कि सही रूप में केवल पश्चिम बंगाल सरकार ही संविधान का पालन कर रही है। रीजनल भाषा को और अपने देश की देशी भाषा को पश्चिम बंगाल सरकार मान्यता दे रही है और वह जो देसी भाषा में शिक्षा-व्यवस्था लाना चाहती है, उसके लिए हमें उस सरकार को बधाई देनी चाहिए। ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। जब आपको अवसर दिया जायेगा तब आप बोलियेगा।

श्री ए. के. सेन : यदि इस परियोजना पर और आगे अनुवर्ती कार्यवाही की गई तो हम सब इस झगड़े में कूद पड़ेंगे और हमें इस पागलपूर्ण परियोजना के कुतर्कपूर्ण लक्ष्यों का निष्पादन होने को रोकना चाहिए ·· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनका व्यक्तिगत रूप से आदर करता हूं लेकिन आज उन्होंने किन्हीं अज्ञानी लोगों से सलाह ली है··· (व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : उन्होने··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी बोल चुके हैं··· आप दोनों एक ही दल के हैं। कृपया बैठ जाइये।

श्री ए. के. सेन : माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूँ कि मुझे किसी भी अज्ञानी व्यक्ति ने अनुदेश नहीं दिये हैं और श्री आनन्द मुखोपाध्याय की तो बात ही छोड़िये जिन पर स्वयं बंगाली होने के नाते या भारतीय होने के नाते बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, संसद का कोई भी सदस्य अज्ञानी नहीं है। यह समस्या केवल बंगाल की ही नहीं है बल्कि यह सारे देशकी और भारत के भविष्य की समस्या है और किसी भी दल को सारे राज्य की शिक्षा प्रणाली को छिन्न-भिन्न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिये, आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री ए. के. सेन : मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मामला है और मुझे कोई सन्देह नहीं है कि यह सभा और यह देश इसका ध्यान रखेंगे,

श्री अमृत पटेल (गांधी नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने से पहले मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे शान्त रहें ताकि मैं इस मामले पर गम्भीरता से बोल सकूं। ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल नहीं चाहते कि हम बोलें। शायद उन्हें बाहर बोलने का अवसर नही मिलता और यही कारण है कि वे इस सदन में अधिक से अधिक बोलना चाहते हैं।

महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को हमेशा सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख मानता हूं। हम राष्ट्रपति द्वारा की गई टिप्पणियों को हमेशा बहुत महत्व देते हैं चाहे वे इस वर्ष की गई हो या पिछले वर्ष।

दूसरी ओर के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हंसे हैं और उन्होंने उसका उपहास उड़ाया है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें भाग ही क्यों लिया है ? क्या वे राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं या उनका सम्मान कर रहे हैं ?

मैं राष्ट्रपति द्वारा गत वर्ष दिये गये अभिभाषण और इस वर्ष अभी-अभी दिये गये अभिभाषण की तुलना किये बगैर नहीं रह सकता। लोगों की स्समरण शक्ति बहुत कमजोर है। उस समय हमारे राष्ट्रपति सरकार की अस्थिरता के बारे में चिन्तित थे। अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार और देश' दोनों में स्थिरता है। इसीलिए विपक्षी सदस्य हमें तंग कर रहे हैं। यह एक राजनैतिक बात है जिसे इस सभा के सदस्यों ने महत्व नहीं दिया है।

केवल एक ही वर्ष पहले हम अफगानिस्तान और असम समस्या के कारण अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए चिन्तित थे और हमारे राष्ट्रपति को तीन वर्ष तक रातों को नींद नहीं आती थी। यही कारण था कि उन्होंने उस विशेष अवसर पर अस्थिरता का खुलेआम उल्लेख किया। राष्ट्रपति उस समय चिन्तित थे लेकिन अब उन्हें यह आश्वासन है कि एक वर्ष की अवधि में और आने वाले वर्षों में सभी प्रकार के भय और खतरे दूर हो जायेंगे। मैं आपको यह आश्वसन

देना हूं कि इस एक वर्ष में जो घटनायें हुई हैं वे जनता द्वारा हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी में व्यक्त किये गये विश्वास को बिल्कुल न्यायोचित ठहराती हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। चूंकि हम विश्वास और कर्त्तव्यों के बारे में बातें करते हैं इसलिए विपक्ष के नेता हमें बिल्कुल काम नहीं करने देते हैं।··· (व्यवधान) यदि हमने अपने दायित्व को इसी प्रकार पूरा करना है तो फिर ईश्वर ही मालिक है। (व्यवधान)

क्या हमें याद है कि केवल कुछ ही वर्ष पहले हमें 'खिचड़ी सरकार' जैसे शब्द सुनने को मिलते थे ? अब हम अचानक इस बात को भूल गये हैं। राष्ट्र के प्रति हमारे बहुत से कर्त्तव्य हैं। हमें निश्चित रूप से यह मालूम है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे अपने घोषणा पत्र हैं। हमारे मार्गदर्शी सिद्धन्त उसमें दिये हुए हैं और इसलिए हम इन महापुरुषों से कुछ नहीं चाहते। 'खिचड़ी' शब्द पहले ही उनके लिए स्थापित हो चुका है, हमारे लिए नहीं।

अब मैं अपने महान वक्ता, अदाकार अतिभावुक अभिनेता एक* और नायक श्री जार्ज फर्नान्डीस के बारे में कुछ दिलचस्प विशेषतायें बताऊंगा ···

श्री बापूसाहेब परुलेकर : क्या···* संसदीय शब्द है ? व्यवस्था का प्रश्न··· शब्द के बारे में है··· (व्यवधान)

श्री अमृत पटेल : यदि कोई खलनायकीय··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी के भी बारे में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है।

श्री अमृत पटेल : उन्होंने यह शब्द संदर्भ के बाहर से लिया है। (व्यवधान)

श्री बापूसाहेब परुलेकर : उन्होंने जार्ज फर्नान्डीस को (व्यवधान) एक * कहा है (व्यवधान) हम इस बारे में अध्यक्ष पीठ के आदेश चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा।

श्री बापूसाहेब परुलेकर : मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। मैं आपका मार्ग निर्देशन चाहता हूँ। मैं इन सबको ··· * कह सकता हूँ जबकि वे सब वास्तव में यही हैं। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वह अशिष्ट है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि हर व्यक्ति··· * है। क्या मुझे ऐसा कहने की अनुमति है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप अपनी पुस्तकों को देखकर हमें बताइये। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या हम उनमें से कुछ के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें * कहना··· * का अपमान करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह देखने के लिए कि किस संदर्भ में मेरे मित्र ने उस शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा। यदि मेरे विचार में वह अशिष्ट होगा— क्योंकि मुझे संदर्भ भी देखना पड़ेगा—तो मैं उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

श्री अमृत पटेल : उस विषय में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जब तक मैं यह न कह सकूं कि··· * नायक हैं मैं अपने शब्द पर दृढ़ हूँ। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस को··· * नायक कहता हूँ। कुछ वर्ष पहले वह इसी सरकार के लिए नायक थे और आज चाहे वह··· * दिखाई दें। (व्यवधान) इसलिए बिना संदर्भ के व्याख्या उचित नहीं होगी। (व्यवधान) मैं उनके उस

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अभिनयपूर्ण दृष्टिकोण के बारे में भी बोलना चाहता था जब वह संख्याओं और आँकड़ों के जरिये यह जताना चाहते थे वह अर्थ शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वह कबसे अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के विशेषज्ञ बन गये हैं। हम जानते हैं कि आज वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन हम उन्हें बम्बई बंद के विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं, हम उन्हें महाराष्ट्र बंद के विशेषज्ञ भय प्रसारक और अराजकतावादी के रूप में भी जानते हैं और यदि मुझे अनुमति दी जाये तो मैं आतंकवादी शब्द भी इस्तेमाल करूंगा। यदि इस प्रकार का व्यक्ति लोकतांत्रिक सांख्यिकी की बात करें और इस सभा को पुस्तकें दिखाये आदि-आदि तो यह और कुछ नहीं बल्कि तथ्यों और आँकडों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना है। वह महान * नायक बम्बई और महाराष्ट्र को छोड़कर दिल्ली में आ गये हैं। बम्बई में हँसी-मजाक में यह कहा जाता है कि श्री जार्ज फर्नान्डीस का बम्बई से जाना बम्बई के लिए तो लाभदायक रहा लेकिन दिल्ली के लिए हानि और सिरदर्द का कारण बन गया है। (व्यवधान) जब हमने इस सिरदर्द और बम्बई को मिले छुटकारे की बात की थी तो मेरा आशय केवल जार्ज फर्नान्डीस से ही नहीं था बल्कि विपक्ष में ऐसे कई माननीय सदस्य हैं जो देश की समस्याओं के प्रति लगातार गैरजिम्मेदारी दिखाते रहते हैं। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं केवल विषय पर ही बोलना पसंद करूंगा। लेकिन चूंकि मंत्री महोदय वक्तव्य देने वाले हैं, इसलिए मैं विपक्षी सदस्यों की इच्छा इस समय नहीं पूरी करूंगा। हम यह भी जानते हैं कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। हम उनपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम चुप हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण गंभीर है। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह कहीं भी फैल सकता है। यह हमारे देश को और यहां तक कि संविधान के मूल तत्व को भी और हर चीज को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए उन्हें हरिजनों और गैर हरिजनों की समस्याओं से हलके-फुलके ढंग से निपटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जब वे यह कहते हैं कि अहमदाबाद जल रहा है, तो वे यहाँ क्या कर रहे हैं? वे चाहते हैं कि मंत्री वक्तव्य दें। वे यहां भ्रान्ति और अव्यवस्था उत्पन्न करना चाहते हैं ताकि यह अहमदाबाद में भी और अधिक फैल जाये। देश के प्रति अपना दायित्व अनुभव करने का क्या यही तरीका है? क्या आप जो प्रतिक्रिया यहाँ व्यक्त करते हैं, वह उचित है? (व्यवधान)

सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों को मेरे इस ओर के साथियो ने कई बार दोहराया है। औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में उपलब्धियाँ, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उपलब्धियाँ और बहुत सी अन्य उपलब्धियाँ। उन्हें उनसे प्रसन्नता नहीं हुई है। वे उन्हें पसन्द नहीं करते क्योंकि वे यहाँ हमारे कार्य में व्यवधान डालने के लिए आते हैं। मैं विपक्ष का अधिकार मानता हूँ। हम इससे इन्कार नहीं करते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप हर छोटी से छोटी बात पर बोलें। सभा के इस ओर के सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं। हमें बहुत सी बातें कहनी हैं और अपना योगदान देना है और फिर भी वे सोचते हैं कि केवल वही लोग बोल सकते हैं। उस बात से मुझे एक अंग्रेजी नाटक की याद आती है। मैं उस अंग्रेजी नाटक **'छः चरित्र एक नाटक की खोज में'** को उद्धृत करना चाहूँगा।

मैं शब्दों को दोहराता हूँ। "सिक्स कैरेक्टर्ज इन सर्च आफ ए रैली" छः चरित्र एक नाटक की तलाश में सामान्तया एक नाटक में चरित्र होते हैं परन्तु यहाँ चरित्र ही एक विषय वस्तु की

* अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

तलाश में हैं प्रायः कुछ वैसी ही बात इस सभा के विरोधी पक्ष के नेताओं पर लागू होती हैं। अनेक नेता हैं और सभी इस सभा में बैठे हैं जिनको आम जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है जिनके अनुयायी नहीं हैं। (व्यवधान) ये लोग जनता की तलाश में हैं (व्यवधान)

यह वास्तव में ही बड़ा दयनीय मामला है। बम्बई में केवल कुछ समय पूर्व ही बान्द्रा में उन्होंने दल का एक छद्म सम्मेलन किया था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या यह शब्द संसदीय है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा।

श्री अमृत पटेल : मेरा सुझाव...(व्यवधान)। इन नेताओं का कोई भी अनुयायी नहीं है बिना किसी श्रोता के ही वे कुछ पैदा करना चाहते हैं। वे कहाँ जायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कैसे कहते हैं ? कम से कम उनके दो से तीन लाख तक मतदाता ही होंगे। ये उनके अनुयायी हैं। (व्यवधान)

श्री अमृत पटेल : वे छोटे नेता हैं। (व्यवधान)। बम्बई में श्री बहुगुणा जी इस सभा के सदस्य नहीं हैं, एक बड़े क्षेत्र में खड़े हुए थे. और वह सब लोगों को आने के लिए बुला रहे थे क्योंकि वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समाजवादी दल नाम के एक दल का उद्घाटन करने जा रहे थे 'लोकतन्त्र' और 'समाजवाद' शब्दो का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम जानते ही न हों। अब लोकदल के समर्थक तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी वैसी ही भाषा में बात कर रहे हैं। गांधीजी के नाम का भी उल्लेख किया गया था। वे सदैव वही बात कहते हैं। श्री बहुगुणा लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में बात करते हैं ये शब्द स्वत: भ्रान्ति पैदा कर देते हैं। श्री बहुगुणा का कोई प्रतिनिधि संसद में नहीं है। अन्यथा वह भी अपने बोलने के अधिकार का दावा करेंगे। इसके अतिरिक्त बोलने के समय को भी कम कर दिया गया है। अनेक वक्ता हैं जो बोलना चाहते हैं। वे काफी समय लेते हैं। और वे बोलते समय लोकतांत्रिक शासन और समाजवाद के बारे में बोलते हैं उन्हें कुछ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैं इस बारे में विस्तार से बात कर रहा हूँ। एक वर्ष के दौरान की गयी प्रगति हमारे सामने है। मैं एक दिलचस्प बात भूल गया। श्री जार्ज फर्नान्डीस हमारे दल की हाल में हुई किसान रैली में श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए लाखों करोड़ों किसानों के स्नेह प्यार तथा मुस्कानों को देखने की बजाए उसकी लागत गिना रहे थे। उन्हें रैली पर आई लागत की चिन्ता थी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु वह झुक नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : कृपया हमें छः चरित्रों के बारे में सही तथ्य बताइए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरी बात सही है अथवा वह सही बात कह रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने ठीक उद्धरण दिया है। कृपया सही शीर्षक बताइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ आप दोनों प्रोफेसर हैं। उन्हें सही बातें बतानी चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुझे नहीं मालूम कि क्या उन्हें सही सूचना मिली है। आपको इन छः चरित्रों से क्या करना है ? क्या छः चरित्र एक लेखक की तलाश में हैं अथवा वे एक विषय वस्तु की तलाश में हैं। मैं सही तथ्य प्राप्त करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सुलझाना आपका काम है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये।

श्री अमृत पटेल : यदि प्रोफेसर को नाटक तथा अन्य चरित्रों के बारे में अधिक कारण जानना चाहते हैं, तो मैं निश्चित ही उन्हें इस बारे में बताऊँगा, क्योंकि पहली बार से जबकि उन्होंने यह सीखना शुरू किया है कि ऐसे चरित्र भी होते हैं जिनका कोई नाटक न हो। अतः वे अनुभव कर रहे हैं कि वे बिना अनुयायियों के नेता हैं और वे किसी भी प्रकार का योगदान नहीं कर सकते। (व्यवधान)। मैं समझता हूँ कि मैंने अपने मानसिक मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस एवं विरोधी पक्ष के मित्रों के विरुद्ध काफी कुछ कह दिया है। मैं नहीं जानता कि क्या वे विरोधी नेता वास्तव में मित्र हैं अथवा वे केवल सुविधा के मित्र हैं। कभी-कभी तो ऐसा दिखाई देता है कि वे एक बात पर संयुक्त रूप से चर्चा करने के लिए आये हैं, किन्तु मैं हमेशा यह महसूस करता हूं कि वे विभिन्न चरित्र हैं और केवल सुविधा हेतु वे यहाँ आते हैं और गड़बड़ी करते हैं।

अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में...

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 18 मिनट ले लिये हैं।

श्री अमृत पटेल : 13 मिनट उन्होंने ले लिए हैं और मैंने केवल 5 मिनट ही लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के कई वक्ताओं ने बोलना है। आपको संक्षेप में कहना होगा।

श्री अमृत पटेल : श्री चक्रवर्ती कल 46 मिनट बोले थे और पुनः उन्होंने आज आधे घंटा बोलने के लिए ले लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रत्येक दल के लिए एक निश्चित समय आवंटित किया जाता है। आपके दल को भी कुछ समय आवंटित किया गया है। उस समय को आपके दल के वक्ताओं में बांट दिया जाता है। आपके दल के समय को अन्य कोई भी नहीं ले सकता और आप उनके दल का समय नहीं ले सकते।

श्री अमृत पटेल : किन्तु उन्होंने मेरा समय छीन लिया है।

मैंने अपना भाषण राष्ट्रपति के अधिकारों, राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों तथा उनके कथनों के बारे में एक बहुत ही संयत रूप से आरम्भ किया था। किन्तु उस समय पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, वे इसे उपेक्षा से लेते हैं। वे इसका मजाक बना देते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमें इस प्रकार बोलना है। हम संविधान को जानते हैं और समझते हैं। यह प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार होता है। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि यह केवल हमारी अपनी ही राय है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति वर्ष भर में हुई राष्ट्र की प्रगति के विवरणों का अध्ययन करते हैं, तब वह हमारे समक्ष आते हैं, और कहते हैं और निर्देश देते हैं। अतः मैं पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने गत वर्ष के दौरान घटित और आगामी वर्ष में हमारे समक्ष आने वाली बातों के सम्बन्ध में सही रूप से कहा है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। परन्तु मुझे खेद है कि इस प्रस्ताव को पेश करने वाला एव प्रस्ताव का अनुमोदक दोनों

हीं सभा में उपस्थित नहीं हैं। इस सभा में यह परम्परा रही हैं कि किसी प्रस्ताव को पेश करने वाला व्यक्ति, अथवा प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाला व्यक्ति शुरू से अन्त तक सभा में उपस्थित रहना चाहिये, क्योंकि अन्त में उसे ही उत्तर देना होता है। मुझे मालूम नहीं कि वह किस आधार पर उत्तर देंगे। तथापि मैं यह महसूस करता हूँ कि उनके दल में ही काफी हद तक निरुत्साह व्याप्त है और उनमें से अनेक सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण से अधिक प्रभावित नहीं हैं। अत: आप यह भी देख सकते हैं कि उस पक्ष के भाषणों में वस्तुत: कुछ दोहराया गया है जो वे अन्यत्र सभाओं या बैठकों में प्रचार हेतु कहते रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में वास्तव में स्थिति का जायजा लिया जाना होता है मैं यह बात ईमानदारी से कहत रहा हूँ। हम दलगत भावना स ऊपर उठने को तैयार हैं बशर्ते कि अभिभाषण भी एक वास्तविक लेखा जोखा हो यदि अभिभाषण देश में घटित होने वाली घटनाओं तथा सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यकालपों का सही विवरण हो तो हम भी उसी तरह उसको लेंगे। यदि यह एक प्रकार का साधन मात्र ही हो, तो हम भी बतायेंगे कि किस प्रकार से यह प्रचार है और किस सीमा तक गलत है।

मैं तथ्य बताने वाले भाग के बारे में बहुत अधिक नहीं कहना चाहता। किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि श्री गाडगिल का भाषण बड़ा निराशाजनक था क्योंकि यह उनके चुनाव भाषणों में किये जाने वाली प्रचार सामग्री को दोहराने मात्र का कार्य था।

विस्तार से आँकड़े देना मेरे लिए गलत होगा। काफी मात्रा में आँकड़े पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं। किन्तु निम्नलिखित आंकड़े अकाट्य हैं।

15 प्रतिशत की दर से मुद्रास्फीति हुई है। सरकार गत वर्ष, जोकि एक सूखे वाला वर्ष था से इसकी तुलना करके संतुष्टि प्राप्त करती है। वह कहती हैं कि गत वर्ष यह 22 प्रतिशत थी और अब इस वष यह कम हो गई है। वह जनता शासन अर्थात 1977-78 और 1978-79 के साथ तुलना करने में क्यों शर्म महसूस करती है? यदि वह जनता सरकार द्वारा किये गए अच्छे कार्यों का श्रेय लेना चाहती है तो उन्हें हमारे द्वारा किये गए गलत कार्य का श्रेय भी लेना चाहिए। वह दोनों प्रकार से लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि अच्छा काम तो उन्होंने किया है और गलत कार्य हमारे द्वारा किया गया है। सबसे पहले, मुद्रास्फीति की दर विश्व में सबसे अधिक थी और गत 13 महीनों में किसी भी प्रकार की कम होने की सम्भावना नहीं रही है।

आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए आँकड़ें बताते हैं कि जनता सरकार जब हटी थी तो खाद्य भण्डार 230 लाख मीट्रिक टन था वह अब इस समय केवल 123 लाख मीट्रिक टन रह गया है। यह सरकार श्री चरणसिंह के नेतृत्व में बनी अन्तरिम सरकार की अवधि के दौरान के आँकड़े दे सकती है। किन्तु हमने उन्हें सत्तारूढ़ नहीं किया था उन्हें कांग्रेस सरकार के द्वारा ही सत्तारूढ़ किया गया था। वह ही इस सरकार के बनाने में सहायक थे। हमने प्रयत्न किया था कि यह सरकार न बने, किन्तु हम असफल रहे। वही लोग थे जिन्होंने इस निर्जीव सरकार को जन्म दिया था। जो कुछ इस सरकार ने किया उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। किन्तु वास्तविक तथ्य यह है कि जब वह सरकार भी हटी तो खाद्य भंडार 174 लाख मीट्रिक टन था। ये आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में दिये गए हैं। हमने विदेशी मुद्रा भंडार 5300 करोड़ रुपये छोड़ी थी। आज सरकार के पास 4900 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा है। व्यापार घट बढ़कर 4000 करोड़ रुपये हो गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : सोने के बारे में ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : सोने को ही लीजिए। जब हम सत्तारूढ़ हुए थे तो सोने का भन्डार 220 टन का था। और जब हम हटे थे तो इसका भन्डार 260 टन का था।

श्री गिरधारीलाल व्यास उन्होंने सोना बेचा था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात सभी जानते हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरे विचार से आपको कुछ अध्ययन करना चाहिए। महोदय, क्या मैं उनके अज्ञानता के मौलिक अधिकार को स्वीकार करूं अथवा उन्हें शिक्षित करने का अधिकार रखूं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1425 दिनाँक 20 जून, 1980 है। स्वर्ण भंडार के बारे में इसमें बताया गया है। जब जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई थी, तो यह 220 टन था और जब सत्ता से हटी तो यह 260 टन था। यदि सरकार इसका खण्डन करना चाहती है, तो उसे इसका स्रोत भी अवश्य बताना चाहिए। किन्तु वह आँकड़े प्रस्तुत नहीं करते और दुर्भाग्यवश हमें वही पुरानी बातें सुननी पड़ती हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वर्ण के मूल्यों के बारे में इतना अधिक हो—हल्ला मचाया था। जब सरकार सत्तारूढ़ हुई थी, तो इसका मूल्य 1400 रुपये प्रति ग्राम था। अब 13 महीने के भीतर यह बढ़कर 1700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। आप इसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? सरकार कहती है कि इसके लिए विदेशी जिम्मेदार हैं। जब हम सत्ता में थे तो इसके लिए हम जिम्मेदार थे। जब वर्तमान सरकार सत्ता में है तो ठीक है इस के लिए विदेशी जिम्मेदार हैं।

इसी प्रकार राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य वस्तुओं के उत्पादन में सुधार हुआ है। मैं आर्थिक सर्वेक्षण में से पढ़ूंगा और उद्धृत करूंगा। मैं आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ 18 में से पढ़ूंगा जोकि इस प्रकार है :—

> "अप्रैल-नवम्बर 1980-81 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकाँक 1979 की इसी अवधि के सूचकाँक की तुलना में लगभग 1.2 प्रतिशत बढ़ा है।"

और इसकी तुलना जनता सरकार से कार्य से की जाती है जहां कि इन दो वर्षों में विकास दर की औसत 7 प्रतिषत थी। 1.2 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन में सुधार कहाँ हुआ है ? बेचारे राष्ट्रपति ...

श्री गिरधारी लाल व्यास : जनता पार्टी के रूल में 0.1 परसेंट था। (व्यवधान)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अतः उन्हें इसका स्रोत बनाना चाहिए। इसी प्रकार उत्पादन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति कहते हैं, मुख्य वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मैं आँकड़ों में अधिक समय नहीं लेना चाहता, किन्तु दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति मैं इस भाव से राष्ट्रपति को दोष नहीं देना चाहता कि राष्ट्रपति आलोचना से ऊपर हैं किन्तु यह प्रारूप वह है जिसे मंडल द्वारा तैयार किया गया है और मैं यह खेद के साथ कह रहा हूँ कि मंत्री मण्डल की जानकारी की यह स्थिति है। ये आंकड़े औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों में से लिये गये हैं और इसे वाणिज्य अनुसंधान ब्यूरो के **"मंथली रिव्यू आफ इण्डियन एकानमी"** के जनवरी 1981 के अंक में

उद्धृत किया गया है। इसमें बताया गया है, "वर्ष 1980 में खनन और खान के सम्बन्ध में उत्पादन 3.9 प्रतिशत कम हो गया है इस्पात का उत्पादन कम हुआ है, चीनी का उत्पादन कम हुआ है सीमेंट का उत्पादन कम हो गया है, कच्चे लोहे का उत्पादन कम हो गया है। वनस्पति का उत्पादन 27 3 कम हो गया है। एल्युमीनियम का उत्पादन कम हो गया है। ये सभी नकारात्मक आँकड़े हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : 79 से बढ़ा है 80 में।

डा. सुब्राह्मण्यम स्वामी : जो कुछ मैंने यहां कहा है, मैं उस पर दृढ़ हूँ। ये 1980 के उत्पादन के आंकड़े हैं जो 1979 की तुलना मे कहीं नही ठहरते हैं। मेरी चुनौती है कि इनको कोई गलत नहीं कर सकता। ये सही आंकड़े हैं। अतः मैं कहूंगा कि अर्थ व्यवस्था के मामले में असफलता रही है। उन्हें स्पष्टतः कहना चाहिए कि वे असफल रहे हैं। यदि विपक्ष को सुझाव देने के लिए कहा जाये तो हम अपने सुझाव देने के लिए तैयार हैं मैं कहूँगा कि यदि आप चीनी के मूल्य कम करना चाहते हैं तो चीनी के ऊपर से नियंत्रण हटा लें। यदि आप खाद्य तेलों के दाम कम करना चाहते हैं तो खाद्य क्षेत्र तोड़ दें। हमारे पास कई समाधान हैं। जनता सरकार ने काम करके आपको दिखाया है कि मूल्य कैसे कम किये जाते हैं। आप जनता पार्टी की नीतियों का पालन करें तो परिणाम आपके सामने आ जायेगा। आप आर्थिक चमत्कार पैदा कर सकेंगे। अर्थ व्यवस्था की यही स्थिति है।

कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है ? कानून और व्यवस्था के बारे में अधिक नहीं कहा गया है। लेकिन जो कुछ हमने सुना है, उससे हमें बहुत दुख हुआ है। हमें* उनके बारे में यह सुनने का भी खेद है कि वह उच्चतम न्यायालय से जमानत पर है और जमानत की शर्त के अनुसार वह उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना बिहार को अथवा देश को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते*। की स्थिति यह है। उनकी एकदूसरे व्यक्ति से सांठ-गाँठ है जो उनके एक प्रमुख व्यक्ति हैं और जिनके ऊपर पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं 1 को गिरवी में रखकर एक बैंक से लने ऋण का अभियोग है। (व्यवधान)। उनके दल में कुछ और भी लोग हैं*। आप चाहें तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूं। मैं केवल बैंक ही नहीं कह रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री. जी. नरसिंहा रेड्डी (आदिलाबाद) : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या डा. स्वामी के बैंक ने प्लेटफार्म न 1 के ऋण के लिये जमानत के रूप में स्वीकार किया है ? वह कौन सा बैंक है ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप बिहार में किसी से भी पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें श्री रेड्डी के प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

डा. सुब्राह्मण्यम स्वामी : यह समाचार पत्रों में छपा था। यदि वह जानना चाहें, तो हम इन्हें पूरे विवरण दे सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह कुछ अधिक तथ्य जानना चाहते हैं तो वह इनके चैम्बर में जायें।

डा. सुब्राह्मण्यम स्वामी : अथवा स्थानीय पुलिस थाना में।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इनके पास प्लेटफार्म नं. 1 के ऋण के लिए गिरवी रखने वाले ऐसे साधन सम्पन्न व्यक्ति ही नही हैं बल्कि ऐसे भी हैं जो······

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। डा. सुब्राह्मण्यम स्वामी ने* के नाम लिया है। इन्हें आपको पहले नोटिस देना चाहिए था। वह इस सभा के सदस्य नहीं हैं और अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। इन्होंने आपको नोटिस दिया है कि वह इन नामों के सामने रखें। आप कार्यवाही वृत्तांत देखें। यह नियमों के विरुद्ध है और इन्हें*का नाम नहीं लेना चाहिए था (व्यवधान)

डा. सुब्राह्मण्यम स्वामी : यदि मैं कोई आरोप लगाता तो इनकी बात ठीक थी। मैं आपको केवल इतना बता रहा था कि श्री केदार पांडे द्वारा जब वह मुख्य मन्त्री थे, चलाये गए एक मामले में वह उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी जमानत पर हैं (व्यवधान) ···गफूर।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा कि क्या इसमें कुछ है।

श्री रामावतार शास्त्री : श्री अब्दुल गफूर कांग्रेस पार्टी के मुख्य मन्त्री थे। (व्यवधान)

श्री आर. एन. राकेश(चैल) : ये उच्चतम न्यायालय का निर्णय का ही उल्लेख कर रहे थे और कुछ नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : उच्चतम न्यायालय में एक मामले में वह जमानत पर हैं। मैं इसे देखूंगा।

डा. सुब्राह्मण्यम स्वामी : यदि कोई ऐसा मामला है तो आप इसे रिकार्ड से नहीं निकाल सकते। (व्यवधान) मैं आपको दे सकता हूं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : मैं श्री स्वामी से अनुरोध करूंगा कि जिन बातों के बारे में इन्हें पक्की जानकारी नहीं, और जिनके बारे में इन्हें 50 प्रतिशत ही सूचना दी गई है। उनका जिक्र न करें। * के बारे में इस महान सभा में बोलने से पहले इन्हें तथ्यों के बारे में 100 प्रतिशत जानकारी होनी चाहिये। इन्हें सावधान रहना चाहिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जब श्री ए. के सेन बोल रहे थे, उस समय आप चुप क्यों थे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि आप इनके बारे में बोल रहे थे, इसलिए आपको सूचित करना चाहिये था। (व्यवधान)

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : यह कोई तरीका नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह समाचार पत्रों में छपा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अखबार में जो कुछ छपा है वह गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। (व्यवधान)

श्री रसीद मशूद (सहारनपुर) : आप इन्हें किस नियम के अधीन रोक सकते है। वह तथ्य कह रहे हैं। वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में बोल रहे हैं। वह उस नियम का जिक्र नहीं कर रहे जिसके अधीन आपत्ति कर रहें हैं। (व्यवधान)

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : जो कुछ डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी कह रहे हैं, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत होनी चाहिए। (व्यवधान)

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री आर. एन. राकेश : यह किस नियम के अन्तर्गत उल्लंघन है ?

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : आप उपाध्यक्ष नहीं हैं।

डा. सुब्राह्मण्यम स्वामी : क्या मैं इन्हें उत्तर दे सकता हूँ ; यदि मैं कोई आरोप लगाता हूं तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं तथ्य कह रहा हूं। यदि वह तथ्यों को चुनौती देते हैं तो इन्हें आपको नोटिस देना ही पड़ेगा।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : यदि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाया जाता है जो इस सभा का सदस्य नहीं है और जो अपना बचाव करने के लिए उपस्थित नहीं, तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति ली जानी चाहिए। यह मेरी आपत्ति है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : गृह मंत्री इस बात से इनकार करें कि*उच्चतम न्यायालय से जमानत पर हैं ! यह ठीक रहेगा। इससे इनकार करें।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : आपके तर्क असंगत हैं। मेरा कहना यह है—(**व्यवधान**)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं इनकी इनकारी को मानने के लिए तैयार हूं। (**व्यवधान**) मैं इनके दल द्वारा विमान अपहरणकर्ताओं को जिनका पिछला वृत्त आपत्तिजनक है। टिकट देकर विधान सभाओं और संसद में लाने के प्रश्न पर नहीं जाना चाहता। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं समझता हूँ कि इस देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति उस समय तक ठीक नहीं हो सकती जब तक पुलिस यह समझती रहेगी कि अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है या वे स्वयं सत्तारूढ़ दल के राजनीतिज्ञ हैं। दुर्भाग्यवश, देश भर में कुछ ऐसी ही धारणा बनती जा रही हैं कि स्थिति ऐसी ही है। बागपत का मामला एक प्रमुख मामला है। वहां के स्टेशन हाउस आफिसर ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति मेरा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा संरक्षण दिल्ली स्थित संसद में है। और उसने अपने सरक्षक का नाम भी लिया था। उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। हर राज्य में ऐसी ही स्थिति है। अत: मैं कहूँगा कि कानून और व्यवस्था के प्रश्न पर केन्द्र को ही पूछना होगा। दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है

आसाम में भी वे समस्या को हल नहीं कर सके हैं। विपक्ष ने इन्हें उस समस्या को हल करने का एक अच्छा उपाय बताया है, अर्थात त्रिपक्षीय वार्ता करें। विपक्ष, सरकार और आसाम के आंदोलनकारी मिलकर बैठें और समस्या का समाधान निकालें। आसाम समस्या का हल निकल सकता है। हमारे दल के श्री मोरारजी देसाई ने इन्हें उपाय बताने की पेशकश की है ताकि कठिनाई पर काबू पाया जा सके। वे समझते हैं कि श्री मोरारजी देसाई इसमें मुख्य व्यक्ति बन जायेंगे। और इसलिए वे अब समाधान को टाल रहे हैं। वे विपक्ष के बारे में कैसे कह सकते हैं कि उनका रवैया सहयोग देने वाला नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : आपका समाधान क्या है ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमने आपको त्रिपक्षीय वार्ता करने को कहा है। हम आपके लिए इस प्रकार कोई फार्मूला नहीं बनाते। अध्याय के लिए गणित जैसा कोई फार्मूला नहीं है, यह कुछ ऐसी चीज है जहाँ हर व्यक्ति को स्वेच्छा से त्रिपक्षीय वार्ता द्वारा किसी निष्कर्ष पर

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

पहुँचना पड़ता है । सरकार आसाम के आन्दोलनकारियों को दोषी ठहराती है और आन्दोलनकारी सरकार को दोषी ठहराते हैं । हम वहाँ एक तीसरा पक्ष चाहते हैं ताकि सबके सामने वार्ता हो सके ।

गुट निपेक्ष संसद के बारे में, निदेश नीति के मामले में हम सरकार के एक वर्ष के कार्य को देख रहे हैं 7 जुलाई को सरकार ने कम्पूचिया, हेंग सेमरिन की सरकार को मान्यता दे दी । गुट निर्पेक्ष देशों ते इसका जोरदार विरोध किया जिसका प्रदर्शन गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भी हुआ । मैंने एक प्रश्न पूछा था कि भारत द्वारा हेंग सेमरिन सरकार को मान्यता दिये जाने के बाद कितनी सरकारों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान की है ताकि यह देखा जाये कि भारत का स्थान विश्व में कितना महत्वपूर्ण है । उन्होंने मुझे तुरन्त उत्तर नहीं दिये । उन्होंने कहा कि "सूचना एकत्र की जा रही है ।" मुझे खुशी है कि संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे अपने आश्वासन को पूरा करते हुए उत्तर दिया है कि "7 जुलाई' 1980 के बाद अर्थात जब से भारत सरकार ने हेंग सेमरिन सरकार को मान्यता दी है, किसी भी अन्य सरकार ने कम्पूचिया की सरकार को नहीं दी है । यहां भारत बिल्कुल ही अकेला पड़ गया है । अफगानिस्तान के मामले में, भारत के रवैये पर चर्चा हुई थी । मेरे पास भारत का मसविदा है । मसविर्द को परिवर्तित करना पड़ा । जब वे 180° अर्थात लेट कर जायें तो यह भारत का अपमान है । भारत ने मसविद में कहा था कि "गुट निर्पेक्ष देश तनाव को कम करने तथा शांतिपूर्ण उपायों द्वारा राजनैतिक समाधान कराने की आवश्यकता अनुभव करते हैं ।" भारत यही कहना चाहता था । लेकिन गुट निर्पेक्ष देशों ने एक जुट होकर इस मसविर्द को अस्वीकार कर दिया । उन्होंने इसे संशोधित नहीं किया । उन्होने इसे अस्वीकार किया और इसके बजाय कहा कि "गुट निर्पेक्ष देश अफगानीस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी और देश की आजादी, प्रमुखत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता के पूर्ण सम्मान के आधार पर राजनैतिक समाधान की तुरन्त माँग करते हैं ।" गुट निर्पेक्ष देशों ने इसी बात को स्वीकार किया था । उन्होंने उसी मसविद को पेश किया और पास किया । भारत फिर अकेला पड़ गया । मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होने किस क्षेत्र में प्रगति की है । यदि की है तो हमें बतायें ताकि मुझे खुशी हो ।

अब इनके सामने बहुत सी समस्यायें हैं । इतनी समस्यायें पैदा करने के लिये मैं इन्हें दोषी नहीं ठहराता । उन्हें समाधानों का पता लगाना चाहिये । यदि वे हमें समाधान बतायें तो हमें खुशी होगी । उनका कहना केवल यही है कि और लोग हमारे लिये समस्याये पैदा कर रहे हैं । माननीय सदस्य जी ए. के सेन ने भाषण दिया और उच्चतम न्यायालय चले गये मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है । लेकिन सच्ची बात तो यह है कि जब वह बोल रहे थे तो मेरे मन में एक बात यह आई कि क्या वे स्वयं ऐसा ही नहीं कर रहे हैं ? मैं उदाहरण दे सकता हूँ । भारतीय औद्योगिकी संस्थान दिल्ली, जो भारत सरकार का एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, में भी वे प्रायः वैसा ही कर रहे हैं जिसके लिए वे बंगाल के बारे में उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं । दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी ये ऐसा ही कर रहे हैं । वे ऐसा हर जगह कर रहे हैं इन्हें पृथक करके क्यों दिखाते हैं ? यदि वे ऐसा नहीं करते तो इन्हें नैतिक अधिकार होना चाहिये मैं प्रमाण देने को तैयार हूँ । मैं नाम देने को तैयार हूँ । लेकिन समय की कमी के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता ।

समस्या यह है कि आज देश भर में बड़ी उत्तजना है ।

महोदय, हम विपक्ष के लोगों ने जन-विद्रोह की कम्पन को अनुभव करना आरंभ कर दिया है। हर जगह विद्रोह, आक्रोश भड़क रहा है। किसान विद्रोह की राह पर है। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। सार्वजनिक-क्षेत्र के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों के छात्र भी सिर उठा रहे हैं, हम उसकी भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

हरिजनों की क्या स्थिति है ? आज हरिजन सरकार में सुरक्षित नहीं हैं गुजरात में क्या हो रहा है। कहां पर यह कोई हरिजन-विरोधी आन्दोलन नहीं चला रहा है। वह तो यहाँ के एक राज्य मन्त्री की वहाँ का मुख्य मन्त्री बनने की इच्छा है और वहाँ के मुख्य मन्त्री महोदय गद्दी छोड़ने को राजी नहीं हैं यह तो एक ही पार्टी के दो व्यक्तियों की लड़ाई है जिन्होंने अलग-अलग खेमे बना लिए हैं। इसीलिए यह सब कुछ हो रहा है। (**व्यवधान**)

गुजरात के लोग नौकरियों में आरक्षण का विरोध कैसे कर सकते हैं ? और वे विरोध कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आयुर्विज्ञान के छात्रों से हुई। परन्तु आज मैं आम आरक्षण विरोधी वातावरण वहाँ पाता हूँ।

ऐसी बात क्यों है इसे कौन हवा दे रहा है ? गुजरात में सरकारी नौकरियों में हरिजनों के लिए 6.84% आरक्षण हैं। 33 वर्ष के बाद भी कितने हरिजन प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं उनका केवल 1.48% है। तमिलनाडु में भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। उत्तर-प्रदेश में 21% नौकरियाँ हरिजनों के लिए आरक्षित हैं। परन्तु कितने हरिजन वहाँ प्रथम श्रेणी पदों पर हैं। इनका प्रतिशत केवल चार है। केवल 3.4% द्वितीय श्रेणी में हैं। तृतीय श्रेणी में केवल 8.4% हैं। केवल चतुर्थ श्रेणी में अर्थात सफाई कर्मचारियों और चपरासियों आदि में आरक्षण 16.4% है। यहाँ तक कि चतुर्थ श्रेणी में भी आरक्षण 21% नहीं है। हरिजनों द्वारा अनाधिकार-हिस्से का प्रश्न कहाँ उठता है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपने बताया कि क्लास I में 4 परसेन्ट हैं, क्लास 2 में 3.4 परसेन्ट, क्लास 3 में 8.4 और क्लास 4 में 16.4 परसेन्ट। फिर यह 21 परसेन्ट कहां से आ गया ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ये तो आपकी सरकार द्वारा ही दिए गये आंकड़े हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। 21 परसेन्ट अनिवार्य है।...(**व्यवधान**)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : हम समझे-समझाए हैं। आप पाकिस्तान हो आए हो। (**व्यवधान**)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या पाकिस्तान जाना अपराध है ?

मैं अपनी बात यह कहते हुये समाप्त करना चाहता हूँ कि जब सरकार यह कहती है "हमारे साथ सहयोग करो" तो आपके सामने आदर्श क्या होता है ? बंगाली लोग जब यह कहते हैं "आप बंगाल में क्या कर रहे हैं ?" तो वे ठीक ही कहते हैं। कश्मीर के लोग उत्तेजित हैं। उनका विपक्ष बड़ा है। जब जनता पार्टी सत्ता में थी और जब श्रीमती गाँधी विपक्ष में थी तो श्रीमती गाँधी क्या कहती थीं ? वह कहती थीं कि विरोध करना विपक्ष का कर्त्तव्य है। यदि सरकार प्रशासन चलाने के अयोग्य हैं तो उसे हट जाना चाहिए। यही उनका कहना था। अब उन्हें सहयोग चाहिए। (**व्यवधान**)

मुझे बताया गया है कि श्रीमती गाँधी के पास एक प्रतिकृति है जिसमें कहा गया है :

"बुराई मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो।" विपक्ष ने इसका अनुवाद इस प्रकार कर लिया है "अत्याचारों को मत देखो, घोटाले मत सुनो और सार्वजनिक रूप में शिकायतें मत करो।" वे इसी प्रकार का सहयोग हमसे चाहते हैं। जब देश गिरावट की ओर जा रहा हो तो हम इस प्रकार का सहयोग देने में असमर्थ हैं। हम तो यह बता देना चाहते हैं कि यह सरकार अक्षम है। हम विरोध करना चाहते हैं। यदि यह सरकार अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाती है तो हम इस सरकार का विरोध करना चाहते हैं।

वे विदेशों के बारे में बहुत बातें करते हैं। मुझे आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ 54 को देखना पड़ेगा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि विदेशी सहायता की राशि को तिगुना किया जायेगा। 1977-78 में जनता शासन के दौरान यह राशि 469 करोड़ रुपये थी। 1978-79 में यह 400 करोड़ रुपये रही। फिर 1980 में यह 4c3 करोड़ रुपये हो गयी : परन्तु गत वर्ष फिर यह 1459 करोड़ रुपये हो गयी है। इतना तो उनके केवल एक वर्ष के शासन में हुआ है। यह निर्भरता में वृद्धि है। अतः इसका क्या हल है ? मैंने श्री गाडगिल का भाषण सुना है और मैं इस बात के लिए उत्सुक था कि वह क्या हल निकालते हैं।

उन्होंने वेस्ट-मिनिस्टर मॉडल की बात की और बताया वहाँ वह हो रहा है और यहाँ यह हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं कि क्या वह यह चाहते हैं जो कुछ वहाँ हो रहा है वह यहाँ भी हो ? क्या हम उसके हक में हैं। वहाँ पर तो महारानी की सरकार है। क्या वह महारानी की सरकार यहाँ भी चाहते हैं ? क्या यही कुछ वह चाहते हैं ?

यदि वह 'राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार' कहना चाहते हैं तो उन्हें खुलकर कहना चाहिए कि किस तरह की राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार। अमरीका में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार है। क्या वे उसके हक में हैं। मुझे यह विश्वास नहीं है कि वे अमरीका की तरह राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर यहाँ के प्रधानमन्त्री का शक्तियों से राष्ट्रपति की शक्तियाँ कहीं कम है। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। श्री रीगन अभी-अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्या वे अपने मन्त्री स्वयं नियुक्त कर सकते हैं ? वे ऐसा नहीं कर सकते हैं ? वे उनका नाम तो बता सकते हैं लेकिन फिर उन्हें अपनी संसद के समक्ष जाना पड़ता है और उनसे जिरह की जाती है। वहाँ पर उनसे आयकर के भुगतान और उनके निजी जीवन के बारे में भी अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें कड़ी परीक्षा से हाकर गुजरना पड़ता है और केवल वे लोग ही जो उस परीक्षा को पास कर लेते हैं उन्हीं की पुष्टि की जाती है। क्या श्रीमती इन्दिरा गाँधी अपने मन्त्रियों की इस प्रकार की परीक्षा की अनुमति देंगी ? मेरे विचार से वे सभी अनुत्तीर्ण रहेंगे। हो सकता है भीष्मनारायण महोदय पास हो जाएं और यदि कुमारी कुमुदबेन जोशी आज मेरा भाषण आकाशवाणी से प्रसारित करा दें तो मैं उन्हें भी पास कर दूंगा। अतः उनमें से कितने ऐसी परीक्षा में पास हो सकेंगे ? अमरीका की राष्ट्रपति प्रणाली में बहुत से नियत्रण और सन्तुलन सिद्धान्त हैं। क्या यही वे चाहते हैं ?

मेरी आशंका है कि कहीं वे यूगाँडा के इदी अमीन जैसी राष्ट्रपति प्रणाली तो लागू नहीं करना चाहते हैं। इदी अमीन की युगाँडाई राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति ही नहीं होता अपितु वह सेनाओं का कमांडर भी होता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी

होता है और देश में अग्नि-शमन सेवा का चैयरमैन भी होता है। तो क्या वे उस प्रकार की राष्ट्रपति प्रणाली चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम राष्ट्रपति प्रणाली पर विचार-विमर्श नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बात तो आपको तब कहनी चाहिए थी जब श्री गाडगिल बोल रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो राष्ट्रपति प्रणाली पर विचार-विमर्श कर रहे थे इसलिए मैं यह कह रहा हूँ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी · गाडगिल जी भी तो राष्ट्रपति प्रणाली पर बोले थे। वे राष्ट्रपति प्रणाली पर ही चर्चा कर रहे थे (**व्यवधान**)

प्रो. मधु दण्डवते : जब गाडगिल जी वेस्टमिनिस्टर मॉडल की बात कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या ब्रिटेन की महारानी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल यह चाहता था कि डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी को यह पता होना चाहिए कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मुझे मुद्दों का उत्तर तो देना ही है। यह तो श्री गाडगिल जी का प्रस्ताव है। गाडगिल महोदय अनुपस्थित हैं और उनका अनुसमर्थन करने वाले अभी अभी आए हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है मुझे उसका उत्तर देने का अधिकार नहीं है ? श्री गाडगिल जी का भाषण तो बड़े जोर-शोर से आकाशवाणी से प्रसारित हुआ। मैं जानता हूँ कि मेरा भाषण प्रसारित नहीं हो पायेगा। परन्तु उनका भाषण तो हुआ। इसलिए मुझे उत्तर तो देना ही है अन्यथा लोग क्या सोचेंगे ? वे सोचेंगे कि हमने उसे स्वीकार कर लिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे कौन सी राष्ट्रपति प्रणाली चाहते हैं, इदी अमीन की या अमरीका की। (**व्यवधान**)

अतः मैं इन कारणों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि एक साल में आर्थिक क्षेत्र में निराशाजनक असफलता मिली है और उन्होंने कोई हल नहीं खोजा है और दूसरे यह कि इस देश की समस्याओं को हल करने के लिए उनकी इस सदन को विश्वास में लेने की कोई सच्ची इच्छा नहीं है। मेरे विचार से जितनी ही जल्दी यह सरकार गिरती है उतना ही देश का हित है।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिलचर) : उपाध्यक्ष महोदय, डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी की बात सुनने के बाद, मुझे उन पर दया आती है क्योंकि उन्हें अपने दल की अध्यक्षता से वंचित रखा गया है। उन्हें उपाध्यक्ष पद से भी दूर रखा गया है। दल के महासचिव पद से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा है. इसीलिए तो वे चिढ़े हुए हैं। उन्होंने बहुत ही असन्तुलित भाषण दिया है। उन्होंने अपनी कम्पनी के विरुद्ध आज के समाचार पत्रों में एक वक्तव्य दिया है। और उसके बाद उन्होंने यह भाषण दिया है।

मैं अपने प्रसारण मन्त्रालय से निवेदन करूंगा कि इससे पहले कि वे पाकिस्तान के दौरे पर यह देश छोड़ें उनका प्रचार किया जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि उन्हें दूरदर्शन पर

पर्याप्त प्रचार प्राप्त होगा, जैसा कि उन्होंने हमारी उप-मन्त्री महोदया श्रीमती कुमुद बेन जोशी से निवेदन किया है।

महोदय, विपक्ष के नेताओं ने और अन्य बहुत से लोगों ने वर्तमान सरकार के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है। उनकी शिकायत थी कि गत एक वर्ष में जबसे हमारी सरकार सत्ता में आई है, किसानों के लिए क्या किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ इस सरकार ने किया है वह सब आंकड़ों पर आधारित है जिन्हें सरकार ने प्रकाशित किया है। मैं आपको खरीदारी के बारे में बता रहा हूँ। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से गेहूं, धान, मोटे अनाजों, गन्ने, कपास सोयाबीन, सूरजमुखी के खरीद मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अनाज, कपास, आलू, प्याज आदि की समर्थन और खरीद कार्य में इस वर्ष वृद्धि हुई है। धान की खरीद पहले ही 4.6 लाख टन से ऊपर हो चुकी है। वर्ष 1980-81 में कुल कृषि उत्पादन, जिसका डा. स्वामी उल्लेख कर रहे थे, उर्वरकों, कीटनाशी पदार्थों बीजों की सप्लाई बनाए रखने को सिंचाई के विकास आदि के लिए उठाए गए अनेक कदमों के कारण, 1979-80 के उत्पादन से 18% अधिक हुआ। यह सब केवल किसानों की सहायता के लिए किया गया है। किसानों को सहायता पहुँचाने के लिए 52 लाख टन उर्वरक उत्पादों का आयात किया गया था, जो कि गत वर्ष की अपेक्षा 10 लाख टन अधिक था। 1979-80 में वितरित किए गये 14 लाख क्विन्टल अच्छे बीजों के मुकाबले 1980-81 में 25 लाख क्विन्टल बीज वितरित किए जा रहे हैं जो कि 80% वृद्धि है। 1980-81 में लगभग 24 लाख हेक्टेयर या लगभग 60 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होने लगेगी। 1980-81 में 2 लाख कुएं खोदे गए, 2.4 लाख निजी ट्यूबवैल और 3600 सरकारी ट्यूबवैल बनाये गये और 4 लाख पम्प सैटों को बिजली पहुँचाई गई।

ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। इस सरकार ने बहुत से काम किए हैं। आप कहते रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। श्री जार्ज फर्नान्डीस कृषि की बात कर रहे थे। 1980-81 में प्रथम बार कृषि मूल्य आयोग से कहा गया कि मूल्य निर्धारित करते समय कृषिजन्य और गैर-कृषिजन्य क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्तों में आए परिवर्तन पर भी विचार करें। यहां तक कि कीमतें निर्धारित करने के बाद भी, सरकार ने कृषि मूल्य आयोग से कहा कि उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए मूल्य निर्धारण पर फिर से काम किया जाए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसानों ग्रामीणों के लिए यही तो किया है। मैं अन्य अनेक मुद्दों पर नहीं जाऊंगा। परन्तु मैं इतना बता देना चाहता हू माननीय सदस्यों के लिए आलोचना करना तो आसान है परन्तु जब वे उनके उद्धार के लिए इतने आतुर हैं तो यह समझना बहुत ही कठिन है कि सरकार ग्रामीण किसानों के लिए क्या कर रही है। भाषाई और धार्मिक तथा अन्य अल्पसंख्यक असम में खुश हैं। यह सब श्रीमती इंदिरा गांधी क योग्य नेतृत्व में हो रहा है। गत सत्र में श्रीमती प्रमिला दण्डवते ने श्रीमती तैमूर पर कटाक्ष किया था कि यह महिला जो कि असम की मुख्य मंत्री बनने जा रही है, दौरे के दौरान कलकत्ते में अपनी लड़की का विवाह रचा रही है। परन्तु इस महिला ने मुख्य-मन्त्री बनने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि यदि असम में कोई व्यक्ति अपनी लड़की या लड़के का विवाह सम्पन्न करना चाहता है तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। महिला द्वारा वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, कम्यूनिस्ट पार्टी मार्कसिस्ट ने असम में जो रुख अपनाया है, मैं उसे समझता हूं। लेकिन जहाँ तक जनता पार्टी और लोक दल का संबंध है···

उपाध्यक्ष महोदय : जरा रुकिये। आप अपनी बात बाद में जारी रख सकते हैं। माननीय गृह मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं। श्री वेंकटसुब्बैया आप गुजरात की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में वक्तव्य दे सकते हैं।

गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बैया) : महोदय, सरकार को गुजरात की हाल की घटनाओं पर बड़ी चिन्ता और दुख है। मैडिकल कालेज के छात्र आरक्षण के मामले पर झगडों में अंतरग्रस्त हैं जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा, आगजनी, लूटपाट, और सरकारी तथा निजी सम्पत्ति को हानि हुई है। इस कार्य में निर्दोष तथा मूल्यवान जानें गई हैं।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अहमदाबाद के बी. जे. मैडिकल कालेज के कुछ मैडिकल छात्रों ने 31 दिसम्बर, 1980 को मैडिकल संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण की प्रणाली के बारे में कुछ मांगें राज्य सरकार के समक्ष रखी थीं। छात्र नेताओं के साथ हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप राज्य सरकार उनकी उचित मांगों पर विचार करने और उनकी उचित मांगों को पूरा करने के लिए तैयार थी। सरकार ने यह बात स्पस्ट कर दी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाती के छात्रों के लिए आरक्षण के सिद्धान्त को समाप्त करने पर बात चीत नहीं की जा सकती क्योंकि यह समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनु० जाति तथा अनु० जनजाति के शिक्षा संबंधी हितों को आगे बढ़ाने की हमारी राष्ट्रीय नीति का एक भाग है और संविधान में की गई व्यवस्था का उद्देश्य है और जिसके प्रति यह सरकार भी पूरी तरह वचनबद्ध है।

जबकि कुछ मांगें राज्य सरकार के विचाराधीन थी, राजनैतिक दलों और असंतुष्ट वर्गों तथा समाज विरोधी तत्वों ने आरक्षण समाप्त करने के मामले में छात्रों की भावनाओं को भड़काया और इसके परिणामस्वरूप 5 जनवरी, 1981 को अहमदाबाद में हिंसक वारदातें हुई इसके बदले में आरक्षण समर्थकों द्वारा जवाबी आन्दोलन चलाया गया जिससे स्थिति और भड़क गई। यह गड़बड़ी बड़ौदा, महसाना और खेड़ा जैसे अन्य स्थानों में फैल गई जिससे अब तक 19 में से 18 जिले प्रभावित हुए हैं।

समस्या का समाधान करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों से विचार विमर्श आरंभ किया था और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये राज्य सरकार ने मैडिकल छात्रों द्वारा बाद में की गई अन्य मांगों जैसे आवासीय प्रणाली लागू करना. एम. एम. सी. (मैडिकल) कोर्स को समाप्त करना और विभिन्न मैडिकल कालेजों में छात्रावास सुविधाएं बढ़ाने पर विचार करने के लिए एक समिति स्थापित करने का भी निर्णय किया है। राज्य सरकार आन्दोलनकारी छात्रों को सद्भावपूर्ण समझौते के लिये राजी करने का भी सतत प्रयास कर रही है। अग्रणी नागरिकों, डाक्टरों, उच्च न्यायाधीशों और अन्य बुद्धिजीवी तत्वों ने भी छात्रों से आन्दोलन वापस लेने और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की है। दुर्भाग्यवश कुछ

स्वार्थी तत्व अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थिति का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। केन्द्र सरकार स्थिति से कारगर ढग से निपटने के लिए राज्य सरकार को सभी आवश्यक सहायता देती रही है।

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों और देश के विभिन्न मतों के व्यक्तियों से पुरजोर अपील करूंगा कि वे गुजरात में सामान्य स्थिति शीघ्र बहाल करने के लिये अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने में सरकार के हाथ मजबूत करें।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, इस पर डिस्कशन चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं मैं अनुमति नहीं देता।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) इस पर जरूर बहस होनी चाहिए। आप कैसे नो, नो कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबकी बात एक साथ कैसे सुन सकता हूँ। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक-एक करके बोलिए।

प्रो. मधु दन्डवते (राजापुर): मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि श्री बागड़ी और अन्य सदस्यों द्वारा सुझाव दिये जाने के बाद मैंने स्वय संसदीय कार्य मन्त्री से यह अनुरोध किया था कि वक्तव्य दिया जाये—आप रिकार्ड देख सकते हैं—और उस समय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि वक्तव्य दिये जाने के बाद—हाँ, श्री जार्ज फर्नान्डीस ने यह सुझाव अवश्य दिया था कि नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दी जाये। नियम 193 या 184 के अधीन यह किया जा सकता है—यह विषय अब भी अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है और अध्यक्ष महोदय ने चर्चा से इन्कार नहीं किया है। उन्होंने अभी इस पर निर्णय नहीं दिया है। इसलिए जैसाकि मेरे माननीय साथी श्री बागड़ी ने कहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए यह व्यवस्था मत दीजिए कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, चर्चा की मांग करना हमारा अधिकार है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

प्रो. मधु दण्डवते : मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय पहले ही यह स्वीकार कर चुके हैं कि हम नियम 193 या 184 के अधीन नोटिस दे सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : अभी जो मंत्रीं जी ने स्टेटमैंट दिया है, वह बिल्कुल गलत है और झगड़ा है होम मिनिस्टर और मुख्य मंत्री के बीच मे और उसमें मारा जा रहा है हरिजन और पिछड़ा हुआ। इसलिए हाउस इतसे संपुष्ट नहीं है। मैं आपसे माँग करूंगा, आग्रह करूंगा कि मन्त्री जी ने यह नहीं बताया कि कितनों की जान गई है, कितनी प्रापटी बरबाद हो गई है। इसलिए इस पर फुल-फ्लैज्ड डिस्कशन होना चाहिए और मुख्यमन्त्री को एक दम वहां के प्रशासन को डिस्मिस कीजिए, उन्हें हटाया जाये। जब तक आप कड़ाई से पेश नहीं आयेंगे, मैं यह कहूँगा कि यह आग, चिन्गारी जो चली है, यह सारे देश को जला देगी।

श्री आर. एन. राकेश (चैल) : आन्दोलनकारी जो मुख्य मन्त्री के समर्थक हैं, उनको मुख्य मन्त्री की ओर से चिट्ठियां भेजी जा रही हैं और चूड़ियाँ भेजी जा रही हैं कि आन्दोलन को चलाओ। अगर आन्दोलन तुम्हारे गांव में हो तो हरिजनों को खत्म कर दो, आन्दोलन

चलाओं। यह चूड़ियाँ भेजी जा रही हैं। यह क्षेत्र है जहाँ से लोग इकठ्ठे होकर आ रहे हैं। 40 लोग मारे गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये। आपको ब्यौरा मगांने का पूरा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय इस बारे में पहले ही यह कह चुके हैं कि वह इस पर वाद-विवाद या चर्चा की अनुमति दे देंगे। कार्य मन्त्रणा समिति इस पर विचार करेगी अध्यक्ष महोदय इस पर कार्यवाही करने और इसके लिए तारीख निश्चित करने के लिए सहमत हो गये हैं। उस समय आप भी सदन में उपस्थित थे। इसका निर्णय कार्य मन्त्रणा समिति करेगी।

श्री धनिकलाल मंडल (झंझारपुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाये।

मैं यह जानना चाहता हूँ मन्त्री जी से इन्होंने जो बयान दिया है, सदन के समक्ष वह, बिल्कुल अधूरा है और अपर्याप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम वक्तव्य के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता। मै नियम उद्धृत करता हूँ। आप स्वय गृह मन्त्री रह चुके हैं। नियम में यह लिखा है :

"सार्वजनिक महत्त्व के किसी मामले के सम्बन्ध में कोई मन्त्री अध्यक्ष की अनुमति से एक वक्तव्य दे सकता है लेकिन वक्तव्य देते समय उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

श्री धनिकलाल मण्डल : *

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने श्री वाजपेयी का नाम बोला है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मैं गृह मन्त्री से कोई स्पष्टीकरण नहीं माँग रहा हूँ। हम कुछ प्रारम्भिक चर्चा करना चाहेंगे लेकिन वह चर्चा शान्त वातावरण में होनी चाहिए। गुजरात की स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मामला बहुत नाजुक है। आरक्षण विरोधी आन्दोलन ने भयंकर रूप ले लिया है। संसद सदस्य के रूप में क्या हम जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय क्यों नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अन्यथा इसके खतरनाक परिणाम होंगे। मैं यही अनुभव कर रहा हूं। इस लिए क्या मैं सत्तावारी दल से एक अपील कर सकता हूँ ? मुख्य मन्त्री और राज्य मन्त्री अपने मतभेदों को पार्टी के भीतर ही निपटा लें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान) * *

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाता है। (व्यवधान)* *

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

श्री संतोष मोहनदेव (सिल्चर) : महोदय असम में हाल ही में सरकार का गठन हुआ है। यह केवल डेढ़ महीने पुरानी है और उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि जिससे भाषायी और धार्मिक अल्हसंख्यकों को इस सकार में विश्वास हो गया है। और अब वे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : *

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी श्री बागड़ी ने कहा है उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)*

श्री संतोष मोहनदेव : महोदय, दिल्ली में एक चर्चा रखने के लिए बात चीत चल रही है। मैं भारत सरकार और माननीय गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करलें कि यह बात-चीत ऐसे वातावरण में हो कि जिससे यहां कोई संकट उत्पन्न न हो। भारतीय जनता पार्टी, लोकदल आदि जैसे दल एक ओर तो असम में संकट उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी ओर वे इस मामले को दिल्ली में निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे बड़ी सावधानी से नोट किया जाना चाहिए। हमने असम में यह देखा है कि ये आन्दोलनकारी एक समय तो यह साबित करने क लिए कि वे अहिंसावादी हैं हमारे देश के एक महान नेता के चित्रों के साथ आन्दोलन कर रहे थे और यह तरीका उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने यह बताया था। हमने देखा कि उसी दल ने अपनी आमसभा में गांधी जी के आदर्शों का उल्लेख किया और उनके नाम का लाभ उठाया। उनके आदर्शों के नाम में भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रपिता के नाम का सहारा ले रहे हैं। इसलिए महोदय, यदि दिल्ली में कोई बात-चीत होनी हो तो मैं माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि विपक्ष और आन्दोलन कर्त्ताओं के साथ उस बात-चीत में ए. एम. एस. यू. और सी. आर. पी. सी जैसे भाषायी अल्पसंख्यक संगठनों को भी जिसमें शामिल किया जाये। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्ण और नियमित ढंग से उन परीक्षाओं के संचालन के लिए जो अगले महीने की 9 तारीक मे शुरू होने जा रेही हैं, सभी सम्भव कदम उठाये जाए। परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा में बैठने दिया जाये। पहले ही उनका एक वर्ष से भी अधिक समय बर्बाद हो चुका है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि वहाँ की सरकार निष्प्रभावी है। मैं केवल यही कहूँगा कि इस सरकार के साथ यही कठिनाई है कि उस सरकार में आवश्यकता से अधिक एस डी सीज. कार्य कर रहे हैं।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

मैंने पिछले ही सप्ताह अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक क्षेत्र का दौरा किया है और मैंने एक अधिकारी को विपक्ष के एक ऐसे भूतपूर्व विधायक से बातचीत करते और उनसे आदेश प्राप्त करते देखा जो चुनाव हार चुके हैं। उनसे बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन जब मैं उन्हें लोक हित में कुछ करने के लिए कहता हूँ तो वह कहते हैं, "मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक एस. डी. सी. हूं" उन्होंने बताया कि एस. डी. सी. का अर्थ है हारे हुए प्रत्याशी

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का नौकर। दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों की भी ऐसी स्थिति है : कुछ अफसर ऐसे हैं जो विपक्ष के लोगों के मार्ग निर्देशन पर चल रहे हैं और इस सरकार द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्य को समाप्त और बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम इन 'हारे हुए प्रत्याशियों के नौकरों' का ध्यान नहीं रखेंगे मुझे विश्वास है कि इस सरकार की प्रशासन में और भलाई के उन कामों को करने में, जो वे करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सी कठिनाइयां आयेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री बी बी देसाई (रायचूर) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री वी. एन. गाडगिल द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत किये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ने पर हम यह देखते हैं कि सरकार द्वारा गत तेरह महीनों में प्राप्त की गई सभी उपलब्धियों के लगभग सभी पहलुओं का उसमें उल्लेख किया गया है और इस ओर के मेरे साथियों ने यह साबित करने के लिए कि देश लगभग सभी चीजों के उत्पादन में प्रगति कर रहा है बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। वस्तुतः मुझे कुछ उन वस्तुओं की याद आ गयी थी जो जनता सरकार के शासन के दौरान नहीं मिलती थी। अब हम उनमें से बहुतों के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो गए हैं, उदाहरण के तौर पर खाद्यान्नों, औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में भी गत तेरह महीनों के दौरान वृद्धि हुई है। वस्तुतः हमारी सरकार तेल संकट के कारण पंगु हो गई है। तेल संकट तो पूरे विश्व में फैला हुआ है और हमारी अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः तेल के अभाव तथा तेल के ऊंचे मूल्यों के कारण बहुत कठिन स्थिति में है। हमें ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस संदर्भ में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि का राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। ये सभी ऊर्जा की ऐसी किस्में हैं जिन्हें बार-बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जिनके बारे में सरकार अनुसंधान करना चाहती है। इस संबंध में मैं यहां एक सुझाव देना चाहूँगा : बायो गैस ऊर्जा स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। वस्तुतः बायो-गैस ऊर्जा की ऐसी मद है, जिसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है और सरकार को इसकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

हमें पूरे देश का सर्वेक्षण करना चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि यहां कितने पशु हैं तथा हमें गोबर गैस (बायो गैस) को युद्ध स्तर पर लेना चाहिए जिससे हमारा ऊर्जा संकट कुछ सीमा तक हल हो सके। मनुष्य कच्चा भोजन नहीं खाता, उसे पकाना पड़ता है। अतः ऊर्जा का आधारभूत उपयोग खाना पकाने से शुरू होता है। हमें एक दस वर्षीय कार्यक्रम अपनाना चाहिए। हम देख सकते हैं कि पानी सम्भरण योजना आदि के नमूने के आधार पर सामूहिक गोबर-गैस (बायो गैस) प्लांट बनाए गये हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो गाँवों में ऊर्जा संकट किसी हद तक समाप्त हो जाएगा। यह एक दूसरे प्रकार से भी सहायक होगा। पेड़ों का अन्धा-धुन्ध कटाव भी रूकेगा और इससे वनों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

दूसरे, हाल में तेल के अनुसंधान के विषय में हमारी सरकार ने दृढ़ संकल्प किया है। वैचारिक निषेध को निकाल दिया गया है, और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाली 34

कम्पनियों की सूची तैयार की है और शायद हम पर्याप्त तेल खोजने में समर्थ हो सकेंगे। भूवैज्ञानिक आदि तकनीकी व्यक्तियों का कहना है कि दक्षिणी अफ्रीका और हमारे देश के पश्चिमी भागों अर्थात बम्बई हाई में मिलने वाला तेल रासायनिक गुणों के मामले में एक समान हैं। अतः यदि हमें उपयुक्त तेल मिलता है, यदि हम आगामी 4 या 5 वर्षों में आत्म निर्भर हो जाते हैं तो निश्चय ही हमारी अर्थ व्यवस्था संकट से उबर जाएगी। हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनमें से 75 प्रतिशत से अधिक कठिनाईयां तेल संकट के कारण उत्पन्न हुई हैं। आरम्भ से ही तेल अनुसंधान पर ध्यान न देकर हमने गलती की है। उस समय हम निश्चिन्त थे क्योंकि तब विदेशी बाजार में तेल की कीमतें बहुत कम थीं और हम काल्पनिक अर्थ-व्यवस्था के बारे में सोच रहे थे अर्थात सोच रहे थे कि तेल अनुसंधान आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है। वास्तव में ऐसे गम्भीर तथा महत्पूर्ण मामले में हमें केवल अर्थव्यवस्था पर ही विचार नहीं करना चाहिए था। अतः इसका सुधार किया गया है, तथा आज इस पर विचार करके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और 34 कम्पनियों की एक सूची तैयार की है जो शायद हमें तेल दिला सकेंगी।

इस संबंध में, विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा कही गई कुछ बातें हमारे लिए गम्भीर चिंता का विषय हैं। हमारी सरकार की उपलब्धियां विपक्ष द्वारा, विशेषकर हमारे मित्र श्री फर्नान्डीस द्वारा छोटी समझी जा रही हैं। निःसन्देह, सदा की तरह वे इसे सुनने के लिए यहाँ नहीं है क्योंकि उन्हें केवल कहने की आदत है, सुनने की नहीं। परन्तु, फिर भी, उनकी अनुपस्थिति में मैं यह कहूँगा कि मुझे······(व्यवधान) वह मेरे मित्र रहें हैं। दुर्भाग्य से, कर्नाटक से उनका कोइ सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने अपने सारांश में उल्लेख किया था कि सितम्बर में कृषि मूल्य आयोग ने गन्ने का मूल्य 13/- रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया था। कर्नाटक में जब किसान इसके विरुद्ध लड़े तो उन्हें गोली से उड़ा दिया गया था आदि। वास्तव में, न तो कर्नाटक में उनकी कोई जमीन है और न ही उन्होंने गन्ने की खेती की है। यह अच्छा ही है कि वह गन्ने की मूल्य निर्धारण नीति को समझने का प्रयास करते हैं।

कृषि मूल्य आयोग मूल्य निर्धारित करता है। यह एक मात्र न्यूनतम मूल्य है जो 8.5% चीनी की वसूली से सम्बन्ध किया गया है। और जब ऐसा किया गया तो यह सभी राज्यों की चीनी मिलों, राज्य सरकार तथा गन्ना उत्पादकों के लिए खुला है कि वे एक साथ बैठकर कोई मूल्य नीति तैयार करें क्योंकि विभिन्न चीनी मिलों की विभिन्न वसूली दरें हैं। इसके अतिरिक्त वसूली-आधार मान लो कि 13/- रुपये के लिए न्यूनतम दर 8.5% है तो यह 10% या 10.5% वसूली भी हो सकती है और मूल्य स्वभावतः बढ़ेंगे ही। उस क्षेत्र के गन्ना-उत्पादकों को अधिक धन मिलेगा।

इसी तरह, लेवी चीनी 65% है और खुले बाजार में बिक्री के लिए चीनी 35% है। अतः इससे कुछ लाभ भी है। गन्ना उत्पादकों के लिए 35% में से प्राप्त लाभ के एक भाग से चीनी मिल मालिक अलग रहेंगे। इस तरह मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। मूल्य आन्दोलन या इसी प्रकार की किसी अन्य कार्यवाही के आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

मैं श्री फर्नान्डीस को विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार की कृषि उत्पादकों, जिसमें

गन्ना उत्पादक सम्मिलन हैं के संबध में अपनाई जा रही नीति से आज कृषक वास्तव में प्रसन्न हैं। और वे सत्ताधारी दल के प्रति बहुत आभारी हैं।

वह बता रहे थे कि बंगलौर में पीनिया नामक एक जगह है, जहां मजदुरों को प्रतिदिन 1 रुपया दिया जाता है।

मुझे नहीं पता कि उन्हें ये बातें कहाँ से मालूम हुईं। मैं उसी क्षेत्र का निवासी हूँ। वह कभी-कभार जाते हैं। यदि वह असत्य बात ही कहना चाहते हैं तो वह बात कम से कम असत्य के आस-पास होनी चाहिए। सम्भवत: वे प्रति मजदुर से 1 रुपया प्रति सप्ताह या प्रतिदिन या प्रतिमाह एकत्र कर रहे हैं। उन्हें भ्रम हो गया है। कितना बड़ा भ्रम और वह भी दिन के समय? फिर उन्होने कहा, कर्नाटक में गोली चलाने से 50 व्यक्ति मर गये या कुछ ऐसी ही बात हुई। मुझे नहीं पता कि उन्हें ये आंकड़े कहाँ से मिले। **(व्यवधान)** उन्होंने कहा, 50 व्यक्तियों को गोली मार दी गई गोली कहाँ पर चली थी तथा वे लोग कौन थे, आदि? उनकी धारणा यह है कि यदि वह कुछ आंकड़े देते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। **(व्यवधान)** आँकड़ों के साथ वे जो कुछ भी महसूस करते हैं या कहते हैं हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, यही उनकी धारणा है। मुझे नहीं पता कि वह इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं? मैं यह बात आपको इस लिए बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने कर्नाटक के संबंध में कुछ बातें कही थीं।

जब वह उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने इस्पात और खान मंत्री के साथ मिल कर षड़यन्त्र किया और विजय नगर इस्पात संयंत्र का राजनीतिकरण कर दिया। उन्होंने कर्नाटक तथा दक्षिण भारत के लिए बहुत गलत काम किया। भगवान के लिए क्या वे हमें शान्ति से रहने देंगे? यह एक बड़ा देश है और उन्हें कर्नाटक के बजाए कहीं और जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस सम्बध में क्या किया जाए। वह एक न एक बात कहते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें न तो औद्योगिक ज्ञान है और न ही कृषि का ज्ञान है। मुझे नहीं पता कि उन्हें किस विषय का ज्ञान हैं। **(व्यवधान)** उन्हें इस प्रकार नहीं कहना चाहिए।

किसान रैली और अन्य बातों के संबंध में मेरा विचार था कि इस विशाल किसान रैली के बाद विपक्ष किसानों, उनके हितों तथा आन्दोलनों के विषय में कम-से-कम दो वर्ष तक बात करना बन्द कर देगा। अगले दिन वे फिर किसान के बारे में बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि उन्हें इसमें कोई रूचि है।

अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के पृष्ठ 5 के विषय पर आऊंगा इसके अनुसार वर्ष 1981 विकलांगों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष है आदि।" श्री फर्नान्डीस ने इसका इस प्रकार उपयोग किया कि मानो वह कांग्रेस (ई) के सभी सदस्यों तथा मंत्रिमंडल के मंत्रियों से कहना चाहते हों कि वे सब अन्धे हैं; उन्होंने अन्धे लोगों को पीटा, और वे ही बागपत गए थे और क्या नहीं कहा। इस प्रश्न पर उनका भाषण सुनने के बाद मैंने सोचा कि राष्ट्रपति को यह सलाह दे दी गई होगी कि इसमें मानसिक तौर पर अशकत लोगों को भी शामिल कर लिया जाय तो अच्छा होता। यदि ऐसा कर दिया जाता तो अच्छा होता।

इस देश के सामने दो महत्वपूर्ण समस्यायें हैं। विपक्षी सदस्य दिल-ही-दिल में महसूस करते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मात्र विरोध करने के लिए वे इसका विरोध

करते हैं। उन्हें ऐसा करने दें। परन्तु अभी दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना है। मेरा विचार है कि वे भी इससे सहमत होंगे। एक है जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। दूसरा, तेल अनुसंधान, जिससे हम तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं। यदि हम इन दो बातों पर ध्यान दें तो मेरा विचार है हमने बाधा पार कर लेंगे।

जहां तक तेल अनुसंधान का सम्बन्ध है, इस दिशा में जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारी सरकार उन विदेशी कम्पनियों, जिन्हे तेल अनुसंधान का अनुभव है, को आमन्त्रित करने के लिये दृढ़-संकल्प है और मेरा विचार है कि हम समस्या को सुलझा सकेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि समय-समय पर मुझे बार-बार याद दिलाया गया कि कुछ व्यक्तियों ने गलती से सही शब्द का प्रयोग किया, शायद गलत अर्थ में। उन्होंने 'गतिशील दशक' का प्रयोग किया। जी हाँ यह गतिशील था। इससे पहला दशक भी, जब हमारे देश की सत्ता जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में थी, गतिशील दशक था। उसी प्रकार इन दस से बारह महीनों के बाद यह दशक भी गतिशील दशक है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि यदि इन दो प्रश्नों अर्थात तेल अनुसंधान तथा तेल के मामले में आत्म-निर्भरता और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने में हम सफल रहते हैं तो मेरा विचार है कि निश्चय ही इस पृथ्वी पर कोई शक्ति हमें इस गतिशील दशक द्वारा महान शक्ति बनने से नहीं रोक सकती जो इस बार जनवरी के पश्चात् आरम्भ होता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

डा. कर्णसिंह (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषय-वस्तु पर अपना मत प्रकट करूँ, क्या मैं आपकी अनुमति से इसके रूप के विषय में कुछ कह सकता हूँ ? हमने अच्छी प्रणाली अपनाई है कि यदि राष्ट्रपति अंग्रेजी में अभिभाषण पढ़ते हैं तो उपराष्ट्रपति इसे हिन्दी में पढ़ते हैं तथा इसके विपरीत। एक ऐसी भी स्थिति आई कि ऐसा लगा कि उपराष्ट्रपति के लिए यह बहुत बड़ा भार हो तथा यह उनके लिए तथा संसद सदस्यों के लिए दुःखदायी प्रक्रिया थी क्यो हिन्दी रूपान्तर उनके लिए कठिन था। हिन्दी एक सुन्दर भाषा है।

आप जानते हैं कि हिन्दी को हम विश्व भाषा बनाना चाहते हैं और जब संसद में इस प्रकार की हिन्दी का प्रयोग होता है, जब संसद सदस्य भी होते हैं और विदेशों के प्रतिनिधि भी वहाँ होते हैं, तो उससे कुछ हिन्दी की शोभा नहीं बढ़ती है। मैं हिदायतुल्लाह साहब की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा इसमें कष्ट किया और कष्ट दिया लेकिन मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि यदि ऐसी परिस्थिति होती है किसी समय राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति के दोनों हिन्दी बोलने में असमर्थ हों तो क्यों नहीं स्पीकर महोदय से, जो वहाँ बैठे होते हैं, हिन्दी पढ़वा ली जाए यह एक सुझाव है जिसे मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी तक पहुँचा दिया जाए। इसमें कोई हिदायतुल्लाह साहब का विरोध नहीं है लेकिन एक मजा नहीं आता है जब हिन्दी जैसी सुन्दर भाषा इस प्रकार से तोड़-मरोड़ कर सामने आए, सब लोग हंस रहे हैं और एक दूसरे से गप्पे लगा रहे हैं। उससे शोभा और प्रतिष्ठा हमारी राष्ट्रभाषा की कम होती है।

सभापति महोदय : आपके मन में कुछ ऐसी चिन्ता है कि कैसी धारणा लेकर, विदेशों के मेहमान, जो आए होते हैं, जायेंगे।

डा. करणसिंह : यही मुझे लगा। मेरा यह सौभाग्य था कि मोरीशस में जो द्वितीय विश्व

हिन्दी सम्मेलन हुआ था, उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था और वहाँ पर हमने हिन्दी को विश्व भाषा बनाने के अनेक सुझाव दिये थे, जिनके ऊपर विचार हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ। अब आते हुए

(व्यवधान)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : यहाँ पर भी आप हिन्दी में बोलिए।

डा. करणसिंह : मैं तो द्विभाषी हूं और मेरी मातृभाषा डोगरी है।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आपने अध्यक्ष कहा न कि उपाध्यक्ष।

डा. करणसिंह : स्पीकर वहाँ पर होते हैं और एक ही मच पर तीनों होते हैं और अगर उनमें से कोई भी हिन्दी न बोल सके, तो यह एक अद्वितीय बात ही होगी। हमारे स्पीकर साहब तो हिन्दी बोलते हैं और डिप्टी स्पीकर साहब नहीं बोलते हैं।...(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : अगर फ्लोर आफ दि हाऊस पर डा. करण सिंह हिन्दी में बोलें तो अच्छा होगा।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : मुझे यह कहना है कि हिन्दी का जो उच्चारण है वह हर प्रांत में अलग-अलग होता है। अगर डाक्टर साहब सुनना चाहें तो मैं उनको बम्बई का एक किस्सा सुनाता हूँ इसलिए कि उन्होंने हिदायतुल्लाह साहब के बारे में यह कहा है कि उनको बड़ी तकलीफ हुई और दूसरे लोगों को भी तकलीफ हुई।

बम्बई में एक बस की इन्तजार में दो-तीन लोग खड़े थे। आपस में बात करते हुए एक ने दूसरे से कहा बस आती है। इस पर दूसरे ने पहले वाले से कहा—बस आता है। इस पर तीसरे साहब ने कहा कि भई आपस में क्यों झगड़ा करते हो, यह भइया आ रहा है, इससे पूछ लो। उस भइया से जो कि इधर यू. पी. का रहने वाला था, पूछा गया कि भाई कौन-सी बात सही है—बस आती है या बस आता है? इनमें से बस आती है यह सही है या बस आता है, यह सही है? इस पर भइया बोला—बस आवत है यह सही है।

इसलिए मैं डाक्टर साहब से कहता हूँ कि हमें हिन्दी के तीनों रूप एक्सेप्ट करने होंगे।

सभापति महोदय : जब आपको बोलने का अवसर मिले तब इसका वर्णन कीजिए, अभी तो मैंने डाक्टर साहब को बुलाया है।

डा० करणसिंह : मैं सुझाव देता हूँ कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के अन्त में कहा कि यह कहते हुए हर्ष होता है कि यह स्पष्ट है कि देश आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से सर्वोच्च शिखर पर है। हम सभी विचार करते हैं और मैं पिछले चार या पाँच महीने से बहुत अधिक विचार करता रहा हूँ और मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह बात साधारणतया ठीक नहीं है। वास्तव में आर्थिक संकट और सामाजिक अशान्ति अधिक संगीन होती नजर आ रही हैं। चाहे वह गुजरात हो, चाहे आसाम या जम्मू काश्मीर वहां स्थिति बहुत अधिक अस्त-व्यस्त है जो आजकल मनीषियों को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई कठिनाइयों से बाहर या बच गया है या सर्वोच्च शिखर पर है तो यह बात इस समय विशेष रूप से असंगत है, जबकि यह स्पष्ट है कि 1980 के दशक में कई टकराव, उछाल तथा ऊंचाईयाँ हैं और हम एक बहुत कठिन युग में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए, किसी प्रकार के सन्तोष का दिखावा किए बिना हमें आने वाली कठिनाइयों को वास्तव में

सुलझाना चाहिए। मुझे दिए गए सीमित समय में मेरे पास तीन प्रश्न हैं जिन्हें मैं सभा के समक्ष रखना चाहता हूँ।

पहला प्रश्न वही है जो मुझसे पहले वक्ता ने उठाया था। पिछले 30 वर्षों में आश्चर्य जनक आर्थिक विकास हुआ है। मैं इस मत का समर्थन नहीं करता कि गरीब और गरीब हुआ है तथा धनी और धनी हो गया है। साँख्यिकीवादि चाहे जो कहें, आर्थिक विकास देखा जा सकता है विशेष कर तब जब हम उत्तरी भारत के कई भागों की यात्रा करते हैं। परन्तु, यदि नकारा न जाए तो, वास्तविकता यह है कि जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण विकास का लाभ बहुत बड़ी सीमा तक बहुत कम हो गया है। यह बहुत स्पष्ट है कि जनसंख्या आश्चर्य-जनक रूप से बढ़ी है। जैसा कि मैंने कई अवसरों पर इस सभा में कहा है कि आस्ट्रेलिया की आबादी 130 लाख है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश भारत से ढाई गुणा बड़ा है। हर वर्ष हम अपनी जनसंख्या में एक और आस्ट्रेलिया जोड़ देते हैं। 1981 की जनगणना, जो आरम्भ हो चुकी है, हमारे आयोजकों व अर्थ शास्त्रियों को गहरा आघात पहुँचाएगी।

एक बार जब मैं इससे संबद्ध था, तो हमने वर्ष 2000 में भारत की जनसंख्या के बारे में तीन अनुमान लगाए थे। अत्यन्त आशावादी अनुमान के अनुसार वर्ष 2000 में भारत की आबादी 85 करोड़ बीच के अनुमान के अनुसार 92 करोड़ 50 लाख तथा अत्यन्त निराशावादी अनुमान के अनसार 100 करोड़ होने की संभावना थी। मैं यह संकेत करना चाहूँगा कि हम जिस जन्म दर से चल रहे हैं उससे इस शताब्दी के अन्त तक भारत की आबादी 100 करोड़ तक पहुंच जायेगी। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या का इस देश पर कितना भार होगा तथा इसका भरण-पोषण करना किस प्रकार संभव होगा। दुर्भाग्यवश, मैं पुरानी बातों को उठाना नहीं चाहता, परन्तु आपातकाल तथा आपातकाल के बाद की अवधि में परिवार नियोजन को सबसे बड़ा धक्का लगा। मेरे प्रतिष्ठित उत्तराधिकारी के परिवार नियोजन के संबन्ध में विचार बड़े अनोखे थे। यहाँ तक कि परिवार नियोजन एक गन्दा शब्द बन गया तथा मन्त्रालय का नाम बदल कर परिवार कल्याण मन्त्रालय रख दिया गया।

इस समय मेरा किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं है। अपितु इस समय मैं सभा में सभी पार्टियों से अपील करता हूँ कि परिवार नियोजन के मामले में राष्ट्रीय में हहमति तैयार की जाये इसे विवाद का विषय न बनायें। मैं मानता हूँ कि विकास सबसे अच्छा निरोधक है। परन्तु निरोध विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। परिवार नियोजन को पुन: बल मिलना चाहिए। हमें इस मामले पर लोगों में उत्साह पैदा करना चाहिए। अन्यथा जब 21वीं शती में हम लोग यहाँ पर नहीं होंगे हमारे बच्चे तथा पोते यहाँ पर होंगे। यदि हम राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं तो इसे रक्षा, राष्ट्रीय एकता और अल्पसंख्यकों के कल्याण के समान परम अग्रता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो इस सभा में 1976 में पेश की गई थी। इस सभा द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मेरा तर्क है कि इस बारे में राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए।

एक अन्य मामला जिस पर राष्ट्रीय सहमति अपेक्षित है, निर्वाचन नियमों में सुधार सम्बन्धी है। इस बारे में बहुत चर्चा की जा चुकी है। पिछले कुछ महीनों में मुख्य निर्वाचन

आयुक्त श्री एस. एल. हाकधर ने बहुत से ठोस सुझाव दिये हैं। उनमें से एक है, राज्य द्वारा निर्वाचनों पर धन लगाया जाना।

उन्होंने कहा है :

"मैं समझता हूँ कि यदि प्रारम्भ में पाँच वर्षों की अवधि के लिए एक 100 करोड़ रुपए की निधि स्थापित की जाती है तो इससे निर्वाचनों पर न केवल सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय को अपितु उम्मीदवारों तथा पार्टियों द्वारा किये जाने वाले व्यय को भी पूरा किया जा सकेगा।"

इस सभा के सभी सदस्य जानते हैं कि निर्वाचन व्यय जुटाना कितना कठिन है। तथ्य यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्रफल 7000 वर्ग मील है। श्री वृद्धि चन्द जैन का निर्वाचन क्षेत्र 15000 क्षेत्र वर्ग मील से अधिक है और श्री नामग्याल के निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्रफल 30000 वग मील से अधिक है।

सभापति महोदय : परन्तु वास्तव में जितना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होता है उतनी ही कम जनसंख्या होती है।

डा. कर्णसिंह : परन्तु आपको यात्रा तो करनी पड़ती है हमें डीजल और पेट्रोल की कीमत ध्यान में रखनी पड़ती है। जनसंख्या के अलावा, जैसा कि आपने उचित ही कहा है, निर्वाचन लड़ना सरल नहीं है। आपने राजनीतिक पार्टियों को कम्पनियों के अनुदानों पर पाबन्दी लगा दी है। कोई व्यक्ति, कब तक अपनी सम्पत्ति तथा जेवरात बेच कर निर्वाचन लड़ सकता है। धन कहाँ से आयेगा ; तब सभी लोग कहते हैं कि राजनीतिक प्रणाली भ्रष्ट है। स्पष्टत: जब भी धन की आवश्यकता होती तब उससे भ्रष्टाचार फैलेगा। हमें व्यस्कों की भांति इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। हमें इस मामले को दबाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के पास छिपा धन है जोकि इसे देता है, इसके बदले में कीमत मांगेगा। इसलिए जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रस्ताव रखा है। मैं नहीं समझता कि इस पर प्रधान मन्त्री अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन क्यों नहीं बुलाया जाता ?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक और सुझाव यह दिया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचनों के साथ साथ 50% स्थानों को मतो के अनुपात में दिया जाए। उन्होंने बताया है :

मेरा एक सुझाव यह है कि लोक-सभा तथा विधान सभा के 50% स्थानों को सीधे चुनाव की वर्तमान प्रणाली के आधारपर भरा जाए और शेष 50 प्रतिशत स्थानों को राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव से पहले भेजी गई सूचियों से उनको प्रत्येक राज्य में मिले मतों के अनुपात में भरा जाये।'

मैं इसके गुण-दोषों को नहीं लेना चाहता। इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए। अभी चार वर्ष हमारे पास हैं। प्रधान मंत्री अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वयं एक सम्मेलन बुलायें। इस बारे में एक मत्य होना चाहिए। मेरा अपना मत है कि वर्तमान प्रणाली को बदला जाना अपेक्षित नहीं है। 30 वर्ष से तथा उससे भी पहले अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1905 से किसी प्रकार की संसदीय प्रणाली इस देश में बनी हुई है। इस बारे में कोई भी मामूल परिवर्तन करने से हानि अधिक होगी और लाभ कम। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि

वर्तमान प्रणाली में कोई कमजोरी नहीं है। एक कमजोरी तो निर्वाचन समस्याओं की है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय सहमति से ही कोई कार्य किया जा सकता है। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सुझाव हैं। मेरे कुछ सुझाव हैं। उनमें कुछ विवादास्पद हैं। हो सकता है मैं उन्हें पैदा करूं अथवा न करूं।

सभापति महोदय : मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिये गये सुझाव की भी वही स्थिति है।

डा. कर्ण सिंह : इस पर दो राय नहीं है। इस पर चर्चा की जा सकती है। उदाहरण के रूप में, मेरा सुझाव है, कि मतदान में भाग लेना प्रत्येक नागरिक की स्वैच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए प्रत्येक नागरिक के लिए मतदान करना अनिवार्य क्यों नहीं बनाया जाता ऐसे उदाहरण हैं कि 40% लोग मतदान में हिस्सा लेते हैं तथा कुछ उम्मीदवार 20% मतों से जीत जाते हैं। तो भी, नागरिक के रूप में जीवन यापन करने वाले हम लोग मतदान में भाग क्यों न लें, हमें अपना दायित्व भी पूरा करना चाहिए। मतदान अनिवार्य बनाया जाये। इसके दो लाभ होंगे। एक तो परिणाम सार्वजनिक इच्छा को अधिक द्योतन करने वाले होंगे। तथा दबे हुए वर्गों, जिन्हें मतदान नहीं करने दिया जाता, को अनिवार्य रुप से मतदान करना पड़ेगा। यह विचित्र लगता है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्रीय देश में मतदान अनिवार्य नहीं है। परन्तु मैं समझता हूँ कि भारत में ऐसी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि हम अन्य लोगों का अनुसरण करें। यह मेरा एक ठोस सुझाव है। मेरे कुछ अन्य सुझाव हैं जिन्हें मैं अन्य अवसर पर राष्ट्र के समक्ष रखूंगा।

अन्तिम बात मैं उत्तर पूर्व क्षेत्र की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूँ, आसाम की स्थिति के बारे में सभी परिचित हैं। परन्तु शायद सभा जम्मू काश्मीर की विस्फोटक स्थिति के बारे में नहीं जानती। जम्मू काश्मीर के बारे में मेरे विचार भली प्रकार विदित हैं। मुझे उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं 18 वर्ष तक उस राज्य का प्रमुख रहा हूँ। मैं उस राज्य के बारे में इतना जानता हूं कि मुझे उस पर बोलना उचित नहीं लगता क्योंकि यदि मैं उस बारे में बोलना शुरु कर देता हूं तो मैं नहीं जानता कि कहाँ पर उसे शुरु करुं तथा कहाँ पर समाप्त करुं।

एक माननीय सदस्य : यह राज्य किसने बनाया।

डा. कर्ण सिंह : मेरे पूर्वजों ने इस राज्य को बनाया।

एक माननीय सदस्य : आपने इसे बनाया।

डा. कर्ण सिंह : मेरे पूर्वजों ने इसे बनाया। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पूर्वजों ने इस राज्य को बनाया तथा मेरे पिता ने इस राज्य के भारत में सम्मिलित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किये जिससे कि राज्य भारत का अभिन्न अंग बन गया जिसका कि 18 वर्ष तक मैं राज्यपाल रहा। मेरे मित्र पहले से ही उत्तेजित हो रहे हैं जबकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दोष कहाँ पर है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको इसे गम्भीर रूप में नहीं लेना चाहिए।

डा. कर्ण सिंह : मैं अपनी बात किसी व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक उद्देश्य से नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल सभा तथा राष्ट्र को जानकारी देने के लिए बता रहा हूं कि वहाँ की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। आप लद्दाख का ही मामला लें। लद्दाख देश का सबसे अधिक नाजूक क्षेत्र है। कोरकोहम राजपथ लद्दाख के बहुत पास है। अब रूस की सेना के अफगानिस्तान में रहते

बडी शक्तियों की शत्रुता राज्य के बहुत करीब आ गई है। मैं जानता हूँ मेरे मित्र इससे सहमत नहीं होंगे और वह अपनी बात कह सकते हैं, परन्तु मेरा निजी मत यह है कि देश में यदि कोई क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्र बनाया जाना चाहिए तो वह क्षेत्र लद्दाख है। वहाँ की समस्याएं इतनी गम्भीर हैं कि उनका समाधान श्रीनगर अथवा जम्मू से नहीं हो सकता अपितु इसका दायित्व सीधा भारत सरकार का है। लद्दाख का 10000 मील का क्षेत्रफल अभी भी विदेशी अधिकार में है। कोराकेरम राजपथ इस क्षेत्र से गुजरता है जबकि यह क्षेत्र कानूनी रुप से जम्मू काश्मीर का है। भारत सरकार तथा इस सभा को वहाँ की स्थिति के मामले में संतोष नहीं मानना चाहिए। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि यह स्थानीय समस्या है। परन्तु इसमें बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय मसले निहित है। जहाँ तक जम्मू काश्मीर का सम्बन्ध है कोई ऐसा समाधान किया जाना चाहिए कि दोनों क्षेत्र के लोग राज्य को अपना समझें तथा आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का समतापूर्वक उपयोग किया जा सके। इस बारे में मेरा प्रधान मन्त्री से सुझाव है कि गोल मेज कांफ्रेंस की तरह का एक सम्मेलन बुलायें जिसमें सभी पार्टियों को स्थान मिले और समझौते से कोई पद्धति निकाली जाये। यह बात मेरे द्वारा नैहानल कॉंफ्रेंस पर आरोप लगाने अथवा नैहालन कॉंफ्रेंस द्वारा मुझ पर आरोप लगाने का नहीं है। हमारे राजनीतिक विचार भली प्रकार विदित हैं परन्तु श्रीमान, हम सभी इस राष्ट्र के नागरिक हैं। हमें अपने बच्चों को विरासत में तनाव और घृणा की स्थिति न देकर राष्ट्रीय एकता ही विरासत में देनी चाहिए। इसलिए मैं सभा में यह तीन बातें (1) राष्ट्रीय जन संख्या नीति, (2) शिक्षा सुधार और (3) जम्मू काश्मीर की विस्फोटक स्थिति ही रखना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : आपने ये बातें प्रभावपूर्ण ढंग से रखी हैं।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोतरम चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका इनायत फरमाया है कि मैं सदरे-जम्हूरिया के खिताब की पुरजोर ताईद करूं और मैं करता हूँ।

यह बड़ी बदकिस्मती है कि 52 ट्रेन उलटाने वाला जो अपोजिशन से···

सभापति महोदय : आपने बदकिस्मती से शुरू किया ?

श्री जमीलुर्रहमान : जी हाँ, वह फरार हैं श्री जार्ज फर्नान्डीस, जिन्होंने बहुत सारे फिगर्स दिए थे जिसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हूँ। यह उनकी आदत है, वह पहले भी ऐसा करते थे, पहले सेशन में भी यहाँ बोलकर फरार हो गये थे। उन्होंने 10, 15 प्वांइन्ट उठाये हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि फूड इन- सफीशिएंट है। फिर उन्होंने इन्डस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एशियाड गेम्स, मिनिमम नीड्ज प्रोग्राम, रेलवे बजट और गरीबी हटाओ के बारे में कहा। इस किस्म की बहुत सी बातें उन्होंने पूरे फिगर्स के साथ कही हैं।

इत्तफाक की बात है कि मैं भी फिगर्स लेकर आया हूँ लेकिन शायद आप ज्यादा वक्त नहीं देंगे। इसलिए मैं नहीं कह सकूंगा।

जहाँ तक गरीबी हटाओ का मसला उन्होंने उठाया, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक फिलासफी है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने "क्विट इंडया" दो लफ्ज कहे और उस पर काम किये लोगों ने, मेहनत की, जेल गये और लड़े, उस फिलासफी के सम्बन्ध में रिजल्ट है कि यह सदन आपके सामने है और आजादी की हवा में साँस ले रहे हैं।

गरीबी हटाओं का जो मसला है । फिलासफी है, इस पर काम करने की जरूरत है और काम करने के बाद ही यह हटेगी । कैसे हटेगी, यह मैं बताता हूँ ।

अभी डा. कर्णसिंह ने कहा है कि हिन्दुस्तान की जमीन अनफार्चुनेटली बंटवारे के बाद मगरबी पाकिस्तान में चली गई, पूर्वी पाकिस्तान में चली गई, जो अभी बंगला देश है । इसलिये जमीन कम हो गई । आजादी के वक्त में जितनी आबादी थी करीब 38सौ, 39 सौ करोड़ थी उसके मुकाबले से अब की आबादी करीब-करीब 70, 71 करोड़ होने वाली है या उससे बेशी भी हो सकती है, आप मुलाहिजा फरफाएं । मैं डा. कर्णसिंह से एग्री करता हूँ कि नेशनल पालिसी आबादी पर होनी चाहिए , लेकिन हमारे जो दोस्त मोखालिफ बैठे हैं, इस पालिसी के बनने के बाद जिस तरीके से मार्केट में करेन्सी भुनाते हैं, और कुछ ठप्पामार अफसरों को मिलाकर 77 तशरीफ लाये । इत्तिफाक की बात है कि सी. पी. एम. के बहुत कम लोग, हमारे पुराने साथियों में बहुत कम नजर आ रहे हैं । भाई दन्डवते हैं, सुब्रह्मण्यम स्वामी पहली बार लोक सभा में उधर आये हैं । (व्यवधान) आप राज्य सभा में थे 71 में, (व्यवधान) हमारे भाई वाजपेयी साथ थे ।

श्री सुब्रमणयम स्वामी : 75 में आपने निष्कासन किया राज्य सभा से ।

श्री जमीलुर्रहमान : निष्कासन नहीं, आप चोरी करके भागे हिम्मत होनी चाहिए थी, सिचुएशन को कोल्डली फेस करते हैं ।

सभापति महोदय : चोरी शब्द ठीक नहीं है ।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं चोरी वर्ड को विद्ड्रा करता हूँ । यह तो एडमिटेड है । आपको बोल्डली सिचुएशन को फेश करना चाहिए था । जैसे आपने हमारे लीडर को निष्कासित किया हमने वोल्डला फेश किया सिचुएशन को आपकी तो हिम्मत मोकाबला करने की नहीं थी ।

शास्त्री जी की पार्टी की पालिसी जंगे-आजादी के वक्त 1942 में कुछ दूसरी ही थी वह उस पर बहस न करें ।

मैं डा. कर्णसिंह के मुत्तिफिक हूँ ।

सभापति महोदय : आपने एक ऐसी बात कही है, जो पहले नहीं कहीं गई है ।

श्री जमीलुर्रहमान , उधर से कहा गया है कि पिछले तीस वर्षों में मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं हुआ । मैं बताना चाहता हूँ कि इस बारे में दि दैन प्राइम मिनिस्टर, श्री मोरारजी देसाई ने कहा था । मैं इसका उद्धरण देता हूँ । यह लोक सभा वाद-विवाद के खण्ड 21, पृष्ठ 290 पर है । उन्होंने कहा है :

> "पिछले 30 वर्षों में देश ने तरक्की की है । इस बात से कौन इन्कार कर सकता है । ? हम यह नहीं कह सकते कि देश में जो कुछ हुआ है उससे लोगों को काई लाभ नहीं हुआ है । यदि देश ने तरक्की नहीं को होती, तो हमारी स्थिति क्या होती ?"

यह बात तत्कालीन प्रधान मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने कही थी, जबकि डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी और प्रो. मधु दण्डवते भी उनके साथ थे

उन्होंने इसके अलावा कुछ भूलों को भी स्वीकारा है । इसके बारे में, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा ।

यह हकीकत है कि इन लोगों ने कई कमीशन बनाकर, नाजायज तरीके से बदले की भावना से, हमारे पार्टी और हमारे लीडर को तंगो-तबाह करने की कोशिश की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जनता पार्टी की सरकार के वक्त प्रैजिडेंट्स एड्रेस हिन्दी में कुछ था और अंग्रेजी में कुछ और था। इस बात को उन लोगों ने छिपा कर रखा। मैं यह बात इस लिए कह रहा हूँ कि श्री फर्नान्डीस ने कहा है कि प्रैजिडेंट का एट्रेस कैबिनेट से मन्जूर होता है। यह सच बात है, लेकिन श्री मोरारजी देसाई के वक्त प्रैजिडेंट के अंग्रेजी और हिन्दी एड्रेस में मुनासिब नहीं थी, दोनों में कांट्राडिक्सन था। यह मामला उठा था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका रिकार्ड लोक सभा डीबेट्स वाल्यूम 10, 1 टु 3 सिरीज, पेज 294 पर मिलेगा। सबसे दुखद बात वह है कि जो लोग काम से बहुत सी बातें छिपाकर रखना चाहते हैं, वे हम पर इल्जाम लगाते हैं कि प्रैजिडेंट के एड्रेस में वे सारी बातें नहीं लिखी हैं, जिनसे मुल्क को सही दिशा मिल सकती है।

जितनी तकरीरें मैंने सुनी है, उनमें यही कहा गया है कि हम लोगों ने पिछले 30 बरसों में कुछ नहीं किया। मुझे किस्सा याद आ रहा है मिस मयो का, जिसने एक किताब लिखी थी और जिसको श्री रामजेठमलानी ने क्वोट किया था उसे हिन्दुस्तान में कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला, उसे यहाँ पर सिर्फ खराबी ही खराबी नजर आई। इस वक्त मैं हक-बजानिब हूं यह कहने मे कि शायद श्री रामजेठमलानी और आपोजिशन के लोग मिस मयो का रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तीस बरसों में कोई भी अच्छा काम नजर नहीं आया है, हालाँकि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मुल्क ने बहुत तरक्की की है और वह बहुत आगे बढ़ चुका है।

मसल मसहूर है कि जादू वह, जो सिर पर चढ़ कर बोले। इन लोगों ने श्री जयप्रकाश नारायण को कब्ल-अज-वक्त मार दिया। अगर कोई दूसरी शर्मदार गवर्नमेंट होती, तो वह उसी पायंट पर रिजाइन कर देती। इन्होंने लोक सभा में कान्डालेंस रेज्यूल्यूशन पास कर दिया और मीटिंग को बन्द कर दिया, जबकि वह गरीब उस वक्त तक नहीं मरे थे—मरहूम बिल्कुल जिन्दा था। इन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण को जीते जी मार डाला। यह इस मुल्क की टालरेंस है कि उसने इन जैसे लोगों को 33 महीने तक बर्दाश्त किया। वरना आप को तीन महीने में खत्म हो जाना चाहिए था। यह तो उनकी इतनी टालरेंस है जो उन्होंने आपको 33 महीने टालरेट किया। दूसरा मुल्क होता तो इतना टालरेट नहीं करते।...(व्यवधान)

अब दो चार बातें कह कर मैं बैठ जाऊंगा। तेरह महीने पहले जब इस मुल्क के लोगों ने भारी बहुमत देकर श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमें चुना और मुल्क के शासन की बागडोर हमारे हाथों में दी उस वक्त मुल्क की क्या हालत थी और अब इन तेरह महीनों में मुल्क की क्या हालत है यह मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जिस वक्त 14-1-80 को हमने श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपना लीडर चुना और उनको प्राइम मिनिस्टर मुन्तखिब किया। उस वक्त सारे मुल्क में कैआस की हालत थी, सारे इंडस्ट्रियल हलके में बदअमनी, सारे इलाके में हंगामा, ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन कम और इतना ही नहीं रेलों के चलने में कमी, माल के लाने ले जाने में कमी...(व्यवधान)...वाजपेयी जी इसको ऐप्रिशिएट कर रहे हैं, वह गर्दन हिला रहे हैं, वह समझदार आदमी हैं आपकी पार्टी में...

एक माननीय सदस्य : यह मिस मेयो की रिपोर्ट आप पेश कर रहे हैं।

श्री जमीलुरहमान : नहीं, वह तो आपकी साइड में हैं।

अब आप देखें, इन 11 महीनों में जो इनफलेशन है वह 6.2 परसेंट लोअर डाउन है। आप के वक्त में ग्रेन प्रोडक्शने 108.85 मिलियन था और हमारे वक्त में आज 132 मिलियन है।

डिस्ट्रिव्यूशन चैनल का जो सवाल है आप देखें पब्लिक डिस्ट्रिव्यूशन सिस्टम में 31 हजार की वृद्धि इस बीच की गई है। जो आउटलेट्स अभी हमने बनाए हैं वह 267559 हैं। इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने खुली छूट दे रखी है कि वह चाहे जितनी चीजों में डील करें, जितनी चीजें चाहें सेंटर से लें, कोई मनाही नहीं है।

अब आप आइए फेयर प्राइस शाप्स पर। उसके लिए हमने परमानेंट कोआपरेटिव सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया है। (व्यवधान) ...हमने कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव्ज बनाए हैं जिन पर काम चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं हमने नवम्बर 1980 तक 261.13 करोड़ रुपया इन आर्गनाइजेशस को सेट अप करने के लिए खर्च किया है जो उन तक पहुँच चुका है।

एसेंशियल कमोडिटीज पर काबू पाने के लिये हमने एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट को सख्त किया है, उसके अन्तर्गत सख्ती से काम लिया है, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ऐक्ट पास किया है। मुझे याद है कि आपकी तरफ से उसका बड़ा घोर विरोध हुआ था क्योंकि आप उनके साझीदार जो ठहरे।

फर्स्ट बजट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं आप से अर्ज करूं कि जिस वक्त जनता ने हमको वोट देकर बैठाया उस वक्त मुल्क में इतना ड्राउट था, इस कदर परेशानी में लोग थे कि जिसकी कोई हद नहीं। 22 मिलियन लोग सुखाड़ से परेशान थे। उन पर हमने 150 करोड़ रुपया खर्च किया है। दस लाख गरीबों को जो कि दाने दाने के बगैर तरस रहे थे हमने फ्री खाना दिया है। इस पर भी यह कहा जा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया।

पब्लिक सेक्टर की बात लीजिए। जनता पार्टी जिसके अन्दर वाजपेयी जी थे, उसने एक इंडस्ट्रियल पालिसी एनाउंस की। हमारे स्वामी जी ने सख्ती से उसको अपोज कर दिया।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : नहीं नहीं।

श्री जमीलुर्रहमान : आप मेरी बात सुनिए।

जनता पार्टी सरकार ने एक इन्डस्ट्रियल पालिसी बनाई थी, उसको फौरन अपोज कर दिया यह आपका कंट्राडिक्शन जाहिर करता है, आपके काम में, आपके मिजाज में और आपकी पालिसी में कंट्राडिक्शन था और है।

आप एक बात और देखिए। पब्लिक सेक्टर में जो बढ़ोतरी हुई है वह मैं आपको बताता हूँ। 1980 मे जनवरी से अक्तूबर तक पब्लिक सेक्टर का आउटपुट 1199 करोड़ से बढ़कर 1270 करोड़ हो गया।

आप रूरल एम्प्लायमेंट की बात करते हैं, उसके लिए भी एक बात कहूँगा। हमने अपने लोगों के लिए और सारे मुल्क के लिए 340 करोड़ रुपये एलाट किए हैं इस स्कीम के तहत ताकि हमारे लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। इसी तरह से वीकर सेक्शंस के लिए हमने 70 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स और दीगर अफराद के लिए 100 करोड़ खर्च किए हैं।

इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, उसके बारे में मैंने आपको बतलाया।

इण्डस्ट्रियल ग्रोथ की बात आप लीजिए। 1979-80 में इण्डस्ट्रियल ग्रोथ निगेटिव थी लेकिन इस पीरियड में 4 परसेंट ग्रोथ रही। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, इनको आप रोकिए, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी तरह से जहाँ तक पावर जनरेशन का ताल्लुक है, उसमें 10 परसेंट आगे बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। कोल प्रोडक्शन जो कि 1979-80 में स्टैगनेन्ट था वह 113 मिलियन टन तक बढ़ जाने की एक्सपेक्टेशन है। इसी तरह से पिग आयरन की प्रोडक्शन में 1979 के मुकाबले 60 परसेंट बढ़ोत्तरी से इमकानात हैं। फास्फेटिक फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन 9.3 परसेन्ट बढ़ने का इमकान है।

इसी तरह से आप एक्सपोर्ट ट्रेड की बात लीजिए। इसमें भी आप देखेंगे कि 1976-77 में 26.1 परसेन्ट ट्रेड बढ़ी।

सभापति महोदय : आप 17-18 मिनट बोल चुके हैं, अब समाप्त कीजिए।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं फिनिश कर रहा हूं, पांच मिनट में।

जैसा मैंने बताया कि एक्सपोर्ट ट्रेड 26.1 परसेन्ट बढ़ी। इन्जीनियरिंग प्रोडक्ट्स का भी यही हाल है। मैं सिर्फ चीजों को आपके सामने गिना रहा हूँ। इम्पोर्ट बिल 1973-74 में 2995.4 करोड़ से बढ़कर 1977-78 में 6020 करोड़ हो गया। फूड एंड एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेन्ट हुआ वह आपके सामने है।

मैं एक फीगर और आपके सामने रखना चाहूंगा। इस मुल्क के किसानों के लिए हमारी पार्टी और हमारी लीडर को जो सहानुभूति है उसी के नतीजे के तौर पर 70 परसेन्ट डीज़ल किसानों के लिए रिजर्व रखा गया और 60 परसेन्ट पावर किसानों के लिए रखी गयी। चूंकि आप वक्त कम दे रहे हैं इसलिए आखिर में एक बात और कह दूंगा। किसान रैली की बात यहाँ पर कही गई है।

सभापति महोदय : कुछ मजाक वाली बात कहिए।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं आपके सामने मजाक कैसे कर सकता हूँ। मैं यह कह रहा था कि हमारी सरकार ने 70 परसेन्ट डीजल किसानों के लिए रिजर्व रखा और 60 परसेन्ट पावर रिजर्व रखी। हमारी सरकार ने किसानों की प्रोड्यूस के लिए सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की।

श्री रामावतार शास्त्री : कहाँ रखी है?

श्री जमीलुर्रहमान : शास्त्री जी आप किसान नहीं हैं इसलिए आप जाकर किसानों से पूछिए। आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों को 22 रुपए से 25 रुपये फी क्विंटल गन्ने का दाम दिया है। इसी तरह से गेहूं के दाम बढ़ाकर दिए और पैडी की सपोर्ट प्राइस बढ़ा कर दी। (व्यवधान) इतना ही नहीं, किसानों को हमने जो कुछ और दिया है वह भी चेयरमैन साहब आप सुन लीजिए क्योंकि आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं।

बिहार में हमारी पार्टी की सरकार ने ढाई एकड़ प्लेन एरिया और पाँच एकड़ पहाड़ी इलाकों में सौ प्रतिशत रैमीशन लोन पर दिया है। को-आपरेटिव लोन्स पर भी रैमीशन दिया गया है। फर्टिलाइजर और इन्सैक्टिसाइड्स कन्सेशनल रेट पर दी हैं। शुगर केन की प्राइस को भी बढ़ाया गया है। सोशियल सिक्योरिटी स्कीम पैंशन विधवाओं और डिसएबिल्ड पर्सन्स के लिए हमारी बिहार सरकार ने 18 लाख आदमियों को, गरीबों को 31-1-1981 से 30 रु. प्रति

महीने के हिसाब से देने का तय किया है। अगर कोई सरकार है, तो वह हमारी सरकार है, हमारी ही पार्टी है, हमारा ही लीडर हो सकता है, तो इस दिशा में आगे बढ़ें और दूसरा कोई नहीं हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति जी, हमारी सरकार को सत्ता में आए एक वर्ष पूरा हो गया है। सरकार की उपलब्धियों के बारे में, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में हमारे माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा और आंकड़े भी दिए और इसमें सन्देह नहीं कि पिछले एक वर्ष में सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, लेकिन इस सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धी हो रही है, वह राजनीतिक क्षेत्र में रही है। तीन वर्षों की राजनीतिक अस्थिरता के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने देश को राज नीतिक स्थिरता दी है। हम सब लोग जानते हैं कि सन् 1977 में देश की जनता हम लोगों से नाराज थी, हमारी पार्टी से नाराज थी और हमारी सरकार से नाराज थी और इस नाराजगी में उन्होंने बड़ी आशाओं के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ जनता पार्टी को चुनकर इस देश के इस माननीन सदन में भेजा था उनको दो तिहाई से अधिक बहुमत प्राप्त था, लेकिन वे सरकार ठीक प्रकार से नहीं चला सके। उनके पास अच्छे-अच्छे नेता थे, ऐसे-ऐसे नेता थे जो कांग्रेस सरकारों में वर्षों तक मन्त्री रह चुके थे, प्रदेशों में मुख्य मन्त्री रह चुके थे, बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों के, श्री अटल विहारी वाजपेयी जी जैसे, नेता थे, फिर भी उनकी सरकार नहीं चल सकी। पांच साल तक वह सत्ता में नहीं रह सकी, जबकी कांग्रेस जैसी सभ्य पार्टी विरोध में थी। सदन में काम करने में उनको कोई रुकावट नहीं डाली गई। उस समय अक्सर अखबारों में कहा जाता था कि सत्ता पार्टी ऐसा बर्ताव कर रही है, जैसे वह विरोध में हो और विरोधी पार्टी ऐसा वर्ताव कर रही है, जैसे वह सत्ता में हो। सदन के बाहर भी विरोधी पार्टियों ने उनके कार्यक्रमों को विफल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई मोर्चा-बन्दी नहीं की, फिर यह सरकार क्यों नहीं चल सकी, ढ़ाई साल में ही क्यों चली गई ? उनकी सबसे बड़ी कमी थी कि उनके पास नेतृत्व नहीं था, उनके पास नीतियाँ नहीं थी, जो नीतियाँ थीं भी, उनको अमल करने की उनकी नीयत नहीं थी और उनके पास कलेक्टिव क्षमता नहीं थी। एक-एक की क्षमता हो सकती है, लेकिन कलैक्टिव क्षमता नहीं थी। इससे यह जाहिर होता है कि किसी भी सरकार के लिए या किसी भी देश में राजनैतिक स्थिरता के लिए एक अच्छे नेतृत्व को और अच्छी नीतियों की और उन नीतियों को लागू करने की नीयत की आवश्यकता होती है। जनता पार्टी ने तीन वर्षों में केवल यह किया कि उसने हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के चरित्र हत्या के सभी प्रयास किये, कांग्रेस के शासनकाल को बदनाम करने के सभी प्रयास किये। वे आपस में इसलिए लड़ते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी को जेल जल्दी भेजा जाए या जेल बाद में भेजा जाए। तीन वर्षों तक उन्होंने राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया। राजनैतिक बदला लेने की भावना से तीन वर्षों तक वे काम करते रहे और उस प्रतिशोध की आग में फिर जल कर समाप्त हो गये।

हमने उनको नहीं जलाया श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने उनको नहीं जलाया, कांग्रेस ने उनको नहीं जलाया बल्कि अपने प्रतिशोध की आग में वे स्वय जलकर समाप्त हो गये और जब श्रीमती इन्दिरा गांधी अपार बहुमत के साथ पुनः इस सदन में और सरकार में आई, तो उन्होंने महानता का सबूत दिया राजनैतिक परिपक्वता का सुबुत दिया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बदले की भावना से काम नहीं किया। जनता पार्टी के नेता, उनके प्रधान मन्त्री, उनके गृह मन्त्री के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गये थे इस सदन में, राज्य सभा में और सदन के बाहर भी और आरोप लगाने वाले जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता और सम्मानित नेता भी थे लेकिन उनके विरुद्ध कोई भी जांच या कोई भी कमीशन नहीं बैठाया गया, उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने एक महान नेता होने का सुबूत दिया है। जनता पार्टी की आग में तप कर श्रीमती इन्दिरा गांधी और निखर गई और उसने बता दिया कि हम पीछे की बातें भूल जाते हैं। देश को इस वक्त जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, इस देश को सबसे बडी जरूरत है, वह यह है कि इस देश में राजनैतिक स्थिरता का वातावरण होना चाहिए। जब तक राजनैतिक स्थिरता इस देश में नहीं होगी, देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता, देश में कानून व व्यवस्था की बहाली नहीं हो सकती, देश आगे नहीं बढ़ सकता और यह काम श्रीमती इदिरा गांधी ने किया। मैं तो यह मानता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में भले ही उपलब्धियां जो आशा की गई थी, उसके मुताबिक न रही हों लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में यह उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत महान उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि हमारे उस तरफ के साथी भी इससे इत्तिफाक करेंगे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि आज देश में अनेक प्रकार के चैलेंजों का सामना करना है। असम का चैलेंज है जो जनता पार्टी के जमाने से शुरू हुआ और लोकदल के जमाने में काफी पनपा और बढ़ा और उस समस्या को हमने लिया। इसके अलावा देश के कई सूत्रों में चैलेंज हमारे सामने आए हैं। गुजरात में चैलेंज हैं। आज महात्मा गाँधी के घर में, महात्मा गाँधी के राज्य में, यह विधि की विडम्बना है कि ऐसे लोगों ने जो हरिजनों के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने महात्मा गाँधी के स्टेचू पर तिलक लगाया है कि हम हरिजनों के आरक्षण को समाप्त करके रहेंगे। यह एक बड़ी खतरनाक बात है और मुझे आशा है कि जिस ठीक प्रकार से सरकार असम की समस्या को निपटा रही है, जिस प्रकार से सरकार गुजरात की समस्या को निबटाने में लगी हुई है उससे आशा है कि ये समस्याएं जल्दी से जल्दी हल होंगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि इनमें हमारे विरोधी दल के साथियों को भी सहयोग करना चाहिए। जहां तक नीतियों का सवाल है, जहां तक आर्थिक प्रगति का सवाल है, यह होने न होने का सवाल है, उसके बारे में वे सरकार की आलोचना कर सकते हैं। यह आलोचना करने का उनको अधिकार है और उनका कर्तव्य है। लेकिन जब देश का सवाल आता है, जब देश के भविष्य का सवाल आता है, जब देश के मूल्यों का सवाल आता है, तब विरोधी पार्टियों को सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसके रास्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, उसके कार्यों में अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए, सरकार से कन्फ्रन्टेशन नहीं करना चाहिए।

मुझे खुशी है कि प्रधान मन्त्री ने अनेकों बार राजनीतिक प्रश्नों पर विभिन्न राजनीतिक

दलों से सहयोग लेने की कोशिश की । असम के मामले में उन्होंने विरोधी दलों की बैठक बुलाई। अभी हाल में जब मोराराजी देसाई ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि असम के बारे में वहां की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में उनके पास कोई फारमुला है जिसे वे अकेले में बतायेंगे तो उन्हें भी हमारे गृह मन्त्री जी ने न्योता देकर के यहाँ बुलाया । वह क्या फार्मूला है और क्या फार्मूला उन्होंने गृह मन्त्री जी को दिया यह तो मैं नहीं जानता। स्वामी जी को शायद मालूम हो क्योंकि वे उन्हीं की पार्टी में हैं । लेकिन सरकार ने वहां का सोल्युशन निकालने की कोशिश की। मोरारजी भाई के पास अगर कोई फार्मूला है, जो कि मानने लायक हो, देशहित में हो, राष्ट्रीय हित में हो तो मुझे उम्मीद है कि सरकार उसका उपयोग करेगी ।

आज देश में सरकार को चेलेंजों का मुकाबला करना है और मुझे आशा है कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में सरकार इन चेलेंचों का अच्छी तरह से मुकाबला करेगी ।

सभापति जी, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जब तक हमारे देश में ऊर्जा की समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। पेट्रोलियम, बिजली और कोयला, इनके अधिकाधिक उत्पादन में हमारी आर्थिक समस्या का समाधान निहित है। हमको खेती के लिए ऊर्जा चाहिए, हमको कारखानों की पैदावार बढ़ाने के लिए ऊर्जा चाहिए, छोटे-मोटे उद्योगों के लिए ऊर्जा चाहिए । जब तक वे इसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक वे अपना उत्पादन नहीं कर सकेंगे । सभापति जी मैं सरकार को बधाई देता हूं और सरकार की सराहाना करता हूँ कि एक साल में, जब से वह सत्ता में आयी है, उसने इस विषय में बहुत अधिक ध्यान दिया है। जब हम सत्ता में आए थे उस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पूरे बाजार से गायब थे । सड़कों और पेट्रोल पम्पों पर हजारों-हजार गाड़ियों की लाइनें लगती थीं। लेकिन आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सवाल नहीं है । हमारे पास हमारी जरूरत का पेट्रोलियम है ।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। तीन-चार मिनट और ले सकते हैं ।

श्री जैनुल बशर : अभी तो दस-पन्द्रह मिनट भी नहीं हुए हैं ।

सभापति महोदय : आप 1640 पर खड़े हुए थे ।

श्री जैनुल बशर : आप कहिये तो मैं अभी बैठ जाता हूँ लेकिन मुझे इम्पार्टेंट बात कहानी थी ।

सभापति महोदय : तीन-चार मिनट और ले लीजिए ।

श्री जैनुल बशर : सभापति जी, पिछले एक साल में हमारे देश में उत्पादन काफी बढ़ा है। हमारे देश को जितने तेल की आवश्यकता है उसका 40 प्रतिशत आज हमारे देश में ही पैदा हो रहा है । इसके अलावा सरकार ने ऐसा इन्तजाम और व्यवस्था कर रखी है। दूसरे राष्ट्रों के साथ जिनसे हमारे सम्बन्ध इतने अच्छे हो गये हैं कि हमारे वे मित्र देश हमें तेल देने के लिए रोज आफर कर रहे हैं और हमें तेल बाहर के देशों से भी मिल रहा है । मुझे आशा है कि जिस तरह से देश में तेल की खोज की जा रही है, उस तरह से हम कुछ ही दिनों में तेल के मामले में सेल्फ सफिशियेन्ट हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं । हमें बिजली, पेट्रोलियम और कोयले के उपयोग के बारे में एक-दूसरे पर प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए ।

कहाँ तक तेल का उपयोग होना चाहिए, कहाँ बिजली का उपयोग होना चाहिए, कहां कोयले का उपयोग होना चाहिए, इसके लिए एक नेशनल इनर्जी कमीशन बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्लानिंग कमीशन के आधार पर नेशनल इनर्जी कमीशन भी बनाया जाना चाहिए और इसकी अध्यक्षता प्रधान मन्त्री को करनी चाहिए तब जाकर हम आने वाले कम से कम बीस साल के लिए इनर्जी पालिसी बनाकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। बगैर इनर्जी पालिसी बनाए हुए हम खेती के क्षेत्र में या कारखानों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय, आखिर में एक बात की तरफ माननीय सदन का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूँ। हमारे माननीय सदस्य श्री अशोक सेन पश्चिमी बंगाल के बारे में कुछ कह रहे थे। पश्चिम बगाल में जो कुछ हो रहा है वह बहुत ही शर्मनाक है। बंगाल एक ऐसी भूमि है जिसने बड़े-बड़े महान विचारकों को, महान कवियों को, बड़े महान राष्ट्र-भक्तों को, महान स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया है। बंगाल पर हम हमेशा गर्व करते रहे हैं। बंगाल हमेशा हमारे लिए गौरव की वस्तु रही है लेकिन अब सभापति जी पिछले महीने में 7 दिन तक मुझे कलकत्ता में रहने का मौका मिला। मुझे यह देखकर बहुत ही दुःख हुआ है कि आज कलकत्ता में रहने वाले भारत के दूसरे हिस्से के लोग और स्वयं बंगाल के जो सभ्य और शरीफ लोग हैं उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। आज वहां की सत्ताधारी पार्टी गुण्डों और बदमाशों की एक फौज इकट्ठी कर रही है। उस फौज के आधार पर, गुण्डों और बदमाशों की फौज के आधार पर वह जबर-दस्ती शासन करना चाहती है। चुनाव के बूथ कैप्चर करके वोट लेना चाहती है। इसके लिए मैं श्री अशोक सेन साहब के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि न केवल शिक्षा पालिसी के लिए, बंगाल में कानून और व्यवस्था की जाँच करने के लिए एक हाई पावर कमीशन बनाया जाना चाहिए, बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ सभापति जी कि जो शिकायतें बंगाल से आ रही हैं उनके आधार पर बंगाल की सरकार को तुरंत बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। काश, मैं इसका समर्थन कर सकता, किन्तु चूंकि मेरा अन्त-करण नहीं मान रहा, इसलिये मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बड़े ध्यान से प्रस्ताव के समर्थन में दिये गये भाषणों को सुन रहा था मैंने विशेषकर अपने अच्छे मित्र श्री गाडगिल द्वारा दिये गये शुरू के भाषण को बहुत ध्यान से सुना उन्होंने अपने भाषण में हास्य का पुट देने का आदत प्रयास किया था तथा साथ ही कुछ जानकारी देने की भी बचकानी कोशिश की थी और मेरे द्वारा सुने गये शेष भाषण भी उसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। बताये गये तथ्य काल्पनिक हैं, आँकड़ो के संबंध में हेराफेरी की गयी है, बताये गये अनुमान बेतुके हैं और जब वे अपने विरोधियों में टिप्पणियाँ देते हैं, तो वह लगभग अश्लील सी होती हैं। महोदय, मुझे उनके भाषण बीमा पालिसी के एक आवेदक की याद दिलाते हैं जिसने एक लम्बा फार्म भरना था और जब उसके सामने फार्म का यह कालम आया जिसमें यह पूछा गया था "आपके पिता की आयु क्या थी जब वह मरे थे और किस कारण वह मरे थे।" वह आवेदक सच्चाई नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसका पिता एक हत्यारा था और उसे फाँसी दी गयी थी। अतः, उसने बहुत नम्रतापूर्वक बीमे के फार्म में लिखा कि

उसके पिता 65 वर्ष की आयु में मरे थे जबकि वह एक सार्वजनिक उत्सव में भाग ले रहे थे और अकस्मात प्लेटफार्म गिर गया था। ये बातें झूठ हैं जिसमें ऐसी बाते भी शामिल हैं जो पूरी तरह सच्ची नहीं हैं जिन्हें मैं हम प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के दौरान गत दो या तीन दिन से सुन रहा हूँ। मैं उस प्रकार की हल्की फुल्की बातें नहीं करना चाहता जो श्री गाडगिल करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने एक उपहास के साथ अपने भाषण को शुरू किया जिसे मैं समझने का प्रयास करता रहा हूँ लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पाया हूं। उन्होंने एक हास्यस्पद घटना का उल्लेख किया था, जिसमें प्रधान मंत्री के स्थान की ओर संकेत किया गया था दूसरा तत्व उस उपहास की यह थी कि श्री चरणसिंह द्वारा उस स्थान का उपयोग किसी गैर-कानूनी तरीके से किया गया था और तीसरा तत्व उस उपहास का यह था कि श्री चरणसिंह को उस स्थान के उपयोग करने का दण्ड मिल चुका है। मुझे यह मालूम नहीं है कि वह उपहास उस भाषण के मूल पाठ अथवा कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हमें बतायी गयी बात से किस प्रकार संबद्ध है। किन्तु मैं उन्हें बता सकता हूँ कि मेरे दल में कोई भी व्यक्ति प्रधान मंत्री के स्थान में रुचि नहीं रखता। हमें तो केवल इस बात में रुचि है कि प्रधान मंत्री के कार्य क्या हैं और उन कार्यों का इस देश के भविष्य और वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

एक माननीय सदस्य : आपको तो अंधेरा ही नजर आता है। आपको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा।

श्री राम जेठमलानी : मेरे विद्वान मित्र अभी-अभी विदेश से लौटे हैं और हमने सोचा था कि किसी प्रकार के आत्म संयम को अपना करके लौटेंगे··· (व्यवधान) मैं आपके प्रधान मंत्री को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हूं, मैं तो उनको अन्धकार में भी देख लूंगा।

इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय तथा अनुमोदक महोदय द्वारा कुछ आर्थिक आंकड़े दिये गये हैं। आंकड़ों के बारे में हेराफेरी की जा सकती है। इन आंकड़ों के बारे में पहली कठिनाई तो यह है कि श्रीमती गांधी और उनकी सरकार ने अपने कार्यकलापों की 1979-80 के बाद वाले भाग से तुलना करने का प्रयास किया है। सरकार हमें यह विश्वास दिलाना चाहती है जैसाकि वह सरकार एक भिन्न सरकार थी और स्वयं अच्छे काम का चैन लेना चाहती है और कुछ गलत कामों की जिम्मेदारी उस सरकार को देना चाहती है। मैं सदैव यही कहता रहा हूँ और अभी भी यही कहता हूँ कि श्रीमती गांधी की सरकार इस देश में जनवरी, 1980 में ही स्थापित नहीं हुई बलिक यह अगस्त-सितम्बर, 1979 में ही स्थापित हो गयी थी। और एक वृद्ध व्यक्ति, एक वृद्ध महिला की ओर से शासन कर रहा था। यह वह सरकार थी जिसे स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बनाया था। यह सरकार राजनीतिक भ्रष्टाचार की देन है और राजनीतिक भ्रष्टाचार द्वारा ही उसका पोषण किया गया है। यह सरकार अधिक दिन नहीं रह सकती क्योंकि इसमें सभी प्रकार की प्रतिभा का अभाव है और इस सरकार में जिस प्रकार की प्रतिभा के व्यक्तियों को लिया गया वे राजनीतिक अखंडता से रहित थे। अतः इस सरकार को यह बात शोभा नहीं देती कि वह 1979 और 1980 के अपने ही कार्यकलापों के तुलनात्मक आंकड़े दे।

उसके आंकड़ों के बारे में दूसरी कठिनाई यह है जैसाकि मैं पहले कह चुका है कि आंकड़ों के सम्बन्ध में हेराफेरी की जा सकती है। आप आर्थिक उत्पादन के बारे में कहते रह सकते हैं।

आप औद्योगिक उत्पादन के बारे में कहते रह सकते हैं। अब यदि आपके पास आर्थिक विकास के ग्राफ हों और एक ग्राफ ऐसा हो जो ऊपर को बढ़ता हुआ दिखाया जाये और दूसरे ओर ग्राफ में नीचे आता हुआ दिखाया जाये और आप ते यह करना है कि आप सिर के बल खड़े हो जायें और सब कुछ जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है वह नीचे आता हुआ दिखाई देगा और सब कुछ जो नीचे आ रहा है वह ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यही कुछ मेरे प्रतिष्ठित मित्र गत तीन दिन से करते चले आ रहे हैं।

इसके उत्तर में, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि विशेषज्ञों द्वारा किए गये सर्वेक्षणों के जो कुछ निष्कर्ष दिये गये हैं, वे विरोधी पक्ष की समर्थक पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुए, प्रत्युत श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा और उनके आशीर्वाद से शुरू की गयी पत्रिका में प्रकाशित किये गये हैं। 'इण्डिया टुडे' के नवम्बर 16-30 के अंक में अर्थशास्त्रियों ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में ग्राफ और चार्ट भी दिये गये हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है—

"एक सरकार वह है जो काम करती है, वह सरकार धीरे-धीरे एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना रही है जो कि काम नहीं कर रही। हर बार जब थोक मूल्य सूचकांक एक अथवा दो दशमलव विन्दु कम होता है, तो वित्त मन्त्री, श्री रामा स्वामी वेंकटरामन इस मुख्य समाचार के श्रेय को अपने इस उकता देने वाले नारे के द्वारा हथियाने के प्रयास करते हैं कि मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण कर लिया गया है। किन्तु मूल्य सूचकांक पुन: अधिक शक्ति के साथ बढ़ने के लिए ही कम हुआ है और जब से श्री वेंकट रामन ने लोक दल के वित्त मन्त्री से कार्यभार संभाला था तब से यह मूल्य सूचकांक लगभग 15 प्रतिशत तक बढ़ चुका है।

"लगभग सभी प्रकार के संकेत यह बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि यह बिगाड़ किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। बिजिनस स्टैन्डर्ड द्वारा किए गए एक विशेष सर्वेक्षण के अनुसार 'आर्थिक संकट और बिगड़ा जा रहा प्रतीत होता है और औद्योगिक सम्भावना भी अस्पष्ट है।"

मैं इस समूची रिपोर्ट को नहीं पढ़ना चाहता, किन्तु खाद्यान्नों के सन्दर्भ में इसमें यह कहा गया है—

"युद्ध के अतिरिक्त देश के मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह प्राय: निश्चित ही है कि बम्पर फसल..."

जिसकी आशा की गयी थी और जिसकी पहले से ही घोषणा कर दी गयी थी।

"...वैसी जबरदस्त नहीं होगी जिसकी आशा की गयी थी और हम फसल के आंकड़े लगभग 1978-79, अर्थात दो वर्ष पूर्व, के लगभग हो सकते हैं। चूंकि गत वर्ष कृषि के लिए एक खराब वर्ष था, इसलिए 1979-80 की तुलना में यह प्रतीत हो सकता है कि कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि वास्तविक विकास बिलकुल हुआ ही नहीं है और खाद्यान्न उत्पादन वही है जो दो वर्ष पूर्व था। यही बात इस्पात की है..."

मैं अपने मित्रों को नम्रतापूर्वक देश के हित में, उनके दल के हित में जिससे वे संबंधित हैं तथा उस उद्देश्य के हित में जिसका वह दावा करते हैं, परामर्श दे सकता हूँ :" कृपया एक

शतुमुर्ग की तरह वास्तविकताओं के प्रति अपनी आंखों को बन्द मत रखिये। आप गलत तरीके से मत सोचिए और कहिए मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है; मैं किसी प्रकार के खतरे को सुन नहीं रहा हूँ और फिर सरकार के कार्य कलापों के बारे में तथ्यों के सम्बन्ध में झूठ-झूठ प्रशंसा भरे शब्दों में शोर मचाते रहिये।

श्री गाडगिल ने कुछ ऐतिहासिक पूर्वोदारण दिये हैं, जिससे मैं उसे अंग्रेजी की उस प्रसिद्ध कहावत की याद दिला सकता हूँ जो महान सम्राट नीरो के बारे में है :" नीरो चैन की बन्शी बजा रहा था जबकि रोम जल रहा था।" वह मन्द बुद्धि एवं भद्दे शरीर वाला था और ऐसा बदसूरत था जैसा कि कोई मानवीय नमूना हो सकता है। किन्तु वह चापलूसों से घिरा रहता था क्योंकि वह सम्राट था और चापलूस उस दिन रात हर समय यही बताते रहते थे कि वह एक बहुत ही सुन्दर व्यक्ति है और जब तक उसके सुन्दर शरीर को न देख लिया जाये, तब तक रोम के लोगों को प्रेरणा नहीं मिल सकती। चापलूसी का ऐसा प्रभाव है जिस पर सम्राट विश्वास करता था और उसने यह निर्णय लिया कि उसे रोम की गलियों में नंगा चलना चाहिए ताकि रोम के लोग उसकी सुन्दर शरीर रचना से प्रेरणा प्राप्त करें। और वह दावा करता था कि वह एक महान संगीतकार है जबकि एक बार भी उसकी वीणा स्वर संगति नहीं कर सकी। हमने केवल बेसुटापन ही पैदा किया। किन्तु चापलूसों ने उसे बताया कि वह एक महान संगीतकार है। अत: रोम जल रहा था, वह चैन की बन्सी बजा रहा था। किन्तु उन दिनों भी इतिहास में रोमन साम्राज्य में एक महान व्यक्ति था और वह पेट्रोनियस था और उसके शिक्षक पेट्रोनियस ने उसे पत्र लिखा जिसमें कहा गया था "देखो; तुम न तो सुन्दर हो और न ही अच्छे संगीतकार हो। कृपा करके सावधान हो जाओ। तुम्हारे आस-पास के सभी लोग तुम्हें गलत बता रहे हैं। और महोदय पेट्रोनियस समझदार व्यक्ति था। सम्राट को पत्र भेजने के पश्चात उसने एक ब्लेड लिया और अपनी धमनी को काट दिया, ताकि नीरो द्वारा उस पर रोष ढहाने से पूर्व उसकी रक्त बहने से मृत्यु हो जाये।

मुझे आशा है कि 350 मैत्री पूर्ण सज्जनों वाला यह विशाल दल भी एक पेट्रोनियस पैदा करेगा जिसे खड़ा होकर यह कहने का नैतिक साहस प्राप्त है कि देश में पारिस्थितियाँ वैसी ठीक नहीं है वैसा कि दावा किया जा रहा है और वह एक पेट्रोनियस राजा को यह कहेगा कि वह नगा है और वह वैसा सुन्दर नहीं है जैसाकि दावा किया गया है। किन्तु दुर्भाग्यवश यदि आप उसकी प्रशंसा करते रहेंगे जहाँ प्रशंसा करना उचित नहीं है, तो देश का कठिनाइयों का समाधान कैसे होगा; क्योंकि जब तक आप सही निदान नहीं कर लेते, तब तक कोई समाधान नहीं मिल सकता। और यदि निदान सही नहीं होगा, तो मुझे डर है कि बीमारी को और बिगाड़ देंगे। मुझे डर है कि आप सभी खराब चिकित्सक होंगे और आप बीमारी को इतना अधिक बिगाड़ देंगे जैसाकि अतीत में पहले कभी भी नहीं हुआ होगा।

आप गलत तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। श्रीमती गाँधी ने आज संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप में हस्तक्षेप करके राष्ट्रपति प्रणाली लाने के इरादे से इंकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। उन्होंने इस मामले पर गहराई से कभी भी विचार नहीं किया है। किन्तु दो व्यक्ति ऐसे हैं जो उनके एजेंट के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं वह बात कहते जा रहे जिसका जिसके इरादे से श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इन्कार किया है। ऐक

हैं, श्री अन्तुले जो उस महान राज्य महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित मुख्य मन्त्री जिससे मैं भी चुना गया हूँ दूसरे हैं मेरे प्रतिष्ठित मित्र श्री गाडगिल जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में लम्बा भाषण दिया है।

आप देश की गरीबी अथवा महाराष्ट्र की गरीबी के बारे में सोचिये। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार की तलाश में हजारों रुपये खर्च करके लन्दन जाने वाले मुख्यमंत्री द्वारा इसे दूर किया जा सकता है और उस तलवार के साथ देश का पुनर्निर्माण किया जा सकता है मेरे विचार में प्रत्येक व्यक्ति गलत फहमी में है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह विश्वास करते हैं कि यदि तलवार लंदन में है तो इसे भारत में आना ही चाहिए। किन्तु यदि तलवार को भारत में लाना है तो मुख्य मंत्री श्री अन्तुले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें इस कार्य के लिए लंदन भेजा जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कर अपने आपको तथा उस राज्य को, जिससे वह संबंधित हैं, अपमानित किया। उन्होंने समूचे देश को अपमानित किया। उन्होंने यह प्रभाव डालने के लिए कि वह वास्तव में ही तलवार की तलाश में हैं। इसके लिए सभी प्रयास किये लेकिन सभी प्रयास करके भी वह ब्रिटिश मंत्री मंडल के सबसे कनिष्ट मंत्री से दो मिनट के लिए मिल सकें। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ब्रिटिश मंत्री मंडल के सबसे कनिष्ट मंत्री से दो मिनट के लिए मिल सके। एक मिनट में वह भीतर गए और दूसरे मिनट वह बाहर आ गये। और उन्हें केवल यह बताया गया कि यदि आप तलवार को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भारत सरकार से कहिए कि वह ब्रिटिश सरकार को लिखें और इस मांग पर विचार किया जायेगा। जनता क्या पैरक खर्च करके वह इस देश में वापिस आए और महाराष्ट्र में अपने श्रोताओं, चाकार श्रोताओं को कहा कि पहली मई को तलवार महाराष्ट्र में आ रही है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यह चालें हैं। यह चालों द्वारा चलने वाली सरकार है और चालों द्वारा चलने वाली सरकार इस देश की गम्भीर समस्याओं को हल नहीं कर सकती। यदि आप भी इस प्रकार की चालाकी में विश्वास रखते हैं तो जैसे कि मैंने देखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी स्थिति बहुत ही खराब है।

मैंने सोचा था कि प्रधान मंत्री इन कामों को स्वयं अपने हाथ में लेंगी। लेकिन मालूम होत है कि वह...

आचार्य भगवान देव : आपकी गाड़ी पटरी से उत्तर गयी है। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोल रहे हैं। आप महाराष्ट्र और शिवाजी की तलवार की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करो।

श्री राम जेठमलानी : मैंने सोचा था कि प्रधान मंत्री देश की इस परीस्थिति को देखते हुये कि वह किस दिशा में जा रहा है, मामले को अपने हाथों में लेगी। मुझे बहुत खेद है कि प्रधान मंत्री देश को समस्याओं की ओर ध्यान देने के तहथ अपने जीवन के आखरी दिनों में विश्व के समस्याओं की ओर अधिक ध्यान दे रही हैं। मुझे प्रधान मंत्री द्वारा अपने ईश्वर के समक्ष समर्पण करने के वारे में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि प्रधान मंत्री अपने गुनाहों का प्रायश्चित करें। मैं खुद समझता हूँ कि उन्हें बहुत से गुनाहों का प्रायश्चित करना है लेकिन मुझे इस तात पर आपत्ति है कि आप सरकारी खर्च पर अपने इष्टदेव की आराधना नहीं कर सकतीं। आप हेलिकाप्टर नहीं ले सकती (व्यवधान)। उन्होंने हेलिकाप्टर लिया और

सरकारी खर्च पर फूलों को लेकर उस महान् संत की मूर्ति पर फैंका और भगवान् के समक्ष समर्पित करने और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने की कोशीश की।

आज देश को विवेकहीन भावना तथा निराधार और अन्तर्गत अंधविश्वास को मनोवृत्ति ने ग्रस लिया है। देश पहले ही अंधविश्वास से गुप्त है और जो नित्यप्रति बढ़ता ही जा रहा है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : प्रधान मंत्री राष्ट्र के नेता के रूप में वहाँ देश की शांति के लिये गयी थीं अपनी व्यक्तिगत शांति के लिये नहीं।

श्री राम जेठमलानी : मेरे विचार से मुझे हेलिकाप्टर के बारे में नहीं बोलना चाहिये।

आचार्य भगवान देव : प्रायश्चित तो आपको करना चाहिये क्योंकि आपने भारतीय जनता के साथ विश्वासघात किया है, उसको धोखा दिया है (व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : सभापति महोदय, आप ठीक कहते हैं। मेरे विचार में हेलिकाप्टर के जिक्र से दुख और चिड़चिड़ाहट होती है। मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन मुझे अपने मित्र श्री गाडगील के बारे में कहने दीजिये। उन्होंने ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास और संवैधानिक कार्यकरण सम्बन्धी अपने अध्ययन के बारे में हमें कुछ बताया है। वह इस बारे में सभा को जानकारी दे रहे थे। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ क्योंकि वह मेरे मित्र हैं। आखिर उनका व्यवसाय वही है, जो मेरा है। जो कुछ उन्होंने सभा में कहा मैंने उसका अध्ययन करने का प्रयास किया है। उन्होंने पहले कहा कि वेस्टमिनिस्टर ढाँचे में अब परिवर्तन आ रहा है। अतः हमें वेस्टमिनिस्टर ढाँचे से नहीं चिपके रहना चाहिये। एक राजकीय ला कालेज का विद्यार्थी, जहाँ मैं अध्ययन कार्य करता हूं—मैं मूलतः अध्यापक हूं, वकील नहीं— जानता है कि हमने थोड़ी सी बातों को छोड़ कर, कभी भी वेस्टमिनिस्टर ढांचे को नहीं अपनाया है, वेस्टमिनिस्टर ढाँचे से एक प्रभुत्वत्ता सम्पन्न संसद का निर्माण होता है। हमने गैर प्रभुत्वता सम्पन्न संसद का निर्माण किया है और संसद को संविधान के प्रतिबन्धों के अधीन एक है और ये प्रतिबंध व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों तथां अर्ध संघीय ढाँचे आदि आदि से सम्बन्धित हैं। लेकिन इंगलैंड का निवासी भारतीय संविधाक के गुणों को देखने लग गया है, उस संविधान को लिखे पंडित नेहरू, डा. अम्बेदकर, श्री अलादि कृष्ण स्वामी अमर डेले विशिस्ट लोगों ने तैयार किया है। हम इन लोगों द्वारा दिखाये गये राष्ट्र पर नहीं चल सकते और इनके पैरों के पास नहीं बैठ सकते। उस महान् संवैधानिक दस्तावेज ने मूलभूत अधिकारों और न्यायिक समिक्षा की प्रणाली का निर्माण किया अंग्रेजों ने यह समाधान शुरू कर लिया है कि भारत ने 1950 के आसपास जिस चीज का निर्माण किया है, वह आज इंगलैंड के लिये अच्छी है और इसीलिए ब्रिटिश सांसद चाहते हैं कि इंगलैंड की संसदीय प्रभुसत्ता को त्यागा जाना चाहिये और उन्हें एक बिल आफ राईट्स की प्रणाली बनानी चाहिये जिसे न्यायिक दृष्टि से न्यायालयों में लागू किया जाना चाहिये और यदि इंगलैंड को हमारा संविधान अच्छा लग रहा है तो इस देश के लोगों में अवश्य कोई न कोई बुनियादी खराबी है— विशेषकर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और श्री गाडगील या उन जैसे लोगों में जो इस संविधान को फैंकना चाहते हैं।

श्री गाडगील ने हमें यह भी बताया कि वे ऐसा होने तो दें। उन्होंने कहा कि इंगलैंड का प्रधान मंत्री बहुत शक्तिशाली हो गया है, वैसे ही हमारा प्रधान मंत्री को होना चाहिये। इन्होंने

समाप्त करना, हमारा प्रथम और प्रमुख कार्य है। विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार के कार्य-कलापों के विरूद्ध नारे लगाये हैं, परन्तु वह कोई नई बात नहीं है और जो कुछ वे कहते हैं मैं उनमें विश्वास नहीं करता। उन्हें तो अपने दुष्कर्मों पर लज्जित होना चाहिए। यदि सत्ता में रहते वे लोगों की भलाई के लिए काम करते तो उनकी सरकार न गिरती।

विपक्ष में बैठे मेरे मित्र जब जनता पार्टी में थे तो वे यह कहते न थकते थे कि वे फिर से लोकतंत्र लाने और विधि और व्यवस्था स्थापित करने तथा संविधान की गरिमा लौटाने में सफल रहे थे। मैं फिर भी कहता हूँ कि केवल मौलिक अधिकारों की पुनर्स्थापन से ही वे समस्याएं हल नहीं हो जायेंगी जिन्हें आज हमारी जनता झेल रही है। हमे तो लोगों की आर्थिक दशा सुधारनी चाहिए।

जबकि जनता पार्टी लोकतन्त्र की मुक्ति दाता और गरीबों तथा पद दलितों की चैम्पियन होने का दम भरती रही तो वह न केवल उन अमीरों, काला बाजारियों जमाखोरों तथा मुनफा-खोरों की सहायता करती रही, जिन्होंने भ्रष्ट तरीकों से जनता शासन के दौरान मात्रा में भारी मात्रा में काला धन एकत्र किया। साम्यवादी भाई अलग ढंग से सोच सकते हैं, परन्तु जनता शासन के दौरान गरीबों को दबाया और कुचला गया था। आज वे गरीबों के लिए मगर-मच्छी आंसू बहा रहे हैं परन्तु लोग उनकी हकीकत को जानते हैं। वे अपनी सरकार को जनता की सहायता करने हेतु कुछ अच्छी सलाह दे सकते थे जो कि उन्होंने दी ही नहीं। आज के समक्ष जो समस्यायें हैं उनको हल करने में उन्हें सरकार की सहायता करनी चाहिए उन्हें केवल विपक्ष के भाव से सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए।

देश को श्रीमती इन्दिरा गांधी पर गर्व है जो कि हरिजनों के उद्धार के लिए योजनायें लागू कर रही हैं। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये के खर्चे से उनकी सभी समस्यायें हल हो जायेंगी। एक विशेष बुनयादी योजना तैयार की गई है और इसे देश के सभी भागों में लागू किया जायेगा। इन योजनाओं को पूर्ण रूपेण लागू करने का यही ठीक समय है। वर्ष 1980-81 में बुनयादी योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि अलग से दी गई थी जबकि अब तक केवल 75 करोड़ रुपये ही वितरित किये गये हैं। मेरी सरकार की अभ्यर्थना है कि यथाशीघ्र बकाया राशि को भी उपयोगी कामों में लगा दे जिससे इस योजना के अन्तर्गत हरिजन लाभान्वित हो सकें।

मैं सुधारों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। यह है तो एक प्रगतिवादी कदम, परन्तु सरकार को चाहिए कि इसे सही ढंग से लागू करें। राज्यों को उचित मार्ग दर्शन जारी किया जाना चाहिए और उनके राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों को उन्हें लागू करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ राज्य उस ढंग से उसे लागू नहीं कर रहे हैं। जिस ढंग से उन्हें लागू करना चाहिए। राज्य स्तर पर इसकी क्रियान्विति की देखभाल करने के लिए कुछ व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।

जबकि कांग्रेस तो जनता के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सदैव उत्सुक रही है, परन्तु इसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण जमींदारी प्रथा के उत्मूलन तथा अन्य ऐसे कामों जैसे अपने प्रगतिवादी कार्यक्रमों के विरूद्ध निहित स्वार्थों का सामना करना पड़ा है। परन्तु उस विरोध के बावजूद सरकार प्रगतिवादी उपायों को लागू करने में सफल रही है।

आप औद्योगिक उत्पादन के बारे में कहते रह सकते हैं। अब यदि आपके पास आर्थिक विकास के ग्राफ हों और एक ग्राफ ऐसा हो जो ऊपर को बढ़ता हुआ दिखाया जाये और दूसरे ओर ग्राफ में नीचे आता हुआ दिखाया जाये और आप ते यह करना है कि आप सिर के बल खड़े हो जायें और सब कुछ जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है वह नीचे आता हुआ दिखाई देगा और सब कुछ जो नीचे आ रहा है वह ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यही कुछ मेरे प्रतिष्ठित मित्र गत तीन दिन से करते चले आ रहे हैं।

इसके उत्तर में, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि विशेषज्ञों द्वारा किए गये सर्वेक्षणों के जो कुछ निष्कर्ष दिये गये हैं, वे विरोधी पक्ष की समर्थक पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुए. प्रत्युत श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा और उनके आशीर्वाद से शुरू की गयी पत्रिका में प्रकाशित किये गये हैं। 'इण्डिया टुडे' के नवम्बर 16-30 के अंक में अर्थशास्त्रियों ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में ग्राफ और चार्ट भी दिये गये हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है—

"एक सरकार वह है जो काम करती है, वह सरकार धीरे-धीरे एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना रही है जो कि काम नहीं कर रही। हर बार जब थोक मूल्य सूचकांक एक अथवा दो दशमलव विन्दु कम होता है, तो वित्त मन्त्री, श्री रामा स्वामी वेंकटरामन इस मुख्य समाचार के श्रेय को अपने इस उकता देने वाले नारे के द्वारा हथियाने के प्रयास करते हैं कि मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण कर लिया गया है। किन्तु मूल्य सूचकांक पुन: अधिक शक्ति के साथ बढ़ने के लिए ही कम हुआ है और जब से श्री वेंकट रामन ने लोक दल के वित्त मन्त्री से कार्यभार संभाला था तब से यह मूल्य सूचकांक लगभग 15 प्रतिशत तक बढ़ चुका है।

"लगभग सभी प्रकार के संकेत यह बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि यह बिगाड़ किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। बिजिनस स्टेन्डर्ड द्वारा किए गए एक विशेष सर्वेक्षण के अनुसार 'आर्थिक संकट और बिगड़ा जा रहा प्रतीत होता है और औद्योगिक सम्भावना भी अस्पष्ट है।"

मैं इस समूची रिपोर्ट को नहीं पढ़ना चाहता, किन्तु खाद्यान्नों के सन्दर्भ में इसमें यह कहा गया है—

"युद्ध के अतिरिक्त देश के मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह प्राय: निश्चित ही है कि बम्पर फसल..."

जिसकी आशा की गयी थी और जिसकी पहले से ही घोषणा कर दी गयी थी।

"...वैसी जबरदस्त नहीं होगी जिसकी आशा की गयी थी और हम फसल के आंकड़े लगभग 1978-79, अर्थात दो वर्ष पूर्व, के लगभग हो सकते हैं। चूंकि गत वर्ष कृषि के लिए एक खराब वर्ष था, इसलिए 1979-80 की तुलना में यह प्रतीत हो सकता है कि कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि वास्तविक विकास बिलकुल हुआ ही नहीं है और खाद्यान्न उत्पादन वही है जो दो वर्ष पूर्व था।

यही बात इस्पात की है..."

मैं अपने मित्रों को नम्रतापूर्वक देश के हित में, उनके दल के हित में जिससे वे संबंधित हैं तथा उस उद्देश्य के हित में जिसका वह दावा करते हैं, परामर्श दे सकता हूँ:" कृपया एक

शतुमुर्ग की तरह वास्तविकताओं के प्रति अपनी आंखों को बन्द मत रखिये। आप गलत तरीके से मत सोचिए और कहिए मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है; मैं किसी प्रकार के खतरे को सुन नहीं रहा हूँ और फिर सरकार के कार्य कलापों के बारे में तथ्यों के सम्बन्ध में झूठ-झूठ प्रशंसा भरे शब्दों में शोर मचाते रहिये।

श्री गाडगिल ने कुछ ऐतिहासिक पूर्वोदारण दिये हैं, जिससे मैं उसे अंग्रेजी की उस प्रसिद्ध कहावत की याद दिला सकता हूँ जो महान सम्राट नीरो के बारे में है :" नीरो चैन की बन्शी बजा रहा था जबकि रोम जल रहा था।" वह मन्द बुद्धि एवं भद्दे शरीर वाला था और ऐसा बदसूरत था जैसा कि कोई मानवीय नमूना हो सकता है। किन्तु वह चापलूसों से घिरा रहता था क्योंकि वह सम्राट था और चापलूस उस दिन रात हर समय यही बताते रहते थे कि वह एक बहुत ही सुन्दर व्यक्ति है और जब तक उसके सुन्दर शरीर को न देख लिया जाये, तब तक रोम के लोगों को प्रेरणा नहीं मिल सकती। चापलूसी का ऐसा प्रभाव है जिस पर सम्राट विश्वास करता था और उसने यह निर्णय लिया कि उसे रोम की गलियों में नंगा चलना चाहिए ताकि रोम के लोग उसकी सुन्दर शरीर रचना से प्रेरणा प्राप्त करें। और वह दावा करता था कि वह एक महान संगीतकार है जबकि एक बार भी उसकी वीणा स्वर संगति नहीं कर सकी। हमने केवल वेसुटापन ही पैदा किया। किन्तु चापलूसों ने उसे बताया कि वह एक महान संगीतकार है। अतः रोम जल रहा था, वह चैन की बन्सी बजा रहा था। किन्तु उन दिनों भी इतिहास में रोमन साम्राज्य में एक महान व्यक्ति था और वह पेट्रोनियस था और उसके शिक्षक पेट्रोनियस ने उसे पत्र लिखा जिसमें कहा गया था "देखो; तुम न तो सुन्दर हो और न ही अच्छे संगीतकार हो। कृपा करके सावधान हो जाओ। तुम्हारे आस-पास के सभी लोग तुम्हें गलत बता रहे हैं। और महोदय पेट्रोनियस समझदार व्यक्ति था। सम्राट को पत्र भेजने के पश्चात उसने एक ब्लेड लिया और अपनी धमनी को काट दिया, ताकि नीरो द्वारा उस पर रोष ढहाने से पूर्व उसकी रक्त बहने से मृत्यु हो जाये।

मुझे आशा है कि 350 मैत्री पूर्ण सज्जनों वाला यह विशाल दल भी एक पेट्रोनियस पैदा करेगा जिसे खड़ा होकर यह कहने का नैतिक साहस प्राप्त है कि देश में पारिस्थितियाँ वैसी ठीक नहीं है वैसा कि दावा किया जा रहा है और वह एक पेट्रोनियस राजा को यह कहेगा कि वह नगा है और वह वैसा सुन्दर नहीं है जैसाकि दावा किया गया है। किन्तु दुर्भाग्यवश यदि आप उसकी प्रशंसा करते रहेंगे जहाँ प्रशंसा करना उचित नहीं है, तो देश का कठिनाइयों का समाधान कैसे होगा; क्योंकि जब तक आप सही निदान नहीं कर लेते, तब तक कोई समाधान नहीं मिल सकता। और यदि निदान सही नहीं होगा, तो मुझे डर है कि बीमारी को और बिगाड़ देंगे। मुझे डर है कि आप सभी खराब चिकित्सक होंगे और आप बीमारी को इतना अधिक बिगाड़ देंगे जैसाकि अतीत में पहले कभी भी नहीं हुआ होगा।

आप गलत तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। श्रीमती गाँधी ने आज संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप में हस्तक्षेप करके राष्ट्रपति प्रणाली लाने के इरादे से इंकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। उन्होंने इस मामले पर गहराई से कभी भी विचार नहीं किया है। किन्तु दो व्यक्ति ऐसे हैं जो उनके एजेंट के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं वह बात कहते जा रहे जिसका जिसके इरादे से श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इन्कार किया है। ऐक

लोगों को रोजगार के अवसर जुटाने की आवश्यकता पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह सलाह दूंगा कि एक आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। अधिक रोजगार जुटाने के सभी कार्यक्रम नौकरशाहों द्वारा उदासीन भाव से चलाए जा रहे हैं और युवकों को उससे कोई लाभ नहीं होता। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जिस पर रोक लगनी चाहिए और ग्रामीण युवकों को इससे लाभ मिलना चाहिए।

हम देखते हैं कि किसी-किसी परिवार को तो सभी नौकरियां मिल जाती हैं जबकि अन्य लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक परिवार के केवल एक सदस्य को ही रोजगार मिलना चाहिए जिससे कि रोजगार सुविधाओं का समरूप से बटवारा हो सके। आवासों के बटवारे में भी यही स्थिति है, जिनके एक से अधिक घर हैं, उन्हें अतिरिक्त आवास से वंचित किया जाए और उन्हें सरकार को अन्य बेघर लोगों में बांट देना चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु को वर्तमान 58 वर्ष की आयु से घटाकर 45 वर्ष कर दिया जाए। सेवा-निवृत्ति पर वे अपने सेवा-निवृत्ति मिलने वाले आर्थिक लाभ को कृषि या कुछ अन्य धन्धों में लगा सकते हैं। इस व्यवस्था से लाखों रोजगार की तलाश करने वाले लोगों को रोजगार मिल सकता है।

देश में पेट्रोलियम-पदार्थों, उत्पादों का घोर अभाव है। विदेशों से इन उत्पादों को मंगाने के लिए सरकार भारी धन-राशि खर्च कर रही है तथा हमारे देश में ही तेल की खोज पर बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। सरकारी गाड़ियां ही करोड़ों रुपये का पेट्रोल और डीजल पी जाती हैं। तेल का खर्च घटाने के लिए ऐसी गाड़ियों की संख्या घटाई जानी चाहिए और अधिकारियों को सरकारी कारों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। यदि सरकारी अधिकारियों को मोटर गाड़ियां देनी आवश्यक हैं तो उन्हें मोटर-साइकिल या स्कूटर दिए जाने चाहिए। इससे काफी बचत हो सकेगी। इस प्रकार बचाए गए रुपये का अच्छे कामों के लिए उपयोग हो सकता है।

समय कम होने के कारण, मैं विद्युत उत्पादन, चाहे जल विद्युत हो या तापीय विद्युत को बढ़ाने की आवश्यकता का केवल जिक्र भर करूंगा। हमारे जल-स्रोतों का उचित और प्रभावशाली उपयोग होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ, भाषण के लिए समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है और जिसके बारे में गाडगिल साहब ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है और शर्मा जी ने समर्थन किया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ।

हम बहुत ही संकट की घड़ी में से गुजर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो पैरा नं० 40 है उसमें कहा गया है—'देश आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कठिनतम दौर को पार कर चुका है'—उससे मैं सहमत नहीं हूं। अभी हम कठिनतम दौर से गुजर रहे हैं। इससे निकलने के लिए हमें बहुत ही प्रयास करने की आवश्यकता है। बहुत से क्षेत्रों में हमें बहुत कुछ

कार्य करना है और बहुत-सी विषम परिस्थितियों का मुकाबला करके हमें राष्ट्र को प्रगति के शिखर पर पहुँचाना है।

अवश्य ही कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और 1979-80 के मुकाबले में हुई है। परन्तु 1977-78 के मुकाबले में यह वृद्धि कहाँ तक हुई है इसके पूरे आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। किन्तु हमें विश्वास है कि हम 1977-78 से भी अधिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकेंगे।

औद्योगिक उत्पादन में भी हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। विद्युत और कोयले की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। परन्तु मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि मैं जिस राजस्थान प्रांत से आता हूं वहां पिछले दो वर्षों से सूखा है और राजस्थान प्रांत के जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पिछले तीन वर्षों से और उसके कुछ स्थानों पर तो पिछले चार वर्षों से सूखा है। हमारा राजस्थान प्रांत कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ गया है। हमारे प्रदेश की इस समय जो स्थिति है वह अच्छी नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में यद्यपि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह स्पष्ट कहा गया है कि हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सफलता प्राप्त की है परन्तु मैं अपने प्रांत के बारे में कहना चाहता हूँ कि वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति बहुत ही विषम है और एक तरह से वहाँ यह टूट गयी है। इस प्रणाली के माध्यम से हमें जो गेहूँ मिल रहा है वह इस प्रकार मिल रहा है। आप देखिये मेरे जिले में पिछले तीन वर्षों से सूखा है लेकिन उस क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति गेहूँ एक किलो मिलता है जबकि हम बराबर डिस्ट्रिब्युशन करें। ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं एक किलो प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं मिलता है जबकि नगरों में आप तीन किलो प्रति व्यक्ति गेहूँ दे रहे हैं।

चावल की भी स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छी क्वालिटी का चावल तो मिलता ही नहीं और जो न्यूनतम क्वालिटी का चावल इस वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जाता है उसके भाव और मार्केट में जो उस चावल के भाव हैं वे समान नहीं हैं। फिर चावल कौन खरीदेगा? यह स्थिति है। गेहूँ का पूरा स्टाक मिलता नहीं है और अगर मिलता है तो प्रति व्यक्ति एक किलो मिलता है और चावल के भाव मार्केट रेट के समान हैं जिससे कोई चावल खरीदता नहीं है गेहूँ के भाव 250 रुपये क्विन्टल की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह से हमें बड़े ही संकट का सामाना करना पड़ रहा है।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जिस विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं उससे हमें निकाले। मेरे क्षेत्र में फेमिन हैं। जहां मजदूर काम करते हैं। उन अकालग्रस्त क्षेत्रों में तो कम से कम दया करें। वे लोग वहाँ पर कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उनको सस्ता अनाज उपलब्ध नहीं होता है। यह विषम परिस्थिति है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि जहाँ अकालग्रस्त क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में चीप-ग्रेन-शाप्स, पब्लिक-डिस्ट्रीब्यूशन-सिस्टम एक्टिव करे ताकि गरीब आदमी को लाभ मिल सके। गरीब आदमी की परचेजिंग पावर समाप्त हो चुकी है और इन परिस्थितियों में वे महंगा अनाज नहीं खरीद सकते। इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार द्वारा जो सहायता प्रदान की जा रही है, वह अपर्याप्त है। राजस्थान सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह स्वयं इन परिस्थितियों

का मुकाबला कर सके । जब यह प्रश्न आता है तब यही बात कह दी जाती है कि जो नार्म्स दूसरी स्टेट्स के लिए तय किए गए हैं, राजस्थान प्रांत के लिए भी उन्हीं के अनुसार काम किया जाएगा । इस विषम परिस्थिति में अनुरोध है कि जब वहां पर 2-3 साल से भयंकर स्थिति पैदा हो चुकी है तब इस गंभीर परिस्थिति को गंभीरतम रूप से लेना चाहिए और केन्द्र सरकार को विशेष रूप से मदद देनी चाहिए, लेकिन केन्द्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है ।

हमारे यहाँ बिजली की क्या स्थिति है—इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली के बारे में हम पूरी तरह से दूसरे प्राँतों पर निर्भर हैं । हमारा एटामिक प्लांट बार-बार खराब हो जाता है और हमारे वैज्ञानिक एक-डेढ़ महीने में भी उसको ठीक नहीं कर पाते । अभी प्रथम इकाई खराब हो जाती है । कभी द्वितीय इकाई खराब हो जाती है । अभी भी यही स्थिति है । हमें प्रतिदिन 160 लाख यूनिट बिजली मिलनी चाहिए, उसके बदले में 80 लाख से लेकर 100 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली मिल रही है । यह स्थिति है । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत पहले यह व्यवस्था की गई थी कि यह सारी सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम थी । सारी राशि इसके लिए केन्द्र सरकार देती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था की गई है कि 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी और 50 प्रतिशत राशि केन्द्र द्वारा दी जाएगी । राजस्थान सरकार 50 प्रतिशत देने की स्थिति में नहीं है । इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस पूरी राशि को केन्द्र सरकार ही वहन करें ।

फारेस्ट के बारे में यह स्थिति है कि फेमिन में जंगल काटे जा रहे हैं । वहाँ पर गरीब आदमियों के पास दरख्त काटने के अलावा रोजी का और कोई जरिया नहीं है । वे दरखतों को गिरा रहे हैं, दरख्तों को समाप्त कर रहे हैं । यह स्थिति है । इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रेगिस्तानी क्षेत्र की उन्नति करना चाहते हैं, अकाल का हल ढूंढ़ना चाहते हैं तो फारेस्ट-ग्रोथ के लिए अधिक राशि की व्यवस्था करनी चाहिए ।

सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल का कार्य भी जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं चल रहा है । कभी कोयला नहीं मिलता, कभी समेंट नहीं मिलता । इस प्रकार यह रूका हुआ है । राजस्थान कैनाल का कार्य जो 15 वर्ष पहले समाप्त हो जाना चाहिए था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

हमारे यहाँ पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है हम चाहते हैं कि बाड़ोर जिले में अगर सिंचाई के लिए पानी न भी मिले तो कम से कम पीने के पानी तो मिलना चाहिए । हमारे यहाँ जो ट्यूबवैल बन रहे हैं उनमें 10, 15 साल बाद पानी नहीं निकलेगा और फिर यह आवश्यकता पड़ेगी कि कैसे इस एरिया को सरफब्ज किया जाय । इसलिए आपको पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए । आपको लिफ्ट कैनाल की योजना बनानी चाहिए । जिससे कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था कर सकें । साथ ही जगलों के संरक्षण और उनको बढ़ाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए अगर ऐसा किया गया तो अच्छा रहेगा ।

जब तक परिवार नियोजन को अच्छी तरह कार्यान्वित नहीं करेंगे तब तक छठी योजना को जो हमने निश्चय किया है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 50 प्रतिशत लोगों की संख्या

घटा कर 30 प्रतिशत तक ला सकेंगे, यह हमारा स्वप्न पूरा नहीं हो सकेगा। हम कितना भी प्रयास करें अगर फेमिली प्लानिंग के काम को सक्रिय रूप से नहीं चलायें तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली 50 प्रतिशत जनसंख्या बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। यह ठीक है कि इस कार्यक्रम में इमरजेंसी के समय कुछ गल्तियाँ हुई हों, फिर भी यह कार्यक्रम अच्छा है और सभी पार्टियां इसको मान रही है। इसलिए इस कार्यक्रम को ताकत के साथ पूरा करनेकी कोशिश करनी चाहिए। दूरबीन नसबन्दी कार्यक्रम के लिए हमारे बाड़नेर जिले में लोगों का बड़ा अच्छा रेस्पांस है और महिलायें बड़ी खुशी से आपरेशन कराने के लिये आती हैं लेकिन उनका आपरेशन नहीं होता। कामयाब नहीं होता। अतः इसकी जाँच करनी चाहिये कि आपरेशन में सफलता मिलती है या नहीं 'सक्सेसफुल आपरेशन के लिए प्रयास करना चाहिये और इस कार्यक्रम को गति देनी चाहिये। जनता का इस कार्यक्रम के लिये अच्छा रेस्पांस है।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कहता हूँकि केन्द्रीय सरकार को बहुत ही मेहनत करनी है और कोशिश करनी है। हमको कामप्लेसेंट नहीं होना है। अगर हम मेहनत करेंगे और तमाम राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपोजीशन का भी सहयोग लेंगे और इस प्रकार सब मिल कर काम करेंगे तो निश्चय ही हम राष्ट्र की उन्नति कर सकेंगे।

श्री ए. नीलालोहियादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति द्वारा दिये अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया। मैं उसका विरोध करता हूं इसलिये कि राष्ट्रपति का अभिभाषण इस सदन की कृतज्ञता पाने योग्य नहीं है। राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारे राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकताओं से पालन करने की केवल कोशिश मात्र ही है।

राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण के द्वितीत पैराग्राफ में कहा गया है :

> तेरह महीने पूर्व सरकार ने सत्ता संभालो। तब से वह तो वर्षों कीन निष्क्रियता के कारण बिगड़ी हुई देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तेजी और मजबूती से आगे बढ़ रही है।

लेकिन बात यह है कि पिछले 3 वर्षों से जो सरकार चल रही थी, उस सरकार का भी सांविधानिक नेतृत्व वर्तमान राष्ट्रपति ही कर रहे थे, इसलिये उस सरकार के वर्तमान राष्ट्रपति से कहलवाकर वास्तव में वर्तमान सरकार ने राष्ट्रपति की निन्दा ही की है। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का द्वितीय पैराग्राफ हमारी प्रजातंत्र की परम्परा के बिल्कुल लायक नहीं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस पैराग्राफ से वर्तमान सरकार, जनता पार्टी ने जो किया, वह भी वही करती जाती है। सन् 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई तब उस पार्टी के कुछ लोग कहने लगे कि भारत में जो समस्याएं हैं, उसका कारण 30 वर्षों का कांग्रेसी शासन ही है। केवल कांग्रेसी शासन के दोषों के आरोप लगाते-लगाते जनता पार्टी के लोगों को अपना कुछ करने का मोका ही नहीं मिला।

पिछले वर्ष 1980 में कांग्रेस (आई) सत्ता में आई और सभी दोषों के लिये जनता लोकदल शासन को उत्तरदायी बताने लगी। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी पिछली सरकार पर सारे दोष लगाकर वह सपने आप को बचाना चाहती है, इससे कोई काम होता नहीं है।

हम जानते हैं कि पिछले लोक-सभा चुनाव में श्रीमती गांधी की पार्टी कांग्रेस (आई) का यही नारा था कि जो पार्टी शासन कर सकती है, उसको वोट दो। लेकिन एक वर्ष बीत

जाने पर भी श्रीमती गाँधी आज तक अपने मंत्रि-मडल को बना नहीं पाई है। वह अपने से प्रतिष्ठावान लोगों को पा नहीं सकती हैं।

छठे पैराग्राफ में कहा गया है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था को बाहरी मुद्रास्फीति दबावों से पृथक रखना संभव नहीं है। लेकिन आज की परिस्थिति में जो कुछ किया जा सकता है, वह भी करने में यह सरकार कोई कदम नहीं उठाती है।

हमारे कोयला, गेहूँ, चावल चीनी आदि को पहुँचाने के लिये साधनों को ठीक करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया जाता, इसलिये मूल्यों का दाम दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है। उद्योगों के लिए बिजली वितरण में भी कोई सुधार नहीं हुआ है। औद्योगिक सम्बन्धों में भी कोई सुधार नहीं हुआ है। उदाहरणार्थं सार्वजनिक उद्योगों के मजदूरों आन्दोलन के सम्बन्ध में सब जानते हैं। यह कोई नई मांग के लिये आन्दोलन नहीं करते हैं।

1977-78 में जो सार्वजनिक समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू करने के लिये ही बंलौर में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी आन्दोलन करते हैं। उस आन्दोलन को हल करने के लिए कदम उठाने के बदले यह सरकार अपने मंत्रि-मंडल के श्री सी. एम. स्टीफन जैसे मंत्रियों को, जो अपने मंत्रालय को ही अच्छी तरह नहीं संभाल सकते हैं, वहाँ आन्दोलन बन्द करने के लिए भेजती है। वहां जाकर वह सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को धमकी देते हैं। यही मजदूर विरोधी नीति इस सरकार की है।

डा. कर्ण सिंह ने अपने भाषण में आने वाली पीढियों लिये कहा, लेकिन इस सरकार को आने वाली पीढ़ियों के सम्बन्ध में कुछ चिन्ता ही नहीं है।

हाल ही में दिल्लीमें अपने एक भाषण में प्रधान मन्त्री ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाला बिल्कुल दोषपूर्ण है, लेकिन छठीं योजना में जिसके बारे में कहा जाता है कि वह रिकार्ड समय में तैयार की गई है, शिक्षा प्रणाली के दोषों के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं है, उन दोषों को दूर करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी शिक्षा प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है यह आने वाली बाको पीढ़ियों के सम्बन्ध में सरकार की चिन्ता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र के भविष्य के बारे में सरकार को कोई चिन्ता ही नहीं है।

छठीं योजना की चर्चा 1977 से हो रही थी। उस चर्चा के फलस्वरूप जो निर्णय किये गये थे, उन्हीं के आधार पर सरकार ने छठी योजना को तैयार किया है। लेकिन इस योजना में ऐसी कोई आर्थिक नीति नहीं अपनाई गई है, जिससे हम क्षेत्रीय असमानता को दूर कर सकते हैं। क्षेत्रीय असमानता को दूर या कम करना तो दूर, केरल जैसे राज्यों के साथ सौतेली माँ का सा व्यवहार किया जा रहा है। हाल ही में केन्द्रीय मंत्रि-मंडल सचिवालय के पर्सोनल डिपार्टमेंट की ओर से एक निर्देश भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों से केन्द्रीय सरकारी नौकरी के लिए जो अभ्यार्थी आते हैं , उनकी जाँच सैंट्रल इनटेलिजैंस ब्यूरो द्वारा की जानी चाहिए। इस सरकार के सौतेली माँ जैसे व्यवहार का यह एक उदाहरण है। मैं आपके जरिये सरकार से यह माँग करता हूँ कि केन्द्रीय मन्त्रिमंडल सचिवालय के पर्सोनल डिपार्टमेंट की ओर जो निदेश भेजा गया है, उसको वापस लेना चाहिए।

यह सरकार अपने दल के हित के लिए अपने प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग करती है।

उसकी ओर से यू. एन. आई, पी. टी. आई. टेलीविजन और आकाशवाणी पर सेंसरशिप लगा दिया गया है। केरल के मुख्य मन्त्री, श्री के. के. नायर, को अपने मंत्रि-मण्डल की स्थापना का एक वर्ष बीत जाने पर आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम स्टेशन पर भाषण करने का अवसर नहीं दिया गया। हमारा अखिल-भारतीय लोकतांत्रिक समाजवादी सम्मेलन बम्बई में हुआ था। टेलीविजन और आकाशवाणी ने उसको पूरी तरह से छोड़ दिया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : और आज आपका भाषण भी नहीं आयेगा।

श्री : नीलालोहिथादसन नाडार : सरकार ने कोयला बिजली आदि के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। आज भी कोयले के उद्योग की जो क्षमता है उससे बहुत कम उत्पादन उनका होता है जिसका कारण है कि 40% भी बिजली उनको नहीं मिल पाती। हमारे कई हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्टस यहां क्लीअरेंस के लिए पड़े हैं। उदाहरणार्थ मैं बताना चाहता हूं हमारे केरल के ही साइलेन्ट वैली प्रोजेक्टस, पूयनकुट्टी, लोअर पेरियार, कुरियार कुट्टि-करप्पारा, कुट्टीयाटी आकोमेंटैथन पन्टियार-पुन्नप्पुबा, मननतोटि और कल्लड़ा प्रोजेक्टस एक साल से भी अधिक समय से केन्द्रीय सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा में पड़े हैं। इनका क्लीअरेंस यह सरकार नहीं देती। यही इस सरकार की नीति है। कोयला बिजली और स्टील का उत्पादन ब ढ़ाने की कोशिश न करने से कैसे मूल्य वृद्धि का सामना किया जा सकता है?

भारत की मानव-शक्ति के आधार पर यहाँ के युवकों को इकट्ठा करके ऐसी कोई रण-नीति अपनाई जा सकती थी जिससे बेकारी गरीबी और भूख मिट जाय लेकिन उसके लिए छठी योजना में कोई सक्रिय कार्यक्रम दिखाई नहीं देता। यह ऐसी सरकार चल रही है जिसका भविष्य के बारे में कोई दृष्टिकोण ही नहीं है। सब कठिन समस्याएं ही दिखाई दे रही हैं।

भ्रष्टाचार इस सरकार का अंग बन गया है। यह भ्रष्टाचार प्रधान मन्त्री के निवास स्थान, 1, सफदरगज रोड, नई दिल्ली से शुरू होता है और मन्त्रियों के दरवाजे से होता हुआ चपरासी तक चला जाता है। ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार के लिए जो अभिभाषण हुआ है उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उस काम का मैं विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

---

6. 2 मध्यान्ह पश्चात

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 25 फरवरी, 1981/6 फाल्गुन, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सनलाइट प्रिंटर्स 2265 एच० सी० सेन रोड दिल्ली-6